केंद्रीय हिंदी निदेशालय : इतिहास के दर्पण में

डा० नरेंद्र व्यास

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

1986

प्राक्कथन

कुछ नामों में ऐसी चुम्बकीय शक्ति होती है कि उनका उच्चारण सुनते ही सम्पूर्ण ध्यान-शक्ति और एकाग्रता उन्हीं के प्रति समर्पित हो जाती है। 'केंद्रीय हिंदी निदेशालय' के प्रति मेरे अंतर्मन में कुछ ऐसा ही ममत्व और स्नेहिल भाव है। जब भी इसका नाम मन के किसी कोने में अंकुरित हो जाता है तो आज से 27 वर्ष पूर्व की स्मृतियाँ हृदय-पटल पर चलचित्र की भाँति उभरने लगती हैं। यद्यपि 1959 में निदेशालय के पूर्व रूप शिक्षा मंत्रालय के हिंदी प्रभाग में मेरी नियुक्ति संबंधी सभी प्रशासनिक औपचारिकताएँ पूर्ण हो चुकी थीं, किन्तु वर्ष 1960 का पदार्पण होते ही राजधानी की शीतल वायु के सान्निध्य में आने के साथ-साथ मेरा इस कार्यालय से संबंध स्थापित हुआ। 5 जनवरी, 1960 का वह दिन मेरे लिए एक अविस्मरणीय दिन बन गया जब कि मातृभाषा के साथ-साथ राजभाषा हिंदी की सेवा की मधुर कल्पना न केवल भावना का विषय बनी बल्कि जीविका का साधन भी बन गई। दोनों का संयोग एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का संकेत चिह्न सा प्रतीत हुआ। यद्यपि उस समय निदेशालय के जिस कार्य के लिए मेरा चयन किया गया था उसकी परिधि के अन्तर्गत विधि के क्षेत्र में हिंदी के बहुआयामी विकास की परिकल्पना समाहित थी, किन्तु बाद में विधिक क्षेत्र में हिंदी के विकास का उत्तरदायित्व तत्कालीन राजभाषा (विधायी) आयोग को सौंप दिए जाने के कारण यह विषय केंद्रीय हिंदी निदेशालय के कार्यक्षेत्र से बाहर चला गया। अब निदेशालय का उत्तरदायित्व विधि को छोड़कर अन्य सभी विषयों/क्षेत्रों में राजभाषा हिंदी का विकास, प्रचार और प्रसार करना था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसकी संभावनाएँ अत्यंत व्यापक ही नहीं असीम भी कही जा सकती हैं। भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को जहां सर्व प्रभुता सम्पन्न भारतीय गणराज्य की राजभाषा होने का गौरवपूर्ण पद प्रदान किया गया था, वहीं राष्ट्रव्यापी सर्वआयामी कार्यकलापों के निष्पादन का माध्यम बनाने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया था। स्वाभाविक था कि नए उत्तरदायित्वों के वहन के लिए हिंदी को सर्वप्रकारेण सभी क्षेत्रों में समृद्ध किया जाए ताकि वह अपनी महत्ता नए संदर्भों में प्रतिपादित और प्रतिष्ठापित कर सके। इन्हीं आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने और भारतीय वाङ्मय की समृद्ध साहित्यिक संपदा से बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त कर हिंदी को लाभान्वित और विकसित करने के उद्देश्य से पहली मार्च, 1960 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई।

सभी सुविज्ञ पाठक इस तथ्य से भली-भाँति परिचित हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार जहाँ हिंदी को राजभाषा का पद दिया गया है वहीं उसे भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का सशक्त और सक्षम माध्यम बनाने के उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 351 में कई अनुदेश भी दिए हैं। यही अनुच्छेद (351) राजभाषा हिंदी के भावी भव्य भवन की आधारशिला है।

यहां इस तथ्य पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार हिंदी के तत्कालीन विकास और प्रसार की स्थिति का मूल्यांकन करके संघ के शासकीय प्रयोजनों के संदर्भ में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से 1955 में राजभाषा आयोग बनाया गया था। उसने 1956 में अपने विस्तृत प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की थीं उस पर 1957 में बनी संसदीय समिति ने गहराई से विचार किया और समस्याओं का मंथन कर 1959 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब उसके वास्तविक कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रपति के आदेश की प्रतीक्षा की जा रही थी, सम्भवतः उस समय शिक्षा मंत्रालय को यह ज्ञात था कि संसदीय समिति ने 1959 में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसके अनुपालन के लिए उसे गम्भीर उत्तरदायित्व संभालना ही होगा और हिंदी के विकास के लिए उसे व्यापक व्यवस्था करनी होगी। अतः 27 अप्रैल, 1960 को प्रसारित होने वाले आदेश की प्रतीक्षा किए बिना उसने हिंदी को राष्ट्र की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी प्रकार से एक समर्थ एवं सक्षम भाषा बनाने के उद्देश्य से 1 मार्च, 1960 को ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय नामक महत्वपूर्ण कार्यालय की स्थापना कर दी। तब से लेकर पिछली लगभग चौथाई शताब्दी में राजकीय क्षेत्र में हिंदी का जो विकास हुआ है और उसे जो मर्यादा तथा सम्मान मिला है उसका बहुत कुछ श्रेय प्रत्यक्ष या परोक्षा रूप में इस निदेशालय को दिया जास कता है। यह सत्य है कि पिछले 25-26 वर्षों में इसके कार्यकलापों में परिवर्तन, संशोधन, संवर्धन और अपकर्तन हुआ है फिर भी यह कार्यालय दृढ़ संकल्प, उत्साह और मनोनिवेश के साथ अपना कार्य करता रहा है। इन्हीं कार्यकलापों को ऐतिहासिक, वस्तुपरक और संख्यात्मक दृष्टिकोण से परखने, परिभाषितक रने और परिगणित करने का कार्य इस विवरणिका में किया गया है। सचमुच इसके दर्पण में हम निदेशालय के कार्यों का स्पष्ट चित्र देख सकते हैं और कम से कम उन कामों का तो अवश्य ही जो इस समय निदेशालय में किए जा रहे हैं। यह भी सत्य है कि बहुत से महत्वपूर्ण कार्य कुछ विशेष कारणों से अन्य संगठनों को सौंप दिए गए हैं फिर भी उन संगठनों को प्रारम्भिक गति और दिशा प्रदान करने, भारत में भाषाई एकता का संवर्धन करने और सभी भारतीय भाषाओं के सहज सहयोग से हिंदी से अपेक्षित भावी आंकाक्षाओं की पूर्ति करने का प्रमुख उत्तरदायित्व इस कार्यालय पर है। इस विवरणिका में आपको इन कार्यकलापों की एक झांकी देखने को मिल सकेगी—ऐसा मेरा विश्वास है।

नई दिल्ली
15-8-86

(राजमणि तिवारी)
निदेशक

आत्मालाप

जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय की रजत-जयंती मनाने का निश्चय हुआ और उसके लिए संचालन समिति गठित हुई तो उसकी बैठकों में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ इस विषय पर भी विचार हुआ कि क्यों न इस अवसर पर निदेशालय की ऐतिहासिक विवरणिका प्रकाशित की जाए। निदेशालय की स्थापना हुए तब पच्चीस वर्ष से ऊपर हो चुके थे।

कार्य-आवंटन के समय इसे तैयार करने का भार मुझ पर डाला गया। संयोग से मैं वर्तमान पदधारियों में निदेशालय का सबसे 'पुरातन पुरुष' (केवल अभिधार्थ में) हूँ। निदेशालय की स्थापना मार्च' 60 में हुई थी। इससे पहले यही काम तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के हिंदी प्रभाग में होता था। इसी कार्य क्षेत्र से जुड़े रहते हुए मेरी सेवा-अवधि अब तक लगभग तीस वर्ष की हो गई है। इस तरह मैं हिंदी के विकास के लिए निदेशालय से संबंधित प्रायः प्रत्येक कार्य-योजना का निरंतर और नियमित साक्षी रहा हूँ। कदाचित् मेरे इसी प्रबल पक्ष के कारण मुझे यह काम सौंपा गया था।

स्वभाव से मैं पाठक अधिक हूँ, लेखक कम। लिखते समय भी प्रत्येक शब्द को पूरी तरह परख-तौलकर टाँकने की मेरी आदत रही है। अपनी इसी आदत की वजह से मेरे लेखन की मात्रा काल की तुला पर बहुत कम बैठती है। मुझे यह भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैं सहज और उर्वर (प्रोलिफिक अर्थ में) लेखक नहीं हूँ; अधिकतर दबाव में आकर ही लिखता हूँ। इसीलिए जब निदेशालय के कार्यकलाप के इतिहास लेखन का कार्य-भार मुझ पर आ पड़ा तो पहले तो मैंने सामग्री-संकलन का कार्य अत्यंत शैथिल्य से शुरू किया; पर ज्यों-ज्यों निश्चित तिथि पास आती गई और काम की माँग बढ़ती रही, तो 'मरता क्या न करता' के अनुसार कर्त्तव्य-बोध के दबाव वश मैं इसमें अग्रसर और लिप्त हो गया और एक समय तो ऐसा आया कि यथार्थ में खाना-पीना भूल, रात-दिन एक करके इस काम को पूरा कर ही लिया। संतोष है कि अब यह प्रकाशित होकर मूल्यांकन के लिए आपके हाथों में है।

एक ऊहापोह निरंतर बना रहा है। जो कुछ लिखा जाना है, वह केवल इतिवृत्तात्मक हो या उसका साथ-साथ मूल्यांकन भी किया जाए? मैं लगभग आरंभ से ही इस संस्था का अंग रहा हूँ अतः इसका विवरण तो दे सकता हूँ पर इतिहास कैसे लिखूँ? मूल्यांकन के लिए जो तटस्थ दृष्टि चाहिए, उसका वर्तमान परिस्थितियों में मुझमें अभाव माना जा सकता है? मूल्यांकन का प्रयत्न भी करूँ तो सफल हो पाऊँगा या नहीं या फिर हर हालत में मेरा मूल्यांकन अविश्वसनीय ही बना रहेगा? मूल्यांकन के अभाव में मात्र घटनाओं का विवरण या प्रवृत्तियों का आकलन इतिहास कैसे बन पाएगा? यही

मानसिक द्वंद्व लेखन और नामकरण दोनों ही स्थितियों में लगभग स्थायी भाव-सा बना रहा है। पुस्तक का अधिकांश विवरण प्रधान है, इसलिए वस्तुगत सत्य के अधिक निकट है, पर यत्रतत्र आपको व्यक्ति-सापेक्ष दृष्टिकोण भी देखने को मिलेगा। जो भी हो, संतोष इस बात का है कि इतिवृत्तात्मकता के इस ठोस धरातल के नीचे इतिहास की मूल चेतना के रूप में हिंदी के विकास की अंतर्धारा विलुप्त नहीं हो पाई है।

पुस्तक तीन खंडों में विभक्त है। पहले खंड में दो अध्याय हैं जिनमें से एक में निदेशालय की संगठनात्मक तथा प्रशासनिक व्यवस्था का सांगोपांग विवरण उपलब्ध है तो दूसरे में इसके कार्यकलाप का समय-समय पर जो आधिकारिक मूल्यांकन होता रहा है, उसका वर्णन है। निदेशालय में हिंदी विकास की अनेक महत्त्वपूर्ण कोश और अनुसंधान योजनाएँ चलीं या चल रही हैं, उन सबका लेखा-जोखा अध्याय-3 और 4 में दिया गया है। पाँचवें अध्याय में आवधिक प्रकाशनों के साथ-साथ साहित्यिक और साहित्येतर सामयिक प्रकाशनों का विवरण मिलेगा। हिंदी के विकास के साथ-साथ उसका हिंदीतर भाषी प्रदेशों में समुचित प्रचार-प्रसार करना भी निदेशालय के कर्त्तव्यों में आता है। छठे अध्याय में विस्तार कार्यक्रमों और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की निःशुल्क वितरण योजना का परिचय दिया गया है। हिंदीतर भाषी भारतीयों और विदेशियों को पत्राचार के माध्यम से हिंदी पढ़ाना निदेशालय की अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसका विस्तार से विवेचन अध्याय-7 में किया गया है। आठवाँ और नवाँ अध्याय क्रमशः बिक्री-प्रबंध और पुस्तकालय से संबंधित हैं। हिंदी के विकास के साथ-साथ सिंधी भाषा के विकास का काम भी निदेशालय को सौंपा गया है। इसका विवरण अध्याय-10 में मिलेगा। पुस्तक के अंत में 12 परिशिष्ट जोड़े गए हैं जिनमें निदेशालय के पदधारियों की 31 दिसंबर 85 की वास्तविक स्थिति के साथ-साथ अनेक प्रकार की उपयोगी जानकारियाँ संकलित की गई हैं।

किसी समय शब्दावली निर्माण और असांविधिक सरकारी साहित्य के अनुवाद का कार्य तथा उर्दू भाषा के विकास की योजनाएँ भी निदेशालय के अधीन थीं। अब इसके लिए अलग-अलग कार्यालय उपलब्ध हैं। अतः तत्संबंधी कार्यों का अलग से उल्लेख न कर प्रासंगिक चर्चा से ही संतोष कर लिया गया है। निदेशालय की ही भगिनि संस्था 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' है। उसके कार्यों की विस्तार से जानकारी में लिए उसकी 'स्मारिका' को देखा जा सकता है।

इस पुस्तक में जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उसकी कालावधि 31 मार्च 86 तक की है।

सामग्री-संकलन में प्रायः सभी अनुभागों ने संगत जानकारियाँ उपलब्ध करवाई हैं। परिशिष्ट-गत विस्तार कार्यक्रम संबंधी विवरणों की रिक्तियों की पूर्ति में श्री भारतेश मिश्र से तथा प्रकाशकों के सहयोग वाली सूची को अद्यतन करने में श्रीमती देशकुमारी और डा० नरेशकुमार से उपयोगी सहायता प्राप्त हुई है। पुस्तक की पूरी पांडुलिपि श्रीमती इंदु मैंदीरत्ता ने टाइप की है। निदेशालय के कलाकार श्री मनोहरलाल ओबेराय ने पुस्तक का आवरण पृष्ठ तथा सभी चार्ट तैयार किए हैं। पुस्तक के रूपबंध

को निश्चित करने में भी इन्होंने उपयोगी सुझाव दिए हैं। ये सभी उल्लिखित व्यक्ति सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। निदेशक श्री राजमणि तिवारी ने अपनी व्यस्तता के बावजूद धैर्य-पूर्वक पूरी पांडुलिपि का अवलोकन किया और कई उपयोगी सुझाव दिए, इसके लिए मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

निदेशालय की रजत जयंती के अवसर पर इसका प्रकाशन और विमोचन हो रहा है। आशा है यह पुस्तक निदेशालय के कार्यक्रमों की अब तक की पूरी जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराने और भावी अनुसंधित्सुओं के लिए आधार-सामग्री प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगी।

स्वतंत्रता दिवस **नरेंद्र व्यास**

15 अगस्त 1986

विषय सूची

खंड एक

अध्याय—1 संगठनात्मक तथा प्रशासनिक व्यवस्था (पृष्ठ 1—16)*

अध्याय—2 निरीक्षण और मूल्यांकन (पृष्ठ 17—25)

*पूरी विषय सूची में शीर्षकों के आगे बंधनी में दी गई संख्या पृष्ठ सूचक है।

खंड दो

अध्याय—4 विविध अनुसंधान योजनाएँ (पृष्ठ 46—51)

अध्याय—5 प्रकाशन योजना (पृ॰ठ 52—61)

खंड—तीन

अध्याय—6 हिंदी के प्रचार-प्रसार की योजनाएँ (पृष्ठ 62—75)

अध्याय—7 **हिंदी पत्राचार पाठ्यक्रम** **(पृष्ठ 77—104)**

अध्याय—8 **बिक्री और बिक्री-वर्धन** **(105—106)**

अध्याय—9 **हिंदी पुस्तकालय** **(107—108)**

अध्याय—10 **सिंधी भाषा का विकास** **(109—112)**

परिशिष्ट

अध्याय 1

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

की

संगठनात्मक तथा प्रशासनिक व्यवस्था

1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

"संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्" (ऋग्वेद मं 10/सू 191/2)—प्राचीन ऋषियों का यह उद्घोष सदा से भारतीय भाषाओं की जीवनी शक्ति रहा है । इन्हीं भाषाओं में से एक हिंदी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया । इसके माध्यम से समय-समय पर मानवीय शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई जाती रही । इस भाषा ने सबको साथ लेकर, मिलजुलकर प्रगति करने की भावना सबके मन में जगाई । आज हिंदी विश्व-बंधुत्व की भावना फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है ।

स्वाधीनता से पूर्व सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पुरोधा और राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूत अनेक भारतीय मनीषियों और चिंतकों ने भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर निरंतर बल दिया । राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने तो यहाँ तक कहा कि राष्ट्रभाषा के अभाव में देश गूँगा है । इसीलिए उन्होंने देश की स्वतंत्रता तथा उसके उत्थान के लिए जो अनेक रचनात्मक काम हाथ में लिए, उनमें से एक काम हिंदी के प्रचार-प्रसार का काम था ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान-निर्माण की प्रक्रिया के दौरान यही भावना संविधान निर्माताओं के मन को आंदोलित करती रही । लंबे विचार-विमर्श और चिंतन के बाद 14 सितम्बर, 1949 को यह निश्चय किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को राजभाषा बनाया जाए । संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की प्रसार-वृद्धि और संवर्द्धन के लिए भी उनके मन में एक सुनिश्चित परिकल्पना थी ।

1.2 सांविधानिक व्यवस्था

संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 राष्ट्रीय भाषा नीति से संबंधित हैं । अनुच्छेद 343 (1) में व्यवस्था की गई है कि देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी । अनुच्छेद 345, 346 और 347 में केंद्र तथा राज्यों के बीच संपर्क की भाषा और राज्यों के बीच परस्पर व्यवहार की भाषा के बारे में व्यवस्था दी गई है । अनुच्छेद 351

में हिंदी के प्रचार और प्रसार के दायित्व तथा विकास का दिशा-संकेत देते हुए कहा गया है कि "हिंदी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, इसका इस तरह विकास करना कि यह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, तथा इसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात् करते हुए तथा जहाँ आवश्यक अथवा वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से तथा गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए इसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा।"

1.3 हिंदी अनुभाग

संविधान प्रदत्त दायित्व का निर्वाह करने के लिए सबसे पहले इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के लिए समान पारिभाषिक शब्दावली का विकास किया जाए। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1950 में भाषाविज्ञानियों और विज्ञान-वेत्ताओं के एक पारिभाषिक शब्दावली बोर्ड का गठन किया। 1952 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्थापित हिंदी अनुभाग में शब्दावली बोर्ड के मार्गदर्शन में शब्दावली-निर्माण का कार्य शुरू हुआ। शब्दावली के काम के साथ-साथ इसी अनुभाग को सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण, देवनागरी टाइपराइटर के कुंजीपटल, हिंदी वर्तनी, भारतीय भाषाओं की समान शब्दावली, करारों और समझौतों के अनुवाद तथा हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनी जैसे काम भी सौंपे गए। इस तरह काम की बढ़ती हुई मात्रा और विविधता को देखते हुए कुछ समय बाद ही हिंदी अनुभाग का विस्तार करके हिंदी प्रभाग की स्थापना की गई।

1.4 हिंदी प्रभाग

हिंदी प्रभाग ने 1959 तक शिक्षा क्षेत्र के सभी प्रमुख विषयों में उच्चतर माध्यमिक और कुछ विषयों की स्नातक स्तर की शब्दावलियाँ तैयार कीं, उन्हें अनंतिम शब्द सूचियों के रूप में प्रकाशित कर संबंधित विषयों के विद्वानों और संस्थाओं को भेजा तथा प्राप्त सुझावों के अनुसार अपेक्षित संशोधन कर उन्हें अंतिम रूप से प्रकाशित किया। सरकारी कर्मचारियों के लिए सांध्यकालीन हिंदी-कक्षाओं की व्यवस्था भी इसी प्रभाग के अधीन थी। इसी प्रभाग द्वारा हिंदी टाइपराइटर के कुंजीपटल के निर्धारण की दिशा में आरंभिक कार्य किया गया तथा आशुलिपि के लिए हिंदी का स्वनिमिक और रूपिमिक विश्लेषण करवाया गया। भारतीय भाषाओं की समान शब्दावलियाँ तैयार की गईं, करारों और समझौतों का मानक अनुवाद किया गया और हिंदी पुस्तक प्रदर्शनियाँ आयोजित की गईं। गैर-तकनीकी कोशों के निर्माण के लिए भी संस्थाओं को वित्तीय अनुदान दिया गया। इसी तरह हिंदी के विकास और प्रचार से संबंधित अन्य अनेक योजनाएँ बनाई गईं। ये सभी कार्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त भाषाविज्ञानी डा० सिद्धेश्वर वर्मा, डा० यदुवंशी और डा० रामधन शर्मा के मार्ग-दर्शन में किए गए।

1.5 केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना

संविधान के संबंधित अनुच्छेदों में निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजभाषा आयोग (1955-56) बना। आयोग की रिपोर्ट पर संसदीय समिति (1957-58) ने विचार किया। उनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि हिंदी के प्रचार-प्रसार और विकास को गति देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था बनाई जाए। तदनुसार 1 मार्च, 1960 को शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई।

अब तक शिक्षा मंत्रालय का हिंदी प्रभाग जो-जो कार्य कर रहा था और प्रचार-प्रसार और विकास की जो नई-नई योजनाएँ स्वीकृत हुई थीं, वे सभी निदेशालय को हस्तांतरित कर दी गईं। इस तरह निदेशालय को हिंदी प्रभाग का सारा काम उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। उस समय निदेशालय की योजनाओं में शब्दावली-निर्माण और पारिभाषिक कोश रचना जैसे विकासमूलक कार्यों का ही प्राधान्य था; अन्य प्रचार-प्रसार की योजनाओं पर अपेक्षाकृत कम बल दिया जा रहा था।

राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 60 के आदेश के अनुसार बाद में 1 अक्टूबर 1961 को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के स्थायी आयोग की स्थापना हुई।*

शब्दावली निर्माण, पारिभाषिक कोश रचना और विश्व-विद्यालयीन स्तर के मानक ग्रंथों के अनुवाद/मौलिक लेखन का कार्य उसके कार्य-क्षेत्र में आ गया। पर इससे पहले लगभग डेढ़ वर्ष तक ये सभी कार्य अन्य कार्यों के साथ-साथ निदेशालय के कार्य-कलाप के अंतर्गत ही परिगणित किए जाते रहे। वस्तुतः देखा जाए तो आयोग का गठन अध्यक्ष और सदस्यों के स्तर तक ही सीमित रहा। कार्यकर्त्ता निदेशालय के ही प्रशासनिक ढाँचे का अंग बने रहे। प्रशासनिक शब्दावली में कहा गया कि 'निदेशालय वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को सचिवालयीन सहायता प्रदान करेगा।' निदेशालय के निदेशक आयोग के पदेन सचिव बनाए गए, अर्थात् कार्य-क्षेत्र बँट जाने के बावजूद दोनों का कार्यालय एक ही रहा।

---

*टिप्पणी

निदेशालय की प्रायः सभी वार्षिक रिपोर्टों में कहा गया है कि राष्ट्रपति के इस आदेश के अनुसार केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई। जहाँ कहीं निदेशालय के बारे में विवरण दिया जाता है, अनुकरण के आधार पर यही बात दोहरा दी जाती है। पर यह तथ्य नहीं है। निदेशालय की स्थापना 1 मार्च, 1960 को हो गई थी और राष्ट्रपति का उक्त आदेश 27 अप्रैल, 60 का है। तब विचारणीय है कि यह कैसे संभव हुआ कि भावी आदेश के आधार पर पहले ही कोई संस्था बन गई हो।

आयोग से संबंधित कार्य उन्हें हस्तांतरित कर दिए जाने के बाद निदेशालय का दायित्व निम्नलिखित योजनाओं तक सीमित रह गया— (1) असांविधिक, प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक साहित्य और विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से प्राप्त बजट, वार्षिक रिपोर्ट आदि का अनुवाद; (2) हिंदी के विकास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन—जैसे, हिंदी टाइपराइटर और टेलीप्रिंटर के कुंजीपटल, हिंदी आशुलिपि का मानकीकरण, देवनागरी लिपि सुधार; (3) हिंदी के प्रचार-प्रसार से संबंधित योजनाओं का निर्माण और उनका कार्यान्वयन; (4) शब्दानुक्रमणिकाएं, सर्वसंग्रह; (5) अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण; (6) विज्ञानेतर कोश और विश्वकोश; (7) पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन ; (8) प्रकाशकों के सहयोग से लोकप्रिय पुस्तकों का प्रकाशन; (9) निःशुल्क पुस्तक वितरण और (10) हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनियाँ आदि

हिंदी प्रभाग के कार्यकाल में और निदेशालय के आरंभिक वर्षों में विधि संबंधी पारिभाषिक शब्दावली का कार्य शिक्षा मंत्रालय के ही अधीन था। बाद में इसे विधि मंत्रालय को सौंप दिया गया।

जैसा कि संकेत दिया जा चुका है, अपनी स्थापना के समय से ही आयोग को सचिवालयीन सहायता निदेशालय द्वारा दी जाती रही। निदेशक शब्दावली आयोग के सचिव होते थे। आयोग के प्रकाशनों की व्यवस्था निदेशालय ही करता था, इसलिए प्रकाशनों पर दोनों के नाम साथ-साथ छपते थे। शब्दावली और पारिभाषिक कोशों के निर्माण में जितना स्टाफ लगा था, वह निदेशालय के ही प्रशासनिक नियंत्रण में था। यह स्थिति लगभग 4 वर्ष तक रही।

इसी बीच वित्त मंत्रालय के अमला जाँच एकक ने निदेशालय के कार्यों की समीक्षा की। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शब्दावली और परिभाषा कोश कार्य में लगा स्टाफ सीधे आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण में होना चाहिए। इससे सहमत होते हुए शिक्षा मंत्रालय ने 1 अक्तूबर 1965 से शब्दावली आयोग को एक अलग अधीनस्थ कार्यालय बना दिया। इसी दिन से आयोग और निदेशालय ने पृथक्-पृथक् संस्थाओं/कार्यालयों के रूप में कार्य शुरू किया। दोनों के स्टाफ का बँटवारा हो गया, पर सेवा-संवर्ग एक ही रहा। आयोग के पदेन सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और तत्कालीन निदेशक के आयोग के सदस्य/उपाध्यक्ष बन जाने पर निदेशालय के लिए नए निदेशक की नियुक्ति हुई। दोनों कार्यालयों के तकनीकी काम में तो स्पष्ट अंतर पहले से था ही, अतः उसके विभाजन में कठिनाई नहीं आई।

शब्दावली आयोग बन जाने और स्टाफ तथा काम दोनों के बँट जाने के बाद निदेशालय ने हिंदी के विकास तथा प्रचार-प्रसार की अनेक नई योजनाएँ शुरू कीं। भारतीय भाषाओं के कोशों के काम में विस्तार हुआ; हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार-प्रसार संबंधी नई-नई योजनाएं शुरू की गईं; अहिंदी भाषी भारतीयों और विदेशियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम

शुरू हुए तथा काफी बड़ी मात्रा में प्रशासनिक साहित्य (मैनुअल, फार्म आदि) का अनुवाद हुआ । इसके लिए आवश्यक स्टाफ में भी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई ।

पर तभी निदेशालय के जीवन में सन् 1971 में दूसरा बड़ा मोड़ आया । मंत्रालयों के बीच हुए कार्य-आवंटन के अनुसार राजभाषा का विषय गृह मंत्रालय की परिधि में आ गया । तब प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद कार्य के लिए गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई और असांविधिक, प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक साहित्य तथा विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से प्राप्त बजट, वार्षिक रिपोर्टों आदि के अनुवाद का कार्य स्टाफ सहित अनुवाद ब्यूरो को हस्तांतरित कर दिया गया । इसी तरह कालांतर में हिंदी टाइपराइटर तथा टेलीप्रिंटर के कुंजीपटल एवं हिंदी आशुलिपि के मानकीकरण का कार्य भी राजभाषा विभाग को सौंप दिया गया ।

अनुवाद ब्यूरो और राजभाषा विभाग को कुछ काम सौंप देने के बाद निदेशालय को उर्दू और सिंधी भाषाओं की प्रोन्नति के काम सौंपे गए । इनके लिए क्रमशः तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड तथा सिंधी सलाहकार समिति बनाई गई । निदेशालय उन्हें भी सचिवालयीन सहायता प्रदान करता रहा । सांस्कृतिक समझौतों के अंतर्गत हिंदी और विदेशी भाषाओं के कोशों और वार्तालाप पुस्तिकाओं का काम भी निदेशालय में शुरू हुआ । पत्राचार पाठ्यक्रम, विस्तार कार्यक्रम और प्रकाशक सहयोग योजनाएँ यथापूर्व चलती रहीं ।

तभी 5 अगस्त, 1971 से शब्दावली आयोग के कार्यालय को पुनः निदेशालय के कार्यालय में मिला दिया गया । तब तक आयोग में सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था लगभग समाप्त की जा चुकी थी । अतः शब्दावली आयोग के अध्यक्ष और निदेशालय के निदेशक के पदों को मिला दिया गया । दोनों संस्थाओं ने एक ही विभागाध्यक्ष के अधीन कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु दोनों के कार्यों के स्वरूप स्पष्टतः अलग-अलग पहचाने जा सकते थे ।

निदेशालय की नर्सरी में उर्दू के विकास कार्य ने जब गति पकड़ी तो 16 जून, 73 से उर्दू के विकास और प्रचार-प्रसार के कार्य के लिए तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के अधीन शिक्षा मंत्रालय में एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो की स्थापना की गई और तत्संबंधी कार्य उसे सौंप दिया गया । सिंधी भाषा के विकास का कार्य अद्यावधि निदेशालय में ही हो रहा है । अलग से सिंधी विकास बोर्ड की स्थापना का विषय मंत्रालय में संप्रति विचाराधीन है ।

मई 78 तक निदेशालय के विभागाध्यक्ष 'अध्यक्ष व निदेशक' कहलाते थे । यह मानते हुए कि शब्दावली आयोग को भंग किया जा चुका है, मंत्रालय ने जून, 78 में आयोग के अध्यक्ष पद को समाप्त कर निदेशालय के विभागाध्यक्ष को 'शब्दावली सलाहकार व निदेशक' का पदनाम दे दिया ।

बाद में जब इस बात का पता चला कि शब्दावली आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश से हुई थी और उसी स्तर पर कार्रवाई किए बिना केवल शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर ही शब्दावली आयोग को भंग नहीं किया जा सकता, तो आयोग के अध्यक्ष का पद पुनः बहाल कर दिया गया।

सन् 1978 में हैदराबाद स्टाफ कॉलेज के द्वारा निदेशालय और आयोग के कार्यकलाप की समीक्षा करवाई गई। कॉलेज ने अप्रैल, 79 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट की जाँच शिक्षा-सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने की। इस समिति ने दोनों संस्थाओं के बारे में स्टाफ कॉलेज की विचाराधीन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर अनेक निर्णय लिए।

प्रस्तुत प्रसंग में जो प्रभावी निर्णय हुए, वे इस प्रकार थे— (1) आयोग और निदेशालय को अलग-अलग कर दिया जाए; (2) दोनों शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय रहें; (3) दोनों कार्यालयों के बीच स्टाफ का बँटवारा परामर्शदात्री समिति की उपसमिति द्वारा प्रस्तावित कार्य-विभाजन के अनुसार कर दिया जाए; (4) दोनों ही अकादमिक और तकनीकी संस्थाएँ होंगी; (5) तकनीकी स्टाफ का अखंडित वेतनमान 700-1600 होगा। 25% पद प्रवरण कोटि (सलेक्शन ग्रेड) के होंगे; (6) भरती नियमों में संशोधन किया जाए ताकि नियुक्त व्यक्तियों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं के ज्ञान की अपेक्षा रहे; (7) केवल वे ही प्रकाशन हाथ में लिए जाएँ जो दोनों संस्थाओं के कार्यक्षेत्र और दायित्वों से प्रत्यक्षतः संबंधित हों; (8) प्रकाशनों के निःशुल्क वितरण की वांछनीयता पर विचार किया जाना चाहिए और अपने प्रकाशनों की बिक्री का काम अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए; (9) दोनों संस्थाओं को अपनी-अपनी योजनाओं को विकासात्मक और प्रसारात्मक दो वर्गों में बाँट लेना चाहिए।

उच्चस्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार एक बार फिर 1980 में दोनों संस्थाओं का विभाजन किया गया। तकनीकी कार्य की दृष्टि से तो आयोग और निदेशालय को तत्काल ही अलग-अलग कार्यालयों के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया, किंतु दोनों की प्रशासनिक व्यवस्था फिर भी एक ही रही। प्रशासनिक कार्यालयों का पुनर्वितरण और विभाजन 85 में ही संभव हो सका। संप्रति तकनीकी और दैनंदिन प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में दोनों कार्यालयों का अस्तित्व पृथक्-पृथक् है; केवल सेवा-नियमावली, भर्ती, पदोन्नति जैसे अविभाजित मामले निदेशालय के प्रशासनिक अनुभाग द्वारा संबंधित कार्यालयों के विभागाध्यक्षों की मार्फत प्रस्तुत किए जाते हैं।

दोनों कार्यालय एक ही भवन में हैं और साझी सुविधाओं के अनुरक्षण का भार भी फिलहाल अविभाजित है। पहले जिसके पास जितना स्थान था, वह अब भी ज्यों-का-त्यों उनके

पास है। इसी तरह हिंदी पुस्तकालय दोनों का सम्मिलित है। प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से वह निदेशालय के अधीन है; पर पुस्तकों के लिए बजट की व्यवस्था दोनों संस्थाएँ करती हैं। पुस्तकों के चयन के लिए प्रतिवर्ष एक सम्मिलित समिति बनाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता आयोग और निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी बारी-बारी से करते हैं।

1.6 पद, पदनाम और पदधारी

निदेशालय की स्थापना के समय कुल 190 पद इसके लिए स्वीकृत थे। इनमें से 151 पदों की पूर्ति तो हिंदी प्रभाग के लिए पूर्व स्वीकृत पदों को हस्तांतरित करने से हो गई। निदेशालय में सहायक शिक्षा अधिकारी का एक पद समाप्त कर शिक्षा मंत्रालय में सहायक शिक्षा अधिकारी (संस्कृत) का एक नया पद बनाया गया। सन् 60-61 के दौरान 117 नए पदों का सर्जन हुआ। 1985-86 के वित्त वर्ष के अंत तक निदेशालय में कुल 306 पद थे, जिनकी तुलनात्मक सारणी नीचे दी जा रही है—

क्रम संख्या	पदनाम	1-3-60 को स्वीकृत पद	शिक्षा मंत्रालय से हस्तांतरित पद	नए स्वीकृत पद (60-61)	कुल जोड़ (कालम 3-5)
1	2	3	4	5	6
1	निदेशक	1	—	—	1
2	प्रधान संपादक	1	1	—	1
3	उपनिदेशक	6	2	1	7
4	सहायक निदेशक	7	5	4	11
5	संपादक	7	7	1	8
6	सहायक निदेशक (कनिष्ठ)	1	—	—	1
7	संपादक (कनिष्ठ)	1	1	—	1
8	सहायक शिक्षा अधिकारी	3(4-1)	3	13	16
9	अनुसंधान सहायक	79	69	49	128
10	तकनीकी सहायक	25	16	1	26
11	ग्रंथ सूचीकार	1	1	—	1

1	2	3	4	5	6
12	पुस्तकाध्यक्ष (श्रेणी II)	2	2	—	2
13	पुस्तकाध्यक्ष (श्रेणी III)	2	1	—	2
14	प्रवर श्रेणी लिपिक	4	4	13	17
15	लेखा लिपिक/कोषाध्यक्ष	1	1	—	1
16	अवर श्रेणी लिपिक	30	20	16	46
17	आशुलिपिक (वरिष्ठ)	—	—	1	1
18	आशुलिपिक (कनिष्ठ)	—	—	9	9
19	स्टेनो-टाइपिस्ट	—	—	1	1
20	पुस्तकालय परिचर (कनिष्ठ)	1	1	—	1
21	गेस्टेटनर चालक	1	1	—	1
22	स्टाफ कार ड्राइवर	—	—	1	1
23	फर्राश	3	3	—	3
24	दफ्तरी	2	2	2	4
25	चपरासी	7	7	5	12
26	सफाई कर्मचारी	2	2	—	2
27	चौकीदार	2	2	—	2
	कुल	189	151	117	306

आरंभ में निदेशालय मुख्यत: शब्दावली-निर्माण और परिभाषा-कोशों की रचना जैसे विकासात्मक कार्यों में लगा था, तथा हिंदी के प्रचार-प्रसार से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन भी कर रहा था, इसलिए ये सभी पद इन कामों से संबंधित थे। अक्टूबर, 61 में वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग की स्थापना हो जाने के बाद भी सितंबर, 65 तक शब्दावली और कोशों का कार्य निदेशालय की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ही चलता रहा। इस अवधि में अनेक तकनीकी और लिपिकवर्गीय नए पदों का सर्जन हुआ।

आयोग के तत्कालीन अंशकालिक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (2) और सदस्यों (3) के पदों को छोड़कर सन् 64 तक निदेशालय के अधीन स्वीकृत पदों की कुल संख्या 506 हो गई, जिनमें 33 पद प्रधान वैज्ञानिक अधिकारियों के भी थे, जो स्नातकोत्तर स्तर की शब्दावली तैयार करने के लिए बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त सहायक निदेशकों, सहायक शिक्षा अधिकारियों, अनुसंधान सहायकों, आशुलिपिकों तथा अन्य लिपिकवर्गीय पदों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

इस अवधि में निदेशालय के दो क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास और कलकत्ता में खुले, जहाँ एक-एक क्षेत्रीय अधिकारी के साथ एक-एक आशुलिपिक, दो-दो अवर श्रेणी लिपिक तथा एक-एक चपरासी के पद दिए गए।

1 अक्टूबर, 65 से आयोग और निदेशालय पृथक् होकर दो स्वतंत्र कार्यालयों के रूप में कार्य करने लगे। निदेशालय को आवंटित स्टाफ की कुल संख्या 221 थी। विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया जा रहा है :—

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या
1	निदेशक	1	17	आशुलिपिक (वरिष्ठ)	2
2	प्रधान संपादक	1	18	आशुलिपिक (कनिष्ठ)	12
3	उपनिदेशक	4	19	स्टेनो-टाइपिस्ट	1
4	क्षेत्रीय अधिकारी	2	20	प्रूफ रीडर	1
5	संपादक	3	21	प्रवर श्रेणी लिपिक	12
6	सहायक निदेशक	5	22	अवर श्रेणी लिपिक	36
7	सहायक निदेशक (कनिष्ठ)	1	23	स्टाफ कार ड्राइवर	1
8	सहायक शिक्षा अधिकारी	15	24	गेस्टेटनर चालक (कनिष्ठ)	1
9	अनुसंधान सहायक	68	25	पुस्तकालय परिचर	1
10	कलाकार	1	26	दफ्तरी	3
11	तकनीकी सहायक	13	27	पैकर	1
12	ग्रंथ सूचीकार	1	28	चपरासी	16
13	पुस्तकाध्यक्ष (श्रेणी II)	2	29	फर्राश	4
14	पुस्तकाध्यक्ष (श्रेणी III)	2	30	सफाई कर्मचारी	3
15	अधीक्षक	2	31	माली।	1
16	प्रधान लिपिक	2	32	चौकीदार	1

सन् 66-67 में अमला जाँच एकक की रिपोर्ट के कार्यान्वियन में निदेशालय के स्टाफ में भारी कटौती हुई। उपनिदेशक-1, संपादक-1, सहायक निदेशक-2, सहायक निदेशक (कनिष्ठ)-8, सहायक शिक्षा अधिकारी-8, अनुसंधान सहायक-44, तकनीकी सहायक-3, आशुलिपिक (कनिष्ठ)-2, अवर श्रेणी लिपिक-3, फर्राश-1 और माली-1 के पद कम कर दिए गए। तुलना में केवल तीन नए पद (प्रवर श्रेणी लिपिक-1, दफ्तरी-1, चपरासी-1) मिले।

मार्च 68 से हिंदी पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू हुआ। इस नए कार्यक्रम के लिए सहायक निदेशक, सहायक शिक्षा अधिकारी तथा मूल्यांकक स्तर के कुछ नए पद स्वीकृत हुए। लिपिक वर्गीय स्टाफ भी मिला। सन् 70 में यूनेस्को दूत के काम के साथ-साथ सहायक शिक्षा अधिकारी 1, तकनीकी सहायक 1, आशुलिपिक (कनिष्ठ) 1, लेखालिपिक 1 और चपरासी 1 के पद राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को हस्तांतरित कर दिए गए।

1 मार्च, 71 से गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना के बाद असांविधिक प्रक्रियात्मक साहित्य के अनुवाद का कार्य उसे सौंप दिया गया। फलस्वरूप निदेशालय के निम्नलिखित पद और पदधारी स्थानांतरित हुए :

क्रम संख्या	पदनाम	पद संख्या	क्रम संख्या	पदनाम	पद संख्या
1	सहायक निदेशक	2	7	प्रवर श्रेणी लिपिक	1
2	सहायक शिक्षा अधिकारी	7	8	अवर श्रेणी लिपिक	5
3	अनुसंधान सहायक	23	9	आशुलिपिक (कनिष्ठ)	2
4	तकनीकी सहायक	5	10	दफ्तरी	1
5	प्रधान लिपिक	1	11	चपरासी	5
6	प्रूफरीडर	2			

इस तरह निदेशालय के बहुविध विखंडन के फलस्वरूप वित्त वर्ष 71-72 के आरंभ में निदेशालय में केवल 150 व्यक्तियों का अमला रह गया। अगस्त 71 में एक बार फिर आयोग को निदेशालय में मिला दिया गया। तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड तथा सिंधी सलाहकार समिति को सचिवालयीन सहायता दी जाने के बावजूद इन कामों के लिए अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं हुई, इसलिए निदेशालय/आयोग के तत्कालीन अमले ने ही ये कर्तव्य भी निभाए। अमला जाँच एकक ने एक बार फिर निदेशालय/आयोग की स्टाफ संबंधी आवश्यकताओं की जाँच की और जून, 72 में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वियन में आंशिक परिवर्तनों के साथ-साथ उल्लेखनीय परिवर्तन यह हुआ कि अध्यक्ष और निदेशक के पद मिला दिए गए तथा वर्षों से रिक्त प्रधान वैज्ञानिक अधिकारियों के लगभग 30 पद समाप्त कर दिए गए। 72-73 में कुल पद 442 थे।

पत्राचार पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही, पर अमला जाँच के समय की 4008 की संख्या के लिए जो स्टाफ दिया गया था, उसमें अनेक प्रयत्नों के बावजूद किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो सकी ।

हाँ, इस बीच दो नए क्षेत्रीय कार्यालय (गुवाहाटी और हैदराबाद) खुले, जिनके लिए अन्य दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों की तरह न्यूनतम स्टाफ मंजूर हुआ ।

प्रधान संपादक का एक पद समाप्त कर अतिरिक्त निदेशक का पद बनाया गया, जिसे कालांतर में आयोग के सचिव पद में बदल दिया गया । ग्रंथ सूचीकार के पद को समाप्त कर पुस्तकाध्यक्ष श्रेणी II का एक पद श्रेणी-I का कर दिया गया । अध्यक्ष की सहायता के लिए तकनीकी सचिव का पद तो बहुत पहले ही बन गया था, इसके कारण आगे चलकर एक वरिष्ठ आशुलिपिक का पद समाप्त कर दिया गया ।

इस तरह सन् 72 की स्थिति ऊपर गिनाए गए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों को छोड़कर सन् 80 तक कमोबेश वैसी ही चलती रही, जब एक बार फिर आयोग को निदेशालय से अलग कर दिया गया । तकनीकी स्टाफ तो पहले ही बँट चुका था, लिपिकवर्गीय स्टाफ के भी सन् 85 में बँट जाने पर निदेशालय में जो पद बचे, उनकी सूची (पदधारियों और रिक्त पदों सहित) परिशिष्ट—1 में देखी जा सकती है ।

1.7 कार्यालय का स्थान

केंद्रीय हिंदी निदेशालय (और उसके पूर्वज हिंदी अनुभाग/हिंदी प्रभाग) का मुख्यालय सदा से नई दिल्ली/दिल्ली ही रहा । हिंदी अनुभाग और हिंदी प्रभाग क्रमशः केंद्रीय सचिवालय परिसर के ई ब्लाक और एम ब्लाक में स्थित थे । निदेशालय की स्थापना के बाद इसका मुख्यालय अपने भवन के अभाव में समय-समय पर स्थान बदलता रहा । सबसे पहले इस कार्यालय को 15/16 नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज में स्थान मिला । सन् 61 में इसकी एक शाखा आसफअली रोड पर 4/19 मेहता मैंशन में स्थानांतरित की गई ; बाद में हंगेरियन पैवेलियन, प्रगति मैदान, मथुरा रोड में भी यह कार्यालय रहा । आयोग से संबंधित स्टाफ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बहादुरशाह जफर मार्ग स्थित भवन में भी बैठता था । सन् 68 में इन दोनों कार्यालयों को पश्चिमी खंड-7 रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110066 में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ ये आज भी अवस्थित हैं ।

चारों क्षेत्रीय कार्यालयों के पते इस प्रकार हैं :

1	2	3	4
क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण) केंद्रीय हिंदी निदेशालय शास्त्री भवन, 35 हेडोज रोड, मद्रास	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय 959 खैरताबाद हैदराबाद—500004	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय के हिं. निदेशालय नरकामुर, काहिलिपारापथ गुवाहाटी—781019	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्व) के. हिं. नि. 27 ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता

1.8 वेतनमान

शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जब सन् 52 में सबसे पहले हिंदी अनुभाग की स्थापना हुई तो उसमें विशेषाधिकारी (हिंदी) और अनुसंधान सहायकों के पद बनाए गए। सामान्यतः हिंदी के प्रचार-प्रसार और विकास का कार्य तथा विशेषतः शब्दावली एवं परिभाषा कोशों के कार्य जैसा कोई कार्य पहले केंद्रीय सरकारी तंत्र में नहीं हुआ था, अतः इन पदों के वेतनमान का कोई पूर्व उदाहरण न मिलने के कारण और देश में अपने ढंग का अकेला कार्यालय होने तथा प्रकृति में अकादमिक स्तर का कार्य होने के कारण यह निश्चय हुआ कि उपर्युक्त पदों के वेतनमान क्रमशः केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों और प्राध्यापकों जैसे रखे जाएँ। तदनुसार विशेषाधिकारी का वेतनमान 700-900 और अनुसंधान सहायक का 250-500 निर्धारित किया गया।

बाद में निदेशालय/आयोग में ऐसे अनेक पद बने जिनके समनामी पद केंद्रीय मंत्रालयों में थे (जैसे सहायक शिक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक, उपनिदेशक, निदेशक आदि)। अतः उन सबके वेतनमान समकक्ष पदों के वेतनमानों की तरह निश्चित किए गए।

जब विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा शिक्षा मंत्रालय की ही अन्य भगिनी संस्थाओं के कतिपय अकादमिक और तकनीकी पदों के वेतनमानों में संशोधन हुआ तो निदेशालय/आयोग के कर्मचारियों ने भी इस संबंध में प्रतिवेदन दिए। समय-समय पर नियुक्त विशेषज्ञ समितियों ने वेतनमानों में संशोधन करने की सिफारिशें कीं। हैदराबाद स्टाफ कॉलेज जैसी प्रबंधन विशेषज्ञ संस्था ने भी इन दोनों कार्यालयों के काम की प्रकृति को अकादमिक मानते हुए उच्चतर वेतनमान लागू करने की सिफारिश की ; शिक्षा मंत्रालय की उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने भी निदेशालय के अधिकारियों के संशोधित वेतमानों को स्वीकार किया ; किंतु अंततोगत्वा जब निर्णय लागू किया जाने वाला था तभी चतुर्थ वेतन आयोग की नियुक्ति हो गई, और यह मामला उन्हें सौंप दिया गया।

वर्तमान समय में निदेशालय के तकनीकी अधिकारियों के वेतनमान इस प्रकार हैं :— (1) निदेशक 1500-2000 रु. (2) प्रधान संपादक 1300-1700 रु. (3) उपनिदेशक 1200-1600 रु. (4) क्षेत्रीय अधिकारी 1100-1600 रु. (5) सहायक निदेशक 700-1300 रु. (6) सहायक शिक्षा अधिकारी 650-960 रु. (7) अनुसंधान सहायक/मूल्यांकक/अनुवादक 550-900 रु.। सभी लिपिकवर्गीय अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान केंद्रीय सरकार के अन्य समानधर्मी पदों के समतुल्य ही हैं।

1.9 प्रतीक चिह्न और आदर्श वाक्य

केंद्रीय सरकार का कार्यालय होने के कारण भारत सरकार का प्रतीक चिह्न (तीन शेर) और आदर्श वाक्य (सत्यमेव जयते) प्रत्येक प्रकाशन पर नियमानुसार अंकित रहता है। किंतु निदेशालय ने आरंभ में ही अपना एक अतिरिक्त प्रतीक चिह्न और आदर्शवाक्य भी स्थिर किया था। वह है :

इस प्रतीक चिह्न की प्रत्येक पंखुड़ी में भारतीय भाषाओं की लिपियों में एक-एक वर्ण अंकित है। आदर्श वाक्य के रूप में ऋग्वेद का सूक्तांश 'अहंराष्ट्री संगमनी वसूनाम' ग्रहण किया गया है, जो फूल के भीतरी हिस्से में अंकित है।

1.10 विभागाध्यक्ष

जैसा कि कहा जा चुका है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना से पहले हिंदी अनुभाग और तदनंतर हिंदी प्रभाग शिक्षा मंत्रालय के ही अंग थे। सर्वप्रथम विश्वविख्यात भाषाशास्त्री डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने विशेषाधिकारी (हिंदी) के रूप में जनवरी, 52 में कार्यभार ग्रहण किया। सन् 60 में निदेशालय की स्थापना होने तक वे ही इस अनुभाग/प्रभाग के प्रभारी अधिकारी रहे। अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में वे प्रधान संपादक के पद से सितंबर 60 में सेवा निवृत्त हुए।

निदेशालय की स्थापना के समय तत्काल किसी व्यक्ति की नियुक्ति निदेशक के पद पर नहीं हुई। इसलिए शिक्षा मंत्रालय के तत्कालीन उपसचिव (हिंदी) श्री कृष्णदयाल भार्गव ने पदेन निदेशक का पदभार संभाला।

निदेशक के पद पर प्रथम नियुक्ति डा. विश्वनाथ प्रसाद की हुई। वे 15 जून 61 से 27 नवंबर 65 तक निदेशक रहे। अक्टूबर, 61 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के स्थायी आयोग का गठन हुआ। निदेशालय के निदेशक इस आयोग के पदेन सचिव बनाए गए। अक्टूबर, 65 में जब निदेशालय और आयोग के कार्यालय अलग-अलग हो गए तो डा० प्रसाद ने निदेशक का पद छोड़ दिया और शब्दावली आयोग के सदस्य/उपाध्यक्ष बन गए। नए निदेशक की नियुक्ति तक डा० प्रसाद ही अपने नए पद के साथ-साथ निदेशक का कार्य भी देखते रहे।

डा. प्रसाद के बाद नियमित रूप से निदेशक के पद पर प्रो० चंद्रहासन की नियुक्ति हुई । वे हिंदी निदेशालय के पहले हिंदीतर भाषी निदेशक थे । प्रो० चंद्रहासन ने 23.2.66 (अपराह्न) को निदेशक का पदभार सँभाला । ठीक 4 वर्ष के बाद वे 23.2.70 को सेवानिवृत्त हुए ।

प्रो० चंद्रहासन के मुक्त होने पर तत्कालीन प्रधान संपादक डा० गोपाल शर्मा ने तदर्थ रूप में निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया । संघ लोक सेवा आयोग के विचार क्षेत्र में होने के कारण निदेशक के नियमित चयन की प्रक्रिया लंबे समय तक चली । पर इस बीच मंत्रालय में उच्चस्तर पर निर्णय हुआ कि चूँकि शब्दावली आयोग और निदेशालय के कार्यालय अगस्त, 71 से फिर मिला दिए गए हैं, इसलिए दोनों पदों की आवश्यकता नहीं है । परिणामस्वरूप निदेशक के पद को शब्दावली आयोग के अध्यक्ष पद में सम्मिलित कर लिया गया । अध्यक्ष का पद संघ लोक सेवा आयोग के विचार क्षेत्र में नहीं आता था, इसलिए डा० गोपाल शर्मा 'अध्यक्ष एवं निदेशक' बने तथा उन्होंने जनवरी, 75 तक इस पद का काम देखा ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के तत्कालीन हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो० (डा०) हरवंशलाल शर्मा 13 फरवरी, 1975 से 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष एवं निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए । अवधि पूरी हो जाने पर इनके सेवा काल में वृद्धि की गई ; पर जब मंत्रालय ने आयोग को भंग मान लिया, तो जून, 78 में प्रो. शर्मा का पदनाम बदल कर 'शब्दावली सलाहकार व निदेशक' कर दिया गया । 'शब्दावली सलाहकार' पदांश जुड़े होने के कारण तथा प्रो० शर्मा की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उनके वेतनमान में कोई अंतर नहीं किया गया । 12 मई, 1980 को डा० हरवशलाल शर्मा सेवामुक्त हुए ।

प्रो० शर्मा के कार्यमुक्त होने पर 'शब्दावली सलाहकार तथा निदेशक' के पद का कार्यभार शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की तत्कालीन उपशिक्षा सलाहकार डा० (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन ने अपने नियमित काम के साथ-साथ सँभाला ।

इस बीच आयोग और निदेशालय को सलाह देने वाली परामर्शदात्री समिति की शिक्षा राज्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित उपसमिति की सलाह पर शिक्षा मंत्रालय ने सन् 80 में निर्णय किया कि निदेशालय और आयोग को पुन: अलग-अलग कर दिया जाए । तदनुसार निदेशक के रिक्त पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डा० रणवीर रांग्रा ने 14 अगस्त, 81 को निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया । वे 30 अप्रैल, 82 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, किंतु कार्यकाल बढ़ा दिए जाने के फलस्वरूप 31 मार्च, 83 तक इस पद पर बने रहे ।

डा० रांग्रा द्वारा रिक्त पद पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित व्यक्ति की नियुक्ति तक लगभग पाँच मास तत्कालीन उपसचिव (भाषाएँ) श्री के.के. खुल्लर ने अपने काम के साथ-साथ निदेशक का पदभार भी सँभाला । इसके बाद दिनांक 8 सितबर, 1983 से निदेशक के पद पर श्री राजमणि तिवारी की नियुक्ति हुई, जो संप्रति निदेशक हैं ।

1.11 परामर्शदाता

डा. नगेंद्र 1971 से 1977 तक शब्दावली आयोग के मानद परामर्शदाता रहे थे। इसके बाद वे सन् 83 से निदेशालय के परामर्शदाता नियुक्त हुए। मार्च 85 से पहले इनकी सेवाएँ कोशकार्यों के लिए ही उपलब्ध थीं। अब ये निदेशालय की सभी योजनाओं के बारे में परामर्श दे रहे हैं।

सिंधी भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार और विकास के लिए वैतनिक परामर्शदाता का कार्य श्री टी. सी. अमरनाणी कर रहे हैं।

1.12 उपसंहार

1.12.1 निदेशालय के वर्तमान प्रकार्य

निदेशालय और आयोग के अधुनातन विभाजन के बाद दोनों कार्यालयों के कार्यक्षेत्र पुनः परिभाषित किए गए। निदेशालय को सौंपे गए मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

(1) राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना और उसका प्रचार करना ;

(2) संरचनात्मक और भाषिक विश्लेषण तथा शब्द-भंडार आदि समेत हिंदी भाषा में मूलभूत अनुसंधान कार्य करना ;

(3) संविधान के अनुच्छेद 351 में उल्लिखित निदेशों के अनुरूप हिंदी के विकास के कार्यक्रम चलाना ;

(4) हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच एकरूपता का पता लगाने के लिए उनका तुलनात्मक अध्ययन करना ;

(5) हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के द्विभाषी कोश और वार्तालाप पुस्तिकाएँ तैयार करना ;

(6) इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अन्य आनुषंगिक कार्य करना ; तथा

(7) हिंदीतर भाषी भारतीयों और विदेशियों को पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिंदी पढ़ाना।

इस तरह केंद्रीय हिंदी निदेशालय का कार्यक्षेत्र आरंभ से ही (1) हिंदी के विकास और संवर्धन की योजनाओं ; (2) हिंदी के प्रचार-प्रसार की योजनाओं ; तथा (3) समय-समय पर सौंपे गए अन्य आनुषंगिक कार्यक्रम से संबंधित रहा है।

इन सभी योजनाओं की कार्य-प्रगति का विवरण विस्तार से आगे दिया जा रहा है।

1.12.2 वर्तमान संगठनात्मक व्यवस्था

संप्रति केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह शिक्षा विभाग के भाषा प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। निदेशक यहाँ के विभागाध्यक्ष हैं। निदेशालय में इस समय पाँच ब्यूरो हैं: (1) अनुसंधान और संदर्भ ब्यूरो (2) पत्राचार पाठ्यक्रम ब्यूरो ; (3) प्रकाशन और मुद्रण ब्यूरो ; (4) विस्तार कार्यक्रम और वितरण ब्यूरो ; तथा (5) प्रशासन ब्यूरो। विस्तार कार्यक्रम और वितरण ब्यूरो को छोड़कर शेष चारों ब्यूरो के प्रमुख क्रमशः प्रधान संपादक, उपनिदेशक (प.पा.), उपनिदेशक (प्रकाशन) तथा प्रशासनिक अधिकारी हैं। क्रम सं० 4 वाले ब्यूरो के विस्तार कार्यक्रम फिलहाल सीधे ही निदेशक की देखरेख में चल रहे हैं जबकि वितरण अनुभाग का कार्य प्रधान संपादक के अधीन है।

अध्याय 2

निरीक्षण और मूल्यांकन

2.1 स्टाफ निरीक्षण एकक, वित्त मंत्रालय

भारत सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग यह है कि प्रत्येक मंत्रालय के अधीन एक आंतरिक कार्य अध्ययन दल होता है, जो उस मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के कार्य की आवधिक समीक्षा करता रहता है। वित्त मंत्रालय के अधीन भी एक स्टाफ निरीक्षण एकक होता है, जो समय-समय पर सभी मंत्रालयों के विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कार्य का निरीक्षण करता है और चालू योजनाओं के काम की मात्रा का मानक निर्धारित कर उनके कार्यान्वियन के लिए आवश्यक तकनीकी और लिपिकवर्गीय कार्मिकों की संख्या के बारे में सिफारिशें करता है। सामान्यतः ये सिफारिशें अधिदेशात्मक (मेंडेटरी) होती हैं।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय की सन् 60 में स्थापना के बाद जो-जो कार्य उसे सौंपे गए और जो-जो नई योजनाएँ शुरू की गईं, उनके लिए कार्मिकों की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए सन् 62 में स्टाफ निरीक्षण एकक आया। अक्टूबर, 65 में जब वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को केंद्रीय हिंदी निदेशालय से अलग कर दिया गया, तब दोनों संस्थाओं के प्रकार्य पुनः परिभाषित किए गए और तद्नुसार स्टाफ का बँटवारा भी किया गया। इसलिए अक्टूबर, 66 में दुबारा स्टाफ निरीक्षण एकक का आगमन हुआ और उसने दोनों संस्थाओं के तत्कालीन काम की मात्रा को देखते हुए कुछ पद कम किए और कुछ नए पद स्वीकृत किए। जब सन् 1971 में पुनः दोनों कार्यालय (केंद्रीय हिंदी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग) एक कर दिए गए और प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद कार्य को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को नियत कार्मिकों सहित स्थानांतरित कर दिया गया, तो फरवरी, 72 में तीसरी बार फिर स्टाफ निरीक्षण एकक ने निरीक्षण कार्य किया।

2.2 प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद

जब सन् 76 में पुनः स्टाफ निरीक्षण एकक का आगमन होना था तो निदेशालय/आयोग की तरफ से मंत्रालय को यह बताया गया कि स्टाफ निरीक्षण एकक द्वारा किए जाने वाले अध्ययन की प्रकृति इन संस्थाओं के कार्यकलाप से मेल नहीं खाती। इसके लिए एक विशिष्ट प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता है। तब मंत्रालय ने इस अनुरोध को स्वीकार कर हैदराबाद स्थित प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज के परामर्शक तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान प्रभाग को इन दोनों संस्थाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निमंत्रण दिया।

परामर्शदात्री संस्था (प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज) ने नियत कार्य जुलाई, 78 में शुरू किया और अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 79 में प्रस्तुत की। इस दस्तावेज को "केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय के लिए कार्यनीति विषयक उद्देश्यों और संगठनात्मक अभिकल्प संबंधी रिपोर्ट" (रिपोर्ट ऑन स्ट्रेटेजिक आब्जेक्टिव्ज एंड आर्गेनाइजेशन डिजाइन फॉर सेंट्रल हिंदी डाइरेक्टोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन) नाम दिया गया। परामर्शदात्री संस्था ने निदेशालय को एक 'ग्राहक' (क्लायंट) माना। रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले सर्वश्री दिलीप पी० नागरकर और के० के० स्वामिनाथ थे।

इस रिपोर्ट में ग्राहक के रूप में निदेशालय का नाम दिया गया है, किंतु वस्तुतः यह रिपोर्ट निदेशालय और शब्दावली आयोग दोनों के कार्यकलाप के संबंध में है। अगस्त, 71 से पुनः शब्दावली आयोग निदेशालय में मिला दिया गया था, इसीलिए ऐसा हुआ है।

प्रस्तुत रिपोर्ट प्रबंधन शब्दावली और व्यावसायिक कौशल से युक्त एक ऐसा प्रामाणिक दस्तावेज है जिसमें भाषा-नियोजन के अंतर्राष्ट्रीय और अंतराराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को पृष्ठभूमि में रख कर राष्ट्रीय भाषानीति के अंतर्गत निदेशालय की वर्तमान तथा संभावित भूमिका का आकलन किया गया है। लगभग 100 पृष्ठों (मूल 80, अनुबंध 20) की इस साइक्लोस्टाइल रिपोर्ट के निर्माण पर निदेशालय को नब्बे हजार रुपया खर्च करना पड़ा था।

रिपोर्ट सात अध्यायों में विभक्त है—पहला अध्याय विषय-प्रवेश से संबंधित है, जिसमें विचारार्थ विषय, अध्ययन-प्रणाली, विषय-क्षेत्र और रिपोर्ट का सार-संक्षेप वर्णित है। यहाँ उल्लेख है कि प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज के परामर्शक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान प्रभाग से अनुरोध किया गया था कि वे केंद्रीय हिंदी निदेशालय को उसके संगठनात्मक और प्रशासनिक प्रक्रमों में निहित प्रमुख खामियों को पहचानने और उनके बारे में सुधारात्मक उपायों को अपनाने से संबंधित परामर्श प्रदान करें।

अध्येता संस्था ने अपना विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक बना लिया। उसने जो सिफारिशें कीं वे पूरे देश की भाषा-परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय नीति के समग्र उद्देश्यों के ताने-बाने द्वारा बुनी गई प्रतीत हुईं। इसीलिए आगे चलकर जब इन सिफारिशों पर मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने प्रशासनिक दृष्टि से विचार किया तो पाया कि अधिकांश सिफारिशें उनके विचार-क्षेत्र से बाहर की हैं और परिणाम यह हुआ कि उन्हें पूर्णतया स्वीकार नहीं किया गया। यह बात अगले अध्यायों से स्पष्ट हो जाएगी।

दूसरे अध्याय में अन्य देशों के भाषा-परिवर्तन संबंधी अनुभव बताए गए हैं; राष्ट्रीय भाषा नीति का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है और निदेशालय/आयोग के वर्तमान कार्य गिनाए गए हैं। इसमें भाषायी उद्देश्यों की पूर्ति में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई है।

तीसरा अध्याय भाषा-नियोजन की कार्यनीति से संबंधित है। इसमें वे सभी उपाय सुझाए गए हैं, जिनके द्वारा भारतीय भाषाओं की माध्यम-परिवर्तन के रूप में सार्थकता सिद्ध हो सकती है।

अगले तीन अध्यायों में सिफारिशें की गई हैं कि आयोग को एक शीर्षस्थ स्वायत्तशासी राष्ट्रीय निकाय के रूप में गठित किया जाए; भारतीय भाषा आयोग की एक इकाई के रूप में सरकारी नियंत्रण से परे हिंदी भाषा नियोजन बोर्ड की स्थापना की जाए तथा इन संस्थाओं के कार्मिकों के (वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग को छोड़कर) त्रिस्तरीय वेतन-मान निर्धारित किए जाएँ।

सातवें अध्याय में कार्यक्रम नियोजन और मानीटरन पद्धति सुझाई गई है। अनुबंध में (आयोग की) पुस्तक निर्माण योजना का विवरण और तत्संबंधी सुझाव हैं।

2.3 उच्चाधिकार प्राप्त समिति

इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए मंत्रालय ने सन् 79 में शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की, जिसके प्रमुख सदस्य थे—शिक्षा मंत्रालय के वित्त सलाहकार, संयुक्त सचिव (प्रशासन) और संयुक्त शिक्षा सलाहकार। इस समिति ने दी गई सिफारिशों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों (प्रमुख और गौण) में बाँटा और उनपर मदवार अपना निर्णय दिया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि स्टाफ कॉलेज की सिफारिशें स्वीकृत नहीं हुईं। पर इस रिपोर्ट का इतना असर अवश्य हुआ कि एक उपसमिति गठित की गई जिसकी देखरेख में निदेशालय और आयोग का पुनः बँटवारा कर दिया गया और दोनों संस्थाओं की प्रकार्यात्मक भूमिकाएँ और दायित्व पुनः परिभाषित किए गए। इन्हीं प्रकार्यों को ध्यान में रखकर पहले तकनीकी स्टाफ का पुनर्वितरण किया गया और बाद में लिपिकवर्गीय स्टाफ भी बँट गया। वर्तमान समय में ये दोनों संस्थाएँ अलग-अलग काम कर रही हैं, फिर भी अभी कुछ मामलों में (जैसे पदोन्नति नियमावली आदि प्रशासनिक मामले तथा पुस्तकालय एवं भवन और रखरखाव सेवाएँ आदि) साझा-सहयोग बना हुआ है।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि आयोग और निदेशालय पहले की ही तरह अब भी शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (संप्रति मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के ही प्रशासनिक तंत्र में अधीनस्थ कार्यालयों की तरह काम करते रहेंगे।

2.3.1 निदेशालय के प्रकार्य

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग से इतर, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के लिए जो प्रकार्य पुनः निर्णीत हुए, वे इस प्रकार हैं :

1. राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की प्रसार-वृद्धि करना तथा उसे सर्वसुलभ बनाना;
2. हिंदी भाषा की संरचना, भाषायी विश्लेषण तथा शब्दावली आदि से संबंधित बुनियादी अनुसंधान करना;

3. संविधान के अनुच्छेद 351 में निहित निदेशों के अनुसार हिंदी के विकास के लिए विविध कार्यक्रम चलाना;

4. सजातीयता के क्षेत्रों की पहचान को लक्ष्य बनाकर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना;

5. हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की द्विभाषिक शब्दावलियाँ तथा वार्तालाप पुस्तिकाएँ तैयार करना; तथा

6. ऊपर निर्दिष्ट प्रकार्यों की पूर्ति और प्रोत्साहन के लिए अन्य सभी आनुषंगिक उपाय करना।

2.3.2 रिपोर्ट से लाभ

स्टाफ कॉलेज की रिपोर्ट का दूसरा प्रत्यक्ष लाभ यह हुआ कि निदेशालय के कार्य को (और साथ-ही-साथ आयोग के कार्य को भी) अकादमिक स्तर का काम मान लिया गया और शिक्षा मंत्रालय की ही अन्य सहधर्मी भगिनी-संस्थाओं के काम की तुलना में निदेशालय के तकनीकी अधिकारियों के वेतन-मानों में जो स्पष्ट अंतर था, उसे दूर करने के लिए मंत्रालय में प्रशासनिक स्तर पर पहली बार पहल शुरू हुई। जैसा कि कहा जा चुका है, निदेशालय का कार्यकलाप आरंभिक वर्षों में सरकारी स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की तुलना में बिरला था और इसीलिए तब इसके अधिकारियों (मूलतः अनुसंधान सहायकों) का वेतनमान केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के वेतनमान के लगभग सदृश था। कालांतर में विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के वेतनमानों में अभूतपूर्व सुधार हुआ और शिक्षा मंत्रालय की ही सहधर्मी संस्थाओं के स्वायत्तशासी होने के कारण और कुछ नवनिर्मित अन्य संस्थाओं के कार्मिकों के वेतनमान तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत त्रिस्तरीय वेतनमानों के समक्ष कर दिए गए, किंतु अधीनस्थ कार्यालय होने के कारण निदेशालय के तकनीकी कार्मिकों के वेतनमान ज्यों-के-त्यों रहे। इनमें वृद्धि के प्रयत्न किए गए, किंतु तृतीय वेतन आयोग ने भी उनमें अपेक्षित संशोधन करना स्वीकार नहीं किया।

स्टाफ कॉलेज की रिपोर्ट के बाद आयोग और निदेशालय के उद्देश्यों के पुनः परिभाषित हो जाने के फलस्वरूप मंत्रालय ने पुनः यह उचित समझा कि दोनों कार्यालयों के कार्यकलाप की अलग-अलग मूल्यांकन समितियों द्वारा समीक्षा करवाई जाए।

2.4 मूल्यांकन समिति

2.4.1 गठन

केंद्रीय हिंदी निदेशालय के संपूर्ण कार्य-कलाप की समीक्षा तथा मूल्यांकन के लिए शिक्षा तथा

सस्कृति मंत्रालय ने जुलाई, 81 में एक मूल्यांकन समिति गठित की । इसके सदस्य।

1. डा० नगेंद्र
भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली — अध्यक्ष

2. डा० पी० गोपाल शर्मा
भूतपूर्व निदेशक, के० हि० निदेशालय,
नई दिल्ली — सदस्य

3. श्री रामेश्वर प्रसाद मालवीय
निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो,
नई दिल्ली — सदस्य

4. डा० रणवीर रांग्रा
निदेशक, के० हि० निदेशालय,
नई दिल्ली — सदस्य-सचिव

2.4.2 विचारार्थ विषय

इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नांकित थे :

(क) हिंदी के प्रचार तथा विकास के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के संदर्भ में उसके अब तक के कार्य की समीक्षा;

(ख) केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसी प्रकार के काम में लगी अन्य संस्थाओं के साथ हिंदी के प्रचार और विकास के लिए कहाँ तक समन्वय स्थापित किया है, इसका मूल्यांकन;

(ग) केंद्रीय हिंदी निदेशालय की विभिन्न योजनाओं के प्रभाव की समीक्षा, और उसका इस दृष्टि से मूल्यांकन कि वे कितनी उपयोगी हैं; तथा

(घ) केंद्रीय हिंदी निदेशालय की वर्तमान योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने और उनके कार्य-क्रमों की प्राथमिकता के बारे में सिफारिश करना ।

2.4.3. अवधि

इस समिति का कार्यकाल आरंभ में तीन महीने था । कार्य-विस्तार को देखते हुए उसे तीन महीने और बढ़ाया गया । इस समयावधि में समिति की कुल 41 बैठकें हुईं । उसने निदेशालय की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की और मूल्यांकन के बाद जनवरी, 82 में

रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट में निदेशालय की उपलब्धियों और सीमाओं का समग्र रूप से आकलन तो किया ही गया, भावी विकास के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए ।

2.4.4. समिति के सुझाव

निदेशालय की उन अनावर्ती योजनाओं के बारे में, जिन पर काम पूरा हो चुका था, मूल्यांकन समिति की यह टिप्पणी थी—"हिंदी के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से ये सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें निदेशालय की उपलब्धि मानना चाहिए (पृष्ठ 110) ।" जिन योजनाओं पर उस समय कार्य चल रहा था, उन अनावर्ती योजनाओं के बारे में समिति ने कहा—"ये सभी योजनाएँ निश्चय ही हिंदी के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से अत्यंत उपादेय हैं । यद्यपि इन पर काफी काम हो चुका है, फिर भी प्रगति संतोषप्रद नहीं मानी जा सकती……आशा है…सामग्री जल्दी ही प्रकाशित हो जाएगी (पृष्ठ 110) ।"

हिंदी के सम्यक् प्रचार-प्रसार के लिए मूल्यांकन समिति ने आवर्ती योजनाओं की उपादेयता को स्वयं-सिद्ध माना और विभिन्न योजनाओं की कतिपय रिक्तियों तथा दोषों के परिमार्जन के लिए यथास्थान सुझाव दिए ।

समिति ने यह तो स्वीकार किया कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने विगत वर्षों में काफी उपयोगी कार्य किया है, फिर भी वह अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सका । इसके उसने मुख्यतः तीन कारण गिनाए :

(1) "यद्यपि निदेशालय का कार्य मूलतः अकादमिक है, किंतु अकादमिक संस्था के रूप में उसका समुचित विकास करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए और न ही उसको अकादमिक संस्था का दर्जा दिया गया है । इसका परिणाम यह हुआ है कि उचित वेतनमान आदि के अभाव में वह प्रतिभावान व्यक्तियों को आकृष्ट नहीं कर सका है ।"

(2) "निदेशालय का यह दुर्भाग्य रहा है कि किसी-न-किसी कारण से आरंभ से ही उसकी निर्देशक नीतियों के निर्धारण तथा कार्यान्वियन में अस्थिरता एवं शिथिलता रही है ।"

(3) "निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की कार्य-परिधि के बीच एक विचित्र प्रकार का उलझाव समय-समय पर पैदा होता रहा है, जिससे दोनों में से कोई भी योजनाबद्ध रीति से अपने अभीष्ट लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाया ।"

2.4.5 नए कार्यक्रम

निदेशालय के संपूर्ण कार्यकलाप की समीक्षा करने के बाद समिति ने सिफारिश की कि निदेशालय को वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त कुछ नए कार्यक्रम भी प्रारंभ करने चाहिए, जो निदेशालय की कार्य-परिधि के अतर्गत आते हैं । नई योजनाएँ इस प्रकार हैं :

(1) **साहित्यिक-शैक्षिक**—(क) व्यक्ति-नाम कोश, (ख) भारतीय भाषा परिचय कोश, (ग) विदेशी भाषा परिचय कोश, (घ) तत्सम शब्दकोश, (ङ) हिंदी-संयुक्त राष्ट्रसंघ भाषा कोश; (2) **संयोजन एवं समन्वय**—(क) हिंदी के प्रचार-प्रसार में संलग्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों का वार्षिक सम्मेलन; (ख) हिंदी की ज्वलंत समस्याओं पर विचार-गोष्ठियाँ; (ग) निदेशालय के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अन्य संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं की कार्यशालाएँ तथा (घ) विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण ।

2.4.6 मूल्यांकन समिति और प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद की सिफारिशों की तुलना

मूल्यांकन समिति का समीक्षा-क्षेत्र मुख्यत: निदेशालय के अकादमिक और तकनीकी कार्य-कलाप से संबंधित था । कदाचित् इसीलिए उसने न तो वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण एकक की तरह योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए मानक निर्धारित किए या तकनीकी और लिपिकवर्गीय स्टाफ बढ़ाने अथवा घटाने की सिफारिशें की; और न ही उसने भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज जैसे प्रबंधन-अभिमुखी विशिष्ट संगठन की तरह विशिष्ट भाषा-शैली में संपूर्ण भारतीय भाषा-नियोजन के परिप्रेक्ष्य में भाषा-कार्यनीति की बात करते हुए हिंदी भाषा नियोजन बोर्ड की संगठनात्मक संरचना ही प्रस्तुत की । स्टाफ कॉलेज की रिपोर्ट में कार्मिक नीतियाँ विषयक अध्याय में अधिकारी वर्ग के स्तरों, वेतनमानों, पदों पर भर्ती और कार्मिक विकास की विस्तार से चर्चा हुई है; पर मूल्यांकन समिति ने इस पक्ष को नहीं छुआ है । हाँ, इसमें पत्राचार पाठ्यक्रम विषयक खंड में अवश्य विशेष सिफारिश की गई है कि "निदेशालय के वर्तमान पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग को निश्चित सोपानों में एक स्वत:पूर्ण संस्थान के रूप में निदेशालय के तंत्र के अंतर्गत ही शीघ्र परिवर्तित कर दिया जाए ।" इसी रिपोर्ट में प्रस्तावित 'हिंदी पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान' के स्वरूप के अंतर्गत नए पदों और वेतनमानों की भी सिफारिशें की गई हैं ।

इस समिति ने केवल प्रासंगिक रूप में ही निदेशालय के कार्मिकों के लिए "उचित वेतनमान आदि के अभाव" की बात का संकेत दिया है ।

2.5 राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ समिति

2.5.1 गठन

मूल्यांकन समिति में जो सदस्य रखे गए थे, वे किसी-न-किसी रूप में निदेशालय के कार्यकलाप से वर्षों जुड़े रहे हैं । कदाचित् इसीलिए जब यह रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की गई तो मंत्रालय ने सोचा हो कि कहीं इसका विचार-फलक संकुचित न मान लिया जाए । इसीलिए उसने रिपोर्ट पर सीधे ही प्रशासनिक निर्णय लेने की अपेक्षा यही उचित समझा कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मति ले ली जाए । तदनुसार मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट एक राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ समिति के सम्मुख रखी गई । इस विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष लब्ध-प्रतिष्ठ हिंदी सेवी मोटूरी सत्यनारायण नियुक्त किए गए । सदस्यों में विश्वभारती, शांतिनिकेतन के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डा० रामसिंह

तोमर, बंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डा० प्रभात और क०मा० मुंशी हिंदी विद्यापीठ, आगरा के निदेशक डा० विद्यानिवास मिश्र थे। शिक्षा मंत्रालय की तत्कालीन संयुक्त शिक्षा सलाह-कार डा० (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन तथा मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष डा० नगेंद्र भी इससे संबद्ध रहे।

2.5.2 सिफारिशें

इस विशेषज्ञ समिति ने मूल्यांकन समिति की सिफारिशों से सहमति व्यक्त की। यही नहीं, इसने सिफारिशों के सार-संक्षेप में स्पष्ट शब्दों में निदेशालय को पाँच स्कधों में बाँटने; अकादमिक संगठन के रूप में मान्यता प्रदान करने तथा इसके विविध पदों के वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह संशोधित करने की बात कही। संक्षेप में, सिफारिशें इस प्रकार हैं :

1. पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग केंद्रीय हिंदी निदेशालय का ही अंग बना रहे। हाँ, मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इसका पुनर्गठन किया जाए;

2. पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग के साथ स्वैच्छिक हिंदी सेवी संस्थाओं के सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाए;

3. विविध विषयों पर रुचिकर और अभिक्रमित (ग्रेडेड) स्तर की पुस्तकें तैयार करवाई जाएँ ताकि विद्यार्थियों का हिंदी भाषा से संपर्क बना रहे;

4. निदेशालय की कोश योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करवाने का प्रयत्न किया जाए और जो कोश तैयार हैं, उन्हें शीघ्र प्रकाशित किया जाए;

5. विस्तार कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल्यांकन समिति ने जो सिफारिशें की हैं, उन्हें मान लिया जाए;

6. निदेशालय में अब पाँच स्कंध होंगे : (1) अनुसंधान और संदर्भ, (2) पत्राचार पाठ्यक्रमः, (3) विस्तार कार्यक्रम, (4) मुद्रण और (5) प्रशासन

7. निदेशालय का स्तर एक अकादमिक संगठन की तरह बढ़ाया जाए और विभिन्न पदों के वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालयों के वेतनमानों की तरह सशोधित किए जाएँ।

2.5.3 मंत्रालय द्वारा अनुमोदन

इन सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय में मंत्री स्तर पर सितंबर, 82 में अनुमोदन प्राप्त हो गया। वेतनमानों के बारे में निर्णय हुआ कि उन्हें वित्त मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श कर के लागू किया जाए।

2.5.4 सिफारिशों का कार्यान्वयन

मूल्यांकन समिति/विशेषज्ञ समिनि की सिफारिशों पर प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद उनके कार्यान्वयन की दिशा में निदेशालय ने सक्रियता दिखाई। वेतनमान के प्रसंग को छोड़-कर योजनाओं के बारे में मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को तीन भागों में बाँटा गया :

(1) ऐसी सिफारिशें जिन्हें निदेशालय के स्तर पर ही लागू किया जा सकता था, अविलंब कार्यान्वित कर दी गईं; (2) ऐसी सिफारिशें जिनके अनुसार योजनाओं के स्वरूप में कतिपय संशोधन-परिवर्धन अपेक्षित था, उनपर मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया गया; तथा (3) वित्तीय प्रभाव-वाली सिफारिशों अथवा नई योजनाओं के बारे में प्रशासनिक और आंतरिक वित्त प्रभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया। इस तरह अधिकांश सिफारिशें लागू हो चुकी हैं और कुछ अंशतः लागू की जानी शेष हैं।

वेतनमानों के संशोधन की दिशा में जब मंत्रालय सक्रिय हुआ, तभी संयोगवश भारत सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए नए चतुर्थ वेतन आयोग की घोषणा कर दी और इस तरह मंत्रालय स्तर पर वेतनमानों में संशोधन का विषय छोड़ दिया गया। संप्रति यह विषय वेतन आयोग के विचाराधीन है।

अध्याय 3

हिंदी के विकास और संवर्धन की योजनाएँ

3.0 कोश योजनाएँ

3.0.1 सामान्य उद्देश्य : भाषा-सेतु

'अनेकता में एकता' भारतीयता का मूल मंत्र है। हमारा देश बहुभाषी ही नहीं, बहुजातीय और बहुधर्मी भी है। इस महादेश का भूगोल और इतिहास विविधता से भरा है। रहन-सहन और खानपान में भी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। पर ये सब तो बाह्य लक्षण हैं। अंतर्धारा के रूप में हमारी संस्कृति का प्रमुख गुण इसकी सामासिकता और समन्वयशीलता रही है। यद्यपि हम अनेक भाषाएँ बोलते हैं, किंतु भिन्न-भिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली हमारी भावधारा एक है।

भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में 15 भाषाएँ गिनाई गई हैं। देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न भाषा-भाषी प्रदेशों की जनता को भावात्मक दृष्टि से निकट लाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी जरूरी है कि देश के विभिन्न प्रदेशों के बीच बौद्धिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की स्वस्थ परंपरा को उत्तरोत्तर बहुआयामी प्रोत्साहन दिया जाए। भाषा तो एक ऐसा माध्यम है जो विभिन्न भाषा-भाषियों को निकट लाने मे सुगम सेतु का काम कर सकता है। इसके लिए भाषिक स्तर पर आदान-प्रदान को तथा एक-दूसरे की भाषा को सीखने-समझने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हिंदी के संघ की राजभाषा स्वीकृत हो जाने से यह और भी आवश्यक हो गया है कि उसे संविधान द्वारा स्वीकृत सभी भारतीय भाषाओं के निकट लाया जाए और उनमें परस्पर समान तत्वों की खोज की जाए।

3.0.2 सेतु का आधार : कोश

इन उद्देश्यों की पूर्ति में द्विभाषी/बहुभाषी कोश बहुत अधिक सहायता कर सकते हैं। परंतु भारतीय भाषाओं के ऐसे अच्छे कोशों का सदैव अभाव रहा है। संपूर्ण देश की जनता सभी भारतीय भाषाओं की विपुल शब्द-संपदा से सुविधापूर्वक परिचित हो सके, इस महत् उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने द्विभाषी/त्रिभाषी/बहुभाषी कोश योजनाएँ शुरू की हैं।

3.1 निदेशालय की कोश योजना : पहली दशाब्दी (1960-70)

गैर तकनीकी कोश योजना (निदेशालय तथा आयोग के कार्य विभाजन के अनुसार तकनीकी

शब्दावलियों और कोशों का कार्य वै०त०श० आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है) के क्षेत्र में निदेशालय ने अपनी स्थापना के आरंभिक दस वर्षों में हिंदी के कोश साहित्य को समृद्ध करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान किया और स्वयं भी कुछ कोश तैयार किए। निदेशालय ने इस दिशा में जो कार्य किया, उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

3.1.1. मानक अंग्रेजी-हिंदी कोश—केंद्रीय हिंदी निदेशालय की देखरेख में इस कोश का निर्माण और प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने भारत सरकार की आर्थिक सहायता से सन् 71 में किया। इस कोश के संपादन कार्य के लिए 62,500 रु० और प्रकाशन के लिए 64,275 रु० का अनुदान दिया गया। इस कोश के संपादक सर्व श्री सत्यप्रकाश और बलभद्र प्रसाद मिश्र थे, कोश का मूल्य 68 रु० है।

3.1.2 हिंदी-अंग्रेजी व्यावहारिक कोश—साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के नाते प्रथम प्रधानमंत्री (स्व०) पं० जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर पहले यह कार्य साहित्य अकादमी को सौंपा गया था। अकादमी ने स्वयं यह कार्य न कर इसके स्थान पर हिंदुस्तानी कल्चरल सोसायटी के निर्माणाधीन कोश को अपनाना चाहा। सरकार से अनुमति न मिलने पर यह योजना रद्द हो गई।

कालांतर में स्वयं निदेशालय ने यह कार्य 62-63 में शुरु किया और लगभग 6500 शब्दों का एक छोटा कोश तैयार कर सन् 66 में उसे प्रकाशित किया। इसमें सामान्य प्रचलित शब्दों के अधिकाधिक तीन पर्याय दिए गए हैं और शब्दों का पूर्वापर संदर्भ अंकित किया गया है। इसमें हिंदी शब्दों का रोमन लिप्यंतरण भी दिया गया है। मूल्य कम होने और पर्याप्त उपयोगी होने की वजह से इस कोश की अब तक 22 हजार प्रतियाँ मुद्रित हो चुकी हैं।

3.1.3 बृहत् हिंदी-अंग्रेजी व्यावहारिक कोश—लघु कोश की लोकप्रियता से प्रेरित होकर निदेशालय ने उसी कोश के बीस हजार प्रविष्टियों वाले संशोधित और परिवर्धित संस्करण का कार्य हाथ में लिया। कोश पुनरीक्षण के चरण में था और आशा थी कि सन् 71 में इसकी पांडुलिपि मुद्रण के लिए तैयार हो जाएगी; परंतु कदाचित् जेबी कोश समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रकाशकों के सहयोग से अंग्रेजी-हिंदी और हिंदी-अंग्रेजी दोनों कोशों के काम को निजी प्रकाशकों को सौंपे जाने के निर्णय के फलस्वरूप इस योजना को निलंबित कर दिया गया। जब निजी प्रकाशक वाले हिंदी-अंग्रेजी/अंग्रेजी-हिंदी कोश प्रकाशित नहीं हो सके और मंत्री स्तर पर हुए निर्णयानुसार उन्हें बंद कर दिया गया तो निदेशालय में बने परिवर्धित कोश को फिर देखा गया। तब तक मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट भी आ चुकी थी और इसी के अनुक्रम में सभी द्विभाषी/त्रिभाषी/बहुभाषी कोशों का सिंहावलोकन करने के लिए मूल्यांकन समिति के ही अनुवर्ती अंग के रूप में डा० नगेंद्र की अध्यक्षता में जो कोश समन्वय समिति गठित की गई उसने इस कोश की पांडुलिपि का भी पर्यवेक्षण किया और सुझाव दिया कि 'प्रस्तुत सामग्री का अवधानपूर्वक संशोधन करने के बाद ही प्रकाशन करना चाहिए।' संशोधन में लगने वाले श्रम और व्यय आदि को ध्यान में रखते हुए

पुनः यह निर्णय हुआ कि पांडुलिपि के प्रकाशन संबंधी प्रयत्नों को बंद कर दिया जाए और भावी उपयोग के लिए इसे रिकार्ड रूप में रखवा दिया जाए।

3.1.4 अंग्रेजी-हिंदी कोश, हिंदुस्तानी कल्चरल सोसायटी, इलाहाबाद—निदेशालय की सिफारिश पर इस काम के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक लाख रुपए का अनुदान दिया गया। समझौता यह हुआ कि सोसायटी और अधिक अनुदान नहीं माँगेगी। जब सोसायटी ने पचास हजार रुपए और माँगे और अपनी माँग पर अड़ी रही तो सरकारी निदेश प्राप्त कर इस योजना को ही छोड़ दिया गया। पं० सुंदरलाल, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और प्रभावशाली वयोवृद्ध राजनेता थे, इस सोसायटी के अध्यक्ष थे और कदाचित् उन्हीं के जोर डालने पर यह भी निर्णय हुआ कि पूरी सामग्री उन्हें इस आशा के साथ लौटा दी जाए कि कोश के प्रकाशित होने पर उसकी भूमिका में सरकारी अनुदान का उल्लेख किया जाएगा। यह कोश प्रकाशित नहीं हो सका।

3.1.5 अंग्रेजी-संस्कृत कोश, आप्टे मैसर्स मोतीलाल बनारसीदास द्वारा 1964 में प्रकाशित 'द स्टुडेंट्स इंग्लिश-संस्कृत डिक्शनरी' के सस्ते संस्करण को आफसेट प्रणाली से पुनर्मुद्रित कराने के लिए अनुदान दिया गया जिसकी वजह से इस कोश का मूल्य 12-रु० के स्थान पर 4-रु० कर दिया गया।

3.1.6 आप्टे के ही संस्कृत-अंग्रेजी कोश (छात्र संस्करण) के हिंदी संस्करण को प्रकाशित करने के लिए मैसर्स मोतीलाल बनारसीदास को पचीस हजार रुपए का अनुदान दिया गया। यह कोश 1966 में प्रकाशित हुआ। भारत सरकार के आर्थिक सहयोग की वजह से ही इस कोश का मूल्य 10-रु० निर्धारित हुआ।

3.1.7 संस्कृति कोश का हिंदी संस्करण—भारतीय संस्कृति कोश मंडल, पूना को भारतीय संस्कृति कोश के प्रथम खंड के हिंदी संस्करण के प्रकाशन के लिए 6,100-रु० का अनुदान दिया गया। यह कोश 71-72 में प्रकाशित हो गया।

3.1.8 शब्दार्थ मीमांसा—श्री रामचंद्र वर्मा के इस कोश के निर्माण के लिए चौबीस हजार रुपए का अनुदान दिया गया। निदेशालय ने इसे अप्रैल, 65 में प्रकाशित किया। हिंदी में यह इस प्रकार का पहला प्रकाशन माना जा सकता है। इसमें एक ही भाव अथवा संकल्पना की 300 शब्द-मालाओं पर विचार किया गया है। विचार-विवेचन में प्रत्येक शब्दमाला अथवा संकलपना वर्ग में आने वाले शब्दों की विस्तृत व्याख्या की गई है और उदाहरणों के साथ इन शब्दों के सूक्ष्म अर्थ-भेदों और विभिन्न प्रयोगों को समझाया गया है। इस पुस्तक का मूल्य 11-50 रु० निर्धारित हुआ।

3.1.9 भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश—भारतीय चरित्र कोश मंडल, पूना ने महामहोपाध्याय विद्यानिधि सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव द्वारा संपादित मराठी के प्राचीन चरित्र कोश का हिंदी

संस्करण तैयार किया । शिक्षा मंत्रालय ने इस कार्य के लिए 32600 रु० का अनुदान दिया जिसके लिए उन्होंने प्रस्तावना में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के प्रति आभार प्रदर्शित किया है । इस कोश का प्रकाशन सन् 64 में हुआ । इसका मूल्य 60-रु० है ।

3.1.10 **हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की समान शब्दावलियाँ**—इस योजना के माध्यम से हिंदी और अन्य भाषाओं (असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु) के बीच शब्दों और उनके अर्थों में समानता के तत्व की खोज की गई । अनुसंधान के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकला कि उन सभी भाषाओं में जिन बाहरी तत्वों का आदान या परस्पर आदान-प्रदान हुआ है उनमें शब्द और अर्थ के स्तर पर व्यापक समानता है । अनुसंधान कार्य बोलचाल की भाषा और गृहीत शब्दावली तक ही समिति रखा गया था क्योंकि सभी भारतीय भाषाओं में साहित्यिक स्तर पर संस्कृत की आगत शब्दावली के बारे में तो किसी प्रकार की आशंका के लिए स्थान ही नहीं था ।

मूलतः यह कार्य तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के निजी सचिव श्री मोहम्मद अजमल खाँ ने सन् 54 में शुरू किया था । इन सूचियों का पहला प्रारूप उन्हीं की देखरेख में बना । बाद में शिक्षा मंत्रालय के हिंदी प्रभाग/केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अधिकारियों और हिंदी तथा संबंधित भाषा-विशेषज्ञों ने इनका पुनरीक्षण-संपादन किया । सन् 58 से 62 के बीच सभी ग्यारह शब्दावलियाँ प्रकाशित हुईं ।

शब्दावलियों में स्रोत भाषा हिंदी के शब्द नागरी और रोमन दोनों में दिए गए । लक्ष्य भाषा के समरूपी शब्द भी देवनागरी और रोमन दोनों में ही दिए गए । इसके बाद स्रोत भाषा के शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ दिया गया ।

इन शब्दावलियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के फलस्वरूप अनेक नए तथ्य प्रकाश में आए । इसलिए इनमें संशोधन और परिवर्तन की आवश्यकता समझी गई ।

कोश सलाहकार समिति की सिफारिश पर यह योजना बाद में भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर को हस्तांतरित कर दी गई ।

3.1.11 **प्रयोग कोश** : अंग्रेजी के फाउलर कृत 'ए डिक्शनरी आव इंग्लिश यूसेज' जैसे प्रयोग कोशों का हिंदी में नितांत अभाव है । इस अभाव की पूर्ति के लिए निदेशालय में हिंदी का प्रयोग कोश तैयार करने की योजना बनाई गई । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे कार्यान्वित करना तय हुआ । कोश के लिए मार्ग-निदेशक सिद्धांत बनाए गए और तदनुसार लगभग सोलह हजार शब्दों का चुनाव किया गया । पर कुछ प्रशासनिक कारणों से इस योजना का काम बंद कर दिया गया ।

3.1.12 **हिंदी शब्द-सागर** (संशोधित संस्करण) : काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी

ने 10 खंडों में शब्द-सागर का परिवर्धित, संशोधित नवीन संस्करण तैयार करने की योजना बनाई। इस कोश के संशोधन-संपादन का संपूर्ण व्यय (एक लाख पैंसठ हजार रुपए) तथा प्रथम और द्वितीय भाग के प्रकाशन का साठ प्रतिशत व्यय-भार शिक्षा मंत्रालय ने वहन किया। इसीलिए इस ग्रंथ के आरंभिक खंडों का मूल्य प्रतिखंड 35/-रु० निर्धारित हुआ। कोश का संशोधन-संपादन सन् 65 में पूरा हो गया था। पहला खंड 65 में प्रकाशित हुआ और दूसरा 67 में।

3.1.13 **हिंदी-मराठी तथा मराठी-हिंदी** : महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे ने सर्व श्री गो० प० ने ने तथा श्रीपाद जोशी के संपादकत्व में वृहत् हिंदी-मराठी शब्द-कोश 1965 में प्रकाशित किया और मराठी-हिंदी 71-72 में। दोनों कोशों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कुल 55,035 रु. का अनुदान दिया। इस आर्थिक सहायता के लिए 'प्रकाशकीय निवेदन' में आभार प्रदर्शित किया गया है।

3.1.14 **हिंदी विश्व-कोश** : काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी ने हिंदी विश्व-कोश 12 खंडों में प्रकाशित किया। इस विश्व-कोश के संपादन एवं प्रकाशन का संपूर्ण व्यय-भार शिक्षा मंत्रालय ने वहन किया। पहला खंड सन् 60 में प्रकाशित हुआ और अंतिम बारहवाँ खंड सन् 70 में।

3.1.15 **हिंदी-बंगला कोश** : श्री गोविंद प्रसाद मैती द्वारा संकलित हिंदी-बंगला की पांडुलिपि निदेशालय ने 10,000/- रु. देकर खरीद ली ताकि त्रिभाषा कोश योजना में संबंधित कोश तैयार करते समय उस सामग्री का उपयोग किया जा सके।

3.1.16 **हिंदी व्युत्पत्ति-कोश** : इस कोश के निर्माण का कार्य सन् 66 में सागर विश्वविद्यालय को सौंपा गया। निर्माण कार्य के लिए 13500/-रु० का वित्तीय अनुदान स्वीकृत हुआ। कोश कार्य की पांडुलिपि निदेशालय में प्राप्त होने पर विशेषज्ञ द्वारा उसकी जाँच करवाई गई। सागर विश्वविद्यालय को इस कोश का प्रकाशन करना था। किंतु उसने इसके प्रकाशन में अपनी असमर्थता प्रकट की। अभी तक किसी योजना के अंतर्गत इसका प्रकाशन नहीं हो पाया है। मूल्यांकन समिति ने सिफारिश की है कि निदेशालय या तो किसी उपयुक्त व्यावसायिक प्रकाशन संस्था के माध्यम से इसका प्रकाशन कराए या फिर स्वयं ही इसके प्रकाशन का दायित्व वहन करे।

इस तरह सातवें दशक में तथा अपनी स्थापना के आरंभिक दस वर्षों में निदेशालय ने हिंदी जगत् में शब्दावलियों, कोशों और विश्वकोशों के क्षेत्र में व्याप्त जो अभाव दृष्टिगोचर हो रहा था, उसकी पूर्ति की दिशा में विश्वविद्यालयों अथवा हिंदी सेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर हिंदी की श्रीवृद्धि में योगदान किया। निश्चय ही कुछ काम अधूरे छूट गए या आर्थिक हानि हुई पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त काम भी हुआ।

3.2 आठवें दशक की कोश योजनाएँ—केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अब तक के 25 वर्षों के जीवन में आठवाँ दशक, यानी सन् सत्तर के बाद के वर्ष नई-नई कोश योजनाओं के जन्म और भरण-पोषण के वर्ष माने जाएँगे। इन वर्षों में हिंदी को समृद्ध करने के लिए भारतीय भाषाओं के द्विभाषी,

त्रिभाषी और बहुभाषी कोशों की योजनाओं का श्रीगणेश हुआ । अनेक द्विभाषी विद्वानों, विश्वविद्यालयों और संस्थाओं ने राष्ट्रीय महत्व के इस काम में अपना योगदान किया । ऐसा लगने लगा मानो निदेशालय हिंदी ही नहीं, अपितु समस्त भारतीय भाषाओं के सम्मिलन का एक सुदृढ़ मंच बन गया हो । यही तथ्य निदेशालय द्वारा संचालित अन्य योजनाओं से भी प्रकट होता है, जिनका यथास्थान उल्लेख किया गया है ।

इन्हीं वर्षों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान की योजना के अंतर्गत अनेक यूरोपीय देशों से हिंदी और उनकी भाषाओं के कोश, वार्तालाप पुस्तिकाएँ आदि निर्मित करने के समझौते हुए और काम आगे बढ़ा । इसे अंतर्राष्ट्रीय जगत् में हिंदी के विस्तार का एक चरण भी माना जा सकता है ।

निदेशालय ने इस दिशा में जो काम किया, उसका ब्यौरा आगे दिया जा रहा है :

3.2.0 द्विभाषा (भारतीय) कोश योजना

जेबी कोश समिति का गठन—प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 2-4-74 को हुई बैठक में दिए गए निदेशानुसार गृहमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 24-8-74 को हुई केंद्रीय हिंदी समिति की उपसमिति में यह निर्णय लिया गया कि जेबी कोश (जो अंग्रेजी-हिंदी दोनों भाषाओं का हो) तथा (2) सभी भारतीय भाषाओं के अर्थ वाले हिंदीमूलक कोश के बारे में सिफारिश करने के लिए एक समिति बनाई जाए । तदनुसार तत्कालीन शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने सितंबर, 74 में एक जेबी कोश समिति गठित की । समिति की सदस्यता इस प्रकार थी : श्री गंगाशरण सिंह, डा० विजयेंद्र स्नातक, श्री सुधाकर पांडेय, श्री रमाप्रसन्न नायक, फादर कामिल बुल्के, डा० मलिक मोहम्मद, श्री सनत्कुमार चतुर्वेदी और श्री सुधाकर द्विवेदी ।

3.2.1 हिंदी-अंग्रेजी/अंग्रेजी-हिंदी जेबी कोश

इस समिति ने आरंभ में मूलत: हिंदी-अंग्रेजी/अंग्रेजी-हिंदी कोशों को ही लक्ष्य में रखकर सिफारिशें कीं । कोशों के आकार-प्रकार, शब्द संख्या, शब्दों के चुनाव, शब्दों के रूप और वर्तनी, पर्यायवाची शब्द सुझाने की विधि तथा लिप्यंतरण विराम-चिह्न, व्याकरणिक कोटि आदि सभी बातों के बारे में विशिष्टियाँ पहले से ही तय कर ली गईं । शब्दावली के चयन और निर्धारण के लिए प्रकाशक को स्वतंत्रता दी गई ।

इन जेबी कोशों का उद्देश्य यह था कि विद्यार्थियों और जनसाधारण को सस्ते दाम पर मानक कोश सुलभ कराए जा सकें । यह भी तय हुआ कि इसके लिए नियंत्रित मूल्य पर कागज उपलब्ध करवाया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो सरकारी खरीद तथा सार्वजनिक बिक्री के लिए दाम अलग-अलग निर्धारित किए जाएँगे ।

दोनों जेबी कोश पहले निदेशालय द्वारा ही चलाई जा रही 'प्रकाशक सहयोग योजना' के

अधीन प्रकाशित किए जाने थे। यह भी तय हुआ था कि प्रकाशक को 10-10 हजार प्रतियाँ मुद्रित करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, पर निदेशालय निर्धारित नियमानुसार 1-1 हजार प्रतियाँ ही खरीदेगा। बाद में जब यह तय हुआ कि इन कोशों को प्रकाशक सहयोग योजना की परिधि से निकाल दिया जाए तो यह मान लिया गया कि निदेशालय एक हजार प्रतियाँ खरीदने के लिए बाध्य नहीं होगा और प्रकाशक कोश में इस बात का उल्लेख करेगा कि ये 'भारत सरकार द्वारा अनुमोदित' हैं।

इन कोशों के लिए प्रेस-विज्ञप्तियाँ निकाल कर एवं विज्ञापन देकर प्रकाशकों/संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। जो प्रस्ताव और कोशों के वांछित नमूने प्राप्त हुए उनकी जाँच हुई और मूल्यांकन किया गया। तदनुसार आक्सफोर्ड एवं आई० बी० एच० पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रकाशक ने इन कोशों के संपादन का भार जबलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति श्री रमाप्रसन्न नायक को सौंपा। अनुमान लगाया गया कि इन दोनों कोशों के प्रकाशन में लगभग डेढ़ लाख रुपया खर्च होगा और दोनों कोशों के सैट का मूल्य 45/- रु. (या प्रत्येक कोश का 24/- रु.) होगा। इन कोशों को मार्च 78 तक प्रकाशित हो जाना था पर प्रकाशक को बार-बार स्मरण-पत्र भेजे गए और प्रकाशक के उत्तर की वर्षों तक प्रतीक्षा की गई। अंततोगत्वा जब इनका प्रकाशन संभव नहीं हुआ तो अप्रैल, 81 में अंग्रेजी-हिंदी एवं हिंदी-अंग्रेजी लघु व्यावहारिक कोशों को बंद करने का निर्णय शिक्षा मंत्री के स्तर पर ले लिया गया और तदनुसार प्रकाशक को अंतिम रूप से सितंबर में सूचित कर दिया गया।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, निदेशालय में ही तैयार हो रहे पहले वाले परिवर्धित व्यावहारिक लघुकोश के संपादन-प्रकाशन का कार्य बीच में ही रोक दिया गया था। बाद में श्री नायक वाले इन दोनों कोशों के कार्य को भी बंद कर देने का निर्णय हो जाने से हिंदी-अंग्रेजी और अंग्रेजी-हिंदी के परिवर्धित व्यावहारिक लघु कोशों की योजना खटाई में पड़ गई। अब निदेशालय पुन: इस बात पर विचार कर रहा है कि परिवर्धित हिंदी-अंग्रेजी व्यावहारिक कोश को निदेशालय में ही संशोधित करवा कर एक निश्चित कालावधि में प्रकाशित करवाया जाए।

3.2.2 भारतीय भाषाओं के व्यावहारिक लघुकोश

उल्लेख किया जा चुका है कि संस्कृत को छोड़कर संविधान की अनुसूची में परिगणित अन्य सभी भाषाओं के कोश बनाने की सिफारिश भी जेवी कोश समिति ने की थी। तय हुआ कि निम्नलिखित 13 हिंदीमूलक कोश होंगे और 13 प्रादेशिक भाषामूलक—

1. हिंदी-असमिया
2. हिंदी-उड़िया
3. हिंदी-उर्दू
4. हिंदी-कन्नड़
5. हिंदी-कश्मीरी
6. हिंदी-गुजराती
7. हिंदी-तमिल
8. हिंदी-तेलुगु
9. हिंदी-पंजाबी
10. हिंदी-बंगला

11. हिंदी-मलयालम	19. गुजराती-हिंदी
12. हिंदी-मराठी	20. तमिल-हिंदी
13. हिंदी-सिंधी	21. तेलुगु-हिंदी
14. असमिया-हिंदी	22. पंजाबी-हिंदी
15. उड़िया-हिंदी	23. बंगला-हिंदी
16. उर्दू-हिंदी	24. मलयालम-हिंदी
17. कन्नड़-हिंदी	25. मराठी-हिंदी
18. कश्मीरी-हिंदी	26. सिंधी-हिंदी

इन कोशों के बारे में यह सिफारिश की गई थी कि इन्हें स्वैच्छिक संस्थाओं को 75% अनुदान देकर प्रकाशित करवाया जाए। प्रकाशकों द्वारा उत्साह न दिखाए जाने पर निदेशालय ही उनका प्रकाशन करे।

इन कोशों के प्रकाशन की समय-तालिका के बारे में भी अनुमान लगाया गया और आशा की गई कि सन् 77 में काम शुरू करके इनका प्रकाशन जून 79 तक किया जा सकेगा। कोश कार्य की गुरुता और संभावित कठिनाइयों का पूर्वानुमान न लगा सकने के कारण ही, लगता है कि इतनी अल्पकालिक महत्वाकांक्षी समयावधि तय करने की चूक हो गई।

इन कोशों का उद्देश्य भी अंग्रेजी वाले कोशों की तरह माना गया। आकार-प्रकार, शब्द-संख्या, शब्दों का चुनाव, शब्दों का रूप और वर्तनी, लक्ष्य भाषा में पर्यायवाची शब्दों का अंकन, लिप्यंतरण, विराम-चिह्न, व्याकरणिक कोटियों का संकेत आदि विषयों के बारे में भी निदेशक सिद्धांत तय किए गए। प्रविष्टियों की संख्या दस हजार निर्धारित की गई। हिंदीमूलक शब्दों के लिए आधार शब्दावली का चयन निदेशालय में ही किया गया। प्रादेशिक भाषामूलक कोशों की प्रविष्टियों का काम कोश निर्माताओं पर छोड़ा गया, पर इसके लिए सामान्य नीति-निदेश अवश्य भेज दिए गए। लक्ष्य भाषा में पर्याय-अंकन और पुनरीक्षण के लिए दोनों भाषाओं के विद्वानों का चयन किया गया और तदनुसार उन्हें काम सौंपा गया (परिशिष्ट 2)।

इन द्विभाषी कोशों की यदि अन्य उपलब्ध कोशों से तुलना की जाए तो यह उल्लेखनीय विशेषता देखने को मिलेगी कि स्रोत भाषा की प्रविष्टियों और लक्ष्य भाषा के पर्यायों का क्रमशः लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा की लिपियों में लिप्यंतरण भी दिया गया है। इस व्यवस्था से दोनों भाषाओं में से एक की लिपि न जानने वाला प्रयोक्ता भी कोशों का सुविधापूर्वक उपयोग कर सकता है।

सन् 80 तक कोई कोश प्रकाशित नहीं हो सका। हाँ, कार्य में पर्याय प्रगति अवश्य हुई। स्वाभाविक ही था कि यह प्रगति भी समानुपातिक नहीं रही।

3.2.3 त्रिभाषा कोश योजना

ऐतिहासिक कालक्रम को इस विवरण का आधार मानें तो इस त्रिभाषा कोश योजना का उल्लेख द्विभाषा कोश योजना से पहले होना चाहिए था, क्योंकि त्रिभाषा कोश योजना तो सन् 71-72 में ही शुरू हो गई थी; जबकि द्विभाषी कोशों के निर्माण का निश्चय सन् 74 में हुआ। किंतु निदेशालय के 25/26 वर्षों का यह इतिहास तिथि-क्रम पर आधारित न होकर मुख्यत: योजनोन्मुखी है। इसलिए इसमें संख्यावाची क्रम (द्विभाषा/त्रिभाषा/बहुभाषा) ही अपनाना अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

3.2.3.1 **योजना का सूत्रपात और उद्देश्य :** इस योजना का सूत्रपात तत्कालीन शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की शिक्षा समिति की भारतीय भाषा समिति और कार्यकारिणी उपसमिति की सिफारिश पर हुआ। सन् 1969 में त्रिभाषा कोशों के निर्माण की योजना बनी। सन् 1971 में निदेशालय ने इन कोशों के निर्माण का काम हाथ में लिया।

भारतीय शिक्षा जगत् में जब से त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया, तभी से इस बात की आवश्यकता का अनुभव किया जाता रहा कि ऐसे कोश तैयार किए जाने चाहिए जिनमें हिंदी, प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी—तीनों के समानांतर क्रम में शब्द-पर्याय दिए जाएँ ताकि संविधान स्वीकृत किसी एक भाषा को जानने वाला छात्र या शोधकर्त्ता भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के समानार्थक शब्द साथ-साथ देख सके। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के एक साधन के रूप में यह त्रिभाषा कोश योजना शुरू की गई।

3.2.3.2 **योजना :** त्रिभाषा कोशमाला के अंतर्गत निम्नलिखित हिंदीमूलक और प्रादेशिक भाषामूलक 12-12 कोश तैयार करने का निश्चय किया गया। इन सभी कोशों में तीसरी भाषा समान रूप से अंग्रेजी है।

कोश	सहयोगी संस्था
1. हिंदी-असमिया-अंग्रेजी	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
2. असमिया-हिंदी-अंग्रेजी	—वही—
3. हिंदी-उड़िया-अंग्रेजी	उत्कल विश्वविद्यालय
4. उड़िया-हिंदी-अंग्रेजी	—वही—
5. हिंदी-कन्नड़-अंग्रेजी	मैसूर विश्वविद्यालय
6. कन्नड़-हिंदी-अंग्रेजी	—वही—
7. हिंदी-कश्मीरी-अंग्रेजी	कश्मीर विश्वविद्यालय
8. कश्मीरी-हिंदी-अंग्रेजी	—वही—

कोश	संस्था
9. हिंदी-गुजराती-अंग्रेजी	विश्वविद्यालय पुस्तक निर्माण बोर्ड, अहमदाबाद
10. गुजराती-हिंदी-अंग्रेजी	—वही—
11. हिंदी-तमिल-अंग्रेजी	के० हि० संस्थान, आगरा
12. तमिल-हिंदी-अंग्रेजी	दक्षिण भारती हिंदी प्रचार सभा, मद्रास
13. हिंदी-तेलुगु-अंग्रेजी	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
14. तेलुगु-हिंदी-अंग्रेजी	—वही—
15. हिंदी-पंजाबी-अंग्रेजी	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला
16. पंजाबी-हिंदी-अंग्रेजी	—वही—
17. हिंदी-बंगला-अंग्रेजी	विश्वभारती, शांतिनिकेतन
18. बंगला-हिंदी-अंग्रेजी	—वही—
19. मलयालम-हिंदी-अंग्रेजी	राजकीय भाषा संस्थान नालंदा, त्रिवेंद्रम
20. हिंदी-मलयालम-अंग्रेजी	—वही—
21. हिंदी-मराठी-अंग्रेजी	महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा, पुणे
22. मराठी-हिंदी-अंग्रेजी	—वही—
23. हिंदी-सिंधी-अंग्रेजी	के० हि० संस्थान, आगरा
24. सिंधी-हिंदी-अंग्रेजी	—वही—

जैसा कि ऊपर की तालिका से स्पष्ट है, इन कोशों के निर्माण में 13 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से सहयोग के लिए संपर्क किया गया।

3.2.3.3 निदेशक सिद्धांत : प्रत्येक कोश में बीस हजार प्रविष्टियों की सीमा निर्धारित की गई। हिंदीमूलक कोशों की आधार शब्दावली का चयन निदेशालय में किया गया और अंग्रेजी पर्याय भी निदेशालय ने ही अंकित किए। इसके बाद लक्ष्य भाषा में पर्यायांकन के लिए तैयार हिंदी-अंग्रेजी की आधार सामग्री इन संस्थाओं को भेजी गई। शब्दों के चुनाव, शब्दों के रूप और वर्तनी तथा रूपबंध (फार्मेट) संबंधी निदेशक सिद्धांत भी इन संस्थाओं को आरंभ में ही भेज दिए गए, ताकि उनके लिए नियत प्रादेशिक भाषामूलक कोशों के निर्माण में वे मार्गदर्शन का काम कर सकें और इस प्रकार दोनों प्रकार के कोशों में यथासंभव एकरूपता बनी रहे। इन प्रादेशिक भाषामूलक कोशों की प्रविष्टियाँ चुनने का काम संबंधित संस्थाओं के कोश-निर्माताओं पर ही छोड़ दिया गया।

इन सभी कोशों की यह विशेषता है कि लक्ष्य भाषा के पर्याय को अपनी लिपि के साथ-साथ स्रोत भाषा की लिपि में भी लिप्यंतरित करने की व्यवस्था की गई है, ताकि स्रोत भाषा का प्रयोक्ता

लक्ष्य भाषा की लिपि न जानने के बावजूद उस भाषा में प्रयुक्त शब्दों को और उनके उच्चारण को सही-सही जान सकता है।

3.2.3.4. कार्य प्रगति : आरंभ में यह अनुमान लगाया गया था (जो कार्य की गुरुता को देखते हुए उचित नहीं जान पड़ता) कि कार्य के सौंपे जाने की तारीख से एक वर्ष में निर्माण-कार्य पूरा हो जाएगा। किंतु, जैसा कि स्वाभाविक ही था, विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा मुख्य संकलन कर्त्ताओं के चयन, कोश संबंधी विशेषज्ञ समितियों के गठन तथा उन्हें अपेक्षित सुविधाएँ प्रदान करने में ही बहुत समय लग जाने के कारण तथा समुचित स्टाफ के अभाव में कार्य समय पर शुरू नहीं हो सका। निदेशालय द्वारा निरंतर किए जाते रहे आग्रह-अनुरोध के परिणामस्वरूप ही इन कोशों के निर्माण में गति आई और सन् 80 तक लगभग अधिकांश हिंदीमूलक कोशों का 50% काम पूरा हुआ।

हिंदीमूलक त्रिभाषा कोशों के निर्माण-खर्च के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय/संस्था को दो किस्तों में 10600 रु० तथा प्रादेशिक भाषामूलक कोशों के लिए 12600 रु० दिए गए। प्रत्येक कोश के पुनरीक्षण के लिए 500/ रु० की राशि निर्धारित की गई। निर्माण-कार्य के बाद इन कोशों के प्रकाशन का दायित्व निदेशालय पर है।

3.2.4. भारतीय भाषा कोश

इस कोश के निर्माण की प्रेरणा भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने केंद्रीय हिंदी समिति की 2 अप्रैल, 74 की बैठक में दी थी। द्विभाषा कोष योजना के प्रसंग में उल्लिखित जेबी कोश समिति ने ही सभी भारतीय भाषाओं के कोशों की रचना के बारे में भी सिफारिश की और इसकी योजना के प्रारूप को जुलाई, 76 में अनुमोदित किया।

संपूर्ण देश की जनता सभी भारतीय भाषाओं की शब्द-संपदा से सुविधापूर्वक परिचित हो सके, यही इस कोश का लक्ष्य निश्चित हुआ। कोष का उद्देश्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में समानता दिखाना रहा है, न कि विषमता उभारना। अतः यह आवश्यक समझा गया कि भारतीय भाषाओं के मुख्यतः वे पर्याय दिए जाएँ जिनका या जिनसे मिलते-जुलते शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में होता हो।

भारतीय भाषा कोश के लिए लगभग पाँच हजार प्रविष्टियों का चयन किया गया। हिंदी-मूलक आधार शब्दावली निदेशालय में ही संकलित की गई और संस्कृत को छोड़कर सभी भारतीय भाषाओं में पर्याय-अंकन और पुनरीक्षण का कार्य संबंधित भाषा-विशेषज्ञों से करवाया गया। कोश निर्माण के समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि यह कोश जनसाधारण तथा भारतीय भाषाओं को सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सके।

मूल योजना में इस कोश के तीन खंड प्रस्तावित थे। प्रकाशित रूप में इसमें केवल दो खंड हैं। खंड-1 में 'वर्गीकृत शब्दावली' है, जो वर्गों के अनुसार अकारादिक्रम में दी गई है। खंड-2 में

सामान्य शब्दावली भी अकारादिक्रम में है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि दोनों खंडों की शब्दावली में दुहराव न आए। खंड-3 में सामान्य वार्तालाप से संबंधित लगभग 2,500 वाक्य और वाक्यांश दिए जाने थे। किंतु चूँकि निदेशालय सभी भारतीय भाषाओं की वार्तालाप पुस्तिकाएँ भी अलग से प्रकाशित कर रहा है, इसलिए मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर अनावश्यक कलेवर वृद्धि और दुहराव से बचने के लिए इन वाक्यांशों को इस कोश में सम्मिलित नहीं किया गया।

कोश का आकार 20" × 30"/4 है और इसमें लगभग 470 पृष्ठ हैं। दोनों खंडों में मूल प्रविष्टि हिंदी की है। इसके बाद भारतीय भाषाओं के पर्याय परिवर्धित देवनागरी लिपि में दिए गए हैं। भारतीय भाषाओं का क्रम वर्णक्रमानुसार न होकर भौगोलिक निकटता के आधार पर रखा गया है। मोटे तौर पर इनके चार वर्ग हैं : (1) पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी और सिंधी; (2) मराठी और गुजराती; (3) बंगला, असमिया और उड़िया; (4) तेलगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़।

खंड-1 में मूल प्रविष्टियाँ एकार्थी हैं। खंड-2 की जिन प्रविष्टियों के एकाधिक अर्थ हैं, उन्हें उस प्रविष्टि के आगे दे दिया गया है और तत्संबंधी भाषा-पर्याय उनके सामने दिए गए हैं। खंड-1 के विपरीत इन सभी प्रविष्टियों की व्याकरणिक कोटियाँ भी अंकित की गई हैं।

जेबी कोश समिति का विचार था कि निदेशालय इस कोश की पांडुलिपि तैयार करके उसे मुद्रण और प्रकाशन के लिए प्रकाशकों, प्रकाशक संघों अथवा हिंदी सेवी संस्थाओं को सौंप दे। उसने अनुमान लगाया कि यह कोश 30 जून, 79 तक प्रकाशित हो जाएगा। निर्माण कार्य और पुनरीक्षण में पर्याप्त समय लग जाना स्वाभाविक था। अंग्रेजी-हिंदी/हिंदी-अंग्रेजी कोश के लिए प्रकाशकों से माँगे गए सहयोग का उदाहरण निदेशालय के सामने था ही। इसी वजह से इस कोश के प्रकाशन का भार भी निदेशालय ने ही उठाया।

3.3 अद्यतन प्रगति

जैसा कि बताया गया है, सन् 80 तक कोशों (द्विभाषा/त्रिभाषा/बहुभाषा) के कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी थी। काम में काफी बिखराव आ गया था और पर्याप्त समय बीत जाने पर भी कोश प्रकाशित नहीं हो पा रहे थे, इसलिए निदेशालय की प्रतिष्ठा दाँव पर थी।

अस्सी के बाद के पाँच/छह वर्षों का काल कोश-योजना के उत्कर्ष का काल रहा है। इस अवधि में अधिकांश कोशों का संपादन कार्य पूरा हुआ और उनमें से कुछ का सुरुचिपूर्ण प्रकाशन भी हुआ। 31 मार्च, 86 तक की प्रगति का विवरण इस प्रकार है :—

कुल 53 कोशों (28 द्विभाषा कोश, 24 त्रिभाषा कोश तथा 1 बहुभाषा कोश) की योजना थी। इनमें से 2 कोश (हिंदी-अंग्रेजी/अंग्रेजी-हिंदी) छोड़ दिए गए; शेष 51 कोशों में से 1 भारतीय भाषा कोश, 6 द्विभाषा कोश (हिंदी-गुजराती, हिंदी-सिंधी, हिंदी-मराठी, हिंदी-उर्दू, हिंदी-असमिया और हिंदी-तमिल) तथा 4 त्रिभाषा कोश (हिंदी-गुजराती-अंग्रेजी, हिंदी-कन्नड़-अंग्रेजी, हिंदी-तमिल-अंग्रेजी तथा हिंदी-मलयालम-अंग्रेजी—सभी 3-3 खंडों में) प्रकाशित

हो चुके हैं। कालक्रमानुसार कुछ कोशों का विमोचन दिनांक 20 दिसंबर, 84 तथा 14 मई, 85 को हुए दो समारोहों में क्रमश: तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति सचिव श्रीमती सरला ग्रेवाल एवं तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री कृष्ण चंद्र पंत द्वारा हो चुका है। दोनों समारोहों की अध्यक्षता क्रमशः तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के विशेष सचिव श्री किरीट जोशी तथा सचिव श्री आनंद सरूप ने की थी। 8 द्विभाषा कोश (हिंदी-मलयालम, हिंदी-उड़िया, हिंदी-तेलुगु, हिंदी-कश्मीरी, हिंदी-कन्नड़, उर्दू-हिंदी, उड़िया-हिंदी और मलयालम-हिंदी तथा 8 त्रिभाषा कोश (हिंदीमूलक कश्मीरी, असमिया, सिंधी, बंगला, मराठी और मराठी, गुजराती तथा तमिल मूलक) तैयार हैं, जिनमें से 3 द्विभाषा कोश प्रेस को सौंपे जा चुके हैं। 1 त्रिभाषा कोश (हिंदी-पंजाबी-अंग्रेजी) पुनरीक्षणाधीन है और 3 (हिंदी-तेलुगु-अंग्रेजी, कन्नड़-हिंदी-अंग्रेजी, बंगला-हिंदी-अंग्रेजी) निर्माणाधीन। शेष 2 हिंदीमूलक और 10 प्रादेशिक भाषामूलक द्विभाषा कोशों का तथा 1 हिंदीमूलक और 7 प्रादेशिक भाषामूलक त्रिभाषा कोशों का कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में स्थगित कर दिया गया था। आशा है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए सिरे से इन कोशों को पूरा करवाया जाएगा।

प्रकाशित रूप में जो कोश सामने हैं, वे जेबी आकार के न होकर 20" × 30"/8 आकार के हैं।

3.4 नई कोश योजना

मूल्यांकन समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि निदेशालय को अपनी वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी नई योजनाएँ भी शुरू करनी चाहिए, जो उसकी कार्य-परिधि के अंतर्गत आती हैं। उसने सिफारिश की थी कि व्यक्तिनाम कोश, भारतीय भाषाओं का परिचय कोश, विदेशी भाषाओं का परिचय कोश, तत्सम शब्द कोश तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के हिंदी से संबंधित कोश तैयार किए जाने चाहिए। तदनुसार सन् 83 में निम्नलिखित तीन कोशों का समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया :—

3.4.1 तत्सम शब्द कोश

भारतीय भाषाओं के मूल रूप का परिचय प्राप्त करने के लिए एक संस्कृत आधारित कोश के निर्माण की योजना बनाई गई, क्योंकि सभी भारतीय भाषाओं की विपुल शब्द-संपदा का मुख्य स्रोत संस्कृत भाषा ही है। तत्सम शब्द कोश का कार्य जून, 83 में शुरू हुआ और दिसंबर, 85 में इसे मुद्रण के लिए भेज दिया गया। आशा है, यह कोश सन् '86 में प्रकाशित हो जाएगा।

इस कोश में लगभग 1600 प्रविष्टियाँ हैं। ये सभी प्रविष्टियाँ वे संस्कृत प्रविष्टियाँ हैं जो हिंदी और अधिकांश भारतीय भाषाओं में तत्सम रूप में प्रयुक्त हो रही हैं। कोश में कुल पंद्रह कालम हैं, जिनमें पहला कालम संस्कृत का और दूसरा हिंदी का है। शेष 13 कालम भारतीय भाषाओं

के अकारादिक्रम में हैं । मुख्य प्रविष्टि के सामने भारतीय भाषाओं के तत्सम या तत्समवत् रूप भाषा विशेष की प्रकृति के अनुसार आवश्यक स्वन-परिवर्तन या प्रत्ययों से युक्त रूप देवनागरी में दिए गए हैं और उन सबके मुख्यार्थ एक ही क्रम में हिंदी में दिए गए हैं। जिन भाषाओं में इन तत्सम शब्दों के अन्य भाषाओं से भिन्न नए अर्थ विकसित हो गए हैं, उन्हें रेखांकित कर दिया गया है ताकि अंतर स्पष्ट हो सके ।

इस तरह यह कोश उन विद्यार्थियों या विद्वानों के लिए उपयोगी होगा जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित समान शब्दावली की खोज करते हुए उसकी मूलभूत एकता की पहचान तथा उनमें परस्पर समान तत्वों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं । यह कोश भाषा-शब्दावलियों का तुलनात्मक अध्ययन करने वालों के लिए भी उपयोगी होगा।

संपादन परामर्श मंडल और जिन विद्वानों ने इस कोश के निर्माण में सहयोग दिया है, उनकी सूची परिशिष्ट-3 में देखी जा सकती है ।

3.4.2 संयुक्त राष्ट्र संघ भाषा कोश

निदेशालय ने इस योजना को तीन चरणों में पूरा करने का कार्यक्रम बनाया है: (1) हिंदी-मूलक अलग-अलग द्विभाषा कोश; (2) हिंदीमूलक समेकित कोश; (3) राष्ट्र संघ भाषा मूलक हिंदी कोश ।

पहले चरण का कार्यक्रम जून, 83 में शुरू किया गया और दिसंबर, 85 में हिंदी-अरबी, हिंदी-चीनी, हिंदी-फ्रांसीसी और हिंदी-स्पेनी कोशों की पांडुलिपियाँ मुद्रणार्थ तैयार कर दी गईं । आशा है, ये चारों कोश सन् 86 में प्रकाशित हो जाएँगे ।

इन कोशों में हिंदी की लगभग 2500 प्रविष्टियाँ हैं। इनमें से दो हजार शब्द आधारभूत सामान्य शब्द हैं और शेष राजनय से संबंधित । प्रत्येक प्रविष्टि के सामने संबंधित भाषा की लिपि में मुख्य-मुख्य अधिकाधिक तीन पर्याय दिए गए हैं और आगे उनका देवनागरी में लिप्यंतरण किया गया है ।

जहाँ तक हिंदीमूलक कोशों का संबंध है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यताप्राप्त शेष दो भाषाओं (अंग्रेजी और रूसी) के कोश तैयार नहीं किए गए हैं, क्योंकि इन दोनों भाषाओं के सामान्य कोश उपलब्ध हैं । दूसरे चरण का कार्य '86 में पूरा कर लिया जाएगा। इस समेकित कोश में हिंदी की प्रविष्टियों के छहों भाषाओं में पर्याय दिए जाएँगे । तीसरे चरण का कार्य इन दोनों कोशों के प्रकाशित हो जाने पर शुरू किया जाएगा ।

हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने और संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलाने का स्वर उठ रहा है । इस दिशा में निदेशालय का यह योगदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसी आशा है ।

संपादन परामर्श मंडल और सहयोगी कार्य दल की सूची परिशिष्ट-4 में दी गई है ।

3.4.3 भारतीय भाषा परिचय कोश

इस योजना का कार्यान्वयन जून, 83 में शुरू हुआ। निश्चय हुआ कि कोश में अकारादिक्रम से सभी 15 भारतीय भाषाओं का परिचय दिया जाए; यह परिचय विवरणात्मक हो और उसमें प्रत्येक भाषा, उसकी उपभाषाओं और प्रमुख बोलियों की संक्षिप्त जानकारी दी जाए; भाषाओं के भौगोलिक, ऐतिहासिक और भाषावैज्ञानिक पक्षों का विवेचन किया जाए; विवेचना में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि हिंदी के संदर्भ में प्रत्येक भाषा के सामान्य और भेदक लक्ष ़ों को उभारा जा सके; प्रत्येक भाषा के साहित्यिक, राष्ट्रीय और प्रशासनिक महत्व को रेखांकित किया जाए; तथा आवश्यकतानुसार अनुक्रमणिका और संदर्भ ग्रंथ सूची भी दी जाए।

इस कोश की सामग्री का संकलन सन् 85 में कर लिया गया। संपादन के बाद इसे सन् 86 में ही प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस कोश के भाषावार लेखकों की सूची परिशिष्ट-5 में देखी जा सकती है।

3.5 सभी कोश योजनाएँ : सिंहावलोकन

इस तरह विविध कोश योजनाओं के पूरे पच्चीस-छब्बीस वर्षों के इतिहास का सिंहावलोकन करें तो सार रूप में यह कहा जा सकता है कि सातवाँ दशक अनेक प्रकार के कोशों के सूत्रपात का काल रहा है; आठवाँ दशक उनका निर्माण काल और नवें दशक के पहले पाँच वर्ष उनका उत्कर्ष काल। निर्माण काल में ही इसका पता चल गया था कि भविष्य में कौन सी योजनाएँ पूरी हो सकेंगी और किन्हें छोड़ देना या लंबे समय तक स्थगित कर देना पड़ेगा। जिन कोशों को पूरा कर सकने की संभावनाएँ दृष्टिगोचर हो रही थीं; उन्हीं पर अस्सी के बाद के वर्षों में ध्यान दिया गया। परिणाम यह हुआ कि इस दौरान अनेक कोश प्रकाशित हुए हैं और शेष प्रकाशन की प्रक्रिया में हैं।

यही नहीं, इस कालखंड में पहली बार कुछ नई कोश योजनाएँ समयबद्ध तरीके से शुरू की गईं और अल्पकाल में वे संपन्न भी हो गईं। इसी दौरान हिंदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में अपनी उड़ान को अधिक विस्तार ही नहीं दिया, अपितु राष्ट्रसंघ की भाषा बन सकने के स्वप्न को सार्थकता प्रदान करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी किए। हिंदी और राष्ट्रसंघ की भाषाओं के कोश इस बात का प्रमाण उपस्थित करते हैं। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत कोशों का निर्माण भी इस आधार को पुष्ट करता है।

भविष्य में शेष बचे कोशों को भी यथाशीघ्र पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा।

3.6 सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

भारत सरकार और विदेशी सरकारों के बीच समय-समय पर सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों से संबंधित समझौते होते रहते हैं और उनका कार्यान्वयन संबंधित मंत्रालयों/कार्यालयों के माध्यम से

होता है। पिछले छब्बीस वर्षों में ऐसे करारों के अंतर्गत निदेशालय में जो-जो योजनाएँ चलाई गईं या चल रही हैं, उनका विवरण आगे दिया जा रहा है।

3.6.1 जर्मन-हिंदी तथा हिंदी-जर्मन कोश

भारत तथा जर्मन जनवादी गणतंत्र के बीच 1971-73 के सांस्कृतिक-विनिमय कार्यक्रम की मद संख्या 28 के अनुसरण में केंद्रीय हिंदी निदेशालय और हम्बोल्ट विश्वविद्यालय, बर्लिन द्वारा क्रमशः जर्मन-हिंदी तथा हिंदी-जर्मन कोश-निर्माण का कार्य आरंभ किया गया। दोनों संस्थाओं ने मिलकर जो कार्य-योजना बनाई, उसके अनुसार निदेशालय को (1) जर्मन-हिंदी कोश तैयार करना था; तथा (2) जर्मन पक्ष को आवंटित हिंदी-जर्मन कोश के लिए 45,000 हिंदी प्रविष्टियों की सूची तैयार करके भेजनी थी। परस्पर सहयोग के लिए दोनों संस्थाओं के बीच विशेषज्ञ प्रतिनिधि मंडल के विनिमय की व्यवस्था भी रखी गई।

निदेशालय ने 45,000 हिंदी प्रविष्टियों की पूरी सूची 1976 में बर्लिन भेज दी। हम्बोल्ट विश्वविद्यालय से जर्मन प्रविष्टियों की सूची अंशों में प्राप्त हुई, जिसकी पहली किस्त जर्मन-प्रतिनिधि मंडल अपने साथ 1975 में लाया।

जर्मन-हिंदी कोश का कार्य निदेशालय में वस्तुतः 1977 में ही शुरू किया जा सका। कार्य का आरंभ निदेशालय में विद्यमान जर्मन जानने वाले दो कार्यकर्त्ताओं की मदद से शुरू किया गया। जर्मन कोश एकक के लिए अलग से स्टाफ की माँग भी बराबर की जाती रही, जिसके परिणामस्वरूप सितंबर, 82 में केवल दो अनुसंधान सहायक मिले। देश के विश्वविद्यालयों के जर्मन विभागों के अध्यापकों और कुछ अन्य विशेषज्ञों की सेवाएँ भी समय-समय पर निदेशालय को उपलब्ध होती रहीं। जमंन प्रतिनिधि मंडलों का परामर्श भी समय-समय पर मिलता रहा। बीच में कार्यकर्त्ताओं के प्रति-नियुक्ति पर अन्यत्र चले जाने के कारण कुछ दिनों कार्य बंद भी रहा। अन्य प्रकार के छोटे-मोटे व्यवधान और भी आए। संप्रति जर्मन भाषा जानने वाले चार व्यक्ति इस योजना पर काम कर रहे हैं। तुलना करने पर ज्ञात होता है कि जर्मन पक्ष वाले हिंदी-जर्मन कोश का कार्य अधिक व्यवस्थित रूप से चला है क्योंकि वहाँ 5-6 प्राध्यापक नियमित रूप से कोश कार्य में लगे हुए हैं।

जर्मन-हिंदी कोश की योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। कहने को तो इसमें केवल पैंतालीस हजार प्रविष्टियाँ हैं, पर जिस जर्मन कोश (वोर्तर बूख देयर द्योशन गेगनवार्तश्प्राखे, अकादेमी फर्लाग-बर्लिन 1973, अद्यतन 1981) को आधार मानकर यह कार्य चल रहा है। उसको देखने से लगता है कि वास्तविक कार्य लाखों शब्दों का है, क्योंकि मुख्य प्रविष्टियों के पेटे में सामासिक शब्दों, अर्थच्छायाओं, प्रयोगों, मुहावरों आदि से संबंधित अनेक उपप्रविष्टियाँ भी सम्मिलित हैं। व्यवस्था-नियोजन संबंधी कुछ कमियों, कार्यकारी स्टाफ की न्यूनता, पर्यवेक्षक स्तर के अर्हता प्राप्त अधिकारियों की कमी, विशेषज्ञों के नियमित परामर्श का अभाव आदि के कारण जर्मन-हिंदी कोश का कार्य पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाया।

समझौते के अनुसार दोनों पक्षों को अपने-अपने कोश दिसंबर 1985 तक प्रकाशित कर देने थे । ज्ञात हुआ है कि हिंदी-जर्मन कोश का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब जर्मन पक्ष उसके प्रकाशन की व्यवस्था कर रहा है । भारतीय पक्ष का कार्य ऊपर बताए गए कारणों की वजह से पूरा नहीं हो सका है। मार्च, 86 तक की कार्य-प्रगति इस प्रकार है—(i) सभी 45,000 प्रविष्टियों के हिंदी-पर्यायों का प्रारूप तैयार है; (ii) लगभग 27,000 प्रविष्टियों को विशेषज्ञों की सलाह से अंतिम रूप दिया जा चुका है; (iii) लगभग 17,000 प्रविष्टियों को संपादित कर दिया गया है और (iv) लगभग 1,500 जर्मन प्रविष्टियों का देवनागरी लिप्यंतरण किया जा चुका है ।

कार्य की विलंबित गति को देखते हुए निदेशालय ने यह निश्चय किया है कि जर्मन-हिंदी कोश को दो खंडों में प्रकाशित किया जाएगा । अनुमान है कि पहले खंड की प्रेस-पांडुलिपि सितंबर/अक्टूबर, 86 तक तैयार हो जाएगी और इसके बाद इसका प्रकाशन होगा । दूसरे खंड का कार्य सन् 88 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । दोनों पक्षों के कोश प्रकाशित हो जाएँ, इसके लिए सांस्कृतिक समझौते की अवधि मार्च, 88 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है ।

दोनों देशों के बीच हुए इस सांस्कृतिक समझौते को लगभग 15 वर्ष बीत गए हैं । इस दौरान प्रति वर्ष कार्य-प्रगति की समीक्षा होती रही है और तदनुसार बीच-बीच में समझौते का नवीकरण होता रहा है । समझौते की अवधि में अब तक 7 जर्मन प्रतिनिधि मंडल भारत आ चुके हैं और 4 भारतीय प्रतिनिधि मंडल जर्मनी जा चुके हैं ।

जर्मन-हिंदी कोश के निर्माण कार्य में अब तक जिन-जिन गैरसरकारी भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों ने निदेशालय को सहयोग प्रदान किया है, उनकी सूची परिशिष्ट-6 में देखी जा सकती है ।

3.6.2 चेक-हिंदी तथा हिंदी-चेक कोश

भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच 76-78 में हुए सांस्कृतिक करार की मद संख्या 17ए के अनुसार दोनों पक्षों को कोश, वार्तालाप-पुस्तिका तथा व्याकरण के क्षेत्र में सहयोग करना था । भारत में इसका कार्यान्वयन केंद्रीय हिंदी निदेशालय के माध्यम से हो रहा है और चेकोस्लोवाकिया में प्राग स्थित चार्ल्स विश्वविद्यालय के माध्यम से ।

चेक-हिंदी कोश का निर्माण निदेशालय में किया जा रहा है और हिंदी-चेक कोश का कार्य चेकोस्लोवाकिया में । हिंदी-चेक कोश की 15 हजार प्रविष्टियों का चयन भारतीय पक्ष द्वारा निदेशालय में किया गया । चेक-हिंदी कोश का वास्तविक कार्य जुलाई, सन् 77 में शुरू हुआ । इस कोश के लिए 15,000 प्रविष्टियों का चयन चेक पक्ष ने किया और रूपबंध के लिए प्राग से प्रकाशित डा० कारेल हाईस के लघुकोश 'आंग्लिस्की कपेस्न्यी स्लोवन्यीक' का सहारा लेने का सुझाव दिया ।

आरंभ में, निदेशालय के स्टाफ में चेक भाषा का जानकार व्यक्ति उपलब्ध नहीं था, इसलिए

दिल्ली में उपलब्ध चेक भाषा जानने वाले विद्वानों के सहयोग से तथा आधार कोश के अंग्रेजी अंश की सहायता से कार्य शुरू किया गया । इसमें काफी कठिनाइयाँ आईं । यह स्वाभाविक ही था । कार्य की प्रगति अत्यंत मंथर रही । पर बाद में, भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सन् 82 में तीन मास (सितंबर-दिसंबर) के प्रवास काल में चेक विशेषज्ञों की सहायता से पूरे कोश का पुनरीक्षण कर लिया गया । उन्हीं दिनों चेक भाषा के जानकार व्यक्ति की नियुक्ति निदेशालय में हो गई और चेक प्रविष्टियों का देवनागरी लिप्यंतरण करके प्रेस के लिए पांडुलिपि तैयार कर ली गई । इस पांडुलिपि का पुन: जनवरी-फरवरी, 86 में चेक विशेषज्ञ द्वारा पुनरीक्षण कर लिया गया है । कोश के प्रकाशन की व्यवस्था की जा रही है । आशा है, इसका मुद्रण-प्रकाशन सन् 86 में हो जाएगा । चेक पक्ष द्वारा निदेशालय को सूचना मिली है कि हिंदी-चेक कोश का प्रकाशन भी सन् 86 के अंत तक हो जांएगा ।

3.6.3 हिंदी-चेक वार्तालाप पुस्तिका

दोनों देशों के बीच हुए करार के अनुसार इस पुस्तिका का काम भी कोश कार्य के साथ ही शुरू हुआ । हिंदी जानने वाले भारतीय पर्यटक जब चेकोस्लोवाकिया जाएँ और उन्हें चेक भाषा न आती हो तो वे इस पुस्तिका की सहायता ले सकते हैं । इसीलिए इसमें चेकोस्लोवाकिया के भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश का पूरा ध्यान रखा गया है ।

पुस्तिका में पर्यटन के लिए उपयोगी 1,000 वाक्य हैं जो विषयवार वर्गीकृत हैं । हिंदी वाक्यों का चेक लिपि में रूपांतर दिया गया है और उन चेक वाक्यों का देवनागरी में लिप्यंतरण दिया गया है । पुस्तिका के द्वितीय खंड में लगभग 1,100 सामान्य शब्दों की सूची भी अकारादिक्रम से दी गई है ।

हिंदी-चेक वार्तालाप पुस्तिका की प्रेस पांडुलिपि का भी चेक पक्ष द्वारा पुनरीक्षण किया जा चुका है और इसके प्रकाशन की व्यवस्था की जा रही है ।

3.6.4 हिंदी-चेक व्याकरण

सांस्कृतिक समझौते में हिंदी और चेक भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित अनुप्रयुक्त व्याकरणों के निर्माण की बात का भी उल्लेख है । यह कार्य कोश और वार्तालाप पुस्तिका के प्रकाशन के बाद हाथ में लिया जाएगा ।

3.6.5 हिंदी-हंगेरी तथा हंगेरी-हिंदी वार्तालाप पुस्तिकाएँ

दोनों देशों के बीच हुए 76-77 के सांस्कृतिक करार की मद संख्या 26 के अंतर्गत दोनों पक्षों को अपने-अपने देशों के पर्यटकों की सुविधा के लिए द्विभाषी वार्तालाप पुस्तिकाएँ तैयार करनी थीं । विस्तृत कार्य-योजना पर दोनों पक्षों ने बुडापेस्ट में बैठक कर निदेशक सिद्धांत तय किए ।

अन्य सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों की ही तरह भारतीय पक्ष को हिंदी-हंगेरी वार्तालाप पुस्तिका तैयार करनी थी और हंगेरी पक्ष को हंगेरी-हिंदी वार्तालाप पुस्तिका। निदेशालय ने दिल्ली में उपलब्ध हंगेरी भाषा संबंधी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए श्री गेजा बेलेनफाल्वी (हंगेरी-प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय), श्रीमती एवा अरादी और कुमारी आग्नेश केलेचीनी के सहयोग से एक हजार वाक्यों तथा लगभग 1,200 शब्दों वाली हिंदी-हंगेरी वार्तालाप पुस्तिका तैयार कर हंगेरी पक्ष को समीक्षार्थ दिसंबर 1979 में सौंपी।

हंगेरी से भी मार्च, 79 में हंगेरी-हिंदी वार्तालाप पुस्तिका तथा शब्द-सूची (जो वास्तव में हिंदी-हंगेरी वार्तालाप के रूपबंध में थी) प्राप्त हुई। भारतीय पक्ष ने निदेशालय में पूर्व उल्लिखित हंगेरी भाषा विशेषज्ञों की ही मदद से उसकी समीक्षा की और हंगेरी पक्ष पर अपना यह मंतव्य प्रकट किया कि हिंदी वाक्य बहुत लंबे और अटपटे हैं तथा वर्तनी संबंधी अनेक भूले हैं। इसलिए उनमें अपेक्षित संशोधन आवश्यक है।

निदेशालय ने प्राप्त सामग्री में उपर्युक्त विशेषज्ञों की ही सहायता से काट-छाँट कर उसे नया रूप दिया और दोनों वार्तालाप पुस्तिकाएँ हंगेरी पक्ष को अनुमोदन के लिए भेज दीं। हंगेरी पक्ष ने संशोधन स्वीकार नहीं किए और राजनयिक स्तर पर कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ। विवाद के शमन के लिए अक्टूबर, 84 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल बुडापेस्ट गया और उसने आपसी सहमति से पुस्तिकाओं में अपेक्षित संशोधन किए। उन संशोधनों पर हंगेरी के प्रकाशन विभाग की स्वीकृति अब प्राप्त हो गई है। तदनुसार भारतीय पक्ष अपनी वार्तालाप पुस्तिका प्रकाशित करने के बारे में कार्रवाई करेगा।

3.6.6 रूसी-हिंदी तथा हिंदी-रूसी वार्तालाप पुस्तिकाएँ

भारत-रूस सांस्कृतिक करार (79-80) की मद संख्या 41 के अनुसार इस योजना पर जुलाई, 79 में कार्य आरंभ हुआ। हिंदी-रूसी वार्तालाप पुस्तिका तैयार करने का दायित्व निदेशालय पर था। इस वार्तालाप पुस्तिका में भी लगभग 1,000 वर्गीकृत वाक्य और 1,450 सामान्य शब्द अकारादिक्रम में संकलित हैं तथा इसका भी रूप बंध अन्य पुस्तिकाओं की ही तरह का है। पुस्तिका का पुनरीक्षण रूसी पक्ष ने दो प्रतिनिधि मंडल भेजकर कर दिया है और तदनुसार प्रेस-पांडुलिपि तैयार है।

भारत में रूसी लिपि वाले प्रकाशनों की सुविधा सर्वसुलभ नहीं है, इसलिए मास्को में ही इसे प्रकाशित करवाने के बारे में राजनयिक स्तर पर पत्रव्यवहार चल रहा है। अनुमति प्राप्त होते ही इसे प्रकाशन के लिए भेज दिया जाएगा।

रूसी पक्ष वाली रूसी-हिंदी वार्तालाप पुस्तिका के लिए निदेशालय ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजकर उसके पुनरीक्षण में मदद की थी। पुस्तिका मास्को के रूसी भाषा प्रकाशन-गृह से प्रकाशित

हो चुकी है। पाद-टिप्पणी में इतना उल्लेख है कि "इस रूसी-हिंदी वार्तालाप पुस्तिका के संकलन में रूसी भाषा प्रकाशन गृह मास्को और केंद्रीय हिंदी निदेशालय (दिल्ली) के विशेषज्ञों ने भाग लिया।"

3.6.7 हिंदी-फ्रांसीसी तथा फ्रांसीसी-हिंदी वार्तालाप पुस्तिकाएँ

भारत और फ्रांस सरकारों के बीच हुए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (78-79) की मद संख्या 9 के अंतर्गत यह कार्य होना था। भारत में इस निदेशालय को और फ्रांस में राष्ट्रीय पूर्वी भाषा और संस्कृति संस्थान, पेरिस को यह कार्य करना था। पुस्तिका का आकार और रूपबंध अन्य पुस्तिकाओं की ही तरह निश्चित हुआ। इस कार्य के सिलसिले में एक सदस्यीय फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल सितंबर-अक्टूबर, 78 में भारत आया। दोनों पुस्तिकाओं का अधिकांश कार्य पूरा हो गया था और केवल पुनरीक्षण शेष था कि 78-79 के बाद भारत-फ्रांसीसी सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम में इस मद की पुनः पुष्टि न होने से कार्य बीच में ही रोक देना पड़ा।

3.6.8 प्रकीर्ण योजनाएँ

वर्ष 1974-75 में यह प्रस्ताव हुआ था कि दो व्यक्तियों को छात्रवृत्ति देकर मंगोलिया भेजा जाए, जो वहाँ रहकर उनकी भाषा, संस्कृति, साहित्य और सभ्यता का अध्ययन करें तथा बाद में भारत लौटकर हिंदी-मंगोल भाषा संबंधी आवश्यक साहित्य तैयार करें। समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, इसलिए यह योजना ठप्प हो गई।

इसी तरह हिंदी-इतालवी और इतालवी-हिंदी कोश-संकलन का प्रस्ताव रोम स्थित इतालवी संस्थान ने भेजा था। यह योजना भी फलीभूत नहीं हो सकी।

वर्ष 1984-85 के लिए फ्रांस सरकार के साथ तथा वर्ष 1985-87 के लिए मेक्सिको के साथ हुए करारों के अनुपालन में निदेशालय को क्रमशः फ्रांसीसी-हिंदी तथा स्पेनी-हिंदी कोश तैयार करने होंगे। वर्ष 85 के अंत तक इन दोनों देशों की सहयोगी संस्थाओं के नाम जानने के बारे में पत्र भेजे जा चुके हैं। निश्चित जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद कार्य-योजना बनाई जाएगी।

अध्याय 4

विविध अनुसंधान योजनाएँ

4.1 देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण

4.1.1 मानक देवनागरी वर्णमाला—देवनागरी लिपि में सुधार करने की आवश्यकता कुछ तो उसके वर्णों (अक्षरों) का मानक रूप निर्धारित करने के कारण और कुछ टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर (अब कंप्यूटर भी) तथा मुद्रण की आवश्यकताओं के कारण महसूस हुई थी। लखनऊ सम्मेलन में देवनागरी वर्णमाला का जो रूप निश्चित हुआ था, उसे अगस्त, 58 में तत्कालीन हिंदी प्रभाग (शिक्षा मंत्रालय) ने शिक्षा मंत्री सम्मेलन में रखा और स्वीकृत करवाया। अंततः भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद सन् 66 में निदेशालय ने 'मानक देवनागरी वर्णमाला' संबंधी अंग्रेजी और हिंदी में पुस्तिकाएँ और चार्ट प्रकाशित किए। इनका व्यापक स्तर पर निःशुल्क वितरण किया गया।

4.1.2 हिंदी वर्णमाला : लेखन विधि—प्रायः देखा गया है कि हिंदी लिखते समय लोग देवनागरी वर्णमाला में प्रयुक्त वर्णों, शिरोरेखाओं और मात्राओं की लिखावट में एक निश्चित दिशा-पद्धति का निर्वाह नहीं करते। प्रारंभिक पाठशालाओं से ही इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाते समय तो इस प्रसंग में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए निदेशालय ने 'हिंदी वर्णमाला : लेखन विधि' चार्ट तैयार किया। इसे पत्राचार द्वारा हिंदी सीखने वाले प्रत्येक छात्र को भेजा जाता है। यही नहीं, 'बेसिक हिंदी व्याकरण' (अंग्रेजी संस्करण) के नवीन संस्करणों में इसकी प्रति भी जोड़ दी गई है।

4.1.3 परिवर्धित देवनागरी—समस्त देश की भाषाओं के लिए समान लिपि के रूप में देवनागरी के प्रयोग की परिकल्पना बहुत पुरानी है। इस विषय में अनेक व्यक्तिगत और संस्थागत प्रयास हुए हैं और हो रहे हैं। इस दिशा में आचार्य विनोबा भावे तथा नागरी लिपि परिषद् के प्रयत्न उल्लेखनीय हैं।

सभी भारतीय भाषाओं को एक अतिरिक्त लिपि के रूप में देवनागरी के माध्यम से भी अभिव्यक्त किया जा सके, इसके लिए निदेशालय में अनुसंधान कार्य हुआ है। सन् 61 में एक भाषा विशेषज्ञों की समिति गठित की गई जिसने इसे परखा और व्यापक विचार-विमर्श के बाद अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी। इस पर राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं और अन्य विद्वानों की सम्मतियाँ आमंत्रित की गईं। निर्णयों के प्रारूप पर भारत सरकार का अनुमोदन मिल

जाने के बाद सन् 66 में 'परिवर्धित देवनागरी' पुस्तिका प्रकाशित की गई। इसमें परिवर्धित देवनागरी के स्वरूप के साथ-साथ सभी भारतीय भाषाओं और परिवर्धित देवनागरी के तुलनात्मक चार्ट भी दिए गए हैं। यह पुस्तिका व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए निःशुल्क वितरित की गई। अब इसकी प्रतियाँ अनुपलब्ध हैं। पर इस चार्ट को व्याकरण की पुस्तिका में जोड़ दिया गया है।

4.1.4 हिंदी वर्तनी का मानकीकरण

लिपि का एक पक्ष वर्तनी भी है। एक ही वर्ण को अनेक प्रकार से लिखने या एक ही शब्द को एकाधिक रूपों में प्रकट करने से भाषा को सीखने-सिखाने में कठिनाई होना स्वाभाविक है। हिंदी वर्तनी में एकरूपता लाने के लिए 1961 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई। सन् 62 में उसने जो सिफारिशें कीं उन्हें भारत सरकार के अनुमोदन से 1967 में 'हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' शीर्षक पुस्तिका में व्याख्या तथा उदाहरण सहित प्रकाशित किया गया। इसमें संयुक्त वर्णों के लेखन; परसर्गों अथवा विभक्तियों के प्रयोग; क्रियापद; हाइफन; अव्यय; श्रुतिमूलक य-व, अनुस्वार, अनुनासिक तथा चंद्रबिंदु; विदेशी ध्वनियाँ; हल् चिह्न विसर्ग; ऐ, औ का प्रयोग; विराम चिह्न आदि से संबंधित नियम दिए गए। इस पुस्तिका का दूसरा संस्करण 1975 में निकला।

कालांतर में हिंदी वर्तनी में उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त कुछ अन्य विसंगतियाँ भी ध्यान में आईं, जैसे : संख्यावाचक युग्मों का लेखन; शब्दकोशों की प्रविष्टियों में अनुस्वार-युक्त वर्णों का क्रम निर्धारण; पुस्तकों और करारों में पैरा, उपपैरा का क्रमांकन; संक्षिप्तियों का लेखन आदि। अतः यह उचित समझा गया कि इनकी एकरूपता के बारे में भी विचार-विमर्श कर लिया जाए। तदनुसार फरवरी, 80 में भाषाविज्ञानियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपर्युक्त संदर्भों में आवश्यक निर्णय लिए गए।

अब तक के समस्त प्रयासों को 'देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' नामक पुस्तिका के रूप में सन् 83 में प्रकाशित किया गया। पुस्तिका की पैंतीस हजार प्रतियाँ मुद्रित की गईं, जिनका तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर निःशुल्क वितरण किया गया।

निदेशालय में इस प्रकार के अनुसंधान कार्य के लिए एक एकक बनाया गया है जो इन विषयों में निरंतर शोध-खोज का काम कर रहा है। पर अब अनुसंधान कार्य से भी अधिक आवश्यकता इस बात की महसूस की जा रही है कि अब तक निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। देखा यह गया है कि समन्वय और जागरूकता के अभाव में निदेशालय और आयोग के प्रकाशनों यें भी अधिकांश नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इस प्रसंग में अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। साथ ही मुद्रकों, टाइप फाउंड्रियों के निर्माताओं, समाचार पत्रों के संपादकों, प्रकाशकों आदि के समय-समय पर सम्मेलन बुलाए जाने चाहिए ताकि अधिकाधिक एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

4.2 बेसिक हिंदी शब्दावली

यह योजना निदेशालय के पूर्व रूप 'हिंदी प्रभाग' (शिक्षा मंत्रालय) में पूरी हुई थी। हिंदी शिक्षा समिति ने अपनी 5 नवम्बर, 54 की बैठक में इस बात पर बल दिया था कि अहिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी पाठमालाएँ तैयार करते समय शब्दावली में एकरूपता लाने के लिए बेसिक हिंदी शब्दावली तैयार की जाए। तदनुसार एक उपसमिति के मार्गदर्शन में दो हजार शब्दों की सूची तैयार की गई और राज्यों से कहा गया कि हिंदी पाठमालाओं में उनका उपयोग किया जाए। उनको यह भी छूट दी गई कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र में प्रचलित लगभग 500 शब्द इसमें जोड़ सकते हैं।

इसके बाद हिंदी शिक्षा समिति ने फरवरी, 55 में यह प्रस्ताव भी पारित किया कि 500 शब्दों की भी एक अलग से बेसिक हिंदी शब्दावली बनाई जाए।

तदनुसार दोनों शब्दावलियाँ तैयार की गईं और इन्हें 1958 में प्रकाशित किया गया। दो हजार वाली शब्दावली में 1321 संज्ञाएँ, 307 क्रियाएँ, 149 विशेषण, 71 क्रियाविशेषण, 106 संख्यावाचक शब्द, 6 क्रमसूचक संख्यावाचक शब्द, 23 सर्वनाम, 11 संयोजक, 8 परसर्ग और 5 विस्मयादिबोधक शब्द हैं।

4.3 हिंदी टाइपराइटर और हिंदी टेलीप्रिंटर के कुंजीपटलों का मानकीकरण

हिंदी टंकण की गति बढ़ाने तथा उसे अधिक सरल और वैज्ञानिक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नियुक्त हिंदी टाइपराइटर तथा टेलीप्रिंटर समिति ने सन् 1962 में हिंदी टाइपराइटर के लिए एक मानक कुंजीपटल बनाया। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी इस क्षेत्र में काम किया था क्योंकि मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। एक ही लिपि अर्थात् देवनागरी के लिए दो भिन्न-भिन्न कुंजीपटल स्वीकार करना वांछनीय नहीं समझा गया। अतः 1963 में केंद्रीय सरकार और महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई और देवनागरी कुंजीपटल को अंतिम रूप दिया गया।

1964-65 में देवनागरी (हिंदी-मराठी) कुंजीपटल को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। 15 मार्च, 64 को एक प्रेस नोट द्वारा इसे घोषित कर दिया गया। कालांतर में विशेषज्ञों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए 1969 में संशोधित कुंजीपटल घोषित किया गया।

निदेशालय ने टाइपराइटर की कुंजियों पर अंगुलि-संचालन संबंधी एक रंगीन चार्ट भी तैयार किया। उसे सचिवालय प्रशिक्षणशाला द्वारा मुद्रित करवा कर सरकारी कार्यालयों में वितरित किया गया ताकि नए सिरे से हिंदी टाइपिंग सीखने वालों को सुविधा हो।

उठाऊ (पोर्टेबल) टाइपराइटर के बारे में भी 1974 में सुझाव दिए गए। टाइपराइटर

कुंजीपटल संबंधी समिति ने ही अप्रैल, 66 में हिंदी टेलीप्रिंटर कुंजीपटल के बारे में भी सिफारिशें कीं । मार्च, 69 में संचार राज्यमंत्री के सुझाव पर इसी प्रस्तावित हिंदी टेलीप्रिंटर कुंजीपटल को ही सभी भारतीय भाषाओं के अनुकूल बनाने पर विचार-विमर्श शुरू हुआ और उसमें परिवर्धित देवनागरी के अनुसार विशेषक चिह्न जोड़कर उसे अक्तूबर, 70 तक अंतिम रूप दे दिया गया ।

बाद में ये दोनों कार्य राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को सौंप दिए गए ।

पिछले कुछ वर्षों से संचार मंत्रालय के तत्वावधान में देवनागरी/देवनागरी-रोमन इलेक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटर पर काम हो रहा है । आशा है, शीघ्र ही यह टेलीप्रिंटर हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्ज लिमिटेड, मद्रास और फ्रांस की साजेम (SAGEM) कंपनी द्वारा तैयार होकर बाजार में उपलब्ध हो जाएगा । देवनागरी रूपांकन संबंधी सभी तकनीकी विशिष्टियों के निर्धारण में निदेशालय ने उन्हें सहयोग दिया है ।

4.4 आशुलेखन प्रणाली का मानकीकरण

हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त आशुलेखन प्रणाली का मानकीकरण करने के उद्देश्य से हिंदी तथा 9 अन्य भारतीय भाषाओं (असमियां, उड़िया, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगला, मराठी और मलयालम) के स्वनिमिक और रूपिमिक विश्लेषण की योजना 'हिंदी प्रभाग' के काल में ही बन गई थी । यह कार्य विभिन्न विश्वविद्यालयों और दक्कन कॉलेज, पुणे को वित्तीय अनुदान देकर पूरा करवाया गया ।

हिंदी में हुए इस विश्लेषण कार्य को आधार बनाकर तथा हिंदी में प्रचलित आशुलिपि पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन करके गृह मंत्रालय के संबंधित प्रभाग/विभाग के सहयोग से एक मानक आशुलिपि पद्धति विकसित की गई । इसे 'मानक आशुलिपि' नामक पुस्तिका के रूप में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रकाशन संस्थान ने प्रकाशित किया जिसके अनुसार हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

यह योजना अब राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है ।

4.5 आदिम जातियों की बोलियों/उपभाषाओं के लिए देवनागरी लिपि

जिन विभिन्न आदिवासी बोलियों और उपभाषाओं की अपनी लिपियां नहीं हैं, उनके लिए देवनागरी लिपि के प्रयोग की संभावनाओं पर विचार करने की बात निदेशालय की स्थापना के साथ ही शुरू हो गई थी । सबसे पहले मणिपुर और त्रिपुरा की बोलियों का स्वन-विश्लेषण करवा कर विशिष्ट स्वनों के लिए उपयुक्त विशेषक चिह्नों का निर्धारण किया गया । यह कार्य 1962 में शुरू हुआ और गौहाटी विश्वविद्यालय को इसके लिए वित्तीय अनुदान दिया गया । 66-67 में स्वन-विश्लेषण के पूरा हो जाने पर दक्कन कॉलेज, पुणे से उस पर सम्मति माँगी गई और सुझावानुसार संशोधन किए गए ।

इसी तरह कोंकणी, संताली, गोंडी, भीली, मुंडारी, हो, कुरुख (औराँव) तथा तत्कालीन नेफा की बोलियों पर तत्संबंधी राज्यों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों की सहायता से काम किया गया। विशेषज्ञ समिति ने जनवरी, 69 तक जो अन्वेषण कार्य किया उसे मंत्रालय के निर्णयानुसार भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर को सौंप दिया गया।

4.6 राजभाषा हिंदी के बोलचाल के स्वरूप का सर्वेक्षण

हिंदी सलाहकार समिति ने अपनी 2 अप्रैल, 81 की बैठक में यह सिफारिश की कि राजभाषा हिंदी के बोलचाल के स्वरूप का सर्वेक्षण किया जाए। इसके लिए अगस्त, 81 में एक समन्वय समिति गठित की गई जिसमें केंद्रीय सरकार की हिंदी तथा भारतीय भाषाओं से संबंधित सभी संस्थाओं के निदेशक/प्रतिनिधि, साहित्य अकादेमी, रा० शै० अ० प्र० प० के प्रतिनिधि तथा तीन भाषाविज्ञानी सदस्य थे। इस योजना के अनुसार हिंदी के विभिन्न उच्चारणों का भाषा-वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया जाना है, वरन् राजभाषा हिंदी के बोलचाल के स्वरूप का सर्वेक्षण कर उसके मानक रूप का पता लगाया जाना है ताकि अंतर्विभागीय वार्तालाप, सरकार और जन सामान्य के बीच हिंदी में बोलचाल की भाषा को बढ़ावा मिल सके तथा सरकारी कामकाज में बोलचाल की हिंदी की मानक शब्दावली और उसका वाक्य-विन्यास सुनिश्चित हो सके।

समन्वय समिति ने एक डिजाइन समिति गठित की, जिसने योजना का प्रारूप और प्रक्रिया निर्धारित की एवं वित्तीय पक्ष के आकलन के साथ प्रश्नावली भी बनाई। समन्वय समिति ने इन्हें स्वीकार कर लिया।

उक्त सर्वेक्षण कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया जाना तय हुआ। तदनुसार पहले वर्ष योजना की विस्तृत रूपरेखा तय की गई। अनुमान लगाया गया कि पूरे सर्वेक्षण कार्य में लगभग साढ़े तीन लाख रुपया खर्च होगा।

तय हुआ कि सर्वेक्षण कार्य में केंद्रीय हिंदी निदेशालय को केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा; क० मुं० हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, आगरा; दिल्ली विश्वविद्यालय का भाषाविज्ञान विभाग, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली सहायता प्रदान करेंगे।

यह भी तय हुआ कि सर्वेक्षण कार्य सात संदर्भों (कृषि, पुलिस, विधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन और डाकतार/बैंक तथा चार स्तरों (केंद्र, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों) पर किया जाएगा। यह सर्वेक्षण गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार का होगा। मात्रात्मक प्रकार का विश्लेषण कंप्यूटर द्वारा करवाया जाएगा।

समन्वयकर्त्ताओं, सर्वेक्षण विशेषज्ञों और सर्वेक्षकों की पहली सम्मिलित बैठक हो चुकी है

जिसमें प्रश्नावली और सर्वेक्षण के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। मेरठ और रोहतक केंद्रों का पहला पायलट सर्वेक्षण किया जा चुका है और प्रश्नावली छपने के लिए दी जा चुकी है।

यह निश्चय हुआ है कि योजनावधि के पहले दो वर्षों में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया जाए और तदनंतर सर्वेक्षण की रिपोर्ट 89-90 तक प्रस्तुत कर भेजी जाए।

4.7 पुस्तक प्रकाशन सर्वेक्षण

शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी शिक्षा समिति की दिनांक 13-12-85 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 7 के अनुसार विदेशी विद्यालयों में हिंदी शिक्षा के लिए अपेक्षित संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने और उन विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक अपेक्षाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए निदेशालय में एक शोध कक्ष की स्थापना किए जाने की सिफारिश की गई है। इसी कक्ष के माध्यम से हिंदी शिक्षण के स्तर-निर्धारण और पुस्तकों के वितरण का कार्य भी किया जा सकता है।

इसी प्रसंग में 'हिंदी भाषा के प्रकाशन' नामक त्रिभाषा प्रश्नावली (हिंदी/अंग्रेजी/फ्रांसीसी) तैयार की गई और उसे 246 विदेशी विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों, शोध-संस्थानों और व्यक्तियों को भेजा गया।

प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। विश्लेषण के बाद उद्देश्यानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय 5

प्रकाशन योजनाएँ

5.1 आवधिक प्रकाशन : पत्र-पत्रिकाएँ

विगत पच्चीस वर्षों में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के तत्वावधान में पत्र-पत्रिकाओं के अथवा पुस्तकाकार रूप में जो आवधिक प्रकाशन निकले या निकल रहे हैं, उनका विवरण आगे दिया जा रहा है।

5.1.1 'भाषा' (त्रैमासिक)*

निदेशालय के मुखपत्र के रूप में इस त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन अगस्त 1961 से शुरू हुआ। इसके उद्देश्य निम्नलिखित स्थिर किए गए थे—

—शिक्षा, कला, विज्ञान, अनुसंधान, कानून और शासन आदि के लिए अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण कर हिंदी को समृद्ध करना।

—हिंदी को सब प्रकार की अभिव्यक्ति का सशक्त और प्रभावशाली साधन बनाने के उद्देश्य से उसकी प्रकृति के अनुकूल प्रादेशिक भाषाओं का सहयोग लेना।

—समस्त भारतीय भाषाओं के बीच समानता की खोज करना और आदान-प्रदान का द्वार मुक्त करना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 'भाषा' नियमित रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में प्रकाशित होती है। यदाकदा इसके विशेषांक भी अतिरिक्त अंकों के रूप में या नियमित अंकों के संयुक्तांकों के रूप में प्रकाशित हुए हैं।

आरंभ में यह पत्रिका 'डिमाई' आकार की थी। सन् 79 से यह ए-4 (क्राउन-क्वार्टो) में छप रही है। इसकी पृष्ठ संख्या 100 और 200 के बीच घटती-बढ़ती रही है। मूल्य अपेक्षाकृत अधिक स्थिर रहा। आरंभ में इसका चंदा 3.50 रु० वार्षिक था और अब 10/- रु० है। वर्तमान समय में इसकी 900 से 1000 तक प्रतियाँ छपती हैं।

समस्त भारतीय भाषाओं के बीच समानता की खोज करने और परस्पर आदान-प्रदान के

---

*टिप्पणी—विस्तृत जानकारी के लिए द्रष्टव्य: (1) 'भाषा' पत्रिका के पच्चीस वर्ष—डॉ० कैलाशचंद्र भाटिया, 'भाषा' सितंबर 85, पृ० 133-49

लिए एक सुदृढ़ मंच प्रस्तुत करने के लिए इसमें सामान्यतः भारतीय भाषाओं और साहित्य के क्रमिक विकास, उनके तुलनात्मक अनुवाद और शब्दावली-निर्माण की समस्याओं, विदेशों में हिंदी की प्रगति आदि से संबंधित लेख तथा भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों के हिंदी से प्रादेशिक भाषाओं में और प्रादेशिक भाषाओं से हिंदी में रूपांतर अलग-अलग स्तंभों के अंतर्गत प्रकाशित किए जाते हैं। कुछ स्तंभ स्थिर रहे हैं तो कुछ में परिवर्तन होता रहा है। संदर्भ और अनुवाद की दृष्टि से इस पत्रिका का स्थायी महत्व है।

साहित्यिक अनुवादों में पहले संबंधित भाषा की लिपि ही प्रयुक्त होती थी, पर बाद में सभी प्रादेशिक भाषाओं के लिए परिवर्धित देवनागरी का प्रयोग किया जाने लगा ताकि सहलिपि के रूप में देवनागरी का प्रचार-प्रसार हो और मुद्रण में भी कठिनाई न आए।

पत्रिका के लिए एक संपादन परामर्श मंडल की व्यवस्था है जिसमें यदा-कदा परिवर्तन-परिवर्धन होता रहा है। आरंभ से अब तक चार संपादक बने हैं।

इसके महत्वपूर्ण विशेषांकों की सूची इस प्रकार है—शांतिरक्षा अंक (जून, 64) द्विवेदी स्मृति अंक (अगस्त, 64), लिपि विशेषांक (68), हिंदी भाषाविज्ञान अंक (73), विश्व हिंदी सम्मेलन अंक (75), बाल विशेषांक (79), प्रेमचंद विशेषांक (81), विश्व हिंदी सम्मेलन अंक (83), रजत जयंती विशेषांक (मार्च-जून 85) और रजत जयंती परिशिष्टांक (सितंबर, 85)।

पत्रिका का मुद्रण भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक में होता है।

5.1.2 वार्षिकी

पहले 'हिंदी समाचार जगत' मासिक के नाम से एक साइक्लोस्टाइल पत्रिका निकलती थी। इसके स्थान पर सन् 70 से 'हिंदी वार्षिकी' का प्रकाशन शुरू हुआ। यह दो खंडों—साहित्य और भाषा—में विभाजित थी। साहित्य-खंड के अंतर्गत विभिन्न साहित्यिक विधाओं के सर्वेक्षण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के वार्षिक सर्वेक्षण, हिंदीतर भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनूदित पुस्तकों की समीक्षा तथा वर्ष भर में प्रकाशित विशिष्ट साहित्यिक और वैज्ञानिक पुस्तकों की समीक्षा से संबंधित लेख प्रकाशित हुए। भाषा खंड में हिंदी भाषा के विकास में संलग्न संस्थाओं का परिचय, विदेशों में हिंदी की प्रगति, शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के विकास की प्रक्रिया, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग तथा हिंदी के प्रचार और प्रसार से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही विविध साहित्यिक गतिविधियों तथा साहित्यिक समारोहों के समाचार प्रकाशित किए गए।

सन् 73 में इसका नाम 'वार्षिकी' कर दिया गया। उद्देश्य यह रहा कि वार्षिकी विभिन्न भारतीय भाषाओं और साहित्य की अंतर्धाराओं के बीच समन्वय लाने के लिए एक सुदृढ़ सेतु का

काम करे। निश्चय किया गया कि इसमें सभी 15 भारतीय भाषाओं का साहित्य-सर्वेक्षण चार खंडों में भाषावर्ग-वार प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही, हिंदीतर भारतीय भाषाओं की उसी वर्ष में प्रकाशित श्रेष्ठ दो कविताओं और दो कहानियों के हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किए जाएँगे।

सर्वेक्षण-लेख समय पर प्राप्त नहीं हो सके, इसलिए 1973 तथा 1974 की वार्षिकी का प्रकाशन स्थगित कर दिया गया। 1975 की वार्षिकी के चारों खंड अलग-अलग जिल्दों में प्रकाशित हुए। 76-77 की वार्षिकी को संयुक्तांक के रूप में तथा 78 को एक-एक जिल्द में पूर्व निश्चयानुसार ही प्रकाशित किया गया। सन् 78 की वार्षिकी में संस्कृत भाषा का सर्वेक्षण सम्मिलित नहीं है।

सर्वेक्षण लेखों के समय पर प्राप्त न होने, दिवंगत लेखकों की कृतियों के प्रकाशनाधिकार प्राप्त करने में कई कठिनाइयाँ आने तथा लेखकों के लिए पारिश्रमिक राशि अत्यल्प होने आदि कारणों पर ध्यान देते हुए मूल्यांकन समिति के सुझाव पर यह निश्चय हुआ कि भविष्य में वार्षिकी को चार खंडों में विभाजित न कर संपूर्ण सर्वेक्षण तथा आकलन सामग्री को एक ही जिल्द में प्रकाशित किया जाए। तदनुसार वर्ष 79, 80-81 (संयुक्तांक), 82-83 (संयुक्तांक) की वार्षिकी प्रकाशित की गई है। वर्ष 84 की वार्षिकी मुद्रणाधीन है। 85 की वार्षिकी का संपादन हो रहा है।

वार्षिकी के सभी अंक भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में पिरोने वाले महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ हैं। इनमें वर्ष विशेष में हुई प्रत्येक भाषा के साहित्य की प्रगति की संक्षिप्त जानकारी के साथ-साथ उनके तुलनात्मक विवेचन के लिए महत्वपूर्ण आधार-सामग्री उपलब्ध होती है।

5.1.3. यूनेस्को 'दूत'

यूनेस्को के तत्त्वावधान में विश्व-विश्रुत अंग्रेजी पत्रिका यूनेस्को 'कूरियर' का प्रकाशन पैरिस से होता है। यह मासिक पत्रिका है और इसका रूपांतर विश्व की 32 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है।

इस पत्रिका के हिंदी संस्करण का दायित्व निदेशालय को 1967 में सौंपा गया। बीच में यह कार्य राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को हस्तांतरित कर दिया गया था, पर 76 में इसे पुनः निदेशालय को सौंप दिया गया। तब से अब तक इसका प्रकाशन निरंतर निदेशालय ही कर रहा है। हिंदी संस्करण की 3000 प्रतियाँ प्रकाशित होती हैं। प्रति अंक मूल्य 2 रु० और वार्षिक 20 रु० है।

संपादन, प्रकाशन आदि के लिए यूनेस्को से वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है। पिछले वर्ष (85 में) अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों के यूनेस्को की सदस्यता त्याग देने से जो वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ, उसके परिणाम-स्वरूप इसके प्रकाशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी; परंतु फिलहाल दिसंबर, 86 तक वित्तीय अनुदान का नवीकरण हो गया है।

प्रकाशन संबंधी प्रक्रम यह है कि अंग्रेजी संस्करण का जो अंक जिस मास में प्रकाशित होता है, उसका हिंदी संस्करण तीसरे मास में प्रकाशित किया जाता है; क्योंकि यूनेस्को मुख्यालय से मूल सामग्री प्राप्त होने और उसका अनुवाद करवा कर संपादन-मुद्रण करने में इतना समय लग जाना स्वाभाविक ही है।

पत्रिका का मुद्रण पहले थामसन प्रेस, फरीदाबाद में होता था, किंतु पिछले कुछ वर्षों से यह कार्य भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक में हो रहा है।

5.2 साहित्यिक प्रकाशन

आवधिक पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त निदेशालय ने निम्नलिखित स्तरीय और महत्वपूर्ण योजनाएँ हाथ में ली हैं :

5.2.1 भारतीय साहित्यमाला

समस्त भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता को समझने तथा पारस्परिक सद्भावना सूत्रों के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए सभी भाषाओं के साहित्य की जानकारी प्रत्येक साहित्य मर्मज्ञ के लिए आवश्यक है। इस विचार से संविधान में स्वीकृत सभी भाषाओं के बारे में हिंदी के माध्यम से प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय साहित्यमाला के प्रकाशन की योजना बनाई गई है। इस योजना का श्री गणेश 1966 में हुआ।

पहला महत्वपूर्ण प्रकाशन 'भारतीय भाषाओं के साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' है जो 1974 में निकला था। इसमें संविधान स्वीकृत सभी भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य पर विद्वान लेखकों द्वारा संक्षिप्त विवरणात्मक लेख लिखवा कर प्रकाशित किए गए हैं। इस पुस्तक का मूल्य 23 रु० है।

विधावार प्रकाशनों की कड़ी में पहला और 'भारतीय साहित्यमाला' का दूसरा प्रकाशन 'भारतीय कहानी' था, जो 76 में निकला। इसमें प्रत्येक आधुनिक भारतीय भाषा की दो-दो कहानियाँ हिंदी अनुवाद के रूप में संकलित की गई हैं। इनमें से एक कहानी स्वतंत्रता पूर्व के साहित्य से ली गई है और दूसरी स्वातंत्र्योत्तर साहित्य से। इसका मूल्य 14 रु० है।

'भारतीय निबंध' का प्रकाशन 1982 में हुआ। इसमें प्रत्येक आधुनिक भारतीय भाषा के महत्वपूर्ण लेखकों के तीन-तीन निबंधों का हिंदी रूपांतर प्रस्तुत किया गया है। पहला निबंध स्वतंत्रतापूर्व के साहित्य से चुना गया है, और शेष दोनों स्वातंत्र्योत्तर साहित्य से संकलित किए गए हैं।

इसी तरह 'भारतीय कविता' और 'भारतीय एकांकी' भी तैयार किए गए। 'भारतीय

कविता' में प्रत्येक हिंदीतर भाषा की 10-10 कविताओं का हिंदी रूपांतर किया गया है। इनमें से 4-4 कविताएँ स्वतंत्रतापूर्व के काव्य से चुनी गई हैं और शेष स्वातंत्र्योत्तर काव्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। हिंदी की 14 कविताएँ संकलित हैं, जिनमें से 8 स्वतंत्रता के पहले की हैं और 6 स्वतंत्रता के बाद की। यह संकलन मुद्रणाधीन है। 'भारतीय एकांकी' का संपादन हो रहा है।

मूल्यांकन समिति ने भारतीय साहित्यमाला योजना को भारतीय साहित्य और भारतीय भाषाओं का समन्वित स्वरूप प्रकट करने वाली अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना माना है। वर्तमान प्रकाशनों के अतिरिक्त उसने सुझाव दिया है कि (1) भारतीय काव्य में राष्ट्रीय चेतना, (2) भारतीय संत काव्य, (3) भारतीय उपन्यास, (4) भारतीय नाटक और रंगमंच जैसे संकलन भी प्रकाशित होने चाहिए। 'भारतीय काव्य में राष्ट्रीय चेतना' नामक प्रकाशन पर कार्य शुरू हो गया है।

5.2.2. सूर शतक

तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय ने सूर पंचशती समारोह के अवसर पर (जो मई, 78 से प्रारंभ हुआ था) महाकवि सूरदास के 100 उत्कृष्ट पदों के अनुवाद और प्रकाशन की अपनी योजना को कार्यान्वित करने का दायित्व निदेशालय को सौंपा था। तदनुसार 10 भारतीय भाषाओं (असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, पंजाबी, मराठी, मलयालम और सिंधी) में उनका अनुवाद कवि हृदय वाले दोनों भाषाओं के विद्वानों से करवाया गया। इनमें से 4 सन् 80 तक सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रकाशित हो गए थे। प्रत्येक में एक पृष्ठ पर देवनागरी में सूर का पद और उसके सामने वाले पृष्ठ पर संबंधित भाषा की लिपि में उसका अनुवाद दिया गया है। शेष छहों अनुवादों का प्रकाशन मंत्रालय के शताब्दी कोष्ठ से वित्तीय संस्वीकृति न मिलने के कारण संभव नहीं हो सका है। निदेशालय इसके बारे में अभी तक प्रयत्नशील है।

5.2.3 शब्दानुक्रमणिकाएँ

जब वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों की पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जा रहा था, तब इस बात का अनुभव किया गया कि हिंदी के प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य में प्रयुक्त शब्द-भंडार का भली-भाँति मंथन किया जाए ताकि पारिभाषिक संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले उपयुक्त शब्दों को संगृहीत किया जा सके। यह भी सोचा गया कि ये शब्द आगे चलकर हिंदी के उच्चकोटि के कोश तैयार करने में भी सहायक होंगे। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हिंदी के महत्वपूर्ण ग्रंथों की शब्दानुक्रमणिकाएँ तैयार करने का काम द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में शुरू किया गया। 12 शब्दानुक्रमणिकाएँ तैयार कराने का काम हाथ में लिया गया। प्रकाशित अनुक्रमणिकाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

ग्रंथ	संपादक	प्रकाशक	मूल्य
1. कामायनी	विजयेंद्र स्नातक, भो० ना० तिवारी	के० हिं० निदेशालय	5.00

2. साकेत	सावित्री सिन्हा, उमाकांत गोयल	कें० हिं० निदेशालय	6.50
3. प्रिय प्रवास	विश्वनाथ प्रसाद	-वही-	7.75
4. श्रीधर पाठक के ग्रंथ	क० मा० मुंशी विद्यापीठ, आगरा	-वही-	

वीसलदेव रासो, कबीर ग्रंथावली, जायसी, सूरदास, तुलसीदास (रामचरित मानस को छोड़ कर) केशव आदि की शब्दानुक्रमणिकाएँ तैयार की गई थीं; किंतु उनका प्रकाशन नहीं किया जा सका।

5.2.4. सर्वसंग्रह ग्रंथ

हिंदी के नए-पुराने प्रमुख कवियों और लेखकों की कृतियों को काल-कवलित होने से बचाने के लिए और उन्हें संग्रहों के रूप में सुलभ करने के उद्देश्य से दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वसंग्रह ग्रंथों के संकलन की योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत गंग ग्रंथावली, अब्दुर्रहीम खानखाना (व्यक्तित्व एवं कृतित्व) तथा नागरीदास ग्रंथावली (डा० फैयाज अली, 1974 मूल्य 24.50) संकलन प्रकाशित किए गए।

फोर्ट विलियम कॉलेज के लेखकों के सर्वसंग्रहों की, रामप्रसाद निरंजनी कृत 'योग वाशिष्ठ' की तथा सुभद्राकुमारी चौहान, बालमुकुंद गुप्त, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' एवं जहूरबख्श की कृतियों के सर्वसंग्रहों की पांडुलिपियाँ भी तैयार हो चुकी थीं, किंतु हिंदी शिक्षा समिति के निर्णय के अनुसार इन सर्वसंग्रह ग्रंथों के प्रकाशन का कार्य स्थगित कर दिया गया।

5.2.5. पाठालोचनात्मक संपादन-संशोधन

इस योजना के अधीन कवि महेश कृत 'हमीर रासो' का प्रकाशन हो चुका है। इस योजना का कार्य भी बाद में स्थगित कर दिया गया।

5.3 उर्दू के श्रेण्य ग्रंथों का हिंदी अनुवाद

गुजराल कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने 1982 में यह निश्चय किया कि उर्दू के श्रेण्य ग्रंथों का हिंदी में प्रकाशन केंद्रीय हिंदी निदेशालय के माध्यम से करवाया जाए। इसके लिए जो नामिका गठित की गई उसने इस योजना के कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक समयबद्ध प्रकाशन-व्यवस्था निर्धारित की। तदनुसार पहले चरण में 50 वर्ष से पुराने कुछ काव्य-संकलन, कथा साहित्य और जीवनियाँ प्रकाशित करने का निश्चय हुआ। मंत्रालय का अनुमान था

कि इन ग्रंथों का प्रकाशन निदेशालय की 'प्रकाशक सहयोग योजना' के अंतर्गत किया जाएगा, जबकि ये ग्रंथ उस योजना की परिधि में नहीं आते थे। जब इस तथ्य की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया गया और इस नई योजना के लिए बजट माँगा गया तो निदेशालय को अनौपचारिक रूप से यह बताया गया कि मंत्रालय इस पर नए सिरे से पुनर्विचार करेगा और भविष्य में अपनाई जाने वाली नई वृहत् प्रकाशन योजना में इसे स्वीकार करेगा। तब से निदेशालय के स्तर पर यह मामला निलंबित कर दिया गया है।

5.4 प्रकाशकों के सहयोग से लोकप्रिय पुस्तकों का प्रकाशन

प्रकाशकों के सहयोग से हिंदी में लोकप्रिय पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन की योजना सन् 1961 में शुरू हुई। तब लोकप्रिय पुस्तकों से अभिप्राय ऐसी तकनीकी और वैज्ञानिक पुस्तकों से था जो सरल भाषा-शैली में लिखी हुई हों और सामान्य जनता के ज्ञानवर्धन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें। आरंभ में इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रंथों का प्रकाशन भी किया जाता था। परंतु सन् 65 में जब से मानक ग्रंथों के प्रकाशन का कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंप दिया गया, तब से इस योजना में केवल लोकप्रिय पुस्तकों का प्रकाशन किया जाने लगा। योजना के फलक का विस्तार करते हुए इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विषयों का भी समावेश समय-समय पर किया जाता रहा। इस योजना के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :

—वैज्ञानिक ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का प्रसार तथा विकास।

—राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता और मानवतावादी मूल्यों का विकास, और

—आधुनिक ज्ञान-विज्ञान पर बल देते हुए जनसाधारण के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि।

यह योजना मार्च, 85 तक निर्बाध गति से चलती रही। इसी वर्ष शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय ने एक वृहत् प्रकाशन योजना बनाई और इस आशा के साथ कि निदेशालय में कार्यान्वित की जा रही योजना का अंतर्भाव भी इसी वृह्त योजना में हो जाएगा, प्रकाशक सहयोग योजना को वित्त वर्ष 85-86 से बंद कर दिया गया।

पिछले पच्चीस वर्षों तक चलती रही इस योजना के अंतर्गत प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत मौलिक अथवा अनूदित पुस्तकों के प्रस्तावों पर एतदर्थ गठित पुस्तक चयन समिति विचार करती थी। स्वीकृत पुस्तकों के संबंध में लेखन, अनुवाद, पुनरीक्षण, प्रकाशन तथा कापीराइट आदि की व्यवस्था प्रकाशक के अधीन ही रहती थी। पुस्तक की, कुछ अपवादों को छोड़कर, कम-से-कम तीन हजार प्रतियाँ छपवाना अनिवार्य था। पुस्तक का मूल्य भारत सरकार के मुख्य नियंत्रक, मुद्रण और लेखन-सामग्री द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार लागत के तीन गुने तक निदेशालय द्वारा निश्चित किया जाता था। प्रकाशित होने पर 25% की कटौती कर निदेशालय पुस्तक की एक हजार प्रतियाँ तत्काल

खरीद लेता था। इस प्रकार मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि प्रकाशकों को लागत का अधिकांश सरकार से प्राप्त हो जाता था। निदेशालय द्वारा खरीदी गई प्रतियाँ हिंदीतर भाषी राज्यों की संस्थाओं आदि को वितरित कर दी जाती थीं।

इस योजना के अंतर्गत 382 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनका ब्यौरा परिशिष्ट 7 में दिया गया है।

5.5 वार्तालाप पुस्तिकाएँ

भारत जैसे बहुभाषी महादेश में द्विभाषिक वार्तालाप पुस्तिकाओं की उपयोगिता स्वयं-सिद्ध है। इनकी सहायता से लक्ष्य भाषा के बोले जाने वाले और बातचीत-प्रधान रूप को सीखने में सुविधा हो जाती है। यही नहीं, पर्यटन के अवसर पर ऐसी पुस्तकें एक अच्छे मार्गदर्शक का काम भी करती हैं।

निदेशालय ने सबसे पहले पत्राचार के माध्यम से हिंदी सीखने वाले अहिंदी भाषी भारतीयों और विदेशियों की भाषा-संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहायक पाठ्य सामग्री के रूप में हिंदी-अंग्रेजी (1973) और अंग्रेजी-हिंदी (1976) वार्तालाप पुस्तिकाओं की रचना की। हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषिक वार्तालाप पुस्तिका में 26 विविध प्रसंगों से संबंधित 307 वार्तालाप वाक्य और अभिव्यक्तियाँ तथा 1301 उपयोगी शब्दों की सूची दो भागों में दी गई है। हिंदी वाक्यों और शब्दों का रोमन लिप्यंतरण भी किया गया है। इसी का परिवर्धित और चित्रांकित उलट संस्करण अंग्रेजी-हिंदी वार्तालाप पुस्तिका थी। इसमें सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट सुधीर दर के अनेक सामयिक कार्टून सम्मिलित किए गए। दोनों की क्रमशः दस हजार और सात हजार प्रतियाँ प्रकाशित हुईं जो अब अनुपलब्ध हैं। अंग्रेजी-हिंदी वार्तालाप पुस्तिका का पुनर्मुद्रण 84-85 में किया गया।

तमिल माध्यम से हिंदी सीखने वाले पत्राचार के विद्यार्थियों और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सन् ८0 में तमिल-हिंदी वार्तालाप पुस्तिका प्रकाशित की गई। इसमें सुधीर दर के पहले वाले कार्टून ही समाविष्ट किए गए। पुस्तिका की सात हजार प्रतियाँ प्रकाशित की गईं जो अब लगभग समाप्त हो चुकी हैं। इसका मूल्य 3.75 रु० था।

सन् 80 में ही शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति के निर्णयानुसार निदेशालय ने सभी भारतीय भाषाओं की 26 जेबी द्विभाषिक वार्तालाप पुस्तिकाओं के निर्माण की योजना बनाई। इन पुस्तिकाओं में लगभग 800 वर्गीकृत वाक्य और अभिव्यक्तियाँ तथा 1300 वर्गीकृत शब्द होंगे। हिंदीमूलक वार्तालाप पुस्तिकाओं के प्रथम चरण में सात भाषाओं (असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, बंगला और मलयालम) की पुस्तिकाएँ तैयार हो गई हैं। इनमें से हिंदी-बंगला वार्तालाप पुस्तिका प्रकाशित हो गई है और तमिल तथा मलयालम वाली पुस्तिकाएँ

पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग के अधीन मुद्रणाधीन हैं । शेष पुस्तिकाओं के अनुसंधान और संदर्भ व्यूरो के तत्वावधान में वित्त वर्ष 86-87 में प्रकाशित हो जाने की संभावना है ।

इस नई योजना की सभी वार्तालाप पुस्तिकाओं की विशेषता यह है कि इनमें स्रोत भाषा के वाक्यों को लक्ष्य भाषा की लिपि में और लक्ष्य भाषा के वाक्यों को स्रोत भाषा की लिपि में लिप्यंतरित किया गया है ताकि दोनों सिरों से इनका उपयोग सुविधापूर्वक किया जा सके ।

निदेशालय तीन विदेशी भाषाओं की वार्तालाप पुस्तिकाएँ भी तैयार कर रहा है । इनका उल्लेख सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत अन्यत्र किया गया है ।

5.6 स्वयं-शिक्षक योजना

इस योजना का सूत्रपात उस पत्र के द्वारा हुआ जो तत्कालीन संसद्-सदस्य श्री कालिकासिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा था और उनसे अनुरोध किया था कि भारत की सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के लिए ऐसे द्विभाषी स्वयं-शिक्षकों के प्रकाशन की व्यवस्था की जाए, जिनकी आधार भाषा हिंदी हो । तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में हुए निश्चय के अनुसार दक्षिण भारत की चारों भाषाओं (तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम) के हिंदीमूलक स्वयं-शिक्षकों के निर्माण का काम दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास को सौंपा गया । सभा ने जो पुस्तकें तैयार कीं, उनका प्रकाशन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया ।

स्वयं-शिक्षकों में पहले सभी शब्द और वाक्य अपनी-अपनी लिपियों के साथ नागरी में दिए गए हैं और तब उनका हिंदी में भाषांतर किया गया है । साथ में रेखाचित्र भी दिए गए हैं । इस तरह इनका उपयोग स्वतः शिक्षक के रूप में संबंधित दक्षिण भारतीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी सीखने के लिए भी किया जा सकता है ।

विभिन्न भाषा-भाषी भारतीयों के बीच भाषाई व्यवधान को दूर कर भारत की भावात्मक एकता की पुष्टि करने के उद्देश्य में सफल होने के कारण ये पुस्तकें जन-साधारण के बीच अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई हैं । इसीलिए सन् 83 में इनका पुनर्मुद्रण हुआ । प्रत्येक स्वयं-शिक्षक का मूल्य 5 रु० है ।

5.7 हिंदी व्याकरण

भारतीय संविधान द्वारा हिंदी के राजभाषा के रूप में स्वीकृत हो जाने और देश-विदेश में हिंदी शिक्षण को व्यापक प्रोत्साहन मिलने के बाद इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि भाषा शिक्षण की नवीन प्रणालियों के अनुसार अंग्रेजी में हिंदी का व्याकरण तैयार किया जाए । इसके लिए भारत सरकार ने सन् 54 में एक व्याकरण समिति गठित की, जिसमें डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी, श्री मोटूरी सत्यनारायण (संसद्-सदस्य), डॉ० बाबूराम सक्सेना, श्री जी० पी० नेने, सचिव,

महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना तथा डॉ० आर्येंद्र शर्मा, उस्मानिया विश्वविद्यालय सदस्य थे। समिति के निदेशानुसार डॉ० शर्मा ने 'ए बेसिक ग्रामर ऑफ माडर्न हिंदी' की रचना की, जिसे तत्कालीन हिंदी प्रभाग (बाद में केंद्रीय हिंदी निदेशालय), शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय ने सन् 58 में प्रकाशित किया।

पुस्तक का व्यापक स्वागत हुआ। पहले संस्करण की 2200 प्रतियों के समाप्त हो जाने के बाद कुछ संशोधनों के साथ इसका 5000 का दूसरा संस्करण सन् 72 में प्रकाशित किया गया। इसमें कुछ परिशिष्ट भी जोड़े गए। तीसरा पुनर्मुद्रण सन् 75 में हुआ और दस हजार प्रतियों का चौथा संस्करण सन् 83 में निकला। पहले संस्करण का मूल्य 1-62 रु० था, दूसरे का 3-40 रु० और अधुनातन का 9-20 रु०।

अध्याय 6

हिंदी के प्रचार-प्रसार की योजनाएँ

देश के हिंदीतर भाषी राज्यों में और विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय अनेक योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं में प्रमुख हैं : (क) विस्तार कार्यक्रम; (ख) पुस्तकों और पत्रिकाओं का निःशुल्क वितरण; (ग) प्रदर्शनी और (घ) पत्राचार के माध्यम से हिंदी शिक्षण।

आगे इन सभी कार्यक्रमों में पिछले 25 वर्षों में हुई प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

6.1 विस्तार कार्यक्रम

हिंदीतर भाषी प्रदेशों के लोगों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करने, विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन कर रहे हिंदीतर भाषी विद्यार्थियों को हिंदी भाषी लोगों से संपर्क बढ़ाने, उनमें हिंदी के प्रति सर्जनात्मक प्रतिभा का विकास करने तथा दोनों क्षेत्रों के विद्वानों और अध्यापकों को परस्पर विचार-विनिमय करने के लिए एक मंच पर लाने जैसे अनेक कार्य विस्तार कार्यक्रम ब्यूरो के अधीन किए जा रहे हैं। इन सबका विवरण इस प्रकार है :—

6.1.1 नवलेखक शिविर

यह योजना 1966 में शुरू हुई। कविता, कहानी, नाटक आदि प्रमुख साहित्यिक विधाओं के नवलेखकों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए सात दिवसीय शिविर आयोजित किए जाते हैं। देश के विभिन्न भागों में आयोजित इन शिविरों में से प्रत्येक में लगभग 25 नवलेखक आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रतिभागियों का चुनाव करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक शिविर में विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों के लेखकों का प्रतिनिधित्व हो। लेखकों के मार्गदर्शन के लिए प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकारों को आमंत्रित किया जाता है। शिविर के आयोजन में शैक्षिक संस्थाओं या हिंदी सेवी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। इन संस्थाओं में ही शिविरार्थियों के लिए निःशुल्क आवास और कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है। निदेशालय की ओर से प्रतिभागियों को दोनों ओर का द्वितीय श्रेणी का रेल किराया तथा 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जाता है। मार्गदर्शक साहित्यकारों को दोनों ओर का प्रथम श्रेणी का रेल भाड़ा और नियमानुसार दैनिक भत्ता दिया जाता है, साथ ही 25 रु० प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय भी। शिविर-निदेशक के लिए 400 रु० के मानदेय की व्यवस्था है।

शिविरों में रचना-प्रक्रिया पर सैद्धांतिक चर्चा तो होती ही है, साथ ही नवलेखकों की रचनाओं की व्यावहारिक समीक्षा भी की जाती है और उनमें अपेक्षित संशोधन भी। सामान्यतः प्रत्येक लेखक अपनी दो रचनाएँ प्रस्तुत करता है। वाचन-कला और शुद्ध एवं प्रभावपूर्ण पाठ का भी अभ्यास कराया जाता है।

पिछले 20 वर्षों में देश के कोने-कोने में ऐसे लगभग 50 शिविर आयोजित हो चुके हैं। योजना के आरंभिक वर्षों में केवल 2-2 शिविर ही आयोजित किए जाते थे। मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर हाल ही के वर्षों में इनकी संख्या प्रतिवर्ष आठ कर दी गई है। कभी-कभी अप्रत्याशित कारणों से संख्या-लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती।

इन शिविरों के आयोजन में गुणात्मक विकास की दृष्टि से मूल्यांकन समिति ने अनेक सुझाव दिए थे। उसकी अधिकांश सिफारिशों पर अमल हो चुका है। भविष्य में 'आंतरभारती: नव हस्ताक्षर' के अंतर्गत इन नवलेखकों की अच्छी कृतियों के सामयिक प्रकाशन की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जा रहा है।

6.12 छात्र-अध्ययन यात्रा

यह योजना 70-71 में शुरू हुई। इसके अंतर्गत हिंदीतर प्रदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक हिंदी संस्थाओं के स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के हिंदी-छात्रों को हिंदी भाषी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों और हिंदी सेवी संस्थाओं में ले जाया जाता है। उद्देश्य यह रहता है कि भावनात्मक एकता के साथ-साथ ये छात्र हिंदी के वातावरण में घूम-फिर कर हिंदी के सहज उच्चारण और वाक्यविन्यास से परिचित हो सकें तथा हिंदी भाषा और साहित्य संबंधी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। यह कार्यक्रम सामान्यतः दो सप्ताह का होता है और इसमें वर्ष में 50-50 छात्र-छात्राओं की दो टोलियों को एक ही क्षेत्र के तीन विश्वविद्यालयों में निदेशालय के मार्गदर्शक के अधीन यात्रा करवाई जाती है। प्रत्येक प्रतिभागी को 400 रुपए का यात्रा-अनुदान दिया जाता है।

इस सुविधा से हिंदीतर भाषी विद्यार्थियों को यह अतिरिक्त लाभ मिलता है कि वे हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकारों के प्रत्यक्ष दर्शन करके उन्हें सुनने का सौभाग्य पाते हैं; साथ ही स्थानीय साहित्यकारों से भेंट हो जाती है, साहित्यिक और हिंदी सेवी संस्थाओं तथा पत्र-पत्रिकाओं के कार्यालयों के काम को स्वयं अपनी आँखों से देखने का उन्हें अवसर मिलता है। ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा तो होती ही है।

अब तक ऐसी 32 यात्राएँ आयोजित की जा चुकी हैं।

6.1.3 प्राध्यापक व्याख्यान-यात्रा

यह योजना किसी-न-किसी रूप में 1961 से ही चल रही है। पहले केवल प्रतिष्ठित लेखक और साहित्यकार इसमें भाग लेते थे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सन् 63 से यह योजना अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी, जो पुनः सन् 70 में शुरू हुई।

संप्रति इस योजना के अधीन हिंदी तथा हिंदीतर भाषी विश्वविद्यालयों के चार-चार अध्यापकों को क्रमशः हिंदीतर तथा हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने के लिए भेजा जाता है। वर्ष 84-85 से पहले 5-5 अध्यापकों के विनिमय की व्यवस्था थी, किंतु इसमें से एक-एक कम करके एक नई योजना शुरू की गई है जो साहित्यिक विधाओं की संगोष्ठियों से संबंधित है।

इन व्याख्यान-यात्राओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के मूलभूत तत्वों को उद्‌घाटित किया जाता है तथा हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन-अध्यापन की समस्याओं पर परस्पर विचार-विमर्श किया जाता है। लगभग 15 दिन की इस व्याख्यान-यात्रा में प्रत्येक प्राध्यापक कम-से-कम तीन विश्वविद्यालयों में 9 भाषण देते हैं। यात्रा की समाप्ति पर इन विद्वानों को प्रथम श्रेणी का रेल यात्रा-भाड़ा और नियमानुसार दैनिक भत्ता दिया जाता है। साथ ही उन्हें प्रति व्याख्यान 50/- रु० मानदेय मिलता है।

पिछले पंद्रह वर्षों में लगभग 100 व्याख्यान यात्राएँ संपन्न हुईं। इनमें से पाँच वर्षों का ब्यौरा परिशिष्ट 8 में द्रष्टव्य है।

मूल्यांकन समिति ने इन व्याख्यान-यात्राओं को अधिक सार्थक बनाने के लिए एक प्रमुख सिफारिश यह की थी कि चुने हुए भाषणों के संपादन एवं प्रकाशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस सिफारिश के कार्यान्वयन की योजना विचाराधीन है।

6.1.4 साहित्य-संगोष्ठी

मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर प्राध्यापक व्याख्यान-यात्रा को ही पुनः संरचित कर इस योजना का स्वरूप निर्धारित किया गया है। तदनुसार वित्त वर्ष 84-85 से एक साहित्य-संगोष्ठी हिंदी क्षेत्र में और दूसरी हिंदीतर भाषी क्षेत्र में आयोजित की जा रही है। अब तक कोचीन, दिल्ली और उदयपुर में क्रमशः साठोत्तर भारतीय उपन्यास, भारतीय समालोचना और भारतीय कहानी पर संगोष्ठियाँ हुईं तथा हैदराबाद में भारतीय कोश कला का विकास एवं हिंदी भाषा और साहित्य में तेलुगु भाषियों का योगदान विषयक संगोष्ठियाँ आयोजित की गई हैं, जिनमें दोनों क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विद्वानों ने अपनी-अपनी भाषाओं में तत्संबंधी विषयों पर आलेख प्रस्तुत किए। प्रतिभागी विद्वानों को नियमानुसार भत्ते और प्रति आलेख 50 रु० का मानदेय तथा संगोष्ठी निदेशक को 400 रु० मानदेय दिया जाता है।

6.1.5 शोध छात्र यात्रा-अनुदान

यह योजना 70-71 में शुरू हुई। योजना के अधीन हिंदीतर क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के हिंदी विषयों के अहिंदी भाषी शोध-छात्रों को अन्य विश्वविद्यालयों में जाकर शोध-कार्य करने के लिए 450 रु० प्रति छात्र के हिसाब से प्रतिवर्ष 20 छात्रों को यात्रा-अनुदान देने की व्यवस्था है। पहले यह अनुदान 350 रु० था। हिंदी विभागाध्यक्षों द्वारा संस्तुत एवं रजिस्ट्रार द्वारा अग्रेषित आवेदनों पर ही चयन समिति द्वारा विचार किया जाता है। अब तक इस योजना से 280 छात्र लाभ उठा चुके हैं। योजनानुसार 20 छात्रों का चयन हो जाने पर भी छात्र अपनी व्यक्तिगत परिस्थितिवश या अन्य वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस योजना से पूरी तरह लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

6.1.6 हिंदीतर क्षेत्र के हिंदी-लेखकों को पुरस्कार

मूलतः यह योजना शिक्षा मंत्रालय की थी, जिसका कार्यान्वयन निदेशालय के माध्यम से होता था। अहिंदी भाषी राज्यों के हिंदी-साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1963-64 में यह पुरस्कार योजना शुरू की गई। प्रथम प्रतियोगिता के अंतर्गत कथा-साहित्य की ऐसी 10 पुस्तकें पुरस्कृत हुईं, जिनका प्रकाशन 61-62 में हुआ था। पुरस्कार की राशि 1500 रु० थी। पुरस्कार वितरण समारोह नवंबर, 66 में हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर 'हिंदी साहित्य को अहिंदी भाषी क्षेत्रों की देन' विषय पर संगोष्ठी भी आयोजित की गई।

1966-67 में हिंदी शिक्षा समिति की सिफारिश पर योजना में संशोधन हुआ। पुरस्कारों की संख्या 12 से बढ़ा कर 18 कर दी गई और प्रत्येक पुरस्कार की राशि 1500 रुपए के स्थान पर 1000 रुपए रखी गई। दूसरी प्रतियोगिता में यों तो 49 पुस्तकें प्राप्त हुईं और उनमें से 26 पर विचार हुआ, पर चयन समिति ने केवल 6 पुस्तकों को ही पुरस्कार योग्य पाया। 1967-68 में भी प्रतियोगिता हुई। मार्च 68 में आयोजित समारोह में तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री प्रो० शेर सिंह ने पुरस्कार और प्रमाण-पत्र वितरित किए।

इसके बाद प्रतिवर्ष प्रतियोगिता आयोजित की जाती रही। 71-72 में पुरस्कारों की श्रेणी और राशि में परिवर्तन हुआ। उस वर्ष 5 लेखकों को एक-एक हजार रुपए का प्रथम पुरस्कार और 5 लेखकों को पाँच-पाँच सौ रुपए का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कारों की दो श्रेणियों का यह क्रम कुछ समय तक चलता रहा। बाद में प्रतिवर्ष 16 पुरस्कार निश्चित हुए और उनके लिए राशि प्रति पुरस्कार 1500 रु० स्थिर की गई। संप्रति पुरस्कारों की संख्या तो वही 16 है, पर पुरस्कार राशि 2500 रु० कर दी गई है। नकद पुरस्कारों के साथ प्रमाण-पत्र भी

वितरित किए जाते हैं। मूल्यांकन समिति की सिफारिश के अनुसार 84-85 वर्ष से मंत्रालय की यह योजना निदेशालय को हस्तांतरित कर दी गई है।

वर्ष 1985-86 तक कुल 228 हिंदीतर भाषी हिंदी-लेखक पुरस्कृत हो चुके हैं, जिनका ब्यौरा परिशिष्ट 9 में देखा जा सकता है।

पुरस्कार-योग्य पुस्तकों की विधाओं में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। संप्रति सर्जनात्मक और समीक्षात्मक दोनों प्रकार के साहित्य (उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण, यात्रा-वृतांत, समीक्षा, निबंध और कविता) पर पुरस्कार दिए जाते हैं। शोध-प्रबंधों पर विचार नहीं किया जाता। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तकनीकी वाङ्मय और भारतीय भाषाओं के मानक ग्रंथों के हिंदी अनुवाद पर भी विचार होता है।

विज्ञापन के परिणामस्वरूप मूल या अनुवाद के रूप में प्रकाशित पुस्तकों या पांडुलिपियों (संस्कृति संबंधी विषयों की पांडुलिपियाँ भी स्वीकार्य हैं) की 5-5 प्रतियाँ मँगवाई जाती हैं। प्राप्त प्रविष्टियों पर निदेशालय तीन-तीन विद्वानों की गोपनीय सम्मतियाँ प्राप्त करता है। प्राप्त सम्मतियों के आधार पर अंतिम निर्णय उच्चस्तरीय चयन समिति करती है।

16 पुरस्कारों में से सामान्यत: 10 पुरस्कार सर्जनात्मक और समीक्षात्मक साहित्य पर तथा 6 पुरस्कार क्षेत्रीय संस्कृति संबंधी पुस्तकों पर दिए जाते हैं।

पुरस्कार-प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं, जो प्रतिभागी की मातृभाषा, हिंदी क्षेत्र में उसके आवास काल, पुरस्कृत व्यक्ति की वारंवारता, पुस्तक प्रकाशन वर्ष की सीमा (3 वर्ष), पुनर्पुरस्कार, प्रतिभागियों का कार्यालय (मंत्रालय तथा निदेशालय के कार्यकर्त्ता इसमें भाग नहीं ले सकते) आदि से संबंधित हैं।

6.1.7 मातृभाषा संस्कृत और हिंदी को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों को पुरस्कार

सन् 69 से एक अन्य पुरस्कार योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत अपनी मातृभाषा से भिन्न हिंदी एवं संस्कृत को छोड़कर अन्य किसी भी भारतीय भाषा में लिखने वाले साहित्यकारों की प्रकाशित पुस्तकों/पांडुलिपियों पर पुरस्कार दिया जाता रहा। मूल लेखन पर यह पुरस्कार दो हज़ार रुपए का था और अनुवाद पर एक हज़ार का। नकद पुरस्कारों के साथ प्रशस्ति प्रमाण-पत्र देने की भी व्यवस्था थी।

इस योजना के बारे में मूल्यांकन समिति की सिफारिश थी कि यह निदेशालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आती, इसलिए इसे किसी अन्य अधिकारी संस्था को सौंप दिया जाए। तदनुसार मंत्रालय की अनुमति से यह योजना सन् 85 में भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर को स्थानांतरित कर दी गई।

हस्तांतरण से पूर्व जिन-जिन कृतियों पर पुरस्कार दिए गए, उनकी सूची परिशिष्ट 10 में उपलब्ध है।

6.1.8 हिंदी अध्यापक संगोष्ठियाँ

अहिंदी भाषी क्षेत्रों के हिंदी-अध्यापकों को हिंदी भाषा और साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियों से परिचित कराने तथा उनका हिंदी भाषी क्षेत्रों के अध्यापकों से संपर्क बनाए रखने के उद्देश्य से यह योजना सन्, 60 में शुरू की गई। इन संगोष्ठियों में प्रत्येक राज्य के कुछ चुने हुए अध्यापक किसी एक नगर में एकत्र होते थे और हिंदी के विद्वान हिंदी भाषा और साहित्य के विविध पक्षों पर भाषण देते थे और अध्यापकों के साथ विचार-विमर्श करते थे। हिंदी अध्यापन की समस्याओं और पद्धतियों पर विशेष रूप से चर्चा होती थी। संगोष्ठी की अवधि सामान्यतः दस दिन की होती थी। इन संगोष्ठियों के आयोजन का दायित्व किसी स्थानीय संस्था को सौंपा जाता था और सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करती थी।

सन् 60 से 63 तक ऐसी कुल ग्यारह (वाराणसी, उदयपुर, ग्वालियर, पटना, मद्रास, मैसूर, त्रिवेंद्रम, तिरुपति, दिल्ली, गुवाहाटी तथा अहमदाबाद में) संगोष्ठियाँ हुईं। इसके बाद आपातकालीन स्थिति घोषित हो जाने के कारण '65 तक संगोष्ठियाँ आयोजित नहीं हुईं। वित्त वर्ष 66-67 के दौरान हैदराबाद में तथा 67-68 में वर्धा और वल्लभ विद्यानगर में संगोष्ठियाँ हुईं। बाद में इसे बंद कर दिया गया।

प्राध्यापक व्याख्यान-यात्रा की योजना चल ही रही है और अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य केंद्रीय हिंदी संस्थान का दायित्व है—इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन समिति ने भी महसूस किया कि इस योजना को फिर से शुरू करने की कोई सार्थकता नहीं है।

6.1.9 वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ

यह योजना सन् 60 में आरंभ की गई। इसके अंतर्गत स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी हिंदीतर भाषी क्षेत्रों से हिंदी भाषी क्षेत्रों में और हिंदी भाषी क्षेत्रों से हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में आते-जाते थे। उद्देश्य यह था कि विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़े तथा वे साहित्यिक और सामाजिक विषयों पर हिंदी में विचार-विमर्श कर सकें। सन् 62-63 तक कुल 12 दलों का विनिमय हुआ। इसके बाद आपातकालीन स्थिति की घोषणा के कारण इस योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। मूल्यांकन समिति ने इस योजना पर पुनर्विचार किया और सिफारिश की कि ऐसे कार्यक्रम विश्वविद्यालयों और स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं द्वारा चलाए ही जा रहे हैं, अतः इन्हें पुनः आरंभ करने की सार्थकता प्रतीत नहीं होती।

6.1.10 सांस्कृतिक कार्यक्रम

यह योजना सन् 66-67 में विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत जोड़ी गई। उद्देश्य यह था कि

हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के छात्रों तथा जन-साधारण में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न हो। इसके लिए विद्यार्थी मेले, कथावाचन, नाट्य-प्रदर्शन आदि आयोजित करने का विचार बनाया गया। 66-67 में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, असम तथा पश्चिमी बंगाल में कार्यक्रम किए गए। इनमें कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि के प्रसिद्ध गीतों का वाचन-गायन भी किया गया। इस वर्ष के बाद यह योजना चालू नहीं रही।

इस कार्यक्रम के बारे में मूल्यांकन समिति की सिफारिश थी कि इन्हें अलग से आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के कार्यक्रम नवलेखक शिविरों में ही अंशतः किए जा सकते हैं।

6.1.11 स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को मान्यता

स्वतंत्रता आंदोलन के काल से ही स्वैच्छिक हिंदी सेवी संस्थाए देश और विदेश में हिंदी की कक्षाएँ चलाती आ रही हैं और उनके लिए परीक्षाओं का संचालन करती हैं। उन सरकारी नौकरियों के लिए, जिनके बारे में हिंदी की योग्यता निर्धारित की गई है, भारत सरकार ने हिंदी शिक्षा समिति की सिफारिश पर और संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से विभिन्न स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं की परीक्षाओं को सन् 60 से मान्यता देना शुरू किया। मान्यता प्रदान करने का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय के क्षेत्र में आता है, जिसके लिए वह केंद्रीय हिंदी निदेशालय की सहायता लेता है।

आरंभ में यह मान्यता तीन वर्ष के लिए दी गई थी। बाद में तीन-तीन वर्ष के लिए दो बार बढ़ाई गई। सन् 69 में हिंदी शिक्षा समिति की ही सिफारिश पर यह तय हुआ कि जो परीक्षाएँ पिछले दस वर्षों से चल रही हैं और जिन्हें पिछले पाँच वर्षों से मान्यता प्राप्त है, उन्हें स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जाए। किंतु शर्त यह थी कि इन संस्थाओं का प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण के दौरान यदि परीक्षा संबंधी कोई अनियमितता देखने में आई तो मान्यता वापस ले लेने का अधिकार मंत्रालय को होगा। तदनुसार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से 17 स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं की परीक्षाओं को प्रेस विज्ञप्ति निकाल कर 18-2-70 से स्थायी मान्यता प्रदान की गई। मान्यता प्रदान करते समय यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि हिंदी परीक्षाओं की यह मान्यता विश्व-विद्यालयों की समकक्ष परीक्षाओं के लिए निर्धारित हिंदी के स्तर तक ही सीमित है। उसे उस समकक्ष परीक्षा के पूर्ण प्रमाण-पत्र या डिग्री के बराबर नहीं माना जाएगा। मान्यता प्राप्त परीक्षाओं का विवरण परिशिष्ट 11 में द्रष्टव्य है।

निदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय अपने-अपने क्षेत्रों की मान्यता प्राप्त संस्थाओं का प्रतिवर्ष निरीक्षण करता है और मंत्रालय को रिपोर्ट देता है।

यदि कोई संस्था नई परीक्षा की मान्यता के लिए आवेदन करती है या अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता में परिवर्तित करवाना चाहती है तो उसके लिए मंत्रालय एक पाँच सदस्यीय निरीक्षण

समिति गठित करता है, जिसमें मंत्रालय, निदेशालय, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग तथा अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के प्रतिनिधि होते हैं और पाँचवाँ सदस्य कोई हिंदी का विद्वान होता है। इस समिति की सिफारिश पर हिंदी शिक्षा समिति विचार करती है और स्थायी मान्यता संबंधी निर्णय लिया जाता है।

6.1.12 स्वैच्छिक हिंदी सेवी संस्थाओं को वित्तीय अनुदान

हिंदी के प्रचार-प्रसार और विकास से संबंधित कार्यक्रमों को चालू रखने, उनमें विस्तार करने या नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को केंद्र सरकार प्रतिवर्ष वित्तीय अनुदान देती है। इसके लिए निदेशालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय प्रशासनिक सहयोग प्रदान करते हैं।

6.1.13 क्षेत्रीय कार्यालय

निदेशालय का केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। संप्रति इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो मद्रास, कलकत्ता, गुवाहाटी और हैदराबाद में स्थित हैं। इन चारों का कार्यक्षेत्र इस प्रकार बँटा हुआ है : **मद्रास**—तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी; **कलकत्ता** पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम तथा अंदमान-निकोबार द्वीप समूह ; **हैदराबाद**— आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा गोआ, दमन और दीव; **गुवाहाटी**—असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। आवश्यकता होने पर शेष राज्यों की संस्थाओं की जाँच सीधे निदेशालय करता है।

हिंदी शिक्षा समिति की सिफारिश पर कलकत्ता और मद्रास के क्षेत्रीय कार्यालय सन् 62 में स्थापित हुए थे। गुवाहाटी और हैदराबाद के कार्यालयों की स्थापना सन् 77 में की गई।

इन चारों क्षेत्रीय कार्यालयों का मुख्य कार्य निदेशालय के प्रतिनिधि के रूप में भारत सरकार और अपने-अपने कार्यक्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं और राज्य सरकारों के बीच संपर्क बनाए रखना है। ये कार्यालय इन संस्थाओं की गतिविधियों पर दृष्टि रखते हैं, उनको दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान को सुनिश्चित करते हैं और विभिन्न संस्थाओं के कार्यकलापों में तालमेल बनाए रखते हैं। हिंदीतर भाषी राज्यों में हिंदी के प्रचार-प्रसार की प्रगति की समीक्षा करना और आवश्यक आँकड़ों का संग्रहकरना भी इनका काम है। क्षेत्रीय अधिकारी स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को हिंदी के प्रचार-प्रसार की योजनाओं, वित्तीय सहायता, परीक्षा-संचालन आदि विविध प्रकार के कार्यों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और संस्थाओं द्वारा आयोजित समारोहों, संगोष्ठियों आदि में यथावश्यक सहयोग देते हैं। इसके अतिरिक्त निदेशालय की विभिन्न प्रचार-प्रसार योजनाओं (यथा विस्तार कार्यक्रम और पत्राचार पाठ्यक्रम) के कार्यान्वयन में भी उनका सहयोग प्राप्त किया जाता है।

मूल्यांकन समिति ने सिफारिश की थी कि बंबई या अहमदाबाद और चंडीगढ़ या श्रीनगर में दो और क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने चाहिए ताकि इन क्षेत्रों में भी हिंदी का उचित प्रचार-प्रसार हो सके।

पिछले पच्चीस वर्षों में इन क्षेत्रीय कार्यालयों ने सीमित स्टाफ, भौतिक सुविधाओं की कमी तथा अत्यल्प प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों के बावजूद निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने कर्त्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। जिन दिनों दो ही क्षेत्रीय कार्यालय थे, उन दिनों इन्होंने विस्तृत कार्यक्षेत्र का संचालन किया। अब चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं, फिर भी कुछ के पास अभी तक काम का आधिक्य है। उत्तरी और मध्य क्षेत्रों का कार्य तो स्वयं निदेशालय का केंद्रीय कार्यालय ही देख रहा है। उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए दो अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकता बनी हुई है।

6.1.14 हिंदी सूचना केंद्र और टेलीफोन सेवा

निदेशालय ने 1966 में हिंदी सूचना केंद्र और सन् 68 में टेलीफोन पर पारिभाषिक शब्दों के हिंदी पर्याय बताने तथा जनसाधारण को हिंदी संबंधी अन्य जानकारियाँ देने की व्यवस्था शुरू की थी।

सूचना केंद्र छात्रों, अध्यापकों, शोधकर्त्ताओं तथा अन्य जिज्ञासुओं द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य के संबंध में पूछे गए प्रश्नों के लिखित और मौखिक उत्तर देता था। प्रश्नकर्त्ता राजभाषा, संपर्क भाषा, व्युत्पत्ति, पर्याय विषयक जो भी जानकारी चाहते थे, निदेशालय उसका प्रामाणिक विवरण उपलब्ध कराने का भरसक प्रयत्न करता था।

टेलीफोन पर अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के हिंदी पर्याय या हिंदी शब्दों के अंग्रेजी रूपों की सूचना देने की व्यवस्था का उपयोग सरकारी संस्थाएँ तथा सामान्य जनता दोनों ही करती थीं।

निदेशालय और आयोग के विभाजन के बाद नियमित सेवा के रूप में ये दोनों सुविधाएँ लगभग समाप्त हो गई हैं।

6.2 पुस्तकों और पत्रिकाओं का निःशुल्क वितरण

शिक्षा मंत्रालय के हिंदी अनुभाग द्वारा समय-समय पर प्रकाशित पारिभाषिक शब्दों की अनंतिम और अंतिम सूचियों के निःशुल्क वितरण के लिए एक वितरण एकक की स्थापना 1959 में की गई थी। सन् 60 में निदेशालय की स्थापना के साथ ही यह एकक निदेशालय का अंग बन गया। तब से लेकर अब तक यह 'वितरण अनुभाग' के नाम से एक स्वतंत्र अनुभाग के रूप में कार्य कर रहा है।

इस अनुभाग को मुख्यतः तीन कार्य करने पड़ते हैं : (1) निदेशालय की विभिन्न योजनाओं

के अंतर्गत प्रकाशित साहित्य का वितरण; (2) प्रकाशकों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही (सन 85-86 से बंद) योजना के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों की निदेशालय द्वारा एक मुश्त खरीदी गई एक-तिहाई प्रतियों का वितरण ; तथा (3) देश खरीद योजना और विदेश खरीद योजना का कार्यान्वियन और उसके अंतर्गत चुनी गई हिंदी पुस्तकों का विवरण ।

6.2.1 निदेशालय द्वारा प्रकाशित साहित्य का वितरण

निदेशालय अपनी कोश योजनाओं, आवधिक प्रकाशनों या पत्र-पत्रिकाओं के रूप में जो भी समूल्य साहित्य प्रकाशित करता है, उसकी बिक्री की व्यवस्था या तो भारत सरकार के प्रबंधक, प्रकाशन शाखा के माध्यम से होती है या फिर निदेशालय के ही बिक्री विभाग द्वारा की जाती है । परंतु इन प्रकाशनों का एक पूर्व निर्धारित प्रतिशत या तो निःशुल्क वितरण के लिए रखा जाता है या फिर सरकारी प्रयोजनों के लिए । इस अंश का निःशुल्क और 'साभार' वितरण पूर्व अनुमोदित सूची के अनुसार यह अनुभाग करता है ।

प्रचार-प्रसार के लिए निदेशालय ने लेखन विधि, परिवर्धित देवनागरी, मानक देवनागरी, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जैसी कुछ पुस्तिकाएँ और चार्ट समय-समय पर निःशुल्क वितरण के लिए प्रकाशित किए थे । इन सबका वितरण भी इसी अनुभाग ने किया था ।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के निदेशालय से अलग होने के पहले उसके समस्त प्रकाशनों, विशेषकर समेकित प्रशासन शब्दावली के वितरण की व्यवस्था भी यही अनुभाग करता था ।

6.2.2 प्रकाशकों के सहयोग से प्रकाशित साहित्य की नियमानुसार एक-तिहाई प्रतियाँ निदेशालय खरीद लिया करता था । ये पुस्तकें हिंदीतर भाषी राज्यों की संस्थाओं में निर्धारित सूची के अनुसार इसी अनुभाग द्वारा वितरित की जाती थीं ।

6.2.3 हिंदी पुस्तकों/पत्रिकाओं की देश और विदेश खरीद योजना

देश के हिंदीतर भाषी क्षेत्रों तथा विदेशों के हिंदी पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हिंदी का उपयुक्त साहित्य निःशुल्क उपलब्ध कराना, उन्हें हिंदी की नवीनतम अभिवृत्तियों तथा समृद्धि और विभिन्न विधाओं में हुई प्रगति से अवगत कराना तथा उसके द्वारा हिंदी साहित्य के पठन-पाठन में रुचि उत्पन्न करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।

संप्रति निदेशालय की अपनी योजना का नाम देश खरीद योजना है । सन् 83 से पहले यह योजना दो नामों से जानी जाती थी—(1) थोक खरीद योजना, और (2) तदर्थ खरीद योजना । इन दोनों योजनाओं का आरंभ द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था । 65-66 तक इनका कार्यान्वियन मंत्रालय ही करता था । इसके बाद इन्हें निदेशालय को सौंप दिया गया ।

थोक खरीद योजना के अंतर्गत प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञापन द्वारा प्रकाशकों और लेखकों से पुस्तकें आमंत्रित की जाती थीं। तदर्थ खरीद योजना के अंतर्गत लेखक और प्रकाशक शिक्षा मंत्रालय को समय-समय पर अपनी सद्य: प्रकाशित पुस्तकें खरीद के लिए भेजते रहते थे। मंत्रालय इन पुस्तकों की समीक्षा निदेशालय से करवाता था और इन्हें खरीदने/न खरीदने के बारे में निर्णय स्वयं करता था। इसके बाद पुस्तकों का क्रयादेश, बिलों का भुगतान और वितरण की व्यवस्था निदेशालय करता था।

मंत्रालय से हस्तांतरित होकर निदेशालय में आ जाने के बाद इन दोनों योजनाओं के स्वरूप में 71-72 से परिवर्तन हुआ। थोक खरीद योजना में तो कम कीमत की सभी साहित्यिक विधाओं की सामान्य पुस्तकें मँगवाई जाने लगीं; पर तदर्थ खरीद योजना के अंतर्गत उच्चकोटि की साहित्यिक, आलोचनात्मक, भाषाविज्ञान और तुलनात्मक अध्ययन की दस रुपए मूल्य से अधिक की पुस्तकों पर विचार होने लगा। दोनों योजनाओं के लिए पुस्तकें विज्ञापन द्वारा आमंत्रित की जाने लगीं।

विदेश खरीद योजना का आरंभ 69-70 में हुआ। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों की हिंदी पुस्तकों की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए वहाँ पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय हुआ। तदनुसार निदेशालय की थोक-तदर्थ/देश खरीद योजना के साथ-साथ इस योजना का भी कार्यान्वयन शुरू हुआ। यह योजना आज भी मंत्रालय की ही योजना है। विदेश मंत्रालय से परामर्श करके विभिन्न देशों की हिंदी पुस्तकों/पत्रिकाओं की माँग के अनुसार मंत्रालय ही प्रतिवर्ष संस्वीकृति जारी करता है, जिसमें इस मद के लिए उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए देशवार राशि का आवंटन दिखाया जाता है। कभी-कभी कुछ देश विशिष्ट पुस्तकों और पत्रिकाओं की माँग करते हैं। पुस्तकों का चयन करते समय इसका भी ध्यान रखा जाता है।

देश खरीद (तत्कालीन थोक/तदर्थ खरीद) और विदेश खरीद योजनाओं के लिए पुस्तकों/पत्रिकाओं के चयन की प्रक्रिया लगभग निश्चित है। इनके लिए प्रतिवर्ष सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा अगस्त तक पुस्तकें/पत्रिकाएँ आमंत्रित की जाती हैं। मोटे तौर पर पाँच वर्ष से अधिक पुरानी पुस्तकें नहीं मँगाई जातीं। मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए चयन के कुछ निदेशक सिद्धांत तय करती है और तदनुसार दोनों योजनाओं के लिए अलग-अलग पुस्तकें चुनी जाती हैं। कुल बजट राशि का दस प्रतिशत पत्रिकाओं पर खर्च किया जाता है। चुनी हुई पुस्तकों के प्रकाशित मूल्य पर प्रकाशकों से 25% की छूट मिलती है।

विगत आठ वर्षों में दोनों योजनाओं पर हुए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :

वित्त वर्ष	**देश खरीद (थोक + तदर्थ)**	**विदेश खरीद**
78-79	4,33,210=00	2,11,919=50
79-80	3,85,907=77	2,80,695=62

80-81	4,69,889=42	1,82,178=98
81-82	6,97,194=92	1,91,969=77
82-83	5,84,793=70	2,87,917=94
83-84	6,62,126=67	1,89,603=30
84-85	7,45,968=35	2,09,553=81
85-86	9,72,968=80	1,77,987=25

तय हुआ है कि वर्ष 85-86 से निदेशालय खरीद योजना के लिए चुनी गई पुस्तकों की सूची (पुस्तकों की प्रतियों की संख्या सहित) अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ को उपलब्ध कराएगा ताकि वे अपने मुख-पत्र में उसे सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित कर सकें ।

देश खरीद योजना वाली पुस्तकें/पत्रिकाएँ हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं आदि को निःशुल्क वितरित की जाती हैं । संप्रति इस वितरण सूची में 941 लाभ-भोगी संस्थाओं के नाम सम्मिलित हैं । यह सूची क्षेत्रीय अधिकारियों की सिफारिश पर तैयार की जाती है ।

विदेश खरीद योजना वाली पुस्तकें विगत कुछ वर्षों से 35 भारतीय मिशनों को भेजी जाती हैं । कुछ भारतीय मिशन इन्हें उन देशों की शिक्षण-संस्थाओं को भेंट कर देते हैं।

हिंदीतर भाषी प्रदेशों की कुछ ऐसी संस्थाएँ या कालेज हैं जो निःशुल्क वितरण सूची में पंजीकृत नहीं हैं । उनके यहाँ से माँग आने पर उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकाशकों से चयन समिति के विचारार्थ प्राप्त नमूने की पुस्तकों से 50-100 पुस्तकें उन्हें भेज दी जाती हैं ।

अहिंद्री-भाषी क्षेत्रों में निःशुल्क पुस्तक वितरण
योजना में खर्च की गई राशि
लाख रुपये
थोक और तदर्थ
विदेश
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86

6.3 प्रदर्शनी

जन-साधारण को हिंदी के बहुमुखी विकास से परिचित कराने और हिंदी में प्रकाशित वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से प्रदर्शनियाँ लगाने की इस योजना का उत्स हिंदी अनुभाग/हिंदी प्रभाग काल में ही खोजा जा सकता है। तब नई दिल्ली में ही ये प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती थीं। सन् 57 में हुई एक प्रदर्शनी का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डा० राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 'भारत 58' जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शिक्षा मंत्रालय के मंडप ने हिंदी प्रभाग के प्रकाशन और अन्य महत्त्वपूर्ण कोशों का भी प्रदर्शन किया था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सरकारी स्तर पर अपने प्रकाशनों की अलग से हिंदी प्रदर्शनियाँ लगाने की योजना शुरू हुई। आपातकाल के दौरान 64-65 तक प्रदर्शनी लगाने का कार्यक्रम स्थगित रहा। इसके बाद 65-66 से नियमित रूप में ये प्रदर्शनियाँ हिंदी और हिंदीतर भाषी राज्यों में लगाई जा रही हैं। प्रदर्शनियों का आयोजन बहुधा किसी विशेष स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर किया जाता है ताकि अधिकाधिक लोग उसका लाभ उठा सकें। प्रदर्शनियों में मुख्यत: निदेशालय और आयोग के प्रकाशन तथा गौणत: निदेशालय/आयोग से सहयोग पाने वाली संस्थाओं (यथा ग्रंथ अकादमियों) के प्रकाशन प्रदर्शित किए जाते हैं। पुस्तकों और संदर्भ ग्रंथों के साथ चार्टों और अन्य प्रचार साहित्य का भी प्रदर्शन किया जाता है। इस अवसर पर निदेशालय के कुछ प्रकाशनों का नि:शुल्क वितरण भी किया जाता है।

देश के अनेक केंद्रों में और विदेशों में मुख्यत: नेपाल, फीजी और मॉरीशस में अब तक लगभग 135 प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा विदेशों में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनियों के लिए भी मास्को, हांगकांग, दुबई, काहिरा, सिंगापुर, लाइपजिग आदि स्थानों पर पुस्तकें भेजी गई हैं।

देश में प्रदर्शनी-आयोजन के समय छोटे पैमाने पर निदेशालय के प्रकाशनों की बिक्री की व्यवस्था भी की जाती रही है। आयोग से अलग हो जाने पर अब निदेशालय प्राय: अपने ही प्रकाशनों की प्रदर्शनी लगाता है।

अध्याय 7

हिंदी पत्राचार पाठ्यक्रम

7.1 भूमिका

भारतीय स्वाधीनता-संघर्ष के एक अंग के रूप में महात्मा गाँधी की प्रेरणा से हिंदी का 'राष्ट्रभाषा' के रूप में प्रचार-प्रसार शुरू हुआ था। धीरे-धीरे कई स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं ने देश और विदेश में हिंदी शिक्षण और परीक्षाओं के कार्यक्रम चलाने शुरू कर दिए। स्वतंत्रता के बाद हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर स्कूलों, कॉलेजों और विश्व-विद्यालयों में हिंदी की नियमित शिक्षा दी जाने लगी। स्वैच्छिक संस्थाएँ अपने-अपने अंशकालीन हिंदी पाठ्यक्रम तो चलाती ही रहीं।

संविधान में हिंदी के संघ की 'राजभाषा' स्वीकृत हो जाने के बाद केंद्रीय स्तर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना शुरू हुई। भारत की सामासिक संस्कृति की सहज अभि-व्यक्ति के लिए 'संपर्क भाषा' के रूप में हिंदी के प्रचार-प्रसार का दायित्व जब भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया, तो उसने इसके लिए अनेक योजनाएँ बनाईं। तब पूरे देश में कक्षा-अध्यापन के स्तर पर हिंदी पठन-पाठन की व्यापक व्यवस्था तो उपलब्ध थी; पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे कामकाजी व्यक्ति अपनी सुविधा के समय में स्वेच्छा से हिंदी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसके लिए एक ही रास्ता 'पत्राचार द्वारा शिक्षण' का था। इसे 'डाक द्वारा शिक्षण' या 'दूरस्थ शिक्षा माध्यम' भी कह सकते हैं। इसी उद्देश्य को अपनाकर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मार्च, 1968 में हिंदी पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया।

7.2 वर्तमान योजना

इस योजना के अंतर्गत हिंदीतर भाषी भारतीयों और विदेशियों को द्वितीय भाषा के रूप में पत्राचार के माध्यम से हिंदी सिखाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था का संचालन निदेशालय का पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग करता है। विभाग में दो प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं: (1) सामान्य पाठ्यक्रम: 'हिंदी **प्रवेश**' और 'हिंदी **परिचय**'; (2) विशेष पाठ्यक्रम। विशेष पाठ्यक्रम भी दो प्रकार के हैं: (1) राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के '**प्रबोध**' '**प्रवीण**' और '**प्राज्ञ**' पाठ्यक्रम तथा (2) **सिविल सेवा** पाठ्यक्रम।

7.3 सामान्य पाठ्यक्रम

'प्रवेश' और 'परिचय' नामक सामान्य पाठ्यक्रम निदेशालय के अपने पाठ्यक्रम हैं। 'प्रवेश' पाठ्यक्रम आरंभिक स्तर का है, जिसे पूरा कर लेने पर अहिंदी भाषी या विदेशी छात्र हिंदी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 'परिचय' पाठ्यक्रम 'प्रवेश' का उत्तरवर्ती पाठ्यक्रम है, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर छात्र आकाशवाणी से प्रसारित समाचारों, समाचार-पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, सरल कहानियों, कविताओं आदि को समझ लेता है; गैर-तकनीकी विषयों पर बोल सकता है और वार्तालाप के दौरान सरल और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर सकता है।

7.4 माध्यम

ये दोनों पाठ्यक्रम दो-दो वर्ष के हैं। सन् 68 में अंग्रेजी माध्यम से 'प्रवेश' पाठ्यक्रम शुरू किया गया था ; बाद में सन् 73 से 'परिचय' पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ। 'प्रवेश' के लिए तमिल माध्यम 76 में अपनाया गया और 'परिचय' के लिए 78 में। 78 में ही मलयालम माध्यम से 'प्रवेश' शुरू हुआ और 80 से 'परिचय'। इसी तरह बंगला माध्यम का क्रम सन् 79 और 84 रहा।

7.5 पात्रता

इन पाठ्यक्रमों में केवल वे ही भारतीय या विदेशी दाखिला ले सकते हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी न हो और उम्र 15 साल की अवश्य हो गई हो। सन् 73 में फिलीपीन के भारतीय राजदूत के अनुरोध पर पात्रता संबंधी नियम में यह संशोधन किया गया कि विदेशों में रह रहे भारतीय राष्ट्रिकों या आप्रवासियों के बच्चों की निम्नतम आयु सीमा 10 वर्ष हो सकती है, चाहे उनकी मातृभाषा कोई भी क्यों न हो। सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से गृह मंत्रालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है, इसलिए वे भी इनमें दाखिल नहीं किए जाते। हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ने वाले स्कूली छात्र भी इनके पात्र नहीं हैं।

7.6 शुल्क

वर्तमान में, भारतीय छात्रों से तीस रुपए और विदेशी विद्यार्थियों से पचास अमरीकी डालर (या उसके समतुल्य स्थानीय विदेशी मुद्रा) नाममात्र की फीस के रूप में लिए जाते हैं। आरंभ में फीस बीस रुपए या पंद्रह डालर वार्षिक थी। बीच में एक वर्ष फीस पचास रुपए वार्षिक कर दी गई थी, किंतु छात्रों की माँग पर उसे घटा कर तीस रुपए कर दिया गया।

7.7 शिक्षण पद्धति

प्रत्येक पाठ्यक्रम में 40-40 पाठ हैं। प्रथम वर्ष में दाखिले के बाद जुलाई से जून तक प्रति-मास दो-दो पाठ भेजे जाते हैं और दूसरे वर्ष में जुलाई से फरवरी तक। पाठ्य सामग्री के साथ

उत्तर-पुस्तिकाएँ होती हैं, जिन्हें पूरा कर विद्यार्थी विभाग को भेजता है। विभाग द्वारा मूल्यांकन किए जाने पर ये पुस्तिकाएँ छात्रों को लौटा दी जाती हैं। नियमित पाठों के साथ आनुषंगिक साहित्य, उपचारात्मक सामग्री आदि भेजी जाती हैं। सही उच्चारण सीखने के लिए रिकार्ड किए गए पाठों और टेपों की सहायता भी उपलब्ध है।

7.8 परीक्षा

परीक्षा दो वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद होती है। देश-विदेश में इसके लिए लगभग 90 केंद्र हैं। उत्तर-पुस्तिकाओं में प्राप्त अंक वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाते हैं। सफल छात्रों को प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। जो छात्र कारणवश परीक्षा में नहीं बैठ पाते, पर कोर्स पूरा कर लेते हैं, उन्हें अलग प्रकार का प्रमाण-पत्र दिया जाता है। विशिष्ट श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों को नकद पुरस्कार और पुस्तक-पुरस्कार देने की भी व्यवस्था है।

7.9 संपर्क कार्यक्रम

कक्षा-अध्यापन की कमी को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष छात्रों के संकेद्रण को ध्यान में रखते हुए भारत में अनेक केंद्रों पर एक सप्ताह के व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। विदेशों में अब तक केवल एक-एक बार फीजी और मॉरीशस में ये कार्यक्रम हुए हैं।

7.10 छात्रों की संख्या

सन् 68 से 85. तक पत्राचार के माध्यम से हिंदी सीखने वाले छात्रों की वर्षवार कुल संख्या इस प्रकार रही :—

वर्ष	कुल संख्या	वर्ष	कुल संख्या
1968	1008	1977	20010
1969	3329	1978	18115
1970	2961	1979	15788
1971	3635	1980	10212
1972	4008	1981	10402
1973	5925	1982	10651
1974	6342	1983	14319
1975	7150	1984	15739
1976	15253	1985	14412

आरंभ से लेकर दिसंबर '85 तक दोनों पाठ्यक्रमों की वर्षवार और माध्यमवार संख्या निम्नलिखित रही :—

वर्ष	अंग्रेजी माध्यम				तमिल माध्यम			
	प्रवेश		परिचय		प्रवेश		परिचय	
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7	8
1968	1008	—	—	—	—	—	—	—
1969	1987	595	—	—	—	—	—	—
1970	1330	900	—	—	—	—	—	—
1971	2500	550	—	—	—	—	—	—
1972	2100	1087	—	—	—	—	—	—
1973	3131	930	1107	—	—	—	—	—
1974	2948	1347	600	575	—	—	—	—
1975	2843	1224	625	337	—	—	—	—

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8
1976	5955	2326	809	426	3727	—	—	—
1977	5079	2300	1084	437	5850	1432	—	—
1978	3082	1930	949	478	3883	2225	429	—
1979	2921	1060	846	481	4027	1107	719	217
1980	1104	1032	460	448	1247	1341	392	407
1981	1756	421	490	230	2613	461	400	227
1982	1039	506	323	235	2821	946	283	240
1983	2358	396	516	180	4335	899	312	150
1984	2416	691	483	230	4306	1241	317	155
1985	1685	661	320	201	3236	1400	334	160
कुल योग	45242	17956	8612	4258	36045	11052	3186	1556

वर्ष	मलयालम माध्यम					बंगला माध्यम		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1978	453	—	—	—	—	—	—	—
1979	501	147	—	—	274	—	—	—
1980	194	229	121	—	228	—	—	—
1981	304	70	130	50	358	94	—	—
1982	247	83	75	48	*	123	—	—
1983	378	75	92	22	494	*	—	—
1984	351	106	111	35	309	229	53	—
1985	173	106	64	23	567	98	76	13
कुल योग	2601	816	593	178	2230	544	119	13

*टिप्पणी—पाठ्यक्रम बंद रहे।

'प्रवेश' परीक्षा में अब तक 10762 छात्र बैठे, जिनमें से 8643 उत्तीर्ण हुए । 'परिचय' की परीक्षा देने वालों की संख्या 2904 है, जिनमें से 2545 व्यक्ति सफल हुए अर्थात् दोनों में सफलता का प्रतिशत क्रमशः 80.3% और 87.6% है । आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह तथ्य प्रकट होता है कि लगभग 33% छात्रों ने ही सत्रांत परीक्षा दी । इस निम्न प्रतिशतता का एक कारण तो यह है कि यह विभाग वित्तीय कठिनाइयों के कारण देश और विदेश में अधिक परीक्षा-केंद्र स्थापित नहीं कर सकता । दूसरा स्पष्ट कारण यह है कि ये पाठ्यक्रम छात्रों के जीविकोपार्जन के प्रत्यक्ष साधन नहीं हैं । अधिकांश छात्र ज्ञानार्जन के लिए ही हिंदी की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ।

7.11 गृह मंत्रालय के पाठ्यक्रम

निदेशालय अपने पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के तीनों पाठ्यक्रम (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ) भी पत्राचार के माध्यम से चलाता है । पत्राचार द्वारा चलाए जा रहे इन पाठ्यक्रमों की सुविधा उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जिनके कार्य-स्थलों पर हिंदी शिक्षण योजना द्वारा संचालित कक्षा-शिक्षण की व्यवस्था नहीं है । इसके अतिरिक्त ऑपरेशनल स्टाफ, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के केंद्रीय सरकारी अधिकारी, सांविधिक निकायों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी तथा केंद्रीय विद्यालयों के अध्यापक भी इन पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं ।

ये तीनों पाठ्यक्रम एक-एक वर्ष के हैं और केवल अंग्रेजी माध्यम से ही उपलब्ध हैं । इनकी पाठ्यपुस्तकें गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित हैं और परीक्षाएँ भी उसी के अभिकरणों द्वारा ली जाती हैं । निदेशालय केवल शिक्षण का काम करता है ।

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए वार्षिक शुल्क तीस रु० है, जिसकी प्रतिपूर्ति कर्मचारी का संबंधित विभाग कर देता है । छात्र के पाठ्यक्रम का निर्धारण उसका विभाग करता है और उसके आवेदन पत्र को वही अग्रेषित भी करता है ।

छात्रों को शिक्षण संबंधी सारी सुविधाएँ, यथा—पाठ्यसामग्री प्रेषण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, संपर्क कार्यक्रम की व्यवस्था आदि-आदि निदेशालय द्वारा दी जाती हैं । पत्राचार से शिक्षा पा रहे छात्रों के वार्षिक परीक्षा परिणाम में मौखिक परीक्षा के स्थान पर उत्तर पत्रों के मूल्यांकन से प्राप्त अंकों को जोड़ा जाता है ।

पत्राचार के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम निदेशालय में क्रमशः 69,70

और 72 से शुरू किए गए। छात्रों की वर्षवार संख्या इस प्रकार रही :—

वर्ष	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
1969	747	—	—
1970	328	403	—
1971	264	321	—
1972	230	281	310
1973	310	247	200
1974	320	321	231
1975	1487	360	274
1976	1134	562	314
1977	2246	895	687
1978	2714	1404	568
1979	1631	1119	758
1980	1480	858	677
1981	1496	782	531
1982	2147	973	562
1983	2430	1089	593
1984	2641	1295	770
1985	2917	1358	1020
कुल संख्या	24522	12268	7495

पत्राचार पाठ्यक्रम के कुल छात्रों की संख्या
1968-1985
हज़ार
20
16
12
8
4
1,008
3,329
2,961
3,635
4,008
5,925
6,342
7,150
15,253
20,010
18,115
15,788
10,212
10,402
10,651
14,319
15,739
14,412
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

'प्रवेश' पाठ्यक्रम में माध्यमवार छात्रों की संख्या
1968-1985
हज़ार
6
5
4
3
2
1
माध्यम
तमिल
अंग्रेज़ी
बंगला
मलयाळम
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

'परिचय' पाठ्यक्रम में माध्यमवार छात्रों की संख्या
1973-1985
1,200
1,000
800
600
400
200
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
माध्यम
तमिल
अंग्रेज़ी
बंगला
मलयाळम

पत्राचार पाठ्यक्रम में गृह मंत्रालय पाठ्यक्रमों के
छात्रों की संख्या
1969-1985
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
प्रबोध
प्रवीण
प्राज्ञ

परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या — प्रतिशत में
1969-1985
प्रवेश
परिचय
प्रबोध
प्रवीण
प्राज्ञ
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
20
40
60
80
100

7.12 सिविल सेवा पाठ्यक्रम

वर्ष, 84 अक्टूबर से पूर्वांचल के छह राज्यों (सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर) के उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक वर्षीय हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में अनिवार्य भाषा प्रश्न-पत्र के लिए हिंदी विषय लेकर परीक्षा में बैठना चाहते हैं। यह पाठ्यक्रम निःशुल्क है। पहले वर्ष 84 छात्रों ने इसमें दाखिला लिया।

7.13 संगठनात्मक व्यवस्था

इन सभी पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए निदेशालय में एक अलग ब्यूरो है, जिसे आरंभ से ही 'पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग' कहा जा रहा है। निदेशालय के निदेशक इसके सर्व-कार्य प्रभारी हैं। दैनंदिन संचालन का प्रभार उपनिदेशक पर है। उनकी सहायता के लिए शैक्षिक कार्य हेतु दो सहायक निदेशक, आठ सहायक शिक्षा अधिकारी और 32 मूल्यांकक हैं। साथ ही लिपिक वर्गीय अमला भी है। वर्तमान समय में जितना स्टाफ है, वह अमला निरीक्षण एकक के निर्धारित कार्य मानक के अनुसार लगभग 4008 छात्रों के लिए ही है। कार्यभार में लगभग चार गुनी वृद्धि हो जाने पर और मंत्रालय के आंतरिक कार्य अध्ययन दल द्वारा 1980 में स्टाफ बढ़ोतरी की सिफारिश करने के बावजूद अभी तक नए स्टाफ की मंजूरी नहीं मिल पाई है, इसलिए अधिकांश मूल्यांकन कार्य बाहरी मूल्यांकनकर्त्ताओं की सहायता से करवाया जा रहा है।

7.14 ऐतिहासिक सिंहावलोकन

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए 4 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था। पहला पाठ्यक्रम तो मार्च, 68 में शुरू हुआ; पर योजना का वास्तविक सूत्रपात्र अप्रैल, 66 में ही हो गया था, जब तत्कालीन राज्य मंत्री प्रो० शेरसिंह द्वारा हिंदी पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने से संबंधित संसद् में की गई घोषणा के फलस्वरूप संयुक्त शिक्षा सलाहकार के साथ हुई बैठक में हिंदी प्राइमर और हिंदी पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने के बारे में विचार-विमर्श हुआ था। संयुक्त शिक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में सन् 67 में एक कार्यदल गठित हुआ, जिसने योजना की रूपरेखा और प्रविधि, पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकें, पाठों की तकनीकी अभिरचना, पाठ-निर्माण के लिए विशेषज्ञ नामिका जैसे विषयों पर निदेशक सिद्धांत तय किए। इनके अनुसार पाठ्य सामग्री तैयार हुई। फरवरी, 67 में पत्राचार पाठ्यक्रम के आरंभिक पाठ्यक्रम की योजना पर वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की। प्रस्ताव था कि 'प्रवेश' पाठ्यक्रम अगस्त, 67 से शुरू कर दिया जाए। परंतु वित्त मंत्रालय संबंधी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद पहला पाठ्यक्रम मार्च, 68 में ही शुरु हो पाया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री प्रो० शेरसिंह ने किया था।

पहले वर्ष 'प्रवेश' पाठ्यक्रम में एक हजार छात्रों ने दाखिला लिया, जिनमें 24 विदेशी छात्र

थे। अभी इस पाठ्यक्रम को चलते एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनीं जिनके फलस्वरूप मंत्रालय ने निर्णय किया कि पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिंदी शिक्षण के कार्य का संचालन केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा को हस्तांतरित कर दिया जाए और भविष्य में उसका विस्तार भी उन्हीं के अधीन हो। तब केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसके विरोध में अपना पक्ष दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया। लंबे विचार-विमर्श के बाद अंततोगत्वा यह मान लिया गया कि हिंदी पत्राचार पाठ्यक्रम का कार्य सिद्धांततः और व्यवहारतः निदेशालय के ही कार्य-क्षेत्र में आता है, अतः वही इसे संचालित करता रहे।

अगस्त, 68 में तकनीकी और लिपिक वर्गीय स्तर के कुछ पद अस्थायी रूप में स्वीकृत हुए और प्रति वर्ष एक नया पाठ्यक्रम भी शुरू हुआ। सन् 71 तक 'प्रवेश', 'प्रबोध' और 'प्रवीण' पाठ्यक्रमों के सत्र एकाधिक बार चल चुके थे, अतः व्यवस्थागत और शैक्षिक दोनों प्रकार का परीक्षण और अनुभव हो गया; इसलिए यह उचित समझा गया कि इनका पुनरीक्षण विद्वानों की समिति से करवा लिया जाए। पहले उल्लिखित कार्य दल ने भी ऐसा सुझाव दिया था। तदनुसार नवंबर, 71 में पुनरीक्षण समिति ने उपलब्ध पाठ्य-सामग्री, स्टाफ की शैक्षिक योग्यता, सहायक शिक्षण-सामग्री और हिंदी पत्राचार शिक्षण के क्षेत्र विस्तार के बारे में अपने सुझाव दिए। एक कार्य-शिविर आयोजित कर पाठ्य-सामग्री का आद्यंत अपेक्षित संशोधन-परिवर्धन भी किया गया। इसी समिति ने सुझाव दिया कि 'परिचय' और 'प्राज्ञ' पाठ्क्रम शुरू किए जाएँ तथा 'प्रवेश' पाठ्यक्रम को तमिल, मलयालम और बंगला माध्यमों से भी शुरू करने की व्यवस्था की जाए। अब तक के कार्य-विस्तार और भावी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए समिति ने अतिरिक्त स्टाफ के बारे में भी सिफारिश की।

सन् 72 में वित्त मंत्रालय के अमला जाँच एकक ने तब तक की छात्र संख्या (4008) को ध्यान में रखते हुए पत्राचार पाठ्यक्रम के समग्र कार्यकलाप की जाँच की। उन्होंने मूल्यांकन कार्य का मानक निर्धारित किया और अतिरिक्त पदों की श्रेणियाँ और संख्या निर्धारित की।

अमला जाँच एकक के अनुसार दिए गए नए पदों की संख्या का आकलन सन् 72 की तत्कालीन छात्र संख्या को ध्यान में रख कर ही निश्चित किया गया; इसके निर्धारण में भावी कार्यक्रमों को आधार नहीं बनाया गया। इस स्पष्ट उल्लेख के बावजूद भी जब छात्र संख्या काफी बढ़ गई और अनेक नए कार्यक्रम मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से शुरू किए गए तो स्वाभाविक ही था कि अतिरिक्त पदों और सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती। इनकी माँग की गई, किंतु तत्काल उनकी पूर्ति संभव नहीं हो सकी। इससे विभाग को कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं किंतु शैक्षिक स्तर की दृष्टि से निदेशालय की प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने पाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) तथा संसद् के भाषा संकल्प (1968) के संदर्भ में हिंदी की प्रसार-वृद्धि के उपाय सुझाने वाले कार्य दल का निम्नलिखित कथन इसकी पुष्टि करता है—"केंद्रीय हिंदी निदेशालय पत्राचार के माध्यम से हिंदी शिक्षण की एक

अत्यंत उपयोगी योजना कार्यान्वित कर रहा है···योजना का जो वर्तमान कार्य-क्षेत्र है, उसकी तुलना में इसे प्रदत्त वित्त की मात्रा पूर्णतः अपर्याप्त है। पत्राचार पाठ्यक्रम के महत्व और उसकी उपयोगिता को देखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि वर्तमान नाभिक का इस तरह विकास किया जाए कि वह अंततोगत्वा पत्राचार संस्थान के रूप में प्रतिफलित होकर सभी क्षेत्रीय भाषाओं और महत्वपूर्ण विदेशी भाषाओं के माध्यम से हिंदी शिक्षण का केंद्र बन सके। जब तक भविष्य के लिए ऐसी योजना का प्रकल्पन किया जाए, तब तक वर्तमान में उपलब्ध धनराशि में वृद्धि कर दी जाए ताकि इस योजना का हित-लाभ अधिकाधिक व्यक्तियों को मिल सके। इस बात पर संतोष व्यक्त किया जाता है कि वर्तमान पाठ्य विवरण के साथ-साथ दृश्य-श्रव्य सुविधा वाले पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था इस योजना की उपयोगिता का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक है।"

पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग को एक स्वतःपूर्ण संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनाई गई। संस्थान का स्वरूप 1974 में योजना आयोग के सम्मुख प्रस्तुत किया गया और उसे स्वीकृति भी मिल गई। परंतु उसके कार्यान्वियन के लिए भेजे गए प्रस्ताव की परिणति यह हुई कि वित्त मंत्रालय ने पूरा मंथन करने के बाद यह सुझाव दिया कि अभी और प्रतीक्षा कर ली जाए।

क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, मलयालम और बंगला) के माध्यम वाले पाठ्यक्रमों को आरंभ करते समय इनके लिए इक्के-दुक्के नए पद नाभिकीय स्तर पर मिले अवश्य, पर कुछ ही वर्षों में इन पाठ्यक्रमों की आशातीत सफलता के परिणामस्वरूप छात्रों की संख्या, विशेष रूप से तमिल माध्यम की, जब कई गुना बढ़ गई तो काम और कर्मचारियों में संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर अतिरिक्त स्टाफ की माँग की जाती रही।

अमला जाँच एकक को दुबारा बुलाए जाने में देर होने की संभावना को देखते हुए मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि वह अपने आंतरिक कार्य अध्ययन एकक को भेजकर केवल पत्राचार विभाग की ही जाँच करवा ले। कार्य अध्ययन एकक ने जाँच की और यह पाया कि कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अनुसार वास्तव में स्टाफ की कमी है, तो उसने 34 अतिरिक्त पद मंजूर किए। इन पदों को भरने का जब समय आया तब तक नई भर्ती पर पाबंदी लग चुकी थी। परिणाम यह हुआ कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग के लिए बजट में बढ़ोतरी हो जाने के बावजद आज भी वे पद नहीं भरे जा सके हैं।

इस बीच हैदराबाद स्टाफ कॉलेज ने निदेशालय/आयोग के कार्यकलाप का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट दी। अन्य बातों के साथ-साथ उसने पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग के बारे में जो सिफारिशें कीं, उनका सार यह है कि इसका संचालन एक अकादमिक संस्था के रूप में किया जाना चाहिए। स्टाफ कॉलेज की रिपोर्ट पर विचार करके शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने निर्णय किया कि (1) हिंदी पत्राचार पाठ्यक्रमों का संचालन निदेशालय ही करता रहे; (2)

भारतीय भाषाओं के माध्यम वाले पाठ्यक्रमों का एक-एक कर मोचन किया जाए तथा इन्हें स्वैच्छिक संस्थाओं को समुचित भौतिक और वित्तीय प्रोत्साहन देकर चलवाया जाए।

इसी प्रसंग में समिति ने यह भी तय किया कि (1) निदेशालय अपने को प्रशासनिक व्यवस्था तथा पाठ्य सामग्री के नियोजन, निर्माण और पुनरीक्षण तक ही सीमित रखे; (2) क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से स्थानीय संसाधकों (रिसोर्स पर्सन) की सहायता लेकर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाया जाए; (3) छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष पंद्रह हजार तक सीमित रहे; (4) शिक्षण शुल्क भारतीय छात्रों के लिए 20 रु० से 30 रुपए तथा विदेशी विद्यार्थियों के लिए पचास डालर कर दिया जाए; (5) मूल्यांककों और बाहरी मूल्यांकनकर्त्ताओं के लिए क्रमशः पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएँ; तथा (6) मंत्रालयों के लिए नियत कार्य नियमावली को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों वाले पाठ्यक्रम राजभाषा विभाग को सौंप दिए जाएँ।

भारतीय भाषा माध्यम वाले पाठ्यक्रमों का स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को हस्तांतरण संबंधी उच्चस्तरीय समिति का उपर्युक्त निर्णय निश्चय ही तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित था। निदेशालय निरंतर माँग कर रहा था कि स्टाफ में वृद्धि की जाए और ऐसा हो नहीं पा रहा था; इसलिए सबसे सरल उपाय यही नजर आया कि इन पाठ्क्रमों को स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को सौंप दिया जाए।

निर्णयानुसार संबंधित भाषा-प्रदेशों की स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं से संपर्क किया गया और उनसे प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। प्राप्त प्रस्तावों की जाँच करने पर पता चला कि ऐसा करना तो वित्तीय दृष्टि से घाटे का सौदा होगा, क्योंकि इस बहुस्थानी नई व्यवस्था से एक ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए भौतिक साधनों और मानव शक्ति पर वर्तमान खर्च के मुकाबले कई गुना अधिक खर्च होगा और समान शैक्षिक मानक भी सुनिश्चित नहीं हो सकेगा। ऐसी स्थिति में मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम वाले पाठ्यक्रम निदेशालय में ही बने रहे।

शिक्षण-शुल्क संबंधी निर्णय के बारे में भी पुनर्विचार कर आंशिक परिवर्तन किया गया। पुनर्विचार की आवश्यकता इसलिए पड़ी की जब एक झटके में फीस दुगनी-तिगुनी कर दी गई थी तो छात्रों की संख्या काफी घट गई और विरोधस्वरूप अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए। फलस्वरूप भारतीय छात्रों के लिए तो तीस रुपए वार्षिक फीस ही रखी गई, किंतु विदेशी छात्रों के लिए पचास के स्थान पर तीस डालर कर दिए गए। आरंभ में यह फीस पंद्रह डालर थी।

गृह मंत्रालय के पाठ्यक्रमों को हिंदी शिक्षण योजना को सौंप देने के बारे में भी पत्र व्यवहार हुआ। गृह मंत्रालय ने इन पाठ्यक्रमों को ले लेने की उत्सुकता नही दिखाई और पूर्ववत् ही निदेशालय का सहयोग माँगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस तरह सरकारी कर्मचारियों के

कुछ विशेष वर्गों के लिए अब भी निदेशालय ही पत्राचार के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ के पाठ्यक्रम चला रहा है ।

हैदराबाद स्टाफ कॉलेज की रिपोर्ट पर उच्चस्तरीय समिति द्वारा निर्णय ले लिए जाने के बाद यह उचित समझा गया कि पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग के कार्यों का एक अलग समिति द्वारा मूल्यांकन करवा लिया जाए । इसके लिए एक पुनरीक्षण समिति गठित की गई, जिसमें विश्वविद्यालयों के पत्राचार निदेशालयों के निदेशक और भाषाविज्ञानी सदस्य बनाए गए । संयोगवश उन्हीं दिनों निदेशालय के समस्त कार्यकलाप की समीक्षा मूल्यांकन समिति कर रही थी । अतः यह उचित समझा गया कि इस मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और एक सदस्य को पुनरीक्षण समिति की बैठकों में प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाए, ताकि दोनों समितियों की पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग संबंधी सिफारिशों में तालमेल रहे ।

पुनरीक्षण समिति की निर्णायक बैठक का कार्यवृत्त मूल्यांकन समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार इस मूल्यांकन समिति ने विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं, पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों और सन् 1974 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत संस्थान के स्वरूप का अध्ययन करके अपनी विस्तृत रिपोर्ट में पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग के बारे में जो सिफारिशें कीं, उनका सार इस प्रकार है :

(1) 'प्रवेश' और 'परिचय' पाठ्यक्रमों के स्तर का निर्धारण क्रमशः विश्वविद्यालयों, अन्य भाषा-संस्थाओं और रक्षा मंत्रालय के विदेशी भाषा स्कूल के प्रवीणता बोधक 'सर्टिफिकेट' तथा 'डिप्लोमा' पाठ्यक्रम के समकक्ष किया जाए;

(2) इन पाठ्यक्रमों की अवधि दो-दो वर्ष की ही रहे;

(3) एक वर्ष का 'एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम' भी चलाया जाए । इस पाठ्यक्रम में प्रयोजनमूलक हिंदी तथा भारतीय संस्कृति से संबंधित पाठ्यसामग्री रखी जाए;

(4) यदि आवश्यकता हो तो सरकारी कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक निकायों आदि के लिए आवश्यकतानुसार मिश्रित पाठ्यक्रम तैयार किए जाएँ;

(5) भारतीय भाषाओं के माध्यम से चलने वाले पाठ्यक्रमों की व्यवस्था निदेशालय ही करता रहे । इन्हें स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को न सौंपा जाए;

(6) तमिल, मलयालम और बंगला के अलावा अन्य प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं को भी हिंदी शिक्षण के माध्यम के रूप में क्रमशः अपनाया जाए;

(7) अन्य विदेशी भाषाओं के माध्यम के रूप में अपनाने से पहले इस बात का सर्वेक्षण कर लिया जाए कि किन-किन विदेशी भाषाओं के माध्यम से हिंदी शिक्षण की माँग अधिक है;

(8) विदेशों में रहने वाले विद्यार्थियों से पचास डालर फीस के स्थान पर तीस डालर फीस ली जाए;

(9) पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग में जिन भाषाओं के लिए मूल्यांककों की संख्या पर्याप्त नहीं है, उनके लिए विभागीय कार्यकर्त्ताओं के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञों से भी मानदेय के आधार पर मूल्यांकन कराने की व्यवस्था यथापूर्व चलती रहे;

(10) बाहरी मूल्यांकनकर्त्ताओं के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएँ;

(11) वर्तमान परीक्षा पद्धति में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएँ :—

(क) जो विद्यार्थी द्विवार्षिक परीक्षा में बैठें, उन्हें दिए जाने वाले प्रमाणपत्रों में श्रेणी का उल्लेख हो;

(ख) जो विद्यार्थी द्विवार्षिक परीक्षा में न बैठें, पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण होने के योग्य माने जाएँ, उन्हें एक अलग प्रकार का प्रमाण-पत्र दिया जाए, जिसमें यह उल्लेख हो कि उन्होंने परीक्षा में बैठे बिना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है;

(12) आनुषंगिक पाठ्यसामग्री के लिए पुस्तकें सामान्यतः बाजार से न खरीदी जाएँ, वरन् निदेशालय ही यथासंभव नियोजित लेखन (कमीशंड राइटिंग) के रूप में इस प्रकार की सामग्री तैयार कराए;

(13) यदि विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त हो तो विदेशों में भी संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ;

(14) हिंदी रिकार्डों के कैसेट भी प्राथमिकता के आधार पर तैयार कराए जाएँ;

(15) इस संदर्भ में आवश्यकतानुसार 'मल्टीपल कापी लाइब्रेरी' तथा अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना भी उपयोगी होगा;

(16) व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों तथा परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों को रेल टिकटों पर छूट दिलाने के लिए रेलवे विभाग से संपर्क किया जाए;

(17) निदेशालय के वर्तमान पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग को निश्चित सोपानों में एक स्वतः पूर्ण संस्थान के रूप में, निदेशालय के तंत्र के अंतर्गत ही शीघ्र परिवर्तित कर दिया जाए।

इन सिफारिशों के साथ ही मूल्यांकन समिति ने प्रस्तावित 'हिंदी पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान'

के स्वरूप और उसके शैक्षिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक स्कंधों के लिए आवश्यक पदनामों और उनके वेतनमानों का भी ब्यौरा दिया।

मूल्यांकन समिति की इन सिफारिशों पर राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ समिति ने विचार किया। तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री के स्तर पर सितंबर, 82 में जो सिफारिशें अनुमोदित हुईं, उनमें से पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग से संबंधित सिफारिशों का सार इस प्रकार है :—

(1) पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग केंद्रीय हिंदी निदेशालय का ही अंग बना रहे। हाँ, मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उसका पुनर्गठन किया जाए ;

(2) पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग के साथ स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं के सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाए ;

(3) विद्यार्थियों से संपर्क बना रहे, इसके लिए विविध विषयों पर रुचिकर और अधिक्रमित पुस्तकें तैयार करवाई जाएँ।

इनके अतिरिक्त अकादमिक संगठन के स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू करने संबंधी सिफारिश पर यह निर्णय हुआ कि इसे वित्त मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके लागू किया जाए।

7.15 निष्कर्ष

पिछले पृष्ठों पर पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग की वर्तमान योजनाओं का जो विवरण प्रस्तुत किया गया है और उसके विकास को ऐतिहासिक संदर्भों में देखने का जो प्रयत्न किया गया है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह कार्यक्रम निदेशालय का एक अत्यंत प्रतिष्ठादायक कार्यक्रम है। अनेक कठिनाइयों और सीमित साधनों के बावजूद सरकारी तंत्र में इसने देश और विदेश में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए वैज्ञानिक पद्धति पर महत्वपूर्ण योगदान देकर यश अर्जित किया है। आरंभ में एक हजार विद्यार्थियों से शुरू कर इक्कीस हजार की सीमा को छूते हुए अब प्रतिवर्ष पंद्रह हजार के आसपास हिंदीतर भाषी और विदेशी छात्रों को व्यावसायिक अभिप्रेरण से मुक्त स्वेच्छापूर्वक अपनाए गए हिंदी पाठ्यक्रमों की ओर आकृष्ट करना कोई सरल काम नहीं है। पत्राचार के माध्यम से द्वितीय भाषा-शिक्षण का विश्वविद्यालय जैसे विराट स्तर का इतना व्यापक आयोजन कदाचित् देश और विदेश में अपने ढंग का पहला और अनोखा उदाहरण है।

7.16 भावी कार्यक्रम

देश और विदेश में आधुनिक भाषावैज्ञानिक पद्धति पर जितने भी द्वितीय भाषा-शिक्षण के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों या संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे हैं, वे सभी प्रायः त्रिस्तरीय हैं। इसलिए निदेशालय द्वारा चलाए जा रहे हिंदी पाठ्यक्रमों के बारे में भी मूल्यांकन समिति ने सिफारिश की कि इन्हें भी तदनुसार परिवर्तित किया जाए।

वर्तमान समय में चल रहे 'प्रवेश' और 'परिचय' पाठ्यक्रमों के स्थान पर भविष्य में एक-एक वर्ष के प्रवीणता बोधक प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट), सनद (डिप्लोमा) और उच्च सनद (एडवांस डिप्लोमा) पाठ्यक्रम शुरू किए जाने हैं। 'प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम' की तैयारियाँ हो चुकी हैं और आशा है, आगामी जुलाई, 86 के सत्र से इसे चालू कर दिया जाएगा। फिर एक-एक वर्ष के बाद क्रमश: सनद और उच्च सनद पाठ्यक्रम शुरू किए जाएँगे। तब तक 'परिचय' पाठ्यक्रम चलता रहेगा।

इन तीनों पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालयों और विदेशी भाषा संस्थानों के भाषा-पाठ्यक्रमों के समकक्ष मान्यता दिलवाने का प्रयत्न किया जाएगा।

अब तक अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और बंगला माध्यमों से सामान्य पाठ्यक्रम चल रहे हैं। अगले सत्र से तेलुगु माध्यम को भी अपनाए जाने का प्रस्ताव है।

भविष्य में इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि अन्य महत्वपूर्ण भारतीय भाषाओं को भी क्रमश: माध्यम के रूप में अपनाया जा सके।

विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी के बाद अरबी या स्पेनी को माध्यम बनाए जाने की संभावना है।

सार्वजनिक निकायों आदि के लिए विशेष मिश्रित पाठ्यक्रम चलाए जाने हैं। प्रारंभ में इंजीनियरी, पत्रकारिता, बैंकिंग और लेखा पद्धति, पराचिकित्सा (नर्सों आदि के लिए) आदि विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम बनाने का प्रस्ताव है।

अध्ययन-केंद्रों और एकाधिक प्रति पुस्तकालय (मल्टीपल कापी लाइब्रेरी) के बारे में मंत्रालय को प्रस्ताव विचारार्थ भेजा जा चुका है। निर्णय के बाद इन अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

7.17 विभाग के प्रकाशन

पाठमालाओं, पाठ्य-सामग्री, विविध पाठ्यक्रमों के व्याकरणों को छोड़कर विभाग ने जो महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की हैं, उनका विवरण इस प्रकार है :—

7.17.1 विदेशियों के लिए हिंदी प्राइमर (हिंदी प्राइमर फॉर फारेनर्ज)

भारत आने वाले अंग्रेजी भाषी विदेशी सैलानियों, विद्यार्थियों और पर्यटकों की व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 'हिंदी पाठमाला' तैयार की गई है। पाठमाला चार भागों में विभाजित है, पर एक ही जिल्द में प्रकाशित की गई है। भाग 1 और 2 आरंभिक विद्यार्थियों के लिए हैं, जिनमें स्थितिजन्य विषयों को वार्तालाप शैली में प्रस्तुत किया गया है और पाठों के अंत में सांस्कृतिक टिप्पणियाँ दी गई हैं। तीसरा खंड उन माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने भाषा के चारों कौशलों पर अधिकार कर लिया हो। इस खंड में छोटे-छोटे गद्य पाठ और व्याकरणिक

टिप्पणियाँ दी गई हैं। बोधन-परीक्षण के लिए प्रत्येक पाठ के अंत में प्रश्न-माला दी गई है। चौथे खंड का उद्देश्य विद्यार्थी को हिंदी साहित्य में प्रवेश कराना है। इसमें गद्य और पद्य दोनों के पाठ हैं।

यह पाठमाला 'निर्देशित अनुकरण' (गाइडेड इमिटेशन) पद्धति से तैयार की गई है। इसका उपयोग कक्षा-अध्यापन और स्वयं-शिक्षक दोनों रूपों में किया जा सकता है। यह योजना 1962 से शुरू हुई थी। इसके संपादन का भार क० मुं० हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, आगरा के तत्कालीन प्रोफेसर डा० रमानाथ सहाय की देखरेख में हुआ था। पुस्तक का प्रकाशन सन् 74 में निदेशालय के प० पा० विभाग ने किया। पुस्तक का मूल्य (देश में) 50·50 रु० और (विदेश में) 5.89 पाउंड या 18.18 डालर है। तीन हजार प्रतियाँ प्रकाशित हुई थीं जो अब समाप्त प्राय हैं।

7.17.2 देवनागरी लिपि अभ्यास-पुस्तक (डेस्क बुक ऑन देवनागरी स्क्रिप्ट)

हिंदी प्राइमर परियोजना के अंतर्गत ही चार खंडों वाली 'हिंदी प्राइमर' की सहायक पुस्तक के रूप में इसका निर्माण किया गया। यह पुस्तक भी अंग्रेजी माध्यम से है और इसमें देवनागरी लेखन विधि को तीरों और बिंदुओं से दर्शाया गया है, तथा लेखन-अभ्यास के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा गया है। वर्णों को आकार-सादृश्य और लेखन सुविधा के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का संपादन भी डा० रमानाथ सहाय ने किया है। पुस्तक 1974 में प्रकाशित हुई और इसका मूल्य (भारत में) 7.25 रु० और (विदेश में) 0.85 पाउंड या 2.61 डालर है।

7.17.3 हिंदी रिकार्ड

डाक द्वारा हिंदी सिखाने के साथ-साथ विभाग ने भाषावैज्ञानिक और शिक्षाशास्त्रीय पद्धति पर हिंदी-शिक्षण संबंधी दृश्य-श्रव्य सामग्री तैयार करने का काम भी हाथ में लिया। पत्राचार के विद्यार्थियों के लिए सहायक शिक्षण-सामग्री के रूप में या लिंगुआ फोन पद्धति से हिंदी सीखने वाले देशी या विदेशी व्यक्तियों के लिए विभाग ने अंग्रेजी माध्यम वाला हिंदी रिकार्डों का पहला संस्करण सन् 76 में प्रकाशित किया। दूसरा संशोधित संस्करण सन् 81 में निकला। इस संशोधित अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ तमिल और मलयालम भाष्य (कमेंट्री) वाले रिकार्ड भी तैयार किए गए।

रिकार्डों के एक समुच्चय (सैट) में 16 तवे (डिस्क) हैं और उनमें 32 पाठ हैं। आरंभिक आठ पाठ हिंदी उच्चारण से संबंधित हैं। अगले 16 पाठों में व्याकरणिक क्रम में वाक्य/पदबंध अभिरचना सिखाई गई है। शेष आठ पाठ स्थितिजन्य वार्तालाप के हैं, जिनसे हिंदी का सही और सहज बोलचाल वाला रूप सीखा जा सकता है। तीनों माध्यमों वाले रिकार्डों के साथ पठन-पुस्तिका भी है।

रिकार्ड ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के एच०एम०वी० रिकार्डिंग स्टूडियो, दिल्ली में तैयार हुए हैं। प्रत्येक सैट का रियायती मूल्य 120 रु० है।

7.17.4 हिंदी कैसेट

हिंदी रिकार्डों के आधार पर ही चारों माध्यमों (अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, बंगला) वाले हिंदी कैसेट भी तैयार किए जा चुके हैं। दो कैसेटों में प्रत्येक माध्यम की शिक्षण-सामग्री संकलित है। प्रत्येक कैसेट का मूल्य 30 रु० है।

7.17.5 द्विभाषी वार्तालाप पुस्तिकाएँ

विभाग ने अंग्रेजी-हिंदी, हिंदी-अंग्रेजी और तमिल-हिंदी वार्तालाप पुस्तिकाएँ पहले ही प्रकाशित कर दी थीं। वर्ष 85-66 में हिंदी-बंगला वार्तालाप पुस्तिका भी प्रकाशित हो गई है। इस पूरी योजना का विस्तृत विवरण निदेशालय की प्रकाशन योजनाओं के अंतर्गत अन्यत्र दिया गया है।

अध्याय 8

बिक्री और बिक्री-वर्धन

केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशालय तथा आयोग के प्रकाशनों की बिक्री की व्यवस्था सन् 66 में शुरू की गई। इससे पूर्व सभी प्रकाशनों की बिक्री सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे प्रकाशन प्रभाग की बिक्री शाखा के द्वारा ही होती थी। व्यवस्था यह थी कि निदेशालय/आयोग के प्रकाशनों की जितनी प्रतियाँ निःशुल्क वितरण के लिए निर्धारित होती थीं, वे निदेशालय/आयोग में प्राप्त हो जाती थीं; शेष बिक्री-शाखा को चली जाती थीं। बिक्री से हुई आय का लेखा-जोखा उन्हीं के यहाँ रहता था। आवधिक पत्रिकाओं के ग्राहक वहीं बनाए जाते थे और चंदा भी उन्हीं के पते पर भेजा जाता था। ग्राहकों को नियमित प्रेषण का दायित्व उन्हीं पर था।

कालांतर में, हिंदी ग्रंथ अकादमियों की स्थापना के बाद उनके प्रकाशनों की बिक्री भी निदेशालय द्वारा की जाने लगी और बिक्री-व्यवस्था के लिए निदेशालय में बिक्री अनुभाग की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त निदेशालय का प्रदर्शनी अनुभाग भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ-जहाँ हिंदी पुस्तक प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है, वहाँ छोटे पैमाने पर सभी प्रकाशनों की बिक्री-व्यवस्था करता है। पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग के व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों के अवसर पर भी संबंधित विषयों की पुस्तकें बिकती हैं।

इन प्रकाशनों की बिक्री की योजना के अंतर्गत बिक्री-वर्धन के लिए लाभप्रद शर्तों पर थोक व फुटकर एजेंटों को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा स्थापित बिक्री-केंद्रों के माध्यम से भी बिक्री की जाती है। छात्रों और अध्यापकों में इन प्रकाशनों के प्रति रुचि बढ़े, इसके लिए प्रोत्साहन स्वरूप उन्हें खरीद पर निश्चित छूट दी जाती है। वर्तमान समय में, दस रुपए से अधिक की खरीद पर सभी को 25 प्रतिशत, पुस्तकों के थोक-विक्रेताओं को एक हजार रु० तक के सालाना आर्डर पर 30 प्रतिशत, एक हजार से तीन हजार रु० तक पर 35 प्रतिशत और जिनका आदेश तीन हजार रुपए से अधिक हो, उन्हें 40 प्रतिशत कमीशन देने की व्यवस्था है।

अब तक की प्रतिवर्ष बिक्री का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वित्त वर्ष	कुल बिक्री (रुपयों में)	वित्त वर्ष	कुल बिकी (रुपयों में)
68-69	21,215=00	70-71	55,911=62
69-70	46,782=19	71-72	49,804=69

72-73	65,976=55	79-80	87,603=73
73-74	65,273=44	80-81	1,02,117=97
74-75	58,054=27	81-82	83,641=13(+95 डा०)
75-76	1,08,045=57	82-83	1,65,603=40(+25 डा०)
76-77	1,75,498=16	83-84	2,59,863=70(+40 डा०)
77-78	1,09,030=06	84-85 (केवल निदेशालय के प्रकाशन)	38,078=80(+24 पा० डा०)
78-79	96,286=67	85-86 -वही-	1,52,625=65 (+55.66 अमरीकी डालर, 26 ब्रिटिश पाउंड)

पहले निदेशालय और आयोग के प्रकाशनों की बिक्री व्यवस्था सम्मिलित थी। कार्यालयों के विभाजन के बाद सन् 84-85 से दोनों के बिक्री अनुभाग अलग-अलग कार्य कर रहे हैं।

बिक्री-वर्धन के लिए सभी यथोचित उपाय किए जाते हैं। सामान्यत: पत्र-पत्रिकाओं में डी०ए०वी०पी० के माध्यम से विज्ञापन दिलवाए जाते हैं और प्रकाशनों की सूचियाँ प्रकाशित कर निःशुल्क वितरित की जाती हैं, जिनमें सभी आवश्यक विवरण और नियमादि दिए जाते हैं। इस समय वर्ष 85 की प्रकाशन सूची उपलब्ध है।

अध्याय 9

हिंदी पुस्तकालय

शिक्षा मंत्रालय के हिंदी अनुभाग में हिंदी पुस्तकालय की स्थापना 1952 में की गई थी। 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना के बाद इसका स्थानांतरण निदेशालय में हो गया। 1952 में इस पुस्तकालय में केवल 1710 पुस्तकें थीं। प्रति वर्ष आवश्यकता और निश्चित बजट के अनुसार पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ खरीदी जाती रहीं। वर्ष 85-86 के अंत तक इसमें परिगृहीत पुस्तकों की संख्या 58588 हो गई है।

निदेशालय और आयोग के कार्यकलाप की आवश्यकताओं के अनुसार इस पुस्तकालय को एक अच्छे संदर्भ पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जाता रहा है। एक ओर इसमें शब्दावली निर्माण कार्य के लिए सभी प्रकार के कोशों और सभी विषयों की तकनीकी पुस्तकों का संग्रह किया जाता रहा है; तो दूसरी ओर आरंभ से ही यह महत्वाकांक्षा रही है कि इसे एक आदर्श हिंदी पुस्तकालय के रूप में भी विकसित किया जाए। बीच में कुछ अवधि के लिए हिंदी साहित्य का संग्रहण कम हो गया, किंतु सन् 80 के बाद फिर इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। पत्राचार द्वारा हिंदी शिक्षण कार्यक्रम के शुरू होने के बाद भाषा-शिक्षण और भाषाविज्ञान की पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं की खरीद पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा है।

हिंदी पुस्तकालय एक सार्वजनिक पुस्तकालय न होकर विभागीय पुस्तकालय ही है। अतः केवल दोनों कार्यालयों के कार्यकर्त्ताओं को ही पुस्तकें जारी की जाती हैं। आवधिक अंतर्विभागीय आदान-प्रदान की भी व्यवस्था है।

दिसंबर, 67 में निदेशालय और आयोग के विभाजन के फलस्वरूप इस पुस्तकालय का भी विभाजन किया गया था। किंतु 16 अगस्त, 1971 से फिर इन दोनों को मिला दिया गया है। बीच की लगभग साढ़े तीन साल की इस अवधि को छोड़कर यह पुस्तकालय सदा से निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहा है। दोनों कार्यालयों के फिर से अलग हो जाने के बावजूद अब भी यह पुस्तकालय एक साझे पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहा है। पुस्तक-चयन-समिति में दोनों संस्थाओं के सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता प्रति वर्ष बारी-बारी से दोनों संस्थाओं के शीर्षस्थ अधिकारी करते हैं।

एक लंबे समय तक इस पुस्तकालय में एक ग्रंथ सूचीकार का पद रहा। अतः अनेक ग्रंथ-सूचियाँ तैयार की गईं। अहिंदीभाषी राज्यों की विभिन्न संस्थाओं को हिंदी पुस्तकों की सूचियाँ

उनकी माँग के अनुसार भेजी जाती थीं। भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में काम करने वाले अनुसंधान-कर्ताओं और जिज्ञासुओं को भी जानकारी दी जाती थी। संदर्भ सेवा का काम नियमित रूप से चलता था। सातवें दशक के उत्तरार्ध में अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ के सहयोग से 'हिंदी प्रकाशक निदेशिका' तैयार की गई। हिंदी शिक्षा समिति के सुझाव पर साइक्लोस्टाइल रूप में एक वृहत् 'हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के कोशों और विश्वकोशों की संदर्भिका' तैयार की गई। दक्षिण भारतीय चारों भाषाओं के उच्चस्तरीय साहित्य की विषयवार ग्रंथसूचियाँ क्षेत्रीय कार्यालय (मद्रास) के सहयोग से तैयार की गईं। इसी तरह स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के सभी विषयों की ग्रंथ-सूचियाँ तथा पुस्तकालय में उपलब्ध कोशों की सूची भी तैयार की गई। समाचार पत्रों की भाषा संबंधी कतरनें तो नियमित रूप से अंतराविभागीय स्तर पर आज भी परिचालित की जा रही हैं। पुस्तकालय में वाचनालय की भी नियंत्रित व्यवस्था उपलब्ध है।

निदेशालय की स्थापना के आरंभिक वर्षों में यह महत्वाकांक्षा प्रकट की गई थी कि हिंदी पुस्तकालय को आगामी वर्षों में ऐसा व्यापक रूप दिया जाए कि वह देश में हिंदी-संदर्भ के लिए आदर्श पुस्तकालय बन सके। विगत वर्षों में अनेक प्रशासनिक, वित्तीय और स्थान संबंधी कठिनाइयों एवं परिस्थितियों के कारण यह आकांक्षा अंशतः ही पूरी हो पाई है। भविष्य में इस दिशा में और प्रयत्न किया जा सकता है।

अध्याय 10

सिंधी भाषा का विकास

10.1 भूमिका

सिंधी भाषा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 15 भारतीय भाषाओं में से एक है। संस्कृत को छोड़कर आधुनिक 14 भारतीय भाषाओं में से यही एक ऐसी भाषा है जो किसी राज्य की राजभाषा नहीं है। साथ ही, ऐतिहासिक कारणों से स्वतंत्रता के बाद सिंधी भाषी जनसमुदाय सामान्यतः अनेक राज्यों और विशेषतः महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में फैला और स्थायी रूप से बस गया। किसी राज्य विशेष की बहुसंख्यक भाषा न होने के कारण इसके प्रचार-प्रसार और विकास का मुख्य दायित्व केंद्र सरकार पर है।

सिंधी भाषा के शिक्षाशास्त्रियों और लेखकों का एक सम्मेलन 14 जून, 72 को हुआ। इस सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के फलस्वरूप शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने जुलाई, 72 में सिंधी भाषा के विकास के लिए योजना तैयार की।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय उस समय हिंदी के साथ-साथ उर्दू भाषा की प्रोन्नति का कार्यक्रम भी चला रहा था। अतः सिंधी भाषा के विकास का कार्य भी उसे ही सौंपा गया। तब से अब तक यह निदेशालय सिंधी भाषा के विकास के विविध कार्यक्रमों के लिए सचिवालयीन सहायता प्रदान कर रहा है।

10.2 सलाहकार समिति

सिंधी सलाहकार समिति का पहला गठन अगस्त, 75 में हुआ। इस समिति का पुनर्गठन दिसंबर, 79 में हुआ। सन् 81-82 में इस समिति का विस्तार किया गया।

मार्च, 85 में नई सिंधी सलाहकार समिति बनी। इसकी सदस्यता इस प्रकार है :—

1. शिक्षा मंत्री, अध्यक्ष
2. डा० मोतीलाल जोतवाणी, उपाध्यक्ष
3. प्रो० राम पी० पंजवाणी
4. प्रो० हरि दरयाणी दिलगीर
5. श्री लक्ष्मी खिलाणी
6. श्री गोविंद माल्ही
7. श्री गोवर्धन महबूबाणी 'भारती'
8. कुमारी पोपटी हीरानंदाणी
9. श्री खियलदास बेगवाणी 'फ़ानी'
10. डा० एम० के० जेतली

11. डा० नारायण एच० सामताणी
12. प्रो० सी० जे दासवाणी
13. श्री आचार्य भगवान देव
14. महामंत्री, अखिल भारत सिंधी बोली और साहित्य सभा, बंबई
15. श्री कीमत राय हरिसिंघाणी, मध्य प्रदेश सिंधु समाज
16. श्री मूलचंद मनवाणी, मध्य प्रदेश सिंधी लेखक संघ, भोपाल
17. श्री बलदेव टी० गाजरा, अखिल भारतीय सिंधी बोली साहित्य और कला विकास सभा, शांति निकेतन, बंबई
18. अध्यक्ष, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली
19. अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
20. निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय
21. निदेशक, उर्दू संवर्धन ब्यूरो, नई दिल्ली

10.3 कार्यक्रम

सिंधी भाषा और साहित्य के विकास की इस योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं :—

1. सिंधी में मानक साहित्य का निर्माण
2. पुरस्कार योजना
3. नव सिंधी लेखक कार्यशाला
4. पारिभाषिक शब्दावली निर्माण
5. साहित्यिक संगोष्ठियाँ
6. थोक पुस्तक खरीद और निःशुल्क वितरण
7. अनुसंधान परियोजनाएँ
8. दुर्लभ सिंधी पुस्तकों का आयात

10.3.1 मानक साहित्य का निर्माण

इस योजना में अकादमिक साहित्य के अतिरिक्त दुर्लभ तथा श्रेण्य सिंधी ग्रंथों का पुनर्मुद्रण, माध्यमिक स्तर तक की शैक्षिक पाठ्य पुस्तकें और विश्वविद्यालय स्तरीय संदर्भ ग्रंथों का निर्माण जैसे विषय सम्मिलित हैं। अब तक बीस मानक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

10.3.2 पुरस्कार योजना

सिंधी साहित्यकारों को उनकी साहित्यिक कृतियों पर 78-79 से वार्षिक प्रतियोगिता के आधार पर 2500 रु० के पाँच नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले पुरस्कार राशि 1500 रु० ही थी। अब तक 32 साहित्यकार पुरस्कृत हो चुके हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 12 में दिया जा रहा है।

10.3.3 नव सिंधी लेखक कार्यशालाएँ

विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर नव सिंधी लेखकों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष में तीन बार कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। अब तक ऐसी 10 कार्यशालाएँ उदयपुर, अजमेर, पूना, गाँधीधाम (आदिपुर), अहमदाबाद, वड़ोदरा, इंदौर, कलकत्ता, दिल्ली तथा आगरा में आयोजित की जा चुकी हैं। इन कार्यशालाओं में औसतन 25 नवलेखकों ने भाग लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में अक्टूबर-नवंबर, 85 में पांडुलिपि-विज्ञान पर 7 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की समाप्ति पर तीन मूर्ति भवन सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

10.3.4 पारिभाषिक शब्दावली संबंधी संगोष्ठियाँ

सिंधी की वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली की खोज और पहचान के लिए अब तक ऐसी पाँच संगोष्ठियाँ आयोजित की गई हैं। मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों के लगभग 40,000 पारिभाषिक शब्दों पर कार्य हो चुका है। भविष्य में शेष शब्दों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाएगा। इसके लिए हिंदी और उर्दू में निर्मित पारिभाषिक शब्दावली को सिंधी भाषा की प्रकृति के अनुसार ग्रहण करने या अनुकूलित करने का भी प्रयत्न किया जाएगा।

10.3.5 साहित्यिक संगोष्ठियाँ

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष में दो बार साहित्यिक संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। गद्य लेखन, भाषा और साहित्य तथा महान सिंधी कवि जैसे विषयों पर अब तक पाँच संगोष्ठियाँ हो चुकी हैं। स्वर्गीय श्री होतचंद, मूलचंद गुरवक्षाणी के व्यवितत्व और कृतित्व पर नई दिल्ली में एक विचार-गोष्ठी आयोजित की गई थी।

10.3.6 तदर्थ खरीद और निःशुल्क पुस्तक वितरण

लगभग 125 संस्थाओं, कॉलेजों, पुस्तकालयों आदि को निःशुल्क वितरित करने के लिए सिंधी पुस्तकों के चयन से संबंधित नामिका की बैठकें 1981 से प्रति वर्ष होती हैं। इस योजना के अधीन अब तक लगभग दो लाख रु० की 300 सिंधी पुस्तकों की 32,000 प्रतियाँ खरीद कर निःशुल्क वितरित की जा चुकी हैं।

10.3.7 अनुसंधान परियोजना

1986-87 वित्त वर्ष से विभिन्न विषयों पर आठ सिंधी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 8 विद्वानों को वित्तीय अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए बजट में एक लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

10.3.8 दुर्लभ सिंधी पुस्तकों का आयात

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्रकाशित सिंधी साहित्य की उत्कृष्ट पुस्तकों में से प्रतिवर्ष बीस हजार रुपए की पुस्तकों का आयात किया जाता है। प्रत्येक आयातित साहित्यिक कृति की 25-25 प्रतियाँ मँगवाई जाती हैं, जिन्हें देश के प्रसिद्ध पुस्तकालयों में इस उद्देश्य से वितरित किया जाता है ताकि वहाँ के सिंधी भाषी जन समुदाय को अधुनातन सिंधी साहित्य का परिचय प्राप्त हो सके।

10.4 विकास बोर्ड

सिंधी विकास बोर्ड बनाने के प्रस्ताव पर मंत्रालय में विचार हो रहा है। आशा है, शीघ्र ही इसका गठन हो जाएगा और सिंधी भाषा और साहित्य के विकास का कार्यक्रम उसकी देखरेख में होने लगेगा।

परिशिष्ट 1

केंद्रीय हिंदी निदेशालय : पदनामों और पदधारियों की स्थिति

31 दिसंबर, 1985

(1) निदेशक (1)

श्री राजमणि तिवारी

(2) प्रधान संपादक (1)

डा० नरेंद्र कुमार व्यास

(3) उपनिदेशक (2)

1. श्री देवेंद्र दत्त नौटियाल
2. डा० महावीर प्रसाद श्रीवास्तव

(4) क्षेत्रीय अधिकारी (4)

1. श्री एस० सी० भट्टाचार्य
2. श्री लोकनाथ भराली
3. श्री हेनरी आई० टेटे
4. श्री एन० नीलकंठन नंपूतिरि (सहायक निदेशक के रूप में क्षेत्रीय अधिकारी का कार्य देख रहे हैं)

(5) सहायक निदेशक (14)

1. डा० रमेश चंद्र गर्ग
2. श्री जगदीश किशोर चतुर्वेदी
3. श्री हरिबाबू वाशिष्ठ
4. डा० वी० पी० सिंह
5. श्री ओम्प्रकाश अग्रवाल
6. डा० रामबाबू शर्मा
7. श्री अनिल कुमार सुकुल
8. श्री बृजेंद्र नाथ शर्मा
9. श्री प्रेमदास
10. डा० लक्ष्मीनारायण गर्ग
11. श्री श्रीराम
12. डा० वीरेंद्र सक्सेना

13-14. रिक्त

(6) **सहायक शिक्षा अधिकारी—सामान्य (10)**

1. श्री जगदीश चंद्र सोनी
2. श्री शिवतोष दास
3. श्री ओम् प्रकाश वर्मा
4. श्री ओम् प्रकाश रोहतगी
5. श्री कल्लूराम करण
6. श्रीमती देश कुमारी
7. श्री सुरेंद्र लाल गूमर
8. श्रीमती सरोज जैन
9. श्री वीर सिंह आर्य
10. रिक्त

(7) **सहायक शिक्षा अधिकारी— पत्राचार पाठ्यक्रम (8)**

1. श्री एच० बालसुब्रह्मण्यम्
2. डा० शशि भारद्वाज
3. श्री अनंतराम शर्मा
4. श्री छोटेलाल मानव
5. डा० रमेश चंद्र भारद्वाज
6. श्रीमती हेमलता
7. श्री कृष्णचंद्र तिवारी
8. श्री नोरंगराय गुप्त

(8) **सहायक शिक्षा अधिकारी—सिंधी (1)** रिक्त

(9) **अनुसंधान सहायक (49)**

1. श्री इंदुभूषण प्रसाद
2. श्री हरिशंकर शर्मा
3. श्री दुर्गा प्रसाद
4. श्री जय प्रकाश शर्मा
5. श्री वेदपाल सहगल
6. श्री उमेश्वर प्रसाद मालवीय
7. श्रीमती संतोष नंदा
8. श्री चंद्र प्रकाश
9. श्रीमती पुष्पलता तनेजा
10. श्री कृष्णचंद्र गोयल
11. कुमारी कुसुम बंसल
12. श्रीमती सुदर्शन अरोड़ा
13. श्रीमती सुमन शर्मा
14. डा० भगवती प्रसाद निदारिया
15. श्री बालकृष्ण सेठी
16. श्री सुरेंद्र लाल मल्होत्रा
17. श्री कृपाशंकर सक्सेना
18. श्रीमती हेम रश्मि
19. श्री महेंद्रपाल सिंह
20. श्रीमती सरोज अरोड़ा
21. डा० नरेश कुमार
22. श्रीमती कुलदीप कौर
23. श्री बृजेंद्र कुमार त्रिपाठी
24. श्रीमती वीणा दीक्षित

25. श्री वलिराम प्रसाद

26. डा० सुमन कुमार गुप्त

27. श्री फूल सिंह

28. डा० (श्रीमती) अर्चना चतुर्वेदी

29. डा० सुवच्चन पांडेय

30. श्री गुणानंद थपलियाल

31. श्री भारतेश कुमार मिश्र

32. श्री सरोज कुमार शुक्ल

33. श्री सरोज कुमार त्रिपाठी

*34. डा० एन० के० नागराज

35. श्री जे० पी० वर्मा

36. श्री डालचंद जैन

37. श्री हमेल सिंह साजवाण

38. श्री रामचंद साहणी

39. श्री एच० एस० वर्मा

40. श्री अश्विनी कुमार

‡41. श्रीमती मेधा पटवर्धन

42. श्री गुलाव भाटी

43. श्रीमती शारदा यादव

(44)-(49) रिक्त

(10) मूल्यांकक (32)

1. श्री नंद किशोर मिश्र

2. श्री गुणेश झा

3. श्री श्रीप्रकाश मिश्र

4. श्री देवशंकर त्रिपाठी

5. डा० दिनेशचंद्र दीक्षित

6. श्रीमती नीरा रानी जौहरी

7. श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव

8. श्रीमती वीणा जैन

9. श्री वेद प्रकाश

10. श्रीमती सुधा सक्सेना

11. श्रीमती अरुणबाला शर्मा

12. श्रीमती नसीम फरीद

13. श्रीमती तृप्ता सहगल

14. श्रीमती पामिला ओहरी

15. श्रीमती उर्मिल गुप्ता

16. श्री आर०एस० राकेश

17. श्री सुरेंद्र प्रकाश

18. श्री सुधीर कुमार

19. श्रीमती रमेश रानी चूचरा

20. श्रीमती निर्मल चोपड़ा

---

* क्रम संख्या 34 से 40 तक की संख्या वाले व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर आए हैं।

‡ क्रम संख्या 41 और 42 जर्मन भाषा कोश के लिए और 43 चेक भाषा कोश और वार्तालाप पुस्तिका के लिए हैं।

21. श्री बी०एम०एल० रस्तोगी
22. श्रीमती बीना धाम
23. श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव
24. कु० जसवंत गुलाटी
*25. श्री सुव्रत सेन गुप्ता
26. श्री वी० विश्वनाथन
27. श्रीमती शारदा देवी
28. श्री के०वी० महींद्रन
29-32 रिक्त

(11) अनुवादक (1) रिक्त

(12) तकनीकी सहायक सिंधी/तमिल (2) रिक्त

(13) प्रशासनिक अधिकारी (1) श्री इंद्र प्रकाश दत्ता

(14) कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (1) श्री रामस्वरूप काला

(15) अधीक्षक (3)

1. श्री बलदेव राज कपूर
2. श्री मदन वल्लभ डोभाल
3. श्री जगभूषण चोपड़ा

(16) मुख्य लिपिक (5)

1. श्री पी० एस० गौड़िया
2. श्री रामनारायण बुंदेलिया
3. श्री अवतार सिंह
4. श्रीमती सरला शर्मा
5. श्री एम० एस० रावत

(17) कलाकार (1) श्री मनोहर लाल ओबेराय

(18) पुस्तकाध्यक्ष श्रेणी-I (1) श्री महेंद्र सिंह मेहता

(19) पुस्तकाध्यक्ष श्रेणी-II (1) श्री सी०पी० रावर

(20) पुस्तकाध्यक्ष श्रेणी-III (2)

1. श्रीमती के० आहूजा
2. श्री वी० एन० गवई

(21) प्रूफरीडर (वरिष्ठ) (1) 1. श्री वेदव्रत गुप्ता

---

*क्रम सं० 25 (बंगला); क्रम सं० 26 (तमिल); क्रम सं० 27-28 (मलयालम); क्रम सं० 29-32 के रिक्त पदों में 2 पद अंग्रेजी माध्यम के और 2 पद तमिल माध्यम के हैं।

(22) प्रूफरीडर (कनिष्ठ) (1) — श्री नानक चंद

(23) रखवाल (1) — श्री जगदीश लाल कपूर

(24) स्टाफ कार चालक (1) — श्री महावीर सिंह

(25) प्रवर श्रेणी लिपिक (20)

1. श्रीमती कौशल्यादेवी गेरा
2. श्री बी०एस० नेगी
3. श्री डी०वी० मल्होत्रा
4. श्री ओम् प्रकाश
5. श्री डी०एन० जोशी
6. श्री पी०सी० वत्स
7. श्री वेदपाल
8. श्री एस०एल० जोशी
9. श्री भगवती प्रसाद पंत
10. श्रीमती ईश्वरी साहणी
11. श्री रामनिवास
12. श्री जीतसिंह
13. श्रीमती पद्मा भाटिया
14. श्री पूरण सिंह
15. श्री रामचरण
16. श्री एस०एन०एस० शर्मा
17. श्री रामसिंह
18. श्रीमती सुशील शर्मा
19. श्री हरिशंकर
20. श्री एस०जे०एस० दुआ

(26) अवर श्रेणी लिपिक (41)

1. श्री आर० एन० शर्मा (कोषाध्यक्ष)
2. श्री इंद्र कुमार
3. श्रीमती माया देवी
4. श्री नानक दूदानी
5. श्रीमती इला होलदार
6. श्री संतराम लाकड़ा
7. श्री चंदन सिंह
8. श्री घूरे सिंह
9. श्री ए०के० राणा
10. श्रीमती पी०के० सरीन
11. श्री शिवदयाल
12. श्री जयभगवान शर्मा
13. श्रीमती आशारानी कालरा
14. श्री भीम सिंह
15. श्रीमती एन० तुलसी
16. श्री पी०एस० टढियाल
17. श्री जगदेव सिंह
18. श्री कैलाश चंद्र

19. श्री सतीश चंद्र गुप्त
20. श्री राजकुमार बहल
21. श्रीमती हरिप्रिया पंत
22. श्री अशोक कुमार वर्मा
23. श्री प्रेम प्रकाश सेठी
24. श्री के० गणेशन
25. श्री एस०के० दहिया
26. श्री जगदीश चंद्र
27. कुमारी पी०एल० सतीदेवी
28. श्री सुप्रिय कुमार सेन
29. कुमारी सुधा
30. कुमारी अंजु दत्ता
31. श्री अश्विनी कुमार
32. श्री एस० के० सिंह
33. श्री केदार नाथ
34. श्री मकान सिंह
35. श्री पलटन दास
36. श्री प्रीतम चंद
37. श्री प्रयाग दत्त
38. श्री बाबू लाल
39. कुमारी रूमा

40-41. रिक्त

(27) लेखा लिपिक (2)

1. श्री जय प्रकाश
2. कु० चंद्रकांता

(28) आशुलिपिक (वरिष्ठ) (2)

1. श्री सुखवीर किशोर
2. श्री मोहनराम आसवानी

(29) आशुलिपिक (कनिष्ठ) (8)

1. श्री आर०डी० गुप्ता
2. श्री एन०डी० श्रीवास्तव
3. श्रीमती सुरजीत कौर
4. श्रीमती इंदु मैंदीरत्ता
5. श्री हेमराज
6. श्री एम०एल० सकलानी
7. श्री टी०आर० गेरा
8. श्री वी०के० सक्सेना

(30) पुस्तकालय परिचर (1) — श्री अमर सिंह

(31) गेस्टेटनर ऑपरेटर (वरिष्ठ) (1) — श्री के०एल० सिंह

(32) गेस्टेटनर ऑपरेटर (कनिष्ठ) (1) — श्री टेकन राम

(33) **टेलीफोन ऑपरेटर** (2)

1. श्रीमती चंचल मलिक
2. श्रीमती चंद्रकांता शर्मा

(34) **दफ्तरी** (7)

1. श्री एम०एल० राणा
2. श्री फकीर चंद
3. श्री मुंशीराम
4. श्री ओम् प्रकाश
5. श्री रमेश चंद्र
6. श्री रामचंद्र
7. श्री के०डी० मिश्र

(35) **पैकर** (6)

1. श्री होशियार सिंह
2. श्री खेमचंद
3. श्री नानक चंद
4. श्री रिसाल सिंह
5. श्री एस०कन्नन
6. श्री दुर्गा चंद

(36) **पतालेखी चालक** (1)

श्री करम सिंह

(37) **चपरासी** (19)

1. श्री राजेश्वर दयाल
2. श्री भूपेंद्र झा
3. श्री रमेश चंद्र
4. श्री हरकिशन
5. श्री राजबीर सिंह
6. श्री जयराम
7. श्री जयसिंह
8. श्री अनिल कुमार
9. श्री मनोहर लाल
10. श्रीमती राजवती
11. श्री बाबू लाल
12. श्री हरिराम
13. श्री श्रीराम यादव
14. श्री सत्यवान
15. श्री शिवनाथ
16. श्री सदाहुद्दीन खान

17-19. रिक्त

(38) **फर्राश** (5)

1. श्री मोहन राम
2. श्री मोहन सिंह

3. श्री राम दुलारे
4. श्री बाबू लाल
5. श्रीमती प्रेमवती

(39) **सफाई कर्मचारी** (4)

1. श्री बुद्धा
2. श्री चंदूलाल
3. श्री मिट्ठनलाल
4. श्री रामसरूप

(40) **चौकीदार** (5)

1. श्री अमर बहादुर
2. श्री श्रीराम
3. श्री आँखें गुरंग
4. श्री शत्रोघन महतो
5. श्री तुलसीदास

(41) **गारद** (1) रिक्त

क्षेत्रीय कार्यालय अमला

(1) **आशुलिपिक** (4)

1. श्री सैयद खलील अहमद (मद्रास)
2. श्री एम० के० चटर्जी (कलकत्ता)
3. श्री एम० वेलायुथम (हैदराबाद)
4. (गुवाहाटी)

(2) **अवर श्रेणी लिपिक** (8)

1. श्री एस० जयरामन (मद्रास)
2. श्री वी० अनंतनारायणन (मद्रास)
3. श्री आर०एन० चौधरी (कलकत्ता)
4. कुमारी ए० चक्रवर्ती (कलकत्ता)
5. श्रीमती रोहिणी जरीपटके (हैदराबाद)
6. कुमारी सुचित्रा एल० (हैदराबाद)
7. श्री धरमकांत शर्मा (गुवाहाटी)
8. श्री एम०सी० शर्मा (गुवाहाटी)

(3) **चपरासी** (4)

1. श्री पी० देवनाथन (मद्रास)
2. श्री द्वीपन सेन गुप्त (कलकत्ता)
3. श्री एम० कृष्ण (हैदराबाद)
4. (गुवाहाटी)

परिशिष्ट—2

भारतीय भाषाओं के द्विभाषा व्यावहारिक लघु कोशों के क्षेत्रीय भाषाओं के पर्याय-अंकन और पुनरीक्षण करने वाले विद्वानों की सूची

हिंदी मूलक कोश

क्रम संख्या	कोश	पर्याय-अंकन	पुनरीक्षण
1.	हिंदी-असमिया	डा० जी०सी० गोस्वामी असमिया विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय	श्री परेशचंद्र देव शर्मा प्राचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण महा-विद्यालय, उत्तर गुवाहाटी
2.	हिंदी-उड़िया	डा० राधाकांत मिश्र शांति निकेतन	डा० के० महापात्र शांति निकेतन
3.	हिंदी-उर्दू	श्री मसूद हाशमी उर्दू सर्विस, आकाशवाणी, नई दिल्ली	डा० अबुल फैज, उर्दू संवर्धन ब्यूरो, नई दिल्ली
4.	हिंदी-कन्नड़	डा० विनोदा बाई दिल्ली विश्वविद्यालय	डा० सेतु माधव राव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली डा० एन०के० नागराज, के०हिं० निदेशालय
5.	हिंदी-कश्मीरी	डा० (श्रीमती) सुशीला सर	श्री जानकी नाथ भान
6.	हिंदी-गुजराती	डा० महेंद्र दवे दिल्ली विश्वविद्यालय	डा० चंद्रकांत मेहता दिल्ली विश्वविद्यालय
7.	हिंदी-तमिल	श्री एस० महालिंगम	डा० एस० नारायण, अय्यर दिल्ली विश्वविद्यालय
8.	हिंदी-तेलुगु	डा० पांडुरंगराव संघ लोक सेवा आयोग	डा० लक्ष्मी रेड्डी दिल्ली विश्वविद्यालय

9. हिंदी-मलयालम	डा० विश्वनाथ अय्यर कोचीन विश्वविद्यालय	श्री पी०डी० आचारी लोक सभा, नई दिल्ली
10. हिंदी-मराठी	डा० न० चि० जोगलेकर शांति निकेतन	डा० सविता जाजोदिया राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
11. हिंदी-सिंधी	प्रो० (डा०) सतीशकुमार रोहरा केंद्रीय हिंदी संस्थान	डा० मुरलीधर जेतली दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रादेशिक भाषा मूलक कोश

क्रम संख्या कोश	निर्माण	पुनरीक्षण
1. उड़िया-हिंदी	श्री राधाकांत मिश्र शांति निकेतन	डा० के० महापात्र शांति निकेतन
2. उर्दू-हिंदी	श्री मसूद हाशमी आकाशवाणी, नई दिल्ली	श्री सुरेंद्र लाल गूमर के०हिं० निदेशालय
3. मलयालम-हिंदी	डा० विश्वनाथ अय्यर कोचीन विश्वविद्यालय	डा० के०ए० कोशी अलीगढ़ विश्वविद्यालय

तत्सम शब्द कोश संपादन परामर्श मंडल

(1) निदेशक, के० हि० निदेशालय	पदेन अध्यक्ष
(2) डा० नगेंद्र	परामर्शदाता
(3) प्रो०सी०के० दासवाणी पूना विश्वविद्यालय	सदस्य
(4) डा०के०वी०वी०एल० नरसिंह राव, प्रिंसीपल, सदर्न रीजनल सेंटर, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर	सदस्य
(5) डा० सत्यकाम वर्मा	सदस्य
(6) प्रो० मोहम्मद हसन भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
(7) डा० रणवीर रांग्रा भूतपूर्व निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय	सदस्य
(8) डा० अशोक आर० केलकर, डेक्कन कॉलेज, पुणे	सदस्य
(9) डा० मंडन मिश्र, निदेशक, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
(10) डा० नरेंद्र व्यास प्रधान संपादक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय	सदस्य सचिव

तत्सम शब्द कोश कार्यदल के भाषावार विशेषज्ञ

असमिया	डा० महेंद्र नाथ दूबे
उर्दू	श्री नूरनबी अब्बासी

उड़िया	डा ० (श्रीमती) शिवप्रिया महापात्र
कन्नड़	श्री बी० आर० नारायण
कश्मीरी	श्री जानकीनाथ भान
गुजराती	डा० महेंद्र दवे
तमिल	डा० (कुमारी) के०ए० जमुना
तेलुगु	डा० ई० पांडुरंगराव
पंजाबी	(स्व०) डा० ओम् प्रकाश शास्त्री
बंगला	डा० निरंजन चक्रवर्ती
मराठी	श्रीमती सुलभा नारंग
मलयालम	श्री बालसुब्रह्मण्यम्
सिंधी	डा० मोती लाल जोतवाणी

हिंदी-संयुक्त राष्ट्र संघ भाषा कोश
संपादन परामर्श-मंडल

(1) निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय	अध्यक्ष
(2) डा० नगेंद्र	परामर्शदाता
(3) डा० सुस्निग्ध डे	सदस्य
स्पेनी विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
(4) डा० (श्रीमती) अनुराधा कुंते, फ्रांसीसी विभाग जे०एन०यू० नई दिल्ली	सदस्य
(5) प्रो०वी०पी० दत्त चीनी विभाग, दिल्ली वि०वि० दिल्ली	सदस्य
(6) डा० शिवराय चौधरी अरबी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
(7) डा० नरेंद्र व्यास प्रधान संपादक, के०हि०नि०	सदस्य
(8) श्री हरिबाबू वाशिष्ठ, सहायक निदेशक, के०हि०नि०	(सदस्य-सचिव)

कार्यदल

(1) हिंदी-स्पेनी कोश	**पर्याय-अंकन**	डा० एनरीक खारदिएल, स्पेनी विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
	पुनरीक्षण	श्रीमती मालविका भट्टाचार्य, स्पेनी विभाग, विदेशी भाषा विद्यालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
(2) हिंदी-अरबी कोश	**पर्याय-अंकन**	प्रो० शिवराय चौधरी अरबी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

(3) **हिंदी-फ्रांसीसी कोश**	**पर्याय अंकन**	श्रीमती किरण चौधरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
	पुनरीक्षण	डा० (श्रीमती) अनुराधा कुंते जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
(4) **हिंदी-चीनी कोश**	**पर्याय अंकन**	श्री कैलाशचंद्र माथुर चीनी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
	पुनरीक्षण	प्रो०वी०पी० दत्त चीनी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

परिशिष्ट 5

भारतीय भाषा परिचय कोश के लेखक

1. डा० महेंद्रनाथ दूबे क० मुंशी हिंदी विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा	असमिया
2. श्री शंकरलाल पुरोहित प्रिंसीपल, हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय, भुवनेश्वर	उड़िया
3. डा० सत्यदेव चौधरी अवकाश प्राप्त रीडर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	उर्दू
4. डा० एस०एन० दक्षिणमूर्ति अध्यक्ष, हिंदी विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय	कन्नड़
5. डा० बदरीप्रसाद कल्ला कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	कश्मीरी
6. डा० सुरेशचंद्र त्रिवेदी वल्लभ विद्यानगर, आनंद, गुजरात	गुजराती
7. डा० कृष्णस्वामी आयंगर गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	तमिल
8. डा० भीमसेन निर्मल उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलुगु
9. डा० एम० रामन नायर हिंदी विभाग, कोचीन विश्वविद्यालय	मलयालम
10. डा० हरदेव बाहरी इलाहाबाद	पंजाबी

11. डा० कुसुम बाँठिया — बंगला
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

12. डा० कृष्ण दिवाकर — मराठी
पूना विश्वविद्यालय, पुणे

13. डा० सत्यपाल नारंग — संस्कृत
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

14. डा० मोतीलाल जोतवाणी — सिंधी
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

15. डा० नरेंद्र व्यास — हिंदी
प्रधान संपादक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय

परिशिष्ट 6

जर्मन-हिंदी कोश के निर्माण कार्य में सहयोग देने वाले गैर-सरकारी भारतीय विशेषज्ञ तथा विदेशी विद्वान

(1) प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान

जर्मन जनवादी गणतंत्र से (7)

(1) डा० गात्स्लाफ और डा० नेस्पिताल

(2) डा० गात्स्लाफ और डा० नेस्पिताल

(3) डा० बागान्स

(4) डा० बागान्स और कु० लोयत्स्के

(5) डा० गात्स्लाफ और डा० नेस्पिताल

(6) डा० गात्स्लाफ और डा० ब्योर्नर

(7) डा० गात्स्लाफ और डा० ब्योर्नर

(भारत) निदेशालय से (4)

(1) डा० हरदेव बाहरी, डा० प्रमोद तलगेरी और श्री राजमल जैन

(2) सर्वश्री उमेश्वर प्रसाद मालवीय और सुरेंद्रलाल मल्होत्रा

(3) सर्वश्री देवेंद्रदत्त नौटियाल और सुरेंद्रलाल मल्होत्रा

(4) सर्वश्री देवेंद्रदत्त नौटियाल और गुलाब भाटी

(2) प्रविष्टियों के हिंदी पर्याय निर्धारित करने में सहयोगी

(1) डा० प्रमोद तलगेरी, अध्यक्ष, जर्मन विभाग, जे०एन०यू०, नई दिल्ली

(2) डा० महादेव करमरकर, भू० पू० अध्यक्ष, जर्मन विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

(3) श्री डी०वी० पटवर्धन, लेक्चरर जर्मन, विदेशी भाषा विद्यालय, नई दिल्ली

(4) डा० (श्रीमती) सुषमा लोहिया, नई दिल्ली

(5) कु० शशि बत्रा, नई दिल्ली

(6) कु० संगीता बत्रा, नई दिल्ली

(7) श्री गुलाब भाटी, नई दिल्ली

(8) श्री रामचंद्र गुप्ता, जे०एन०यू०, नई दिल्ली

(3) जर्मन प्रविष्टियों को अंतिम रूप देने में सहयोगी

(क) विदेशी

(1) डा० हेलमूत नेस्पिताल, हम्बोल्ड्ट विश्वविद्यालय, बर्लिन

(2) डा० मार्गोत गात्स्लाफ, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, लाइप्ज़िग

(3) डा० लुत्स बागान्स, हम्बोल्ड्ट विश्वविद्यालय, बर्लिन

(4) डा० बरबारा ब्योर्नर, हम्बोल्ड्ट विश्वविद्यालय, बर्लिन

(5) कु० क्रिस्टीना ओयस्तरहेल्ड —वही—

(6) कु० लोयत्स्के —वही—

(ख) भारतीय

(1) डा० प्रमोद तलगेरी, अध्यक्ष, जर्मन विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली

(2) डा० एस०पी० जैन —वही—

(3) डा० अनिल भट्टी —वही—

(4) डा० एस०एन० उपाध्याय, विभागाध्यक्ष, जर्मन विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

(5) कु० इंदु भावे, लेक्चरर जर्मन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

(6) श्रीमती निर्मल गुप्ता, लेक्चरर जर्मन, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला

(7) श्री आर०के० शर्मा, अध्यक्ष, जर्मन विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

(8) डा० (श्रीमती) सुषमा लोहिया, नई दिल्ली

(9) श्री प्रणव गोस्वामी, लेक्चरर जर्मन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

परिशिष्ट—7

प्रकाशकों के सहयोग से लोकप्रिय पुस्तकों की प्रकाशन योजना के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक-सूची

वर्ष 1960 से मार्च 69

क्रम सं०	पुस्तक का नाम	मूल लेखक	अनुवादक	मूल्य	प्रकाशक
1	2	3	4	5	6
1.	सितारे	नार्मन हॉस	श्रीकांत व्यास	2.50	शिक्षा भारती, दिल्ली-शाहदरा
2.	हवाई जहाज	एच० जे० हाइलैंड	रामचंद्र तिवारी	2.50	"
3.	मौसम	आर०एस० स्कोरर		2.50	"
4.	बिजली	जेरोम जे० नॉट्किन	श्रीप्रकाश तिवारी	2.50	"
5.	विज्ञान की बातें	—वही—	बालकृष्ण	2.50	"
6.	मशीनें	—वही—	सिद्धि तिवारी	2.50	"
7.	राकेट	क्लेटन नाइट	रामचंद्र तिवारी	2.50	"
8.	हमारी पृथ्वी	फेलिक्स	श्रीकांत व्यास	2.50	"
9.	कीड़े पतंगे	रोनाल्ड एन रूड	रामचंद्र तिवारी	2.50	"

1	2	3	4	5	6
10.	आदमी की कहानी	डोनाल्ड वार	श्रीकांत व्यास	2.50	शिक्षा भारती दिल्ली-शाहदरा
11.	परमाणु शक्ति	डोनाल्ड वार	रामचंद्र तिवारी	2.50	"
12.	विज्ञान के खेल	मार्टिन एल० कीन	—वही—	2.50	"
13.	माईक्रोस्कोप	—वही—	—वही—	2.50	"
14.	गणित की कहानी	हाईलैंड और हाईलैंड	रामचंद्र तिवारी तथा श्री प्रकाश तिवारी	2.50	"
15.	रसायन विज्ञान	मार्टिन एल० कीन	रामचंद्र तिवारी	2.50	"
16.	साहसपूर्ण यात्राएँ	इर्विंग राबिन	श्रीकांत व्यास	2.50	"
17.	हमारा शरीर	मार्टिन एल० कीन	—वही—	2.50	"
18.	चलचित्र और बल्ब के आविष्कारक एडीसन की कहानी			1.50	"
19.	परमाणु शक्ति के आविष्कारक फर्मी की कहानी			1.50	"
20.	भौतिकी का विकास	अलबर्ट आइन्स्टीन और लियोपाल्ड इन्फेल्ड	रामकुमार मिश्र	5.30	आर्गस पब्लिशिंग कं०, नई दिल्ली
21.	जीवन के रसायन तत्त्व			3.20	"
22.	यांत्रिक मनुष्य			3.25	"

1	2	3	4	5	6
23.	पादप शरीर क्रिया विज्ञान			2.50	आर्गस पब्लिशिंग कं०, नई दिल्ली
24.	बुद्धि—उसका विकास और रूप			2.50	,,
25.	मानव शरीर की वैज्ञानिक पुस्तक	एडिथ ई० स्प्राउल एम० डी०	कृष्ण कुमार	6.00	,,
26.	विश्व के महान् वैज्ञानिक	फिलिप केन		9.00	राजपाल एंड संस, दिल्ली
27.	भारतीय दर्शन भाग—1	राधाकृष्णन	नंद किशोर गोभिल	25.00	,,
28.	भारतीय दर्शन भाग—2	,,	,,	28.00	,,
29.	समन्वेषण और खोज	एच० जे० वुड	वीरेंद्र के० पांडेय	4.50	,,
30.	विज्ञान का सहज बोध	जे० ब्रोनोस्की		4.50	कैपिटल बुक हाउस, दिल्ली
31.	परमाणु	जॉन रोलैंड		5.50	,,
32.	अतल गहराई में जीवन	मारिस बर्टन	विजय धूपर	6.50	,,
33.	विज्ञान की कहानियाँ—1	सटक्लिफ और सटक्लिफ		8.00	,,
34.	,, —2	,,		7.00	,,
35.	,, —4	,,		6.50	,,
36.	जिन्होंने दुनिया बदल दी	एगॉन लार्सन		10.00	,,

1	2	3	4	5	6
37.	हेलीकाप्टर	बेसिल आर्केल और जॉन डब्ल्यू०आर० टेलर		6.25	कैपिटल बुक हाउस, दिल्ली
38.	जिन्होंने भविष्य बनाया	एगॉन लार्सन	वंदना	11.00	,,
39.	जापान का संक्षिप्त आर्थिक इतिहास	जी० सी० एलेन	एन० पी० पांडे	9.00	,,
40.	अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्याएँ			6.50	,,
41.	ब्रिटेन का इतिहास—1	रेमजे म्यूर	मंगलनाथ सिंह	18.50	,,
42.	,, —2	—वही—	—वही--	17.50	,,
43.	आदमी कैसे बना ?	आई० डब्ल्यू० कार्नवाल	जगदीश सेठ	9.00	,,
44.	आविष्कारों की सच्ची कहानी	एगॉन लासन		3.50	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
45.	भाप इंजन की सच्ची कहानी	ई० एफ० डीन	शांता देवी	3.00	,,
46.	पृथ्वी की सच्ची कहानी	पैट्रिक मूर		3.50	,,
47.	मनुष्य की उत्पत्ति और मानव जातियाँ			5.00	,,
48.	नवीन विज्ञान : 1001 प्रश्न और उत्तर	डेविड ओ० वुडवरी		8.00	आत्मा राम एंड संस, दिल्ली
49.	जीवों के शत्रु विषाणु	केनेथ एम० स्मिथ	महेंद्र भारद्वाज	5.00	,,

1	2	3	4	5	6
50.	विकास की प्रक्रिया	जूलियन हक्सले	मधुकर	4.00	आत्मा राम एण्ड संस, दिल्ली
51.	जीवधारी : स्वरूप और स्वभाव	सी० बुकवर्थ रावर्ट्स के एंडर्स	धीरेंद्र अग्रवाल	5.50	,,
52.	परमाणु ऊर्जा	एगॉन लार्सन	धीरेंद्र अग्रवाल	6.00	,,
53.	अल्मोनियम की कहानी			2.00	सर्व सुलभ साहित्य सदन, असोघर
54.	अचल संपत्ति का मूल्यन			3.75	,,
55.	विज्ञान गा उठा—1	शिशिर शोभन अष्ठाना		1.25	राम नारायण लाल बेनी प्रसाद, इलाहाबाद
56.	विज्ञान गा उठा—2			1.25	,,
57.	जीव की उत्पत्ति	डा० कृष्ण बहादुर		2.00	,,
58.	कुक्कुट पालन	प्रो० जयरामसिंह		1.55	,,
59.	जंगल और आँगन	एम० कृष्णन्	महेंद्र भारद्वाज	5.25	शब्दकार, दिल्ली
60.	शब्दों का अध्ययन	भोलानाथ तिवारी		8.00	,
61.	विश्व अर्थ व्यवस्था			7.50	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
62.	भारतीय ग्राम : सांस्थानिक परिवर्तन और आर्थिक विकास	डा० पूरनचंद्र जोशी		9.50	,,

1	2	3	5	5	6
63.	अंतरिक्ष युग में संसार			9.00	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
64.	कृषि विज्ञान	आर० आर० दासगुप्ता	मन्मथनाथ गुप्त	7.00	,,
65.	शाल वनों का द्वीप	शानी		4.00	,,
66.	भारतीय दर्शन की रूपरेखा	एम० गिरियन्ना		7.00	,,
67.	सामाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धांत			6.00	,,
68.	शिक्षा की रूपरेखा			6.25	,,
69.	फ्रायड मनोविज्ञान प्रवेशिका			4.50	,,
70.	काल और कला	दिनकर कौशिक		8.00	,,
71.	संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व नागरिकता	सं०-यूनेस्को		1.75	,,
72.	संयुक्त राष्ट्र और उसके विशिष्ट अभिकरणों संबंधी शिक्षा के लिए कुछ सुझाव	—वही—		2.00	,,
73.	प्रसार एवं ग्राम कल्याण			10.00	राम प्रसाद एंड संस, आगरा
74.	विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ भाग—1	श्रीराम गोयल		20.00	विश्वविद्यालय प्रकाशन, गोरखपुर

1	2	3	4	5	6
75.	जन जातीय जीवन और संस्कृति—भारतीय जन का इतिहास			6.50	सहचारी प्रकाशन प्रसारण, दिल्ली
76.	वाकाटक-गुप्त युग	डा० रमेशचंद्र मजूमदार	अनंत सदाशिवं अलतेकर	14.00	मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली
77.	नंद मौर्य युगीन भारत			18.00	,,
78.	प्राचीन भारत में राज्य और न्यायपालिका			9.45	,,
79.	भारतीय पुरालिपि शास्त्र	जार्ज ल्यूलर	मंगलनाथ सिंह	25/-	,,
80.	भाषा	ब्लूमफील्ड	डा० विश्वनाथ प्रसाद	20/-	,,
81.	आधुनिक चिकित्सा शास्त्र			36/-	,,
82.	जापान का संक्षिप्त इतिहास	बी०आर० चटर्जी	सुषमा	5·25	मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ
83.	भारत की जनसंख्या	एस० चंद्रशेखर		4/-	,,
84.	भारतीय शैक्षणिक विचारधारा	के०जी० सैयदैन	बी० कपूर	10/-	,,
85.	राष्ट्रीयता तथा भारतीय शिक्षा	शंभु शरण दीक्षित	उर्मिला दीक्षित	6.50	एशियन पब्लिशर्स, जालंधर
86.	राधाकृष्णन शिक्षा शास्त्री के रूप में	राजेन्द्र पाल सिंह	ऊषा	4.25	,,

1	2	3	4	5	6
87.	प्रगति के स्वर			7.50	एशियन पब्लिशर्स, जालंधर
88.	अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा			7/-	,,
89.	प्राथमिक स्कूलों में अंकगणित की शिक्षा	एल० डब्ल्यू० डाउनीज डी० पालिंग	ब्रह्मानंद	13.50	,,
90.	भारत में दृश्य-श्रव्य की शिक्षा	सुजीत चक्रवर्ती	गंगारत्न पाण्डेय	18/-	एस० के० चक्रवर्ती, कलकत्ता
91.	मैडम क्यूरी	ईव क्यूरी	धीरेन्द्र अग्रवाल	3/-	ओरिएंट लांगमैन, नई दिल्ली
92.	मेरी जीवन गाथा	जॉन स्ट्राची	इन्द्र देव उपाध्याय	6.50	,,
93.	श्रमिक यूनियनवाद का सार			5.50	सिद्धार्थ पब्लिकेशन, दिल्ली
94.	विराट जागृति और प्रजातंत्र की चुनौती			6.50	,,
95.	संस्कृत नाटक			14/-	मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली
96.	अंग्रेजी भाषा का प्रसार			2.75	भारतीय अनुवाद परिषद्, दिल्ली
97.	प्रजातीय और सामुदायिक संबंधी विषयक शिक्षा			4.50	वातायन प्रकाशन, बीकानेर
98.	भूगोल शिक्षण की आधार पुस्तक	(यूनेस्को)	शिव तोष दास	7.75	थामसन प्रेस, फरीदाबाद

1	2	3	3	5	6
99.	मुगलों का प्रांतीय शासन	इलियट और डाउसन	मथुरा लाल शर्मा	18/-	राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, लखनऊ
100.	भारत का इतिहास-4	,,	,,	17/-	शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, आगरा
		1969-70			
101.	जीवन की कहानी	इरविंग एडलर	अजय कुमार	4/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली
102.	ल्यूई पास्चर	एवेलियन एटवुड	डा० ब्रज नारायण सिंह	3-50	ओरिएंट लांगमैन, नई दिल्ली
103.	कार्यरत आधुनिक वैज्ञानिक	एमेबेल विलियम्स	एम० के० गौड़	6/-	कैपिटल बुक हाउस, दिल्ली
104.	लाल बहादुर शास्त्री (जीवन और विचार)	रामचंद्र गुप्त	ऊषा तिवारी	6/-	एशियन पब्लिशर्स, जालंधर
105.	विज्ञान की कहानियाँ-3	सटक्लिफ और सटक्लिफ		7/-	कैपिटल बुक हाउस, दिल्ली
106.	रेलगाड़ी	डेविड सेंट जॉन टामस	असित चौहान	6.50	,,
107.	खगोल विज्ञान के महान क्षण	आर्ची ई० राय	एम० गुलाटी	6/-	,,
108.	एकाधिकारिक प्रतियोगिता	एडवर्ड हेस्टिंग्ज चेम्बर-लिन	सुरेशचंद्र पंत	14/-	,,
109.	रसायन नया संसार बना रहा है	बरनॉड जाफे	महाव्रत विद्यालंकार	9/-	आर्गस पब्लिशिंग कं०, नई दिल्ली
110.	मानव शरीर संरचना और कार्य	एलबर्ट टोके	नरेश बेदी	11/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली

1	2	3	4	5	6
111.	मानव शरीर रचना भाग-I	—	नरेश वेदी	28/-	मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली
112.	मृत्युंजयी	संपादन-भवानी प्रसाद मिश्र, डा० प्रभाकर माचवे		12/-	शब्दकार, दिल्ली
113.	ट्रांजिस्टर	एगॉन लार्सन	एन०के० जैन	6.25	कैपिटल बुक हाउस, दिल्ली
114.	जेटयान	जान डब्ल्यू०आर०टेयलर	एन०के० जैन	6.25	,,
115.	पानी का परिचय	आई०सी०जोसलीन	महेंद्र चतुर्वेदी	4.25	मैकमिलन एंड कं०, बंबई
116.	हवा की महिमा	आई०सी० जोसलीन	महेंद्र चतुर्वेदी	4.25	,,
117.	भारत का इतिहास खंड-5	इलियट और डाउसन		17/-	शिवलाल अग्रवाल एंड संस, आगरा
118.	गुरु गोविंद सिंह की जीवनी	सुरेंद्र सिंह जोहर	मोहन सपरा	7-75	एशियन पब्लिशर्स, जालंधर
119.	थामस एडीसन	ट्रेवेलियन मिलर	डा० वी०एन० सिंह	3.25	ओरिएंट लांगमैन, नई दिल्ली
120.	आधुनिक जीव विज्ञान	सी०एच० वाडिंगटन	आर०डी० शर्मा	6-50	कैपिटल बुक हाउस, दिल्ली
121.	भारतीय क्रिकेट ज्ञान-कोश	एल०एन० माथुर		20/-	कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर
		1970-71			
122.	हरियाणा	योगराज थानी		3/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली
123.	तमिलनाडु	बालशौरि रेड्डी		3/-	,,

1	2	3	4	5	6
124.	गुजरात	पीतांबर पटेल, गोपाल दास नागर		3/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली
125.	बंगाल	हंसकुमार तिवारी		3/-	,,
126.	हिमाचल प्रदेश	विराज		3/-	,,
127.	मैसूर	बालशौरि रेड्डी		3/-	,,
128.	राजस्थान	यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र		3/-	,,
129.	मध्य प्रदेश	राजेन्द्र अवस्थी		3/-	,,
130.	कंप्यूटर	रमेश वर्मा		3/-	,,
131.	भारतीय चाय	भगवान सिंह		3-75	,,
132.	बिहार	सत्यदेव नारायण सिनहा		3/-	,,
133.	मलाबार से मास्को तक	के०पी०एस० मेनन	नूर नबी अब्बासी	12/-	शब्दकार, दिल्ली
134.	गुड़ियों के देश में	प्रमोद चंद्र शुक्ल		5.70	,,
135.	भारतीय चिंतन परंपरा	के० दामोदरन	जी० श्रीधरन	15-	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
136.	भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत	डा० कर्ण सिंह	पद्मिनी मेनोन	7/-	थामसन प्रेस, दिल्ली

1	2	3	4	3	4
137.	प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा	एल० डब्ल्यू डाउनीज, डी० पालिंग	ब्रह्मानंद	8.50	स्टर्लिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली
138.	शहीद भगतसिंह	गुरदेव सिंह दयोल		5/-	,,
139.	ताज्जुजबेकी	भोलानाथ तिवारी		8/-	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
140.	भाषा-विज्ञान	मैक्समूलर	उदयनारायण तिवारी	17.50	मोती लाल बनारसी दास, दिल्ली
141.	वर्कशाप प्रेक्टिस			11.50	राम प्रसाद एंड संस, आगरा
142.	हमारा महाद्वीप	प्रकाशनारायण मिश्र		11.50	,,
143.	घर की कहानी			7.50	विनोद प्रकाशन, इंदौर
144.	रेडार	एगॉन लार्सन	शैलेंद्र	4.30	कैपिटल बुक हाउस, दिल्ली
145.	हाकी की कहानी	एम० एल० कपूर	जगमोहन लाल कपूर	13.50	श्री एम० एल० कपूर, अंबाला
146.	जाग्रत अंडमान	कौन्नचूर और नरेन्द्र नाथ		5.20	ओरिएंटल पब्लिशर्स, दिल्ली
147.	प्राचीन भारत के वैज्ञानिक और उनकी उपलब्धियाँ	ओ० पी० जग्गी	धीरेन्द्र अग्रवाल	5/-	आत्मा राम एंड संस, दिल्ली
148.	संसदीय प्रणाली पर एक दृष्टि	डेविड मिन्हेट जॉन पामर	इन्द्र देव उपाध्याय	6/-	सिद्धार्थ पब्लिकेशन, दिल्ली
149.	भारत का इतिहास खंड-6	इलियट और डाउसन	डा० मथुरालाल शर्मा	15/-	शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, आगरा

1	2	3	4	5	6
150.	कलात्मक राजस्थान	एच० भीष्म पेाल		6/-	दिल्ली पुस्तक सदन, दिल्ली
		1971-72			
151.	नागालैंड	जयंत वाचस्पति		3/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली
152.	आंध्र प्रदेश	आरिगपूडि		3/-	”
153.	भारत के द्वीप	योगराज थानी		3/-	”
154.	संविधान की आत्मा	सुभाष कश्यप		3/-	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
155.	बिजली के प्रयोग	आई० सी० जोसलीन	महेन्द्र चतुर्वेदी	5/-	मैकमिलन एंड कं०, बंबई
156.	बच्चे कैसे सीखें	सुजीत कुमार चक्रवर्ती	रामेश्वर दयाल	8/-	आक्सफोर्ड एंड आई०बी० एच० पब्लिशिंग कं०, दिल्ली
157.	गणित जगत की सैर	डा० ब्रह्मदेव शर्मा		11/-	थामसन प्रेस, दिल्ली
158.	सिक्किम	कमला सांकृत्यायन		3/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली
159.	भूटान	कमला सांकृत्यायन		3/-	”
160.	हॉकी प्रश्नोत्तरी	ज्ञान सिंह		6.60	ज्ञानसिंह
161.	व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा			8.75	थामसन प्रेस, दिल्ली

1	2	3	4	5	6
162.	मेघालय	वीणा श्रीवास्तव		3/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली
163.	उत्तर प्रदेश	हरिदत्त शर्मा		3/-	,,
164.	भारत का इतिहास खंड-7	इलियट और डाउसन		15.75	शिवलाल अग्रवाल, आगरा
165.	दिल्ली-राजधानियों की नगरी	अशोक मित्र	महेन्द्र भारद्वाज	6/-	थामसन प्रेस, दिल्ली
166.	फुटबाल प्रश्नोत्तरी	ज्ञान सिंह		8/-	ज्ञानसिंह, नई दिल्ली
167.	सुखदायी निवास	विश्वंभर प्रसाद		6.60	सर्व सुलभ साहित्य सदन, फतेहपुर
168.	केरल	के०जी० बालकृष्ण पिल्लै		3/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली
169.	लद्दाख	त्रिलोक 'दीप'		3/-	,,
		1972-73			
170.	गंगा की पुकार	सोमदत्त बखोरी	डा० अणिमा सिंह प्रो० सुशीला कुमार	8.70	आभा प्रकाशन, दिल्ली
171.	कबड्डी	सी० वी० राव	रमा गुप्ता	3.30	स्टर्लिंग पब्लिशर्स, दिल्ली
172.	मानव का भविष्य	बर्ट्रेंड रसेल		6/-	एजूकेशनल एंटरप्राइजसं, कलकत्ता
173.	समुद्र पर विजय	ज्योति लाल भार्गव		4-35	राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, लखनऊ
174.	ध्वनि-अभिलेखन	क्लेमेन्ट ब्राउन	निर्मल जैन	6/-	कैपिटल बुक हाउस, दिल्ली

1	2	3	4	5	6
175.	मेरठ में 1857 के विद्रोह का आरंभ	जे० ए० बी० पामर	वी०पी० सिंह	7.80	कैपिटल बुक हाउस, दिल्ली
176.	दैनिक जीवन में विज्ञान (I, II, III)	टी० ए० ट्वीडल	जगदीश सेठ, शोभना सक्सेना	6.20, 7.50, 6.30	,,
177.	आधुनिक विज्ञान के महान् अन्वेषक	पैट्रिक प्रिंगल	डा० सत्यप्रकाश सुदर्शन	11/-	,,
178.	भारत के क्रिकेट कप्तान	देवेन्द्र भारद्वाज,		4-85	खेल खिलाड़ी, दिल्ली
179.	हाकी कैसे खेलें	ज्ञानसिंह		10/-	ज्ञान सिंह, दिल्ली
180.	हमारे वीर सेनानी	सुदर्शन चोपड़ा		5.30	राजपाल एंड संस, दिल्ली
181.	दिल्ली	रमेश बक्षी		3/-	,,
182.	असम	जयंत वाचस्पति		3/-	,,
183.	बंगला देश	विनोद गुप्त		3/-	,,
184.	समय (सरल विज्ञान माला)			4/-	शिक्षा भारती, दिल्ली
185.	ध्वनि (सरल विज्ञान)			4/-	,,
186.	चुंबक			4/-	,,
187.	प्रकाश और रंग			4/-	,,

1	2	3	4	5	6
188.	वायु और जल			4/-	शिक्षा भारती, दिल्ली
189.	चंद्रमा			4/-	,,
190.	किरणों का रहस्यमय संसार	फ्रीड्रिख लोरेन्ट्स	विश्व मोहन तिवारी	6/-	थामसन प्रेस दिल्ली
191.	समुद्र विज्ञान	राबर्ट शार्फ	रामचंद्र तिवारी	4/-	शिक्षा भारती, दिल्ली
192.	बुनियादी आविष्कार	इर्विंग राबिन	ओमप्रकाश तिवारी	4/-	,,
193.	ध्रुव प्रदेश	इर्विंग राबिन	ओमप्रकाश तिवारी	4/-	,,
194.	प्रसिद्ध वैज्ञानिक	जीन वेनेट	रामचंद्र तिवारी	4/-	,,
195.	मरुस्थल	फेलिक्स सरन	सूर्यप्रकाश तिवारी	4/-	,,
196.	कंप्यूटर	राबर्ट शार्फ	रामचंद्र तिवारी	4/-	,,
197.	सूर्य की कहानी	कुलदीप चड्ढा		4/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली
198.	सौरमंडल	गुणाकर मुले		4-60	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
199.	भारत की अग्रणी महिलाएँ	आशारानी व्होरा		7/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली
200.	हाथियों का खेदा	विराज		5/-	,,
201.	सूर्य	गुणाकर मुले		4.35	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली

1	2	3	4	5	6
202.	अपराध अभिज्ञान में फोटोग्राफी			5/-	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
203.	भारत का इतिहास खंड-8	इलियट और डाउसन	मथुरालाल शर्मा	12.95	शिव लाल अग्रवाल एंड कंपनी, आगरा
204.	भारत का इतिहास खंड-1	”	”	15/-	”
205.	अरुणाचल-मिजोरम	कमला सांकृत्यायन		3/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली
206.	मणिपुर-त्रिपुरा	कमला सांकृत्यायन		3/-	”
		1973-74			”
207.	कैमरे की कला	मॉरिस के० किड	सिद्धश ध्यानी	5.55	कैपिटल बुक हाउस, दिल्ली
208.	दैनिक जीवन में विज्ञान भाग-1				”
209.	रॉकेट और अंतरिक्ष यान	जान डब्ल्यू० आर० टेलर	निर्मल जैन	6.80	”
210.	नोबल पुरस्कार विजेता महिलाएँ	आशारानी व्होरा			राजपाल एंड सन्स, दिल्ली
210. A	धरती के अनोखे लोग	मीना दास		3-30	विद्या प्रकाशन मंदिर, दिल्ली
211.	इलैक्ट्रानिक मस्तिष्क				थामसन प्रेस, दिल्ली
212.	भारतीय सेना और युद्धकला	कर्नल गौतम शर्मा	वीरेंद्र कुमार गुप्त	10.30	राजपाल एंड संस, दिल्ली
213.	मानव समाज	किंग्सले डेविस	गोपाल कृष्ण अग्रवाल	22.20	किताब महल, इलाहाबाद

1	2	3	4	5	6
214.	अरविंद के पत्र भाग-1				अरविंद सोसायटी, पांडिचेरी
215.	वेद रहस्य (उत्तरार्ध)				,,
216.	स्वास्थ्य दर्शन (ज्ञान गंगोत्री) भाग-3				सरदार पटेल विश्व-विद्यालय, वल्लभ विद्या-नगर
217.	पृथ्वी दर्शन (ज्ञान गंगोत्री भाग-3)				,,
218.	रसायन (ज्ञान गंगोत्री भाग-3)				,,
219.	उड़ीसा	तारिणीचरणदास चिदानंद		3/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली
220.	भारत का इतिहास खंड-2	इलियट और डाउसन	मथुरालाल शर्मा	16.35	शिव लाल एंड कंपनी, आगरा
221.	बनवासी भील और उनकी संस्कृति				रोशनलाल जैन एंड कंपनी
222.	भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास				पुस्तक केंद्र, लखनऊ
223.	स्वादिष्ट भोजन कला	अरुणा शेठ	कृष्ण विकल	5-75	राजपाल एंड संस, दिल्ली
224.	पारसी-हिंदी रंगमंच	लक्ष्मीनारायण लाल		13/-	,,
225.	ज्ञानेंद्रियों का संसार	जे०डी० कार्थी	वंदना	5.50	कैपिटल बुक हाउस, दिल्ली

1	2	3	4	5	6
226.	प्रकृति और मानव	जॉन हिलैबी	वंदना	5.15	कैपिटल बुक हाउस, दिल्ली
227.	दैनिक जीवन में विज्ञान भाग-3	टी०ए० ट्वीडल			,,
228.	भारत का इतिहास खंड-3				शिवलाल अग्रवाल, आगरा
229.	हाकी	योगराज थानी		8.75	राजपाल एंड संस, दिल्ली
230.	खेल के मैदानों की रूपरेखा	आर० एल० आनंद	परशुराम शर्मा	7/-	स्टर्लिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली
231.	हिमालय के अंचल में				
232.	श्री अरविंद के पत्र भाग-2				अरविंद सोसायटी पांडिचेरी
		1974-75			
233.	भारत के जंगली जानवर	ई० पी० जी०		14/-	राजपाल एड संस, दिल्ली
234.	घर परिवार	प्रेम पी० भल्ला	विजय विद्यालंकार	10/-	,,
235.	टेनिस सीखें		देवेंद्र भारद्वाज	4/-	मै० खेल खिलाड़ी, बी-202, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।
236.	बालीबॉल सीखें		—वही—	3-50	,,
237.	टेबल टेनिस सीखें			3.50	,,

1	2	3	4	2	6
238.	भारतीय लिपियों की कहानी	गुणाकर मुले		11.25	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
239.	अपराध, अपराधी और अभियुक्त	परिपूर्णानंद वर्मा		7.80	राम प्रसाद एंड संस, आगरा
240.	राष्ट्रपति जाकिर हुसेन	ए०जी० नूरानी	श्री रामनाथ सुमन	10/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली
241.	दो देशों की दोस्ती (भारत-सोवियत राजनयिक संबंधों के 25 वर्ष)	जगदीश विभाकर	बच्चू प्रसाद सिंह	10.50	शब्दकार, दिल्ली
242.	भारत के लोकनृत्य	डा० श्याम परमार		6.25	राजपाल एंड संस, दिल्ली
243.	भारतीय जंगल की कहानियाँ	कैनेथ एंडरसन	राजेन्द्र अवस्थी	11-50	थामसन प्रेस, दिल्ली
244.	टेलीविजन कला और समाज			20/-	
245.	दौड़ कूद सीखें	देवेंद्र भारद्वाज		5/-	मैं० खेल खिलाड़ी, नई दिल्ली
246.	व्यायाम सीखें	युगांक धीर		5/-	,,
247.	भारतीय आहार	इंदिरा चक्रवर्ती	वी० पी० शर्मा	11/-	स्टर्लिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली
248.	भार्वा कविता	श्री अरविंद	मीरा श्रीवास्तव	15/-	श्री अरविंद सोसायटी, पांडिचेरी
249.	एक भारतीय ग्राम	श्यामाचरण दुबे	योगेश अटल	12.50	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली

1	2	3	4	5	6
		1975-76			
250.	आधुनिक युद्ध में नागरिक प्रतिरक्षा	योगेन्द्रनाथ राज		37.00	राज प्रकाशन बंबई,
251.	गुरु नानक			11-50	स्टर्लिंग पब्लिशर्स, दिल्ली
252.	भारतीय चलचित्र का इतिहास	फीरोज रंगून वाला		12.50	राजपाल, दिल्ली
253.	जवान राष्ट्र का गौरव			6.50	,,
254.	चिराग तले उजाला	के० पी० एस० मेनन	मुंशीनारायण सक्सेना	18/-	शब्दकार, दिल्ली
255.	क्रिकेट का रोमांस	देवेन्द्र भारद्वाज		7-75	मै० खेल खिलाड़ी, दिल्ली
256.	भारतीय क्रिकेट जगत की भूली-बिसरी यादें			6/-	,,
257.	प्रतिभाशाली छात्रों का शिक्षण	अब्दुल हक खान	अजय कुमार	4.25	आर्य बुक डिपो, करोल बाग, दिल्ली
258.	एवरेस्ट की चुनौती	मेजर हरपाल सिंह अहलूवालिया		6/-	राजपाल, दिल्ली
259.	बुद्धि के प्रयोग	डेविड वेब्स्टर	श्रीकांत व्यास	4/-	मैकमिलन एंड कंपनी, दिल्ली,
260.	वैदिक विचार धारा का वैज्ञानिक आधार	सत्यव्रत सिद्धांतालंकार		20/-	गोविंद राम हासानंद दिल्ली

1	2	3	4	5	6
		1976-77			
261.	चार चित्रकार	अशोक मित्र	विजयश्री भारद्वाज	4-50	राजकमल, दिल्ली
262.	मौसम	आर०एस० स्कोरर		6/-	कैपिटल बुकहाउस, दिल्ली
263.	हमारा गृह पृथ्वी	रोनाल्ड फ्रेजर		7/-	,,
264.	टेलीविजन	जीन और रॉबर्ट ब्रैंडिक	डा० श्रवण कुमार	7/-	,,
265.	घड़ियाँ			1.50	,,
266.	आधुनिक परिवहन	एगॉन लार्सन	महेश कुमार गौड़	5/-	,,
267.	भारत के प्राचीन नाटक	हेनरी डब्ल्यू० वेल्स	वीरेन्द्र नारायण	12.50	मोती लाल बनारसी दास, दिल्ली
268.	फोटोग्राफी	विराज		5/-	शिक्षा भारती, दिल्ली
269.	मोटर कार	सुदर्शन चोपड़ा		5/-	,,
270.	पुरातत्त्व	जयंत मेहता		5/-	,,
271.	सभ्यता का विकास			9.40	मैकमिलन, एंड कं०, दिल्ली
272.	विवाह, सैक्स और प्रेम			13/-	राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
273.	क्रिकेट			6/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली

1	2	3	4	5	6
274.	समुद्री तूफान	राजेन्द्र कुमार राजीव		6.25	हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली
275.	गर्म और ठंडा				कैपिटल बुक हाउस, दिल्ली
276.	ध्वनि				,,
277.	पानी				,,
278.	विद्युत				,,
279.	प्रकाश				,,
280.	गति				,,
281.	चुंबक				
		1977-78			
282.	बैडमिंटन कैसे सीखें	आर० के० सेठ	एच० पी० शर्मा	4.75	,,
283.	मानव एक रूप रंग अनेक	रॉबिन क्लार्क	वंदना	7/-	,,
284.	ऊष्ण कटिबंध के प्राणी			9/-	,,
285.	वन्यजीवों का संसार			11/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली
286.	इलैक्ट्रानिकी की कहानी	कुलदीप चड्ढा		6/-	,,

1	2	3	4	6	6
287.	गणित जगत की सैर	डा० ब्रह्मदेव शर्मा		11/-	प्राची प्रकाशन, दिल्ली
288.	मातृकला एवं शिशु कल्याण	डा० पी०एल० त्रेहन		10.50	राजीव प्रकाशन, मेरठ
289.	ओटोमोबाइल इंजीनियरी	जीग फ्रीड हेरमान	रवींद्र नाथ	13.50	प्राची प्रकाशन, दिल्ली
290.	जयप्रकाश : एक जीवनी	एलन और वेंडी स्कार्फ	केशवानंद	18/-	राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
291.	धातु रूपण	हाइज ग्रफ		8/-	,,
292.	गैस वैल्डिग खंड-1	फेलिक्स वुटके	रवींद्रनाथ बी० टेका	7/-	,,
293.	मुर्गी पालिए	बलबीर कृष्ण सोनी	रमेश दत्त शर्मा	3.25	आक्सफोर्ड एंड आई०बी० एच०
294.	विराम चिह्न	राजमल जैन			आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
295.	बास्केट बाल	एस० श्री वत्सन		5.50	थामसन प्रेस, दिल्ली
296.	टेनिस	एल०के० गोविन्द राजुल		3.50	,,
297.	हँसता गाता पंजाब	नरेन्द्र धीर		5.50	आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली
		1978-79			
298.	कॉफी	डा० बलबीर कृष्ण सोनी	रमेश दत्त शर्मा	3.25	आक्सफोर्ड एंड आई० बी० एच०
299.	बच्चे की देखभाल				राजपाल एंड, संस दिल्ली

1	2	3	4	5	6
300.	एशियाई खेल और भारत	योगराज थानी		6.50	राजपाल एंड संस, दिल्ली
301.	खिलाड़ियों की कहानी उन्हीं की जुबानी	योगराज थानी		10/-	,,
302.	राग-ताल के मूल तत्त्व और अभिनव स्वर लिपि पद्धति	निखिल घोष	मदन लाल व्यास	20/-	संगीत महाभारती, बंबई
303.	भारत के प्रतिभाशाली इंजीनियर	संपादक-राय बहादुर ब्रजमोहन लाल		8/-	सर्व सुलभ साहित्य, दिल्ली
304.	भारत की संपर्क भाषा				आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली
305.	मूंगफली	वलबीर कृष्ण सोनी	रमेश दत्त शर्मा	3.35	आक्सफोर्ड एंड आई० बी० एच०
306.	सब्जी उगाइए				,,
307.	हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य	प्रो० हरिराम जसठा			सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्ली
308.	हिमालय के खानाबदोश	श्यामसिंह शशि		7/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली
		1979-80			
309.	खेल एवं मनोरंजन द्वारा गणित ज्ञान	जी० एस० वडेरिया		4.50	आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली
310.	हमारे बच्चे हमारे घर भाग-1	अ०अ० अनंत		9.50	कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर

1	2	3	4	5	6
311.	हमारे बच्चे हमारे घर—भाग 2			9.50	कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर
312.	क्या मृत्युदंड आवश्यक है	डा० उत्तम राव जाधव		12.50	आनंद पब्लिकेशन, पूना
313.	मोर—हमारा राष्ट्रीय पक्षी	रामेश बेदी		10/-	सरस्वती विहार, नई दिल्ली
314.	डाक-टिकट संग्रह	ओम प्रकाश थानवी		6.65	राजपाल एंड संस, दिल्ली
		1980-81			
315.	महाकवि मीर तकी मीर भाग—1	बाबू राम शर्मा 'किशोर'		9/-	श्री नारायण प्रकाशन, गाजियाबाद
316.	" भाग—2	"		9.50	"
317.	हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षक एवं कार्यालय सहायिका	गोपालदत्त		8/-	शार्ट हैंड हाउस, नई दिल्ली
318.	भारतीय वाटिका कला	उमा भटनागर, विष्ट ऊषा भटनागर		8.50	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
319.	द्वीपांतर	चंद्रदत्त पालीवाल		13/-	मार्डन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
		1980-81			
320.	विश्व के प्रमुख खेल और खिलाड़ी	योगराज थानी		30/-	राजपाल एंड संस, दिल्ली
321.	एवरेस्ट की कहानी	मेजर हरपालसिंह अहलूवालिया	धर्मपाल पांडेय	20/-	"

1	2	3	4	5	6
322.	पोषण के लिए विटामिन तत्व और खनिज	डा० कृष्ण कुमार		11.65	मयूर प्रकाशन, मुरादाबाद
323.	भारत दर्शन	शंकर भट्ट		15/-	किताब घर, दिल्ली
324.	हारमोन और हम	देवेन्द्र मेवाड़ी		12.80	ज्ञान भारती, दिल्ली
			1982-83		
325.	महाभारत	चंद्रदत्त पालीवाल		27-00	समानांतर प्रकाशन, नई दिल्ली
326.	संस्कृत नाटकों का भौगोलिक परिवेश	डा० कृष्ण कुमार		20-20	मयंक प्रकाशन, श्रीनगर
327.	अरुणाचल का खाम्ति समाज और साहित्य	डा० भिक्षु कौंडिन्य		16-75	पूर्वोदय प्रकाशन, नई दिल्ली
328.	कला अनुभव	हिरियाना	उदय प्रकाश	15-85	-वही-
329.	कीट कितने रंगीले कितने निराले	प्रेमानंद चंदोला		10-60	हिमाचल पुस्तक भंडार, गांधीनगर, दिल्ली
६30.	काले हीरों का संसार	जहीर नियाजी		11-50	किताब घर, गांधीनगर दिल्ली

1	2	3	4	5	6
331.	उच्चगति लेखन	गोपालदत्त विष्ट		19-20	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 23, दरियागंज, दिल्ली
332.	भारतीय वायु सेना का इतिहास	एयर मार्शल एम० एस० चतुर्वेदी		16-00	राजपाल एंड संस, दिल्ली
333.	पहाड़ से प्याले तक (काफी की कहानी)	एच० एल० नागेगौड़ा		19-00	आर्य बुक डिपो, करौल बाग, नई दिल्ली
			1983-84		
334.	हिमालय की संपदा	प्रेम स्वरूप सकलानी		19-75	हिमाचल पुस्तक भंडार गाँधीनगर, दिल्ली-31
335.	भारत सेवी विदेशी नारियाँ	आशारानी व्होरा		14-65	राजपाल एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली
336.	शिक्षा एवं संस्कृति	जैनेन्द्र कुमार, ललित शुक्ल		15-30	समांतर प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली
337.	आकाश के दीए	शरण		14-00	हिमाचल पुस्तक भंडार, गाँधीनगर, दिल्ली ।
338.	भारत की जन-जातियाँ	शिवतोष दास		26-00	किताब घर, दिल्ली
339.	अपराध : समस्या और समाधान	रूपसिंह चंदेल		18-90	" "

1	2	3	4	5	6
340.	भारतीय नारी—दशा और दिशा	आशारानी व्होरा		26-10	नेशशनल पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, दिल्ली
341.	रसायन के चमत्कार	डॉ० के० एन० सक्सेना		14-0(	ज्योस्त्ना प्रकाशन, सी-4/100 सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली
342.	प्रघाती तरंगें और मानव	प्रो० आई० आई० ग्लास	डा० सी० एल० गर्ग	29-60	भागीरथ सेवा संस्थान आर० 10/144, नया राज नगर, गाजियाबाद
343.	मानसिक स्वास्थ्य	डॉ० एच०एल० शर्मा		18-70	मधु प्रकाशन, 421 ताशकंद मार्ग, इलाहाबाद
344.	संगीतायन	अमल कुमार दाश शर्मा		35-00	आर्य प्रकाशन मंडल, गाँधी-नगर, दिल्ली
345.	भारतीय कला के आयाम	निहार रंजन रे	सुरेश उनियाल	26-55	पूर्वोदय प्रकाशन, 7/8, दरियागंज दिल्ली
346.	दुर्घटनाओं का गणित	धर्मपाल शास्त्री और विपिन गुप्त		17-25	आर्य बुक डिपो, करोल बाग, दिल्ली
347.	रोमा रोलाँ का भारत (प्रथम भाग)	सत्यनारायण		31-20	पूर्वोदय प्रकाशन, 7/8 दरियागंज दिल्ली

1	2	3	4	5	6
348.	" (द्वितीय भाग)	-वही-		28-45	-वही-
349.	रंग-बिरंगे धागे	रत्न प्रकाश शील		4-60	राजपाल एंड संस, दिल्ली
350.	आदिवासी महिलाएँ	डॉ० श्यामसिंह शशि		19-30	समकालीन प्रकाशन, दिल्ली
351.	साँपों का संसार	रामेश बेदी		35-00	किताब घर, दिल्ली
352.	नव वामपंथ	हेमनारायण, अग्रवाल एवं राजकिशोर नारायण अग्रवाल		16-35	किताब महल, 22 सरोजिनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद-1
353.	शैलाश्रित गुहाचित्र	डॉ० अर्जुनदास केसरी		14-00	लोकरुचि प्रकाशन, राबर्ट्स गंज, मिर्जापुर (उ० प्र०)
354.	भारतीय द्वीप	शिवतोष दास		19-50	किताबघर, गाँधीनगर, दिल्ली
355.	पर्यावरण और जीव	प्रेमानंद चंदोला		23-50	हिमाचल पुस्तक भंडार, दिल्ली
356.	हमारे मित्र रेडियो समस्थानिक	आत्माराम भट्ट		15-00	हिमाचल पुस्तक भंडार, दिल्ली
357.	सर्कस का अनोखा संसार	सत्यदेव नारायण सिन्हा		13-00	आर्य प्रकाशन मंडल, दिल्ली
358.	पुलिस अन्वेषण फोटोग्राफी	विष्णुदत्त शर्मा		18-50	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली

1	2	3	4	5	6
359.	जड़ी बूटियाँ और मानव	रामेश बेदी		38-00	जगतराम एंड संस, 22/15 मेन रोड, गाँधी नगर, दिल्ली
360.	परामनोविज्ञान	डॉ० के०एस० रावत		22-25	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 23 दरियागंज, दिल्ली-2
361,	मणिपुर एक सांस्कृतिक झलक	डॉ० रमाशंकर नागर		19-95	आर्य बुक डिपो, 30 नाई वाला, करोलबाग नईदिल्ली-110002
362.	पुलिस और समाज	डॉ० विमलप्रसाद राय		22-30	प्रकाशन सदन, किशनगंज, दिल्ली
363.	रक्त अल्पता तथा अन्य रक्त रोग	डॉ० रामकुमार		14-60	सस्ता साहित्य भंडार, दिल्ली
364.	मानव से अति मानव की ओर	अरविंद	अनुबेन वंदना	17-75	श्री अरविंद सोसाइटी, पांडिचेरी
365.	टेलीविजन	के०के० बाली		12-75	राजपाल एंड संस, दिल्ली
366.	धातुओं का संसार	डॉ० के० नारायण		13-85	नारायण पब्लिशिंग हाउस, मेरठ
367.	लैटर प्रैस तकनीक	एन०सी० जैन		22-50	श्री हरिबिहारी प्रकाशन, त्रिनगर, दिल्ली-35
368.	मिसिंग जनजाति का लोक साहित्य	भिक्षु कौंडिन्य		25-00	आर्य प्रकाशन मंडल, दिल्ली
369.	पंच तत्वों से बमों तक	जयराम सिंह		18-15	हिमाचल पुस्तक भंडार, दिल्ली
370.	ग्रामीण बैंकिंग	अशोक कुमार		13-85	मंजुल प्रकाशन, 242, दयानंद मार्ग, तिलक नगर, जयपुर

1	2	3	4	5	6
371.	प्लास्टिक	के० एन० सक्सेना		16-50	ज्योत्स्ना प्रकाशन, नई दिल्ली
372.	खेती के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत	सदाचारी सिंह तोमर		20- 5	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
373.	हथियार : बारूद से एटम तक	वीरेन गोहिल		32-70	-वही-
374.	भारत की पशुपालक जातियाँ	डॉ० श्यामसिंह शशि		14-35	ज्ञान भारती, 4/14, रूपनगर, दिल्ली-7
375.	विस्फोटक विज्ञान	शिवकुमार शुक्ल		26-25	भागीरथ बेवा संस्थान, न्यू राजनगर, गाजियाबाद
376.	भारत के यायावर	डॉ० श्यामसिंह शशि		16-50	जगतराम एंड संस, दिल्ली
377.	जलवायु और मौसम	डॉ० एस० कश्यप		13-20	आर्य प्रकाशन मंडल, दिल्ली
378.	विष और उपचार	विष्णुदत्त शर्मा		15-55	किताब घर गाँधी नगर, दिल्ली
379.	पादप रसायन और मानव	डॉ० कुमार		15-50	हिमाचल पुस्तक भंडार, दिल्ली
380.	ब्रह्मांड विज्ञान और मानव	डॉ० नारलीकर		11-00	राजपाल एण्ड संस, दिल्ली
381.	प्राथमिक स्वास्थ्य के सामाजिक पहलू	प्रसन्नवदन देसाई और आशिस बोस		28-30	किताब घर, गांधीनगर दिल्ली
382.	प्राचीन इंडोनेशिया और भारत	जगन्नाथ प्रभाकर		18-00	जगतराम एंड संस, गाँधी-नगर, दिल्ली

परिशिष्ट—8

प्राध्यापक व्याख्यान यात्रा योजना :

क्रम सं०	प्राध्यापक का नाम व पता	व्याख्यान का स्थान	व्याख्यान के विषय
		वर्ष 1980-81	
1.	डा० इंद्रनाथ चौधरी दिल्ली विश्वविद्यालय	1. बंगलौर विश्वविद्यालय 2. के० वि० वि० हैदराबाद 3. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद 4. विश्वभारती, शांति निकेतन 5. कलकत्ता विश्वविद्यालय	1. हिंदी साहित्य और प्रेमचंद 2. हिंदी नाटक 3. हिंदी आलोचना 4. काव्यशास्त्र की आधुनिक समस्याएँ
2.	डा० नेमिचंद जैन इंदौर विश्वविद्यालय इंदौर	1. केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेंद्रम 2. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर 3. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	1. हिंदी भाषा शिक्षण—समस्याएँ और समाधान 2. हिंदी अनुसंधान—नए क्षितिज 3. हिंदी अनुवाद—कठिनाइयाँ और उपाय 4. हिंदी की लघु पत्रिकाएँ—सर्वेक्षण और समीक्षा
		*	
		5. नागरी लिपि और बहुविध मुद्रण प्रक्रियाएँ	6. हिंदी पत्रकारिता और राष्ट्रीय चेतना 7. भारतीय साहित्य को प्रेमचंद की देन
3.	डॉ० सिद्धनाथ कुमार रांँची विश्वविद्यालय रांँची	1. कोचीन विश्वविद्यालय 2. मद्रास विश्वविद्यालय 3. कालीकट विश्वविद्यालय	1. आधुनिक हिंदी नाटक और रंग प्रयोग 2. हिंदी एकांकी का विकास

*

	3. रेडियो नाटक का वैशिष्ट्य और हिंदी रेडियो नाटक	4. हिंदी पद्य नाटक : उपलब्धियाँ और संभावनाएँ
4. डॉ० सुरेश चंद्र त्रिवेदी सरदार पटेल विश्व-विद्यालय, वल्लभनगर	1. अलीगढ़ विश्वविद्यालय 2. बनारस विश्वविद्य लय 3. लखनऊ विश्वविद्यालय	1. समसामयिक कथा साहित्य 2. ध्वनि सिद्धांत 3. आधुनिक आर्य भाषाएँ और हिंदी

*

	4. इतिहास एवं साहित्ये-तिहास : स्वरूप एवं प्रयोग	5. प्रेमचंद : प्रगति एवं परंपरा 6. सूर का वाग्वैदग्ध्य
5. डा० चंद्रकांत बांदि-वडेकर पुणे विश्वविद्यालय	1. गोरखपुर विश्वविद्यालय 2. इलाहाबाद विश्वविद्यालय 3. सागर विश्वविद्यालय	1. मराठी का दलित साहित्य 2. मराठी का रंगमंच 3. उन्नीसवीं सदी के महाराष्ट्र के महान चिंतक

*

	4. मराठी में सौंदर्यशास्त्र के विकास की रूपरेखा	5. मराठी कथा साहित्य का सामाजिक स्वरूप 6. महाराष्ट्र में हिंदी के संबंध में वर्तमान स्थिति
6. डा० राजमल वोरा मराठवाड़ा विश्व-विद्यालय, औरंगाबाद	1. राजस्थान विश्वविद्यालय 2. उदयपुर विश्वविद्यालय 3. जोधपुर विश्वविद्यालय	1. मनोविकार और भाव 2. भाव और उद्वेग 3. समीक्षक रामचंद्र शुक्ल

वर्ष 1981-82

1. डा० भगवानदास तिवारी, ए-10 आसरा हाउसिंग सोसाइटी होटगी रोड, शोला-	1. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 2. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1. मीरा का काव्य 2. मध्यकालीन हिंदी काव्य में इतिहास 3. अनुसंधान की प्रक्रिया

पुर-413003	3. जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर	4. भूषण का काव्य 5. मीरा विषयक अनुसंधान की समस्याएँ
2. डा० जयचंद राय प्राचार्य, एम०एम० एच० कालेज, गाजियाबाद (उ० प्र०)	1. कोचीन विश्वविद्यालय 2. केरल विश्वविद्यालय 3. कालीकट विश्वविद्यालय	1. हिंदी आलोचना : उद्भव और विकास 2. सन् 47 के पश्चात् साहित्य रचना और विवेचना
3. डा० एस० कादिर मोहिद्दीन, प्रवक्ता, हिंदी विभाग, अन्नामलै विश्वविद्यालय, अन्नामलैनगर-608101 (तमिलनाडु)	1. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 2. लखनऊ विश्वविद्यालय 3. मेरठ विश्वविद्यालय	1. दखनी की भाषागत विशेषताएँ 2. तमिल और हिंदी का संक्षिप्त व्यतिरेकात्मक अध्ययन 3. तमिलनाडु की सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि
4. डा० सत्यदेव चौधरी रीडर, हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय,	1. उस्मानिया विश्वविद्यालय 2. बंगलौर विश्वविद्यालय 3. मैसूर विश्वविद्यालय	
5. डा० के० पद्मावती प्राध्यापक, हिंदी विभाग गवर्नमेंट कालेज,त्रिवेन्द्रम	1. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी 2 आगरा विश्वविद्यालय 3 दिल्ली विश्वविद्यालय	1. हिंदी और मलयालम की प्रगतिवादी कविता 2 हिंदी और मलयालम की राष्ट्रीय कविता 3 हिंदी और मलयालम की नई कविता
6 डा० एस०वी० माधवराव, अध्यक्ष हिंदी विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर	1 पटना विश्वविद्यालय 2 भागलपुर विश्वविद्यालय 3 मगध विश्वविद्यालय	
7 डा० आर० के० जैन प्रो० एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास-600017	1 जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर 2 सागर विश्वविद्यालय 3 भोपाल विश्वविद्यालय	1 हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास में दक्षिण का योगदान 2 दक्षिण भारतीयों की हिंदी अध्ययन संबंधी समस्याएँ 3 साठोत्तरी हिंदी कविता

8 डा० लालता प्रसाद सक्सेना, प्रो० हिंदी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय	1 गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर 2 जम्मू विश्वविद्यालय 3 श्रीनगर विश्वविद्यालय	

वर्ष 1982-83

1 डा० शशिभूषण सिंहल अध्यक्ष, हिंदी विभाग महर्षि दयानंद विश्व-विद्यालय, रोहतक	1 अन्नामलै विश्वविद्यालय 2 मद्रास विश्वविद्यालय 3 आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर	1 हिंदी उपन्यास : यात्रा गाथा 2 उपन्यास और उसकी रचना प्रक्रिया 3 शोध और आलोचना
2 डा० रामेश्वरलाल खंडेलवाल, भूतपूर्व प्रोफेसर, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	1 वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति 2 मद्रास विश्वविद्यालय 3 मैसूर विश्वविद्यालय	1 हिंदी साहित्य का मूल आशय 2 हिंदी के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक एकता 3 नए राष्ट्रीय सामाजिक संदर्भों में बृहत्तर हिंदी का स्वरूप

*

4 हिंदी तथा हिंदीतर भारतीय भाषाओं का साहित्य : अंत:सूत्रों की दृढ़ता के साधन

5 उत्तर-दक्षिण का साहित्यिक-सांस्कृतिक सेतु बंधन

3 डा० लक्ष्मीनारायण दुबे, सागर विश्व-विद्यालय, सागर	1 गोहाटी विश्वविद्यालय 2 कलकत्ता विश्वविद्यालय 3 विश्वभारती, शांतिनिकेतन	1 राष्ट्रीय एकता के उन्नयन में संत एवं भक्त कवियों की भूमिका
4 डा० विनय मोहन शर्मा ई-6 एम०आई०जी०-7 अरेरा कालोनी, भोपाल-462014	1 बंबई विश्वविद्यालय 2 पुणे विश्वविद्यालय 3 उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	
5 डा० एन० रामन नायर अध्यक्ष, हिंदी विभाग कोचीन विश्वविद्यालय,	1 राजस्थान विश्वविद्यालय 2 जोधपुर विश्वविद्यालय 3 सुखाड़िया विश्वविद्यालय	

6 डा० एन०ई० विश्वनाथ अय्यर 26/2305, ट्यूटर्स लेन, त्रिवेन्द्रम	1 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 2 मेरठ विश्वविद्यालय 3 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर	
7 डा० एस० रामचंद्र प्रोफ़ेसर, हिंदी विभाग कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़-580003	1 लखनऊ विश्वविद्यालय 2 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 3 इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1 आधुनिक कन्नड़-हिंदी काव्य (साठोत्तरी) 2 आधुनिक कन्नड़-हिंदी नाटक (साठोत्तरी) 3 आधुनिक कन्नड़-हिंदी कहानियाँ (साठोत्तरी)
8 डा० रामसिंह तोमर प्रो० एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, विश्वभारती शांतिनिकेतन	1 जीवाजी विश्वविद्यालय 2 भोपाल विश्वविद्यालय 3 सागर विश्वविद्यालय	1 अपभ्रंश भाषा और साहित्य 2 पृथ्वीराज रासो और आदिकालीन हिंदी साहित्य

1983-84

1 श्री विष्णुकांत शास्त्री हिंदी विभागाध्यक्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय	1 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 2 जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर 3 सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1 मध्ययुगीन बंगला साहित्य को हिंदी साहित्य की देन 2 काव्य संप्रेषण में वाचिक परंपरा का योग 3 तुलसी की काव्य दृष्टि 4 आज की हिंदी कविता और छंदोविधान
2 डा० पद्मावती प्रो० हिंदी विभाग यूनिवर्सिटी कालेज, त्रिवेंद्रम	1 इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2 बनारस विश्वविद्यालय 3 कानपुर विश्वविद्यालय	

3 डा० हरदेव बाहरी, 10 दरभंगा कैसल इलाहाबाद-211002	1 कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ 2 शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर 3 बंगलौर विश्वविद्यालय	1 हिंदी सीखने में मराठी भाषियों की कठिनाइयाँ और उनका समाधान—व्यतिरेकी समीक्षा 2 भाषा का सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ और हिंदी
	*	
	3 हिंदी सीखने में कन्नड़ भाषियों की कठिनाइयाँ और उनका समाधान—व्यतिरेकी समीक्षा	4 हिंदी साहित्य की आधुनिकतम प्रवृत्तियाँ 5 साहित्य और भाषा-विज्ञान का संपर्क
4 डा० रणवीर रांग्रा, सी-7/180, नवीन निकेतन, नई दिल्ली	1 मैसूर विश्वविद्यालय 2 हैदराबाद विश्वविद्यालय 3 कोचीन विश्वविद्यालय	1 समकालीन हिंदी उपन्यास 2 समकालीन हिंदी उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
	*	
	3 समकालीन हिंदी उपन्यास का शिल्प विकास	4 उपन्यासकार अज्ञेय 5 उपन्यासकार प्रेमचंद और गोदान
5 डा० अर्जुन शतपथी अध्यक्ष हिंदी विभाग राजकीय कालेज, राउरकेला	1 डा० हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर 2 रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर 3 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	1 हिंदी और उड़िया कहानी के चालीस वर्ष (1901-1940) 2 हिंदी और उड़िया कहानी के चालीस वर्ष (1941-1980)
6 डा० भोलाशंकर व्यास आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	1 कालीकट विश्वविद्यालय 2 मद्रास विश्वविद्यालय 3 केरल विश्वविद्यालय	

7 डा० सत्येन्द्र चतुर्वेदी अध्यक्ष, हिंदी विभाग राजकीय कला महा- विद्यालय, अलवर	1 अहमदाबाद विश्वविद्यालय 2 महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा 3 बंबई विश्वविद्यालय	1 समकालीन हिंदी कविता : संप्रेषण के सलीब पर
8 डा० इंद्रनाथ चौधरी आचार्य तथा अध्यक्ष उच्च शिक्षा और शोध संस्थान, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद	1 गोरखपुर विश्वविद्यालय 2 लखनऊ विश्वविद्यालय 3 भागलपुर विश्वविद्यालय	1 सांप्रतिक हिंदी नाटक तथा रंगमंच का सवाल 2 प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यासों में लोकप्रियता तथा साहित्यिकता का टकराव 3 हिंदी आलोचना में व्यावहारिकता और सैद्धांतिकता का तनाव

वर्ष 1984-85

1 डा० चंद्रशेखर रीडर, हिंदी विभाग पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला	1 पटना विश्वविद्यालय, पटना 2 राँची विश्वविद्यालय, राँची 3 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	1 नाटक प्रणयन प्रक्रिया : सृजन की भूमिकाएँ 2 पात्र रचना : जीवंत रंग साक्षात्कारों की जीवंत रचना

*

3 समकालीन व्यक्ति : निर्विकल्पता में उत्तरोत्तर स्थगन	4 रंग प्रेक्षण; रंगायोजन का तीर्थ : दर्शक
5 रंगमंचन—रंग साक्षात्कारों की अवतरण वेदी	6 संक्रांत परिवेश : विसंस्कृतिकरण का मायावी संसार
7 विनायक की संकल्पना : समकालीन परिवेश की भूमिका परिवर्तन	8 अनायक की परिकल्पना; दोगली समकालीनताः हीरो की मृत्यु
	9 ठहराव का हिमबिंदु : हमारा मोह भंग

2 डा० लक्ष्मीनारायण दुबे रीडर, हिंदी विभाग	1 आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर 2 कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	1 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावनात्मक समन्वयता के

सागर विश्वविद्यालय सागर	3 वैंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	परिप्रेक्ष्य में गाथा रघुनाथ की
		2 आधुनिक संदर्भों में संत कबीर की प्रासंगिकता
	*	
	3 तुलसी साहित्य में संस्कृति-मूलक राष्ट्रीयता के स्वर	4 राष्ट्रीय एकता तथा हिंदी साहित्य को प्रगामी संप्रदाय का योगदान
3 डा० एन० ई० विश्वनाथ अय्यर 26/2035 कालेज लेन, तिरुअनंत-पुरम्, त्रिवेन्द्रम्	1 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 2 जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर 3 सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1 भारतीय त्यौहारों की मूल-भूत एकता 2 भावात्मक एकता—हिंदी साहित्य में
	*	
	3 दक्षिण के विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्ययन	4 भारतीय साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन
	5 केरलीय संस्कृति	6 केरल के लोकसंगीत में समन्वय की भावना
4 डा० राममूर्ति त्रिपाठी प्रो० एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, विक्रम विश्व-विद्यालय, उज्जैन	1 मैसूर विश्वविद्यालय 2 मद्रास विश्वविद्यालय 3 बंगलौर विश्वविद्यालय	1 अभिनवगुप्त सम्मत साधारणीकरण और परवर्ती हिंदी चिंतन 2 हिंदी आलोचना का वर्तमान स्वरूप
	*	
	3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और परवर्ती हिंदी आलोचना	5 प्रेमचंद की विचारधारा के विभिन्न पक्ष
	4 रहस्यवाद से नवरहस्य-वाद तक—हिंदी साहित्य के संदर्भ में	6 परंपरागत भारतीय काव्य-चिंतन और आचार्य शुक्ल की लोकमंगल संबंधी अवधारणा

5 डा० पी० के० बाल-सुब्रह्मण्यम्, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, मद्रास क्रिश्चियन कालेज तांबरम्, मद्रास	1 सागर विश्वविद्यालय 2 भोपाल विश्वविद्यालय 3 उज्जैन विश्वविद्यालय *	1 हिंदी और तमिल का आलोचना साहित्य—तुलनात्मक अध्ययन 2 हिंदी और तमिल का तुलनात्मक अध्ययन—व्याकरण की दृष्टि से
	3 हिंदी और तमिल के आधुनिक नाटक	7 हिंदी और तमिल की आधुनिक कविता में सामाजिक प्रासंगिकता
	4 डा० शिव मंगल सिंह 'सुमन' की राष्ट्रीय चेतना	8 भारती व भारतेंदु के साहित्य का तुलनात्मक परिचय
	5 डा० शिवमंगल सिंह 'सुमन' की कविता यात्रा	9 हिंदी और तमिल का साहित्य —एक तुलनात्मक परिचय
	6 आदिकाल व भक्तिकाल में राष्ट्रीय भावना	
6 डा० दशरथ ओझा भूतपूर्व प्रो०, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	1 कालीकट विश्वविद्यालय 2 त्रिवेन्द्रम विश्वविद्यालय 3 कोचीन विश्वविद्यालय	1 राष्ट्रीय एकता में मध्यकालीन साहित्यकारों का योगदान 2 कबीरदास और रामानंद 3 सूरदास और नानक पंथी संत
7 डा० एन० रामन नायर, प्रो० एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग कोचीन विश्वविद्यालय	1 बंबई विश्वविद्यालय 2 गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद 3 सरदार वल्लभभाई पटेल विश्वविद्यालय	
8 डा० बाल सिंह क्षेम क्षेम सदन, 153 शेषपुरा, जौनपुर (उ०प्र०)	1 हैदराबाद विश्वविद्यालय 2 उस्मानिया विश्वविद्यालय 3 दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास	

वर्ष 1985-86

1 डा० शशि भूषण सिंहल प्रो० एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक-	1 हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भुवनेश्वर 2 कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता 3 विश्वभारती, शांति-निकेतन	1 जीवन और साहित्य 2 उपन्यासकार प्रेमचंद 3 अच्छी हिंदी कैसे लिखें 4 उपन्यास और उसकी रचना प्रक्रिया 5 हिंदी उपन्यास—यात्रा गाथा 6 साहित्यिक शोध तथा आलोचना
2 डा० सुरेशचंद्र त्रिवेदी प्रो०, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर (गुजरात)	1 गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय 2 गढ़वाल विश्वविद्यालय 3 मेरठ विश्वविद्यालय * 5 गुजराती : भाषा साहित्य और संस्कृति 6 सूर का वाग्वैदग्ध्य 7 इतिहास, साहित्येतिहास : स्वरूप और प्रयोजन;	1 गुजरात का लोक नाट्य : भवाई 2 आंचलिकता और साहित्य 3 शोध और समीक्षा 4 आचार्य शुक्ल और गुजराती के प्रमुख समीक्षक 8 सूर काव्य में प्रेम 9 समकालीन हिंदी कहानी 10 अर्थ-परिवर्तन
3 डा० शंकरलाल पुरोहित हिंदी विभागाध्यक्ष बी० जे० बी० कालेज भुवनेश्वर	1 गोरखपुर विश्वविद्यालय 2 भागलपुर विश्वविद्यालय 3 बिहार विश्वविद्यालय 4 उड़िया-हिंदी काव्य तुलना मुजफ्फरपुर * 5 उड़िया-हिंदी कथा साहित्य की तुलना 6 भारतीय भाषा से हिंदी में अनुवाद	1 समकालीन उड़िया काव्य 2 समकालीन उड़िया कथा 3 उड़िया कृष्ण काव्य 7 उड़िया में रामकाव्य का विकास 8 राष्ट्रीय संस्कृति में अनुवाद 9 उड़िया कविता की पृष्ठभूमि

4 डा० जगमल सिंह एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	1 राजस्थान विश्वविद्यालय 2 सुखाड़िया विश्वविद्यालय 3 जोधपुर विश्वविद्यालय *	1 मणिपुर में हिंदी की ऐतिहासिक यात्रा और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी का महत्व
	2 मणिपुरी से हिंदी और हिंदी से मणिपुरी में अनुवाद एवं मणिपुरी तथा हिंदी भाषा की पारंपरिक निकटता 3 मणिपुर की हिंदी प्रचारक संस्थाएँ और उनकी साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय गतिविधियाँ 4 मणिपुर में हिंदी प्रचार-प्रसार की समस्याएँ और उनके समाधान के उपाय 5 मणिपुर के लिए हिंदी प्रदेशों से सहयोग की संभावनाएँ	7 मणिपुरी संस्कृति और शेष भारत से उसका संबंध; 8 वैष्णवधर्मग्रंथों का मणिपुरी भाषा में अनुवाद और मणिपुरी समाज पर वैष्णव धर्म का प्रभाव 9 मणिपुर में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी
6 मणिपुर के लेखक और उनके सामने आने वाली समस्याएँ और समाधान;		
5 डा० मथुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ, प्रवक्ता, हिंदी विभाग, राजकीय कालेज, झालावाड़ (राजस्थान)	1 हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद 2 वैंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति 3 मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास	1 अकविता की पृष्ठभूमि 2 निषेध की कविता 3 नवगीत : स्वरूप और विकास 4 सप्तक काव्य और नई कविता 5 पंचजोड़ बाँसुरी और नवगीत 6 साठोत्तरी हिंदी कविता

		7 अकविता 8 हिंदी नवगीत
6 डा॰ रामकृष्ण कौशिक हिंदी विभागाध्यक्ष लाजपतराय पोस्टग्रेजुएट कालेज, साहिबाबाद, गाजियाबाद	1 गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा 2 बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर 3 मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	1 कबीर-काव्य, समाज और दर्शन 2 निराला : काव्य-साधना 3 दिनकर-काव्य : गाँधीवादी और समाज वादी चेतना
7 डा॰ चक्रवर्ती रीडर, हिंदी विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय	1 लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 2 इलाहाबाद विश्व-विद्यालय, इलाहाबाद 3 काशी हिंदू विश्व-विद्यालय, वाराणसी	1 आँसू का आलंबन 2 नई कविता के प्रतिमान 3 कामायनी में दर्शन 4 समकालीन हिंदी कविता के प्रतिमान 5 आंध्र प्रदेश में हिंदी की स्थिति 6 दक्षिण में हिंदी की स्थिति
8 प्रो॰ रामेश्वर लाल खंडेलवाल, 3-ए प्रेमनगर, एटलस रोड, सोनीपत (हरियाणा)	1 उस्मानिया विश्व-विद्यालय, हैदराबाद 2 कर्नाटक विश्व-विद्यालय, धारवाड़ 3 आंध्र प्रदेश विश्व विद्यालय, वाल्टेयर	1 छायावाद और जयशंकर प्रसाद 2 काव्य सेतु और काव्य प्रयोजन: आधुनिक हिंदी कविता का दायित्व

*

	3 आधुनिक हिंदी कविता का विकास	4 हिंदी कविता और कन्नड़ कविता : तुलनात्मक अध्ययन और शोध की भूमिका—संभावनाएँ

5 हिंदी साहित्य और शोध-प्रविधि

6 आधुनिक हिंदी कविता की यात्रा : विशिष्ट कवियों के सांस्कृतिक योगदान के संदर्भ में

7 प्रगतिवाद प्रयोगवाद की उपलब्धियाँ

8 हिंदी के माध्यम से हिंदी व अहिंदी प्रदेशों के साहित्य के बीच सांस्कृतिक सेतु-बंधन

9 कवि और नाटककार जयशंकर प्रसाद का साहित्य : राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृष्टि से

10 आधुनिक हिंदी काव्य प्रवाह : प्रवृत्तियों के सीमांत तथा काव्य की उपलब्धियाँ

परिशिष्ट—9

हिंदीतर भाषी राज्यों के पुरस्कृत हिंदी साहित्यकार

क्र० सं०	पुरस्कृत रचना	लेखक/अनुवादक का नाम	मातृभाषा
1	2	3	4
वर्ष 1966-67			
1.	रेशम की गुड़िया	श्री चंद्रकांत कुसनूरकर	कन्नड़
2.	धूप-छांह	श्री केशवराव महागाँवकर	कन्नड़
3.	जिंदगी की राह	श्री बालशौरि रेड्डी	तेलुगु
4.	वह कौन	श्री सिद्धेश्वर हलधर	बंगला
5.	उजाले के उल्लू	डा० महीपसिंह	पंजाबी
6.	मेघाक्रांत	श्री दुर्गाप्रसाद पटनायक	उड़िया
7.	अँधेरे बंद कमरे	श्री मोहन राकेश	पंजाबी
8.	साँठगाँठ	श्री रमेश चौधरी आरिगपूडि	तेलुगु
9.	मिस्टिक साहब का कुरता	श्री वी० गोविंद शेनाय	मराठी (कोंकणी)
10.	चिंगलिंग	कुमारी निर्मला देशपांडे	मराठी
वर्ष 1967-68			
11.	अमर गाथा	श्री के० गणपति भट्ट	कन्नड़
12.	अंतरा	श्रीमती ज्योत्स्ना देवधर	मराठी
13.	निर्झरिणी और पत्थर	श्रीमती निर्मला दर	कश्मीरी
14.	सीमाएँ	श्री मनहर चौहान	गुजराती
15.	अज्ञात की ओर	श्री कल्याण कुमार चक्रवर्ती	बंगला
16.	नवजागरण	श्री सदाशिव हिरेमठ	कन्नड़
वर्ष 1968-69			
17.	अतिथि-सत्कार	डा० (कु०) सरोजिनी महिषी	कन्नड़

1 2	3	4
18. कन्नड़ साहित्य की रूपरेखा	श्री गुरुनाथ जोशी	कन्नड़
19. मजदूर से मिनिस्टर	श्री आबिद अली	गुजराती
20. तिरुक्कुरल	श्री एम० जी० वेंकटकृष्णन्	तमिल
21. तेलुगु की आधुनिक काव्यधारा	श्री सूर्य नारायण भानु	तेलुगु
22. पंप रामायण की कथा	डा० एन० एम० दक्षिणामूर्ति	तेलुगु
23. मृगतृष्णा	श्री ज्ञानसिंह मान	पंजाबी
24. प्रवाल	श्री सुरेश चंद्र	पंजाबी
25. अथवा	श्री प्रणवकुमार बंद्योपाध्याय	बंगला
26. महुआ	श्रीमती कनक सिंह	बंगला
27. हिंदी साहित्य : शोध और समीक्षा	डा० कृष्ण दिवाकर	मराठी
28. इंद्रधनुष	श्री अनंत गोपाल शेवड़े	मराठी
29. तुलसी और तुंचन	श्री ए० रामचंद्र देव	मलयालम
30. तीन एकांकी	श्रीमती लक्ष्मीकुट्टी अम्मा	मलयालम

वर्ष 1969-70

31. याद	श्रीमती पद्मिनी मेनोन	मलयालम
32. हमारी आन, हमारी शान	श्री यदुनाथ थत्ते	मराठी
33. सोनाली दी	श्रीमती रजनी पनिकर	पंजाबी
34. बीस साल के देश में बीस दिन की यात्रा	श्री आर० शौरिराजन	तमिल
35. पुनरावृत्ति	डॉ० (श्रीमती) भारती वैद्या	गुजराती
36. गल्प विहार	श्री एस० रामचंद्र	कन्नड़
37. श्रीमती कमला नेहरू	श्रीमती पी० शितम्मा वैली	कन्नड़
38. गाँधी सप्तक	पंडित नारायण देव	मलयालम
39. आगे का रास्ता	श्री माधव भट्ट पेर्ला	मराठी
40. काँच के टुकड़े	श्री के० जगजीत सिंह	पंजाबी

1	2	3	4
41.	भौरों का पहाड़	डा० के० राजशेषगिरि राव	तेलुगु
वर्ष 1970-71			
42.	कवच	श्री तरुण आजाद डेका	असमिया
43.	भारत रत्न	श्री परेशनाथ बनर्जी	बंगला
44.	देवयानी	डॉ० एन० चंद्रशेखरन् नायर	मलयालम
45.	संत नामदेव	श्री कृ० गो० वानखड़े गुरुजी	मराठी
46.	कवि श्री सुब्रह्मण्य भारती	डॉ० पी० जयरामन	तमिल
47.	सहस्रफण	श्री पी० वी० नरसिंह राव	तेलुगु
48.	इस हमाम में	श्री हरिकृष्ण कौल	कश्मीरी
49.	मिट्टी के फूल	प्रो० पी० वी० वज्रभट्टी	कन्नड़
50.	नील कमल	डॉ० के० मुद्दण्णा	कन्नड़
51.	अंतराल	डॉ० पी० आदेश्वर राव	तेलुगु
52.	नौ साल छोटी पत्नी	श्री रवींद्र कालिया	पंजाबी
वर्ष 1971-72			
53.	अपराजित	डॉ० एम० एस० कृष्णमूर्ति इंदिरेश	कन्नड़
54.	कश्मीरी और हिंदी के लोकगीत—एक तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० जवाहरलाल हांडू	कश्मीरी
55.	हिंदी का स्वातंत्र्योत्तर विचारात्मक गद्य	डॉ० सिस्टर क्लीमेंट मेरी	मलयालम
56.	हिंदी साहित्य में नारी की भूमिका	डॉ० टी० के० सरला देवी	मलयालम
57.	हाउस-सर्जन	श्री आंजनेय शर्मा	तेलुगु
58.	महात्मा बसवेश्वर के वचन	श्रीमती एस०आर० भुसनूरमठ	कन्नड़
59.	दिखती नहीं अपनी ही छाँह	श्री वसंत रामकृष्ण देव	मराठी

1	2	3	4
60.	लहरों का निमंत्रण	डॉ० सत्यप्रकाश संगर	पंजाबी
61.	रंगायन	प्रो० एम० आर० मोहोलकर	मराठी
62.	काव्यशास्त्र के नए आयाम	डॉ० एस०बी० माधवराव	तेलुगु
वर्ष 1972-1973			
63.	परत दर परत	कुमारी अन्नपूर्णा	पंजाबी
64.	एक बुतशिकन का जन्म	श्रीमती विजय चौहान	पंजाबी
65.	सूर सागर में प्रतीक-योजना	डा० बी० लक्ष्मय्या शेट्टी	तेलुगु
66.	कश्मीरी भाषा और साहित्य	डा० शिबन कृष्ण रैणा	कश्मीरी
67.	प्रेमचंद एवं तेलुगु के युगीन प्रतिनिधि उपन्यासकार	डा० बी० श्रीनिवासाचार्य	तेलुगु
68.	गोपुर का द्वीप	श्रीमती सरस्वती रामनाथ	तमिल
69.	अन्य भाषा शिक्षण : एक भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि	श्री पी०जी० कामत	कोंकणी
70.	ये हमारे	डा० सरोजिनी महिषी	कन्नड़
71.	कथ्य और तथ्य	डा० पी० वी० विजयन	मलयालम
72.	जीनत	डा० मोतीलाल जोतवाणी	सिंधी
73.	आधुनिक भारतीय मानस का संकट	श्री लोकनाथ भराली	असमिया
74.	आमार सोनार बांगला	श्री मोतीलाल टिक्कू 'विनीत'	कश्मीरी
75.	अनंत की अनुगूंज	श्री प्रताप कुमार ज० टोलिया निशांत	गुजराती
वर्ष 1973-74			
76.	केसर के फूल	डॉ० अर्जुन नाथ रैणा	कश्मीरी
77.	हिंदी और महाराष्ट्र का स्नेह बंध	प्रो० अशोक प्रभाकर कामत	मराठी

1	2	3	4
78.	होरस की काव्य-कला	अनु० डॉ० एन० रामन नायर	मलयालम
79.	ठंडी रात और काली ज्वाला	अनु० श्री के० नारायण	मलयालम
80.	उड़िया नाटक और रंगमंच	श्री नीलमणि मिश्र	उड़िया
81.	सोनार बांगला	अनु० श्री मुरलीधर मारुति जगताप	मराठी
82.	लहरों की आवाज	अनु० श्री रा० वीलिनाथन	तमिल
83.	साहित्यिक आदान-प्रदान	श्री बी० राममूर्ति रेणु	तेलुगु
84.	कर्नाटक संस्कृति	श्री सुरेश चंद्र चुलकीमठ	कन्नड़
85.	इंसानियत के पहरेदार	श्री शादीराम जोशी	पंजाबी
86.	आदि अनंत	प्रो० अप्पा साहेब सनदी 'शैल'	कन्नड़
87.	कई रूप कई रंग	श्री मुहम्मद मलिक अप्पा साहब मुडलगी	उर्दू
88.	भारत-रत्न इंदिरा जी	श्री रंजन बभूतमल परमार	गुजराती
वर्ष 1974-75			
89.	श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी	मू० ले० डॉ० गोविंद रामचंद्र उपलाईकर अनु० श्री महादेव दाजीवा बरखावड़े	मराठी
90.	हरियाली और काँटे	श्री शंकर पुणतंबेकर	मराठी
91.	तेलुगु आरती	डॉ० पी० विजय राघव रेड्डी	तेलुगु
92.	हिंदी और तेलुगु के प्रतिनिधि कवियों का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० के०एस० सत्यनारायण	तेलुगु
93.	आधा पुल	श्री जगदीश चंद्र	पंजाबी
94.	पुरानी बोतलें	सरदार करतार सिंह दुग्गल	पंजाबी
95.	शिक्षा शिक्षण	प्रो० पी० लक्ष्मी कुट्टी अम्मा	मलयालम
96.	प्रोफेसर और रसोइया	डॉ० एन० चंद्रशेखर नायर	मलयालम
97.	अपस्वर	अनु० डा० एस०एम० रामचंद्र स्वामी	कन्नड़

1	2	3	4
98.	केरल संस्कृति	श्री एन॰ वैंकटेश्वरन	तमिल
99.	भाषिकी	डॉ॰ एच॰ परमेश्वरन	तमिल
100.	हिंदी और बंगला मुहावरों का तुलनात्मक विवेचन, रूप वस्तु और व्यंजना	डॉ॰ अशोक कुमार भट्टाचार्य	बंगला
101.	रोशनी की किरण	अनु॰ श्री रजाउल जब्बार	उर्दू
102.	प्रथम पुरुष	अनु॰ डा॰ शंकरलाल पुरोहित	उड़िया
103.	कश्मीरी और हिंदी राम कथा काव्य का तुलनात्मक अध्ययन	डा॰ ओंकार कौल	कश्मीरी
104.	आकलन और समीक्षा	डा॰ संसार चंद्र	डोगरी
वर्ष 1975-76			
105	नदी के शोर	श्री ए॰ रमेश चौधरी आरिगपुड़ी	तेलुगु
106.	भारतीय चलचित्र का इतिहास	श्री फिरोज रंगूनवाला	गुजराती
107.	आखिर जो बचा	कु॰ बी॰ दयावंती	तेलुगु
108.	हिंदी इतिहास का प्रतिबम्बित चिंतन प्रवाह	डा॰एस॰जी॰ गोक ककर, डा॰जी॰ आर॰ कुलकर्णी	मराठी
109.	आधुनिक हिंदी कविता	—वही—	—वही—
वर्ष 1976-77			
110.	थिरके पत्ता पीतल का	डा॰ ओम प्रकाश गुप्ता	डोगरी
111.	चानी	अनु॰ डा॰ चंद्रकांत बांदिवडेकर	मराठी
112.	सिंधी कवियों की हिंदी साधना	डा॰ दयाल आशा	सिंधी
113.	पंत काव्य में सौंदर्य-भावना	डा॰ ए॰ श्रीराम रेड्डी	तेलुगु
114.	जाल	श्री मनहर चौहान	गुजराती
115.	टोकरी भर धूप	श्री हरिकृष्ण कौल	कश्मीरी

116. जैन परंपरा का राम कथा साहित्य	डा० शांतिलाल खेमचंद शाह	गुजराती
117. नाटक और नाट्य शैलियाँ	डा० दुर्गा दीक्षित	मराठी
118. नाटककार भारतेन्दु की रंग परिकल्पना	डा० सत्येन्द्र कुमार तनेजा	पंजाबी
119. सूना अंबर	डा० ज्ञानसिंह मान	पंजाबी
120. नेपियार की तुल्लगाथाएँ	डा० एस० सदाशिवन नायर	मलयालम
121. चोम का ढोल	डा० हिरण्य	कन्नड़
122. स्वच्छंदतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन	श्री पी० आदेश्वर राव	तेलुगु
123. मध्ययुगीन भक्ति साहित्य में विरह भावना	डा० वी० एन० फिलिप	मलयालम
124. जयकांतन की कहानियाँ	डा० आर० शौरिराजन	तमिल
125. हिंदी उड़िया उपन्यास साहित्य	डा० अजय कुमार पटनायक	उड़िया

वर्ष 1977-78 और 78-79

126. समकालीन कहानी की पहचान	डा० नरेन्द्र मोहन	पंजाबी
127. संस्कार	अनु० चंद्रकांत कुसनूर	कन्नड़
128. औचित्य सिद्धांत और हिंदी का रीतिकाव्य	डा० एस०आर० त्रिवेदी	गुजराती
129. गदर की गूँज	श्री प्रीतम सिंह पंछी	पंजाबी
130. कंब रामायण	अनु० श्रीमती सरस्वती रामनाथ	तमिल
131. इंदुलेखा	अनु० श्री वी०ए० केशवन नम्पूतिरि	मलयालम
132. नालियार दिव्य प्रबंधम् और सूरसागर में कृष्ण का स्वरूप	डा० के०ए० जमुना	तमिल
133. कश्मीरी निर्गुण संतकाव्य—दर्शन और भक्ति	श्रीमती कृष्णा रैणा	कश्मीरी
134. खबर	श्री प्रणव कुमार बंद्योपाध्याय	बंगला
135. कानून का फैसला	श्री शंकर बाम	मराठी

136. ग्रामायण	अनु० श्री एच०वी०रामचंद राव	कन्नड़
137. मलयालम अध्यात्म रामायणम्—उत्तर रामायणम्	अनु० डा० एन०पी० कुट्टनपिल्लै	मलयालम
138. माधवी	अनु० श्री सी०एच० निशान निंगतम्	मणिपुरी
139. तेलुगु एकांकी	अनु० श्री दंडमूड़ि महीधर	तेलुगु
140. पीली बत्ती पर	डा० मोतीलाल जोतवाणी	सिंधी

वर्ष 1979-80

141. मुझे कुछ कहना है	अनु० श्री सुधाकर कलावड़े	गुजराती
142. कला साहित्य और समीक्षा	डा० तरिणी चरणदास, चिदानंद,	उड़िया
143. तमिल भाषा और काव्य	श्री एस० केशवमूर्ति	तेलुगु
144. पड़ोसी देशों की लोक कथाएँ	डा० विजय राघव रेड्डी	तेलुगु
145. महाकवि वल्लत्तोल	डा० के०एस० मणि	मलयालम
146. मातम	श्री स्वदेश दीपक	पंजाबी
147. भास्कर	डा० शिवप्रसाद कोस्टा,	कन्नड
	डा० कस्तूरी रंगन	तमिल
	प्रो० उडिपि रामचंद्र राव	तमिल
148. जेठ की साँझ	श्री सदानंद पेठे	मराठी
149. नृत्य बोध (प्रथम भाग)	डा० (श्रीमती) शिवेणी पंकज पंड्या	गुजराती
150. असम की लोक कथाएँ	डा० (श्रीमती) कमला सांस्कृत्यायन	नेपाली
151. गंधारी	डा० बी०आर० पद्म	पंजाबी
152. परशुराम की बहनें	डा० एस०एस० कृष्णमूर्ति "इंदिरेश"	कन्नड़
153. एक छतरी और छोटी बहन	अनु० श्री मंडूर सुकुमारन	मलयालम

वर्ष 1980-81

154. न्याय प्रमाण परिक्रमा	डा० अभेदानंद	असमिया
155. लाल बंगला	श्री कुमार हसन	उड़िया

1	2	3	4
156.	दु:खभरा राग	मूल : श्री कृष्ण आलनहल्ली अनु० : श्री भालचंद्र जयशेट्टी	कन्नड़
157.	कानन जीव	मूल : श्री शिवराम कारंत रूपां० डा० आर०ए० हैगड़े	कन्नड़
158.	चुटकी भर मुस्कान	श्रीमती शामा	कश्मीरी
159.	प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य में सांस्कृतिक चेतना	श्री नित्यानंद पटेल	गुजराती
160.	धरती अपनी-अपनी	अनु० श्री अशोक जैरथ	डोगरी
161.	पाणिनीय व्याकरण-प्रवेश	डा० वि० कृष्णस्वामी आयंगर	तमिल
162.	तेलुगु के आधुनिक कवि वैरागी	रूपाँ० श्री यार्लाड्डा लक्ष्मी प्रसाद	तेलुगु
163.	दिशा और दृष्टि	डा० करण राजशेषगिरि राव	तेलुगु
164.	उपेक्षिता	श्रीमती प्रेम पाठक	पंजाबी
165.	बिदनूर का नायक	मूल लेखक : मास्ति वेंकटेश अय्यंगार अनु० : श्रीमती कमल नारायण	पंजाबी
166.	सूने चौराहे पर	श्री मनोहर बंद्योपाध्याय	बंगला
167.	सिंहासन	मूल : अरुण साधू अनु० : श्री प्रकाश भातंबेकर	मराठी
168.	मराठी संत कवियों की सामाजिक भूमिका	डा० ग० तु० अष्टेकर	मराठी
169.	रोबो	मूल : दिनानाथ मनोहर अनु० : श्री भगवानदास वर्मा	राजस्थानी

वर्ष 1981-82 और 1982-83

1	2	3	4
170.	जंगल के आसपास	श्री राकेश वत्स	पंजाबी
171.	उर्वशी में कामाध्यात्म	श्रीमती सुलक्षणा शर्मा	पंजाबी
172.	शिवधनुष	डा० चंद्रशेखर	पंजाबी

1	2	3	4
173.	अपनी-अपनी भूमिका	श्री प्रताप सहगल	पंजाबी
174.	मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ	श्री सुदर्शन मजीठिया	पंजाबी
175.	बाकी सब खैरियत है	चंद्रकांता	कश्मीरी
176.	अरथी	श्री हरिकृष्ण कौल	कश्मीरी
177.	आधुनिक तेलुगु साहित्य की प्रवृत्तियाँ	डा० के०एस० सत्यनारायण	तेलुगु
178.	प्रवर	मू० ले० अल्लसनी पद्दन अनु० श्री वी० चलपथिराव	तेलुगु
179.	रोशनी से दूर	छत्रपाल	डोगरी
180.	कविता की तलाश	चंद्रकांतबांदी वडेकर	मराठी
181.	ज्ञानेश्वरी	श्री तुलसीदास	मराठी
182.	वि० स० खांडेकर की श्रेष्ठ कहानियाँ	डा० सुनीलकुमार एस० लवाटे	मराठी
183.	भटकते कोलंबस	डा० दामोदर खडेसे	मराठी
184.	परणि एवं रासो काव्य	डा० डी० श्रीनिवास वरदन	तमिल
185.	चिराग	श्री के०टी० कलेवनन	तमिल
186.	भारतीय राम काव्य	श्री सी० पी० राजगोपालन नायर	मलयालम
187.	अभिशप्त माताएं	श्री के० एस० सोमनाथन नायर	मलयालम
188.	गौरी शंकर	अनु० डा० एन० चंद्रशेखरन नायर	मलयालम
189	मिसिंग जनजाति	डा० भिक्षु कौण्डिन्य	असमिया
190.	कैसे कैसे मंजर	श्री प्रेमचंद शजवाला	सिंधी
191.	स्वाधीनता संग्राम और उत्कल	श्री नीलमणि मिश्र	उड़िया
192.	औड़िया के कृति और कृतिकार	श्री वनमाली दास	उड़िया
193.	जादुई खड़िया	श्री मनहर चौहान	गुजराती

1	2	3	4
194.	जलता हुआ सावन	श्री अब्दुल रउफ साहिद अंसारी	उर्दू
195.	भावनिर्झर	कुमारी मधुमती चौकसी	गुजराती

वर्ष 1983-84 और 1984-85

1	2	3	4
196.	उलझी राहें	श्रीमती ललिता राज अस्नानी	मराठी
197.	यादों के पंछी	श्री सूर्यनारायण रणसुभे	मराठी
198.	महाराष्ट्र का लोकधर्मी नाट्य	डा० दुर्गा दीक्षित	मराठी
199.	संत एकनाथ : जीवन और काव्य	(स्व०) डा० कृष्ण दिवाकर	मराठी
200.	सातवाहनों और पश्चिमी छत्रपों का इतिहास और अभिलेख	डा० वी० वी० द्रविड़	मराठी
201.	विश्वंभरा	डा० भीमसेन निर्मल	तेलुगु
202.	महाप्रस्थान	डा० सूर्यनारायण 'भानु'	तेलुगु
203.	मन के बंधन	स्व० डा० पी०ए० राजू	तेलुगु
204.	प्रतिशोध	श्री के० मल्लिकार्जुन राव	तेलुगु
205.	महाराज नंद कुमार	श्री जी० जयसिंहा रेड्डी	तेलुगु
206.	मेरी जीवन यात्रा	श्री वैमूरि राधाकृष्ण मूर्ति	तेलुगु
207.	आखिरी पन्ने	श्री सुतीक्ष्ण कुमार शर्मा	डोगरी
208.	कहीं कोई आवाज नहीं	डा० बलदेव वंशी	पंजाबी
209.	गर्म लोहा	डा० हरमहेंद्रसिंह बेदी	पंजाबी
210.	त्रिवेणी का राजहंस	डा० राम सहाय सरस	पंजाबी
211.	द्वादशी	डा० एन० रामन नायर	मलयालम
212.	छायावादी बिंब विधान और प्रसाद	डा० एन०पी० कुट्टन पिल्लै	मलयालम
213.	राजधानी में हनूमान	श्री मटमरी उपेंद्र	कन्नड़

1	2	3	4
वर्ष 1985-86			
214.	असीम	श्रीमती नीला सत्यनारायण	मराठी
215.	बीन के तार	श्री सदानंद महादेव पेठे	मराठी
216.	उठता चाँद डूबता सूरज	डा० एन०ई० विश्वनाथ अय्यर	तमिल
217.	नदियों की कहानी : गंगा	श्रीमती सरस्वती रामनाथ	तमिल
218.	वचनोद्यान	कु० वी० वाई० ललितांबा	तेलुगु
219.	अनुवाद सिद्धांत एवं प्रयोग	डा० जी० गोपीनाथ	मलयालम
220.	लक्षद्वीप की संस्कृति	श्री के० गोपीनाथ	मलयालम
221.	समीक्षायण	डा० पारुकांत देसाई	गुजराती
222.	बाइबल भाष्य—शास्त्र, सिद्धांत और पद्धति	श्री एम्मानुएल ई० जेम्स	कन्नड़
223.	घोड़ा पुराण	श्री सुरेश सेठ	पंजाबी
224.	मुकुल शैलानी	श्री सुरेश चंद्र	पंजाबी
225.	कविता जो साक्षी है	डा० ओमप्रकाश गुप्ता	डोगरी
226.	भाषाविज्ञान (भाषिकी)	डा० बलदेव राज गुप्ता	डोगरी
227.	कश्मीरी साहित्य का इतिहास	डा० शशिशेखर तोषखानी	कश्मीरी
228.	उत्कल की श्रेष्ठ कहानियाँ	डा० अजय कुमार पटनायक	उड़िया

परिशिष्ट—10

हिंदी, संस्कृत और मातृभाषा को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं में लिखी पुस्तकों पर पुरस्कार देने की योजना के अंतर्गत पुरस्कृत कृतियों की सूची

क्रम सं०	पुरस्कृत पुस्तक	पुस्तक की भाषा	लेखक/अनुवादक का नाम	मातृभाषा
1	2	3	4	5
वर्ष 1969-70				
1.	मन अरु मन	असमिया	श्री लमर दाई	आदि
2.	सिंधी साहित्य नी श्रेष्ठ वार्ताओ	गुजराती	श्री जयंत जे० रेलवानी	सिंधी
3.	ध्रुव बिंदु	कन्नड़	श्री बाबा साहिब ए० सनदी	उर्दू
4.	श्री बसवण्णनवर दिव्य जीवन	कन्नड़	श्री मनोहर श्रीनिवास देशपांडे	मराठी
5.	त्यागी गोपबंधु	उड़िया	श्री खान अब्दुल मलिक	उर्दू
6.	गाँधी और वल्लुवर	तमिल	श्री के०एस० नागराजन	मराठी
7.	गालिब	तेलुगु	श्री एस०ए० रशीद कुरैशी	उर्दू
8.	उर्दू और बंगला	उर्दू	श्री शांति रंजन भट्टाचार्य	बंगला
9.	रोशन साए	उर्दू	श्री के०आर०के० मोहन	तेलुगु
वर्ष 1970-71				
10.	अनाहूत	असमिया	श्री भृगुमनि कागयुंग	मिरि
11.	पथेर आलोछाया	बंगला	श्री परेशमल्ल बरुआ	असमिया
12.	अंतर	कन्नड़	श्रीमती सावित्री देवी नायडू	तेलुगु
13.	कागदद-दोणी तथा सोगसुगति	कन्नड़	श्रीमती अ० पंकजा	तमिल
14.	दुराग्रही	कन्नड़	श्री एन०एस० वेंकट सुब्बाराव	तेलुगु

1	2	3	4	5
15.	लेनिन गाँधी	कन्नड़	श्री के०एस० शर्मा	तेलुगु
16.	गंगा कधी आटत नाहीं	मराठी	श्री केशव महागांवकर	कन्नड़
17.	अबला	मराठी	श्री सैयद अहमद अमीन	उर्दू
18.	सिंधु तीरे	उड़िया	श्री अब्दुल हमीद खान 'नाशाद'	उड़िया
19.	विद्रोही बहादुर	उड़िया	शेख मुजीबुर्रहमान चौधरी	उर्दू
20.	रजनी	उड़िया	श्रीमती नीलिमा दे	बंगला
21.	इरुपदु बरुषंगल	तमिल	श्री एम०एस० कल्याणसुंदरम्	तेलुगु
22.	मनसु जरिते	तेलुगु	श्री एन० डी० विजयबाबू	उड़िया
23.	आचार्य जगदीश चंद्र बोस	तेलुगु	श्री प्र०भ० वेदांताचारी	तमिल
24.	जिक्र-ओ-फ़िक्र	उर्दू	श्री ब्रह्मनाथ दत्त	पंजाबी
25.	एक औरत एक कयामत	उर्दू	श्री रामजी दास पुरी सय्याह सुनामी	पंजाबी
26.	आहंग-ए-जज्ब	उर्दू	श्री राघवेंद्र राव 'जज्ब' आलमपुरी	कन्नड़
वर्ष 1971-72				
27.	श्री	बंगला	श्रीमती सरोजिनी नरहर कमतनूरकर	मराठी
28.	निशिगंधा	गुजराती	श्रीमती मृणालिनी प्रभाकर देसाई	मराठी
29.	मुगलु-मंजु	कन्नड़	श्री जि० जयसिंहा रेड्डी	तेलुगु
30.	जेनुगुड्डु	कन्नड़	कु० टी० शांति	तेलुगु
31.	कलइ-पेरुम कोइल	तमिल	श्रीमती एन० गीताराजन	मराठी
32.	नीथी मार्ग प्रदीपिका	तेलुगु	श्री दे० सुब्रह्मण्यम्	तमिल
33.	सेहरे नगमा	उर्दू	श्री रामप्रकाश साहिर होशियारपुरी	पंजाबी

1	3	3	4	5
वर्ष 1972-73				
34.	अमार हरानो स्वेली	बंगला	श्री द्विजेन्द्र मोहन शर्मा	असमिया
35.	परंपराहीन	गुजराती	डॉ० मोतीलाल जोतवाणी	सिंधी
36.	चारु चंद्रलेखा	कन्नड़	डॉ० एन०एस० दक्षिणमूर्ति	तेलुगु
37.	गंध केसर	कन्नड़	प्रो० मुल्ला अकबर अली	उर्दू
38.	इलाउडू	कन्नड़	श्री जे०एस० शिवप्रकाश 'जयसुदर्शन'	तेलुगु
39.	अदूथ वीडु	तमिल	श्री आर० तुलसीदास	तेलुगु
40.	शोला-ए-खामोश	उर्दू	श्री कालीदास गुप्ता 'रिजा'	पंजाबी
41.	हुस्न-ए-इरफान	उर्दू	डॉ० के० मुदन्ना	कन्नड़
वर्ष 1973-74				
42.	स्वप्न अधूरा	गुजराती	डॉ० (कु०) सुमति वालकृष्ण क्षेत्रमाड़े	मराठी
43.	त्रिशंकु	कन्नड़	श्री जे०ए० रेड्डी	तेलुगु
44.	पुट्टूर टू कश्मीर	कन्नड़	श्री जे०ए० शेनोय तथा श्रीमती निर्मला शेनोय	कोंकणी
45.	अनुभूति आणि विचार वीथी	मराठी	डा० भगवानदास मुरलीधर तिवारी	हिंदी
46.	शाश्वती	उड़िया	श्रीमती निहार कण मित्रा	बंगला
47.	असमिया भाषा ओ साहित्यारा कोटो डी डीगा	उड़िया	श्री फणींद्र नारायण दत्ता बरुआ	असमिया
48.	पूज्यार डेमियन	तमिल	श्री सी०एस० शमुंदसुंदरम्	कन्नड़
49.	साहित्य तत्वाम् सिवभारत दसनामू	तेलुगु	श्री सरदेसाई तिरुमला राव	कन्नड़

1 2	3	4	5
50. बच्चों की दुनियाँ	उर्दू	श्री रामचंद्र समन सरहदी	पंजाबी
51. ग़ज़ल	उर्दू	श्री कृष्ण लाल	पंजाबी
52. पीली दुवन्नी	उर्दू	श्री के०सी० बत्रा	पंजाबी
वर्ष 1974-75			
53. तीर्थ	असमिया	श्रीमती मधुरिमा (मिश्र) शर्मा	हिंदी
54. मोर लगारिया	असमिया	श्री नरेंद्र पदुन	मीरी (मिशिंग)
55. स्मृति, स्वप्न, समुद्र	बंगला	श्री नृपेंद्र मोहन शर्मा	असमिया
56. उत्तरायण	कन्नड़	श्री माविनकेरे रंगनाथन	तमिल
57. किस मी	कन्नड़	श्री कोल्लेगल सिंह	तमिल
58. आत्मे घ्या आत्मे	मराठी	श्री चंद्रभूषण उमाशंकर कुलश्रेष्ठ	हिंदी
59. कनावू पालितनाथू	तमिल	श्रीमती सी० पचियम्मल	तेलुगु
60. बयाज	उर्दू	श्री बदीउज्जमाँ ख्वार	मराठी
61. बीदारी-ए-वतन	उर्दू	बाबा कृष्ण गोपाल 'मघमूम'	पंजाबी
वर्ष 1975-76			
62. अपत्या	बंगला	श्री रामानंद वेझबरुआ	असमिया
63. वट्टा ओछा	गुजराती	श्री नामदेव तराचंदानी	सिंधी
64. ओलाविना कर्वे	कन्नड़	श्रीमती जयश्री राजाराम	तमिल
65. भारत गौरब कथा	उड़िया	श्री के० अब्दुल मलिक	उर्दू
66. शिलप्पदिकारम पतिनोरम नूट्राडु काप्पियम्	तमिल	श्री चलन गोविन्दन	मलयालम
67. दिव्य दर्शन (भाग 1 और 2)	कन्नड़	श्री बी० माम्मुन्हे इचलंगोड़	तमिल
68. शुभसमय दिवस	मराठी	श्री अशोक कामथ	कोंकणी
69. सफेद खून	उर्दू	श्री रतनसिंह	पंजावी
70. बादा-ए-शिराज	उर्दू	डॉ० पेशावरी लाल मल्होत्रा	हिंदी

1	2	3	4	5
वर्ष 1976-77 से 1979-80				
71.	चिरदिनर चिनाकि बाट	असमिया	श्री एस०सी० सेन	बंगला
72.	प्रिथिवीए बागार होलाइछे	असमिया	श्री सुबोध चंद्र सेन	बंगला
73.	टूटता संबंध	गुजराती	श्री जे०जे० रेलवानी	सिंधी
74.	बिन सांप्रदायिकता अने मुस्लिम माणस	गुजराती	श्री डी० वाई० अहमद	उर्दू
75.	गुरुतु	कन्नड़	श्री अब्दुल मजीद खान	उर्दू
76.	नारायण भट्ट	कन्नड़	श्री रघुसुत	तमिल
77.	श्री गुरुदेव दर्शन	मराठी	श्री आर०पी० कुलकर्णी	कन्नड़
78.	भारतीय संस्कृतला बुद्धर्माचे योगदान	मराठी	श्री भागचंद्र जैन	हिंदी
79.	राजसिंघ	उड़िया	श्री एस०एस० चक्रवर्ती	बंगला
80.	मौर्य सिंहासन	उड़िया	श्री एस०ए० सनद जरदीना	उर्दू
81.	अरण्य कांडम्	तमिल	श्री के०एस० कोदंडम्	तेलुगु
82.	अनल कात्रु	तमिल	श्री रुद्र तुलसीदास	तेलुगु
83.	कन्याशुल्क नाटककला	तेलुगु	श्री एस०टी० राव	कन्नड़
84.	श्री सुकतुलु	तेलुगु	डॉ० सी०आर० विद्यानंद	तमिल
85.	सबील	उर्दू	श्री बदीउज्जमाँ ख्वार	मराठी
86.	गालिब और बंगाल	उर्दू	श्री शांति रंजन भट्टाचार्य	बंगला
वर्ष 1980-81 व 1981-82				
87.	संचय	कन्नड़	श्रीमती मालती टंडन	हिंदी
88.	गोरिल्ला	कन्नड़	श्री पी०वी०वी०एस० सुंदरम्	तेलुगु
89.	कालिद-ए-उरुज	उर्दू	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	पंजाबी

1	2	3	4	5
90.	रामायण-जादिद दुनिया के लिए	उर्दू	श्री एस० नारायण राव	तेलुगु
91.	उन्हाचे टुकड़े	मराठी	श्री श्याम विमल	पंजाबी
92.	प्रिथिबीर मानुष कवितार मानुष	बंगला	श्री जे० पाशा	असमिया

वर्ष 1982-83 व 1983-84

1	2	3	4	5
93.	औद्योगिक धातुएँ	गुजराती	श्री सारंगधर	मराठी
94.	अन्नपूर्णानी गोदमां	गुजराती	श्री दलपतराय आहूजा (मयूर)	पंजाबी
95.	पगला	गुजराती	श्री तीर्थ चंदवानी	सिंधी
96.	दिल की आवाज	उर्दू	श्री बी०डी० शैयद	हिंदी
97.	कोयले की कहानी	उर्दू	श्री सुभाष चंद्र	पंजाबी
98	मंजर ब मंजर	उर्दू	डॉ० के० मुदन्ना	कन्नड

परिशिष्ट 11

स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं द्वारा संचालित हिंदी परीक्षाओं को मान्यता

मान्यता का विवरण

क्रम सं०	संस्था का नाम	मान्यता प्राप्त परीक्षा का नाम	बराबर की परीक्षा में हिंदी का निर्धारित स्तर
1	2	3	4
1.	हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद	1. प्रथमा	एस०एल०सी०
		2. मध्यमा (विशारद)	बी०ए०
		3. उत्तमा (साहित्य रत्न)	बी०ए० हिंदी (आनर्स)
2.	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा	1. परिचय	एस०एल०सी०
		2. कोविद	इंटर
		3. रत्न	बी०ए०
3.	दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास	1. प्रवेशिका	एस०एल०सी०
		2. विशारद	इंटर
		3. प्रवीण	बी०ए०
4.	हिंदी विद्यापीठ, देवघर	1. प्रवेशिका	एस०एल०सी०
		2. साहित्य भूषण	इंटर
		3. साहित्यालंकार	बी०ए०
5.	महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना	1. प्रबोध	एस०एल०सी०
		2. प्रवीण	इंटर
		3. पंडित	बी०ए०
6.	हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद	1. विशारद	एस०एल०सी०
		2. भूषण	इंटर
		3. विद्वान	बी०ए०
7.	गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद	1. तीसरी	एस०एल०सी०
		2. विनीत	इंटर
		3. सेवक	बी०ए०

1	2	3	4
8.	बंबई हिंदी विद्यापीठ बंबई	1. उत्तमा	एस०एल०सी०
		2. भाषा-रत्न	इंटर
		3. साहित्य-सुधाकर	बी०ए०
9.	असम राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद् गुवाहाटी	1, प्रबोध	एस०एल०सी०
		2. विशारद	इंटर
		3. प्रवीण	बी०ए०
10.	मणिपुर हिंदी परिषद् इम्फाल	1. प्रबोध	एस०एल०सी०
		2. विशारद	इंटर
		3. रत्न	बी०ए०
11.	हिंदुस्तानी प्रचार सभा, बंबई	1. तीसरी	एस०एल०सी०
		2. काबिल	इंटर
		3. विद्वान	बी०ए०
12.	मैसूर हिंदी प्रचार परिषद् बैंगलूर	1. प्रवेश	एस०एल०सी०
		2. उत्तमा	इंटर
		3. रत्न	बी०ए०
13.	केरल हिंदी प्रचार सभा, त्रिवेंद्रम	1. प्रवेश	एस०एल०सी०
		2. भूषण	इंटर
		3. साहित्याचार्य	बी०ए०
14.	कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति, बैंगलूर	1. राजभाषा	एस०एल०सी०
		2. राजभाषा-प्रकाश	इंटर
		3. राजभाषा-विद्वान	बी०ए०
15.	सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति, राजकोट	1. तीसरी	एस०एल०सी०
16.	कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति, बैंगलूर	1. हिंदी उत्तमा	एस०एल०सी०
		2. हिंदी भाषा-भूषण	इंटर
		3. भाषा-प्रवीण	बी०ए०
17.	उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद्, पुरी	1. विनोद	एस०एल०सी०
		2, प्रवीण	इंटर
		3. शास्त्री	बी०ए०

परीक्षाओं की मान्यता

अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की सदस्य संस्थाओं द्वारा संचालित कुछ हिंदी परीक्षाओं की मान्यता की अवधि 31 दिसंबर, 1985 को समाप्त हो गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित परीक्षाओं की मान्यता की अवधि उनके परिपत्र सं० 9-6/84—डी०1 (भाषा) दि० 31-12-85 द्वारा 31 दिसंबर 1986 तक बढ़ाई गई है। ज्ञातव्य है कि इन संस्थाओं की अन्य परीक्षाओं को भारत सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त है।

संगठन का नाम	परीक्षा का नाम	समकक्ष परीक्षा में निर्धारित हिंदी का स्तर
1. केरल हिंदी प्रचार सभा, त्रिवेंद्रम	साहित्याचार्य	बी०ए०
2. मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति, बैंगलूर	1. राजभाषा प्रवेश	एस०एल०सी०
	2. राजभाषा प्रकाश	इंटर
	3. राजभाषा विद्वान	बी०ए०
3. कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति, चामराजपेठ, बैंगलूर	हिंदी भाषा प्रवीण	बी०ए०
4. मैसूर हिंदी प्रचार परिषद्, बैंगलूर	रत्न	बी०ए०
5. सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति, राजकोट	तीसरी	एस०एल०सी०

परिशिष्ट 12

सिंधी भाषा की पुरस्कृत कृतियों और उनके लेखकों की वर्षवार सूची

1979-80

1	2
1. सत सार	श्री परम अभीचंदाणी
2. मूँ तोखे प्यार कयो	प्रो० (कुमारी) पोपटी हीरानंदाणी
3. फैल जंदड़ रेगिस्तान	श्री हरिकांत
4. अर्चना-रचना	श्री हरि हिमथाणी
5. अम्मी-मम्मी	श्री मुरलीधर

1980-81

1. भूरी	श्रीमती सुंदरी उत्तमचंदाणी
2. सख्त चेहरे वारो माण्हूँ	श्री ईश्वरचंद्र
3. अकेली	श्रीकृष्ण खटवाणी
4. काजी-कादन-जो-कलाम	श्री हीरो ठाकुर
5. मोर्चा बंदी	श्री प्रेमप्रकाश

1981-82

1. तनहाई-ऐं कौड़ो-दूहों	श्री गोवर्धन महबूबाणी
2. वच्छोटियों	श्री श्याम जयसिंघाणी
3. चोरायल खुशीअ जाँ सुख	श्री गोप दरयाणी 'कमल'
4. अधूरी रचना	श्री लखमी खिलाणी

1982-83

1. ओख़-डोख	श्री कीरत बाबाणी
2. उहे डीहँ उहे शीहँ	प्रो० सी० एल० गाड़ीवाला
3. पक्खी अड़ा परडेह में	श्री भगवान तिलवाणी
4. सड ऐं पराडा	श्री हरी हिमथाणी

1	2	3
1983-84		
1. रोशन राहों धुंधला मार्ग		श्री एम० कमल
2. पछोला		श्री ईश्वर आँचल
3. इहे रिश्ता नाता		डा० मोतीलाल जोतवाणी
4. सिन्धड़ी थी सडे		श्री जी०एल० डोडेजा
1984-85		
1. जहाज जे डेक ते		श्री मोहन कल्पना
2. ईश्वर चंद्र जूं सत् कहाणिओं		श्री ईश्वर चंद्र
3. पालतू		श्री भगवान अतलाणी
4. हिअ भी हिक जिंदगी		श्री आनंद टहलरमाणी
5. घर गुरुअ जो दर		श्री मदन जुमाणी
1984-85		
1. मन जा महल खंडहर		श्री लखमी खिलाणी
2. फन शाबरी ऐं साज़		श्री इंद्र भोजवाणी
3. सिक सोजऐं साज़		श्री खीअलदास फानी
4. किअँ विसारियाँ वेड़ीइचन		कु० वीना श्रृंगी
5. अठों सुर		श्री नामदेव ताराचंदाणी